भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
जनरल एवं सोशल सेक्टर

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या : 2 - वर्ष 2013

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	–	v
अध्याय 1 **प्रस्तावना**		
इस प्रतिवेदन के सम्बंध में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों की रुप–रेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना	1.4	2
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.5	3
निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.6	3
अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	1.7	4
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार का रुझान	1.8	8
अध्याय 2 **निष्पादन लेखापरीक्षा**		
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग		
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की कार्यप्रणाली	2.1	11
कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग		
हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का क्रय एवं कृषकों को वितरण	2.2	50
अध्याय 3 **लेन–देनों की लेखापरीक्षा**		
नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना	**3.1**	63
उच्च शिक्षा विभाग		
परिहार्य व्यय	3.1.1	63
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
ब्याज भुगतान से हानि	3.1.2	64
सिंचाई विभाग		
पुनरीक्षित परियोजना के स्वीकृत न होने के कारण अलाभकारी व्यय	3.1.3	66
अभिलेखों में कूट रचना द्वारा कपटपूर्ण भुगतान	3.1.4	67
रायल्टी की वसूली न करने से शासन को हानि	3.1.5	68
मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन में कपटपूर्ण भुगतान	3.1.6	69
रिलायंस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करने से शासकीय क्षति	3.1.7	71

वित्तीय नियमों का उल्लंघन	3.1.8	72
वित्तीय नियमों का उल्लंघन	3.1.9	73
लोक निर्माण विभाग		
शासकीय क्षति	3.1.10	75
संदिग्ध व्यय एवं अधोमानक कार्य	3.1.11	76
व्ययाधिक्य	3.1.12	77
बिटुमिन के कार्यों पर परिहार्य व्यय	3.1.13	79
मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय	3.1.14	80
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग		
फर्जी बैंक गारण्टी	3.1.15	81
औचित्य लेखापरीक्षा और बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण	**3.2**	**83**
कृषि विभाग		
मानदेय के रुप में वितरित निष्फल व्यय	3.2.1	83
सिंचाई विभाग		
अतिरिक्त जल के निस्तारण की व्यवस्था का प्रावधान न करने के कारण निरर्थक व्यय	3.2.2	84
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें		
भूमि की खरीद पर परिहार्य व्यय	3.2.3	85
पंचायती राज विभाग		
अनुदानों का दुरुपयोग	3.2.4	87
असावधानी/नियंत्रण की कमी	**3.3**	**88**
पशुपालन विभाग		
विवादित भूमि की खरीद पर अलाभकारी व्यय	3.3.1	88
सामान्य प्रशासन विभाग		
पट्टे किराये पर परिहार्य व्यय	3.3.2	90
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.3.3	91
चिकित्सालय भवन के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.3.4	92
लोक निर्माण विभाग		
सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.3.5	94
समाज कल्याण विभाग		
छात्रावासों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.3.6	95
शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग		
आवासीय इकाईयों के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.3.7	96
सतत् और व्यापक अनियमितताएँ	**3.4**	**98**
लोक निर्माण विभाग		
सेतु के निर्माण पर अलाभकारी व्यय	3.4.1	98

अध्याय 4 राज्य सरकार के विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा		
उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा	4	101

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	वर्ष 2011–12 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति का विवरण	125
2.1.1	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के सापेक्ष बकाया विविध अग्रिम	126
2.1.2 (अ)	परिमण्डलवार असमायोजित विविध प्रकीर्ण अग्रिम	127
2.1.2 (ब)	नमूना–जाँच प्रखण्डों के बकाया विविध प्रकीर्ण अग्रिम	128
2.1.3	फार्म–51 के भाग–I एवं भाग–II में अन्तरों का विवरण	129
2.1.4	केन्दीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय	130
2.1.5	बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्यों का प्रारंभ	131
2.1.6	तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलम्ब	132
2.1.7	अल्पकालिक निविदा के आधार पर कार्य का सौंपा जाना	133
2.1.8	अल्पकालिक निविदा के आधार पर अनुबंधों के गठन में विलम्ब	134
2.1.9 (अ)	बहुल बिड निरस्त करने के कारण सरकार को हानि	135
2.1.9 (ब)	एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन	136
2.1.9 (स)	एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन	137
2.1.10	वर्ष 2007–12 के दौरान निष्पादित चयनित अनुबंध	138
2.1.11	प्रखण्डों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब	139
2.1.12	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में निविदा प्रक्रियाँ को पूर्ण करने के लिए समय अनुसूची	140
2.1.13	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब	141
2.1.14	सिक्योरिटी डिपाजिट का सत्यापन न किया जाना	142
2.1.15	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली	143
2.1.16	स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट की धारा 4 प्रस्तर 13 के अनुसार बीमा आच्छादन के मानक	144
2.1.17	प्रखण्डों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना	145
2.1.18	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना	146
2.1.19	प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का विवरण	147
2.1.20	अनुबंधों के गठन में अपारदर्शिता के प्रकरण	148
2.1.21	अनुमोदित डिजाइन और विशिष्टियों से विचलन के कारण परिहार्य व्यय	149
2.1.22	लिक्विडेटेड डैमेज का नहीं लगाया जाना	159
2.1.23	हरदोई (2011–12) जनपद में संतृप्त मजरों की स्थिति	160

2.1.24	कार्यों की सूची जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया गया था	172
2.1.25	अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाइन से विचलन	174
2.1.26	31 मार्च 2012 को राजकीय कर्मचारियों की स्थिति	177
2.1.27	2007–12 के दौरान अपूर्ण निर्माण कार्य	178
2.1.28	स्थानान्तरण नीति का पालन न किया जाना	179
2.1.29	2007 से कर्मचारियों के कार्यों का नहीं बदला जाना	180
2.1.30 (अ)	अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना	182
2.1.30 (ब)	अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना	183
2.1.31	अधिशासी अभियंता द्वारा क्रास मापांकन न किया जाना	185
2.1.32	अवर अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिकाओं में दिनांक सहित हस्ताक्षर न किया जाना	189
2.1.33	बिना आवश्यकता के माप पुस्तिकाओं को जारी करना	191
2.1.34	2007–12 के दौरान अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं द्वारा किए गए निरीक्षण	192
2.2.1	योजनावार लाभार्थियों के पात्रता एवं देय अनुदान की राशि	195
2.2.2	अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2010–12 की अवधि में व्ययाधिक्य का विवरण	196
2.2.3	चयन समिति की बैठक का विवरण	197
2.2.4	नमूना जाँच हेतु चयनित जनपदों में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण	198
2.2.5	आवश्यकता से अधिक हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति का विवरण	199
2.2.6	मध्यम गहरी बोरिंग नलकूपों के लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरण का विवरण	202
2.2.7	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण	203
2.2.8	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण	204
2.2.9	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण	209
3.1	लायी गयी मिट्टी के सम्बन्ध में अनुबन्ध–वार निष्पादित मात्रा का विवरण	212
3.2	ट्रक, कार एवं मोटरसाइकिलों का विवरण	213
3.3	टिपर के उपयोग का दर विश्लेषण	216
3.4	सर्विस लेन के निर्माण के लिए क्रस्ट डिजाइन का विवरण	218
3.5	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर के सर्विस लेन की मात्रा का विवरण (बिटुमिनस मैकेडम, सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट और प्रीमिक्स कार्पेट)	219
4.1	सहायक नियंत्रक/केन्द्रों पर अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वीकृत पदों एवं उपलब्ध पदों की स्थिति	220
4.2	केन्द्रों की तिजोरी मे रखे गये अधिकतम अवशेष की स्थिति	221
4.3	निर्गत एवं नवीनीकृत लाइसेंसों की स्थिति (विनिर्माता, विक्रेता एवं मरम्मतकर्ता)	222
4.4	बाटों एवं मापों के सत्यापन न किये जाने के कारण शुल्क की प्राप्ति न होना	223

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में लेखापरीक्षित इकाइयों की रूप–रेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन, प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) के कार्यालय संगठन की संरचना एवं आलेख प्रस्तरों पर विभागों द्वारा दिये गये उत्तर उद्धृत हैं। इस अध्याय में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के मुख्य बिन्दु भी उल्लिखित हैं।

प्रतिवेदन के अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय 3 में विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं। अध्याय 4 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट सम्मिलित है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011–12 की अवधि के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा में आये प्रकरणों के साथ पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा में आये परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित न हो सके, प्रकरणों तथा वर्ष 2011–12 की अवधि के पश्चात के प्रकरणों को भी आवश्यकतानुरूप सम्मिलित किया गया है।

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बंध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा शासकीय विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है ।

अनुपालन लेखापरीक्षा के अर्न्तगत लेखापरीक्षित इकाई के लेन–देनों से सम्बन्धित व्यय की जाँच की जाती है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, विधियों, नियमों और विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और दिशा–निर्देशों का पालन किया गया है। दूसरी ओर, निष्पादन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित करने के अतिरिक्त यह भी जाँच करता है कि कार्यक्रम/गतिविधि/विभाग के उद्देश्य मितव्ययिता एवं प्रभावकारी रुप से प्राप्त हुए हैं ।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि रिपोर्टिंग का स्तर भौतिक रूप से समानुपातिक भार और लेन–देनों के परिणाम की प्रगति पर आधारित हो। यह अपेक्षा की जाती है कि लेखापरीक्षा परिणाम कार्यपालिका द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही, संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु नीति निर्धारण एवं दिशा–निर्देशों में सहायक होंगे जोकि एक अच्छे शासन व्यवस्था में सहयोग करती है।

इस अध्याय में लेखापरीक्षा के नियोजन एवं विस्तार की व्याख्या करने के अतिरिक्त चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों का सारांश, लेन–देन की लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अनुपालन तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उल्लेख है। जबकि अध्याय–2 में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अध्याय–3 में शासन के विभिन्न विभागों और स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है। अध्याय–4 में उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गये हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाईयों की रुप–रेखा

प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद[1], राज्य के सचिवालय स्तर पर 71 विभागों जो मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों जिन्हें विशेष सचिवों, उप सचिवों एवं निदेशकों तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त है तथा 43 स्वायत्त निकाय द्वारा सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं के अधीन किए गए व्ययों की लेखापरीक्षा निष्पादित करते हैं।

राज्य सरकार के वर्ष 2011–12 की अवधि के व्ययों के साथ–साथ विगत दो वर्षों के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति को **सारणी 1** में दर्शाया गया है।

[1] कार्यालय प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का नाम परिवर्तित होकर दिनांक 1 अप्रैल 2012 से कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हो गया है।

सारणी 1 : वर्ष 2009–12 में व्यय की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10			2010-11			2011-12		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
सामान्य सेवाएँ	824.29	39,817.01	40,641.30	987.34	47,031.83	48,019.17	601.73	52,345.19	52,946.92
सामाजिक सेवाएँ	10,998.49	21,065.79	32,064.28	15,829.56	23,737.14	39,566.70	17,609.59	29,781.35	47,390.94
आर्थिक सेवाएँ	3,878.40	9,429.60	13,308.00	4,222.63	11,502.40	15,725.03	4,404.60	13,887.61	18,292.21
सहायक अनुदान	---	3,360.03	3,360.03	-	4,364.71	4,364.71	---	5,255.10	5,255.10
योग (1)	**15,701.18**	**73,672.43**	**89,373.61**	**21,039.53**	**86,636.08**	**1,07,675.61**	**22,615.92**	**1,01,269.25**	**1,23,885.17**
पूंजीगत परिव्यय **(2)**	**19,224.48**	**5,866.75**	**25,091.23**	**19,581.08**	**691.72**	**20,272.80**	**20,735.10**	**838.86**	**21,573.96**
ऋण एवं अग्रिम भुगतान **(3)**	**209.23**	**732.62**	**941.85**	**617.28**	**350.94**	**968.22**	**414.48**	**561.09**	**975.57**
लोक ऋणों का भुगतान (4)	**---**	**7,668.59**	**7,668.59**	**---**	**7,383.08**	**7,383.08**	**---**	**8,287.61**	**8,287.61**
समेकित निधि से किया गया कुल भुगतान (1+2+3+4)	**35,134.89**	**87,940.39**	**1,23,075.28**	**41,237.89**	**95,061.82**	**1,36,299.71**	**43,765.50**	**1,10,956.81**	**1,54,722.31**
आकस्मिकता निधि	**---**	**---**	**—**	**---**	**39.90**	**39.90**	**---**	**309.64**	**309.64**
लोक लेखा संवितरण	**---**	**1,01,780.30**	**1,01,780.30**	**---**	**1,17,472.99**	**1,17,472.99**	**---**	**1,30,970.76**	**1,30,970.76**
योग	**35,134.89**	**1,89,720.69**	**2,24,855.58**	**41,237.89**	**2,12,574.71**	**2,53,812.60**	**43,765.50**	**2,42,237.21**	**2,86,002.71**

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 और भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में लेखापरीक्षा का प्राधिकार निहित है । प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 19 और 20 के अंतर्गत सामान्य और सामाजिक सेवाओं एवं स्वायत्त निकायों के व्ययों की लेखापरीक्षा की गयी । अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और कियाविधि भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत मैनुअलों में वर्णित हैं।

1.4 प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) उत्तर प्रदेश के कार्यालय के संगठन की संरचना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के दिशा–निर्देशों के अधीन प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्त निकायों और जनरल एवं सोशल सेक्टर के अधीन संस्थाएँ जो कि पूरे राज्य में कार्यरत हैं, लेखापरीक्षा सम्पन्न की जाती है। इन कार्यों में प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट) को पाँच वर्गाधिकारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है।

वर्ष 2011–12 के मध्य 130 लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन चयनित इकाईयों, स्वायत्त निकायों, वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं इत्यादि के लेन–देनों का लेखापरीक्षण किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं आदि में निहित जोखिम अनुमानों से प्रारम्भ होती है जोकि उनके व्ययों, क्रिया–कलापों की जटिलताओं, वित्तीय अधिकारों की सीमा, आन्तरिक नियंत्रण की प्रणाली तथा सम्बंधित लोगों की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखापरीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

वर्ष 20011–12 के दौरान विभिन्न विभागों/संस्थाओं की 6,510 इकाइयों के विरूद्ध 1,354 इकाइयों की लेखापरीक्षा, 10,774 दल–दिवसों का उपयोग करके किया गया। आडिट प्लान में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया जोकि जोखिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गयी थी।

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि सरकार की योजनाओं के वांछित उद्देश्य न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर लिये गये हैं तथा अभीष्ठ लाभ लोगों तक पहुँच गये हैं।

इस प्रतिवेदन में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा का परिणाम, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा एवं हाई डेन्सिटी पोलीएथिलीन पाइप पर वृहद प्रस्तर सम्मिलित है। निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य बिन्दु नीचे वर्णित हैः

1.6.1 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली

यद्यपि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का गठन ''शासन द्वारा सौंपे गये समस्त ग्रामीण निर्माण कार्यों के संपादन'' के उद्देश्य से किया गया था फिर भी, विभाग को ग्रामीण विभाग के ''समस्त'' कार्य सौंपे नहीं गये थे। शासन द्वारा विभाग को कोई कार्य नहीं सौंपा गया क्योंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दो विभागों के निर्माण कार्यों को सौंपे जाने का निर्णय लिया जाना था। विभाग द्वारा परस्पेक्टिव योजना, वार्षिक योजना एवं लक्ष्य निर्धारण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। प्लान बजट एवं कम्प्यूटरीकरण और कार्यों के संपादन में समन्वय का अभाव था। निक्षेप धनराशि का प्रबन्धन वित्तीय नियमों के अनुरुप नहीं था क्योंकि निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय, अधिक निक्षेप का अप्राधिकृत रुप से अवरोधन, भण्डार के लाभ एवं हानि को लेखांकित नहीं करने का प्रकरण सभी चयनित प्रखण्डों में पाया गया जो कि कमजोर और अप्रभावी वित्तीय प्रबंधन का द्योतक था। कार्यों को सौंपे जाने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व तकनीकी स्वीकृति का जारी किया जाना, बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ किया जाना, अल्पकालीन निविदा पर कार्य कराया जाना, एकल निविदा एवं चयन अनुबन्ध के आधार पर कार्य का संपादन, सिक्यूरिटी डिपाजिट की कम वसूली तथा जाली सिक्यूरिटी डिपाजिट के कई प्रकरण पाये गये थे। कार्य निष्पादन में स्वीकृत विशिष्टियों का उल्लंघन, अतिरिक्त मदों पर अनियमित भुगतान एवं सीसी मार्ग एवं केसी ड्रेन के निर्माण पर अनियमितताओं के साथ–साथ अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण भी परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण एवं अप्रभावी था क्योंकि अधिकतर कार्यकारी एवं पर्यवेक्षकीय पदों का संचालन निचले काडर के अधिकारियों को प्रभारी के रुप में नामित

करके किया जा रहा था। मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा किया गया निरीक्षण मानक से कम था एवं अनुपालन की कार्यवाही नहीं किये जाने से किया गया निरीक्षण अप्रभावी था।

(प्रस्तर 2.1)

1.6.2 हाई डेन्सिटी पोलीएथिलिन पाइप का क्रय एवं कृषकों को वितरण

योजनाओं की बहुतायता (छः योजनाएँ) और इन योजनाओं का दो विभागों द्वारा क्रियान्वयन किये जाने के दृष्टिगत एक समन्वित नियोजन का तन्त्र होना आवश्यक था। फिर भी, योजना क्रियान्वयन के सभी पहलू यथा–वित्तीय प्रबन्धन, लाभार्थियों के चयन, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का क्रय, वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण मे नियोजन तन्त्र कमजोर था। बचत, समर्पण और व्यावर्तन के दृष्टान्त, शिथिल बजटीय नियंत्रण की ओर इंगित करते थे। कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के अधिक वितरण एवं दोहरे वितरण के प्रकरण भी प्रकाश में आये। कृषि विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव था। लघु सिंचाई विभाग में कथित रूप से लागू, कठोर गुणवत्ता नियन्त्रण व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा था।

(प्रस्तर 2.2)

1.6.3 उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट–माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

विभाग की अनुदेशित प्रवर्तन गतिविधियाँ *तदर्थ* आधार पर की जा रही थी क्योंकि विभाग की गतिविधियों एवं उपयोगकर्ताओं के परिसरों में निरीक्षणों इत्यादि को परिभाषित करने वाली संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। विभाग ने बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस नहीं बनाया था। मूल कार्यों के कर्मचारियों जो विभाग के प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी थे, की कमी थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के बावजूद केन्द्रों/प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था तथा इसके लिए कोई कार्य योजना भी नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण सहायता अधिकतर अप्रयुक्त रही। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि न तो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था और न ही अनुश्रवण तन्त्र प्रभावी था। विगत पाँच वर्षों में बाट एवं माप के अनिवार्य सत्यापन के साथ उनके प्रयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण में कमी का रुझान था तथा अत्यधिक प्रकरण निर्णय हेतु न्यायालय में लम्बित थे।

(प्रस्तर 4)

1.7 अनुपालन लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा जटिलता भरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी गयी जोकि राज्य सरकार के प्रभावकारिता पर असर डालती है। अनुपालन लेखापरीक्षा के अन्तर्गत 27 महत्वपूर्ण प्रस्तरों को भी प्रतिवेदित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रस्तर सम्बंधित हैं:

- नियमों और विनियमन का अनुपालन न किया जाना;
- औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्ययों के प्रकरण;
- असावधानी/नियंत्रण की कमी; एवं
- सतत् और व्यापक अनियमितताएँ ।

1.7.1 नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों के लिए वित्तीय नियम, विनियमन और आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यह वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए सहायक होता है एवं अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकता है। इस खण्ड में नियमों और विनियमनों का अनुपालन न किये जाने के प्रकरणों को इंगित किया गया है जिनमें से कुछ प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिससे उसके द्वारा वर्ष 1999–2008 के मध्य ₹ 95.80 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय किया गया एवं ₹ 2.31 करोड़ की धनराशि का अभुक्त दायित्व सृजित (नवम्बर 2012) हुआ।

(प्रस्तर 3.1.1)

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण निर्णय के कारण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ऋण को वापस किया गया तथा उस पर भुगतानित ब्याज से शासन को ₹ 6.91 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1.2)

चौधरी चरण सिंह अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिवर्तित स्थान मेरठ में निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना व्यय–वित समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण इसके निर्माण इत्यादि पर किया गया ₹ 11.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा ।

(प्रस्तर 3.1.3)

वास्तविक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार के पक्ष में ₹ 3.61 लाख का भुगतान तथा पुनः वास्तविक ठेकेदार को बिना किसी वाउचर के ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.1.4)

ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की वसूली न करने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.1.5)

रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ दिये जाने से शासन को ₹ 103.94 करोड़ की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ऊपरी गंगा नहर के लाइनिंग कार्य पर अभी तक अदा न की गई ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी भी सृजित की गई।

(प्रस्तर 3.1.7)

नकद साख सीमा जो ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में वसूली गई धनराशि को कोषागार में प्रेषण हेतु प्राधिकृत थी, का कार्यों, जिनके लिये बजटीय प्रावधान नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त देयता सृजित हुई।

(प्रस्तर 3.1.8)

जनपद उन्नाव में संडीला–रसूलाबाद–चकलवंशी मार्ग के दो लगातार भागों पर कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण कर अविवेकपूर्ण अनुबंध करने के कारण ₹ 0.95 करोड़ की क्षति हुई।

(*प्रस्तर 3.1.10*)

वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के आगणन में टिपर पाँच घनमीटर क्षमता की अनियमित उच्च दर प्रावधान के कारण ₹ 1.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(*प्रस्तर 3.1.12*)

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा–निर्देश एवं कन्सल्टेन्ट फर्म की संस्तुतियों के उल्लंघन के कारण महंगी विशिष्टियों के उपयोग के परिणामस्वरुप ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय।

(*प्रस्तर 3.1.13*)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायबरेली के अंतर्गत दिए गए सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹ 38 लाख की फर्जी बैंक गारण्टी स्वीकार किए जाने से ठेकेदार पर अधिरोपित ₹ 1.75 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल नहीं हुआ।

(*प्रस्तर 3.1.15*)

1.7.2 औचित्य लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना किये गये व्ययों के प्रकरण

लोक निधि से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की प्रभावकारिता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यय हेतु प्राधिकृत प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए प्राधिकृत किया गया है, से यह अपेक्षित है कि वह धन का व्यय उतनी ही सतर्कता के साथ करें जितना कि एक सामान्य व्यक्ति अपने धन के व्यय में करता है। लेखापरीक्षा जाँच में अनौचित्यपूर्ण और अधिक व्यय के प्रकरण आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे दिये गये हैं:

किसान मित्र योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 की अवधि में 7,448 किसान मित्रों को अनियमित रूप से परिनियोजित कर ₹ 10.90 करोड़ मानदेय के रुप में भुगतानित व्यय निष्फल हुआ।

(*प्रस्तर 3.2.1*)

शासन के असफल और असंगत निर्णय से गौतम बुद्ध नगर में कारागार भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(*प्रस्तर 3.2.3*)

शासन द्वारा 'कार्य का क्षेत्र' तैयार करने में विफल रहने के कारण, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात भी पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस नहीं विकसित किये गये। इसके अतिरिक्त ₹ 62.49 करोड़ की निर्दिष्ट धनराशि में से ₹ 62.37 करोड़ का विचलन अन्य योजनाओं पर किया गया ।

(*प्रस्तर 3.2.4*)

1.7.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों की स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र अवस्थापनाओं का विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें सरकार द्वारा लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग नही किया गया अथवा अवरूद्ध रखा गया या फिर अलाभकारी/अनुत्पादक व्यय प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहने के कारण हुई थी। लेखापरीक्षा जाँच में असावधानी/नियंत्रण की कमी के प्रकरण प्रकाश में आये थे जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये जा रहे है:

जनपद गौतम बुद्ध नगर में पशु पॉलीक्लीनिक हेतु विवादित भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

(प्रस्तर 3.3.1)

जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय पदों की स्वीकृति न होने तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों के अवमुक्त न किये जाने के कारण अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.3.3)

जनपद अलीगढ़ के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सालय भवन एवं मेडिकल तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण पर वर्ष 2006–13 (जनवरी 2013) के मध्य किया गया ₹ 5.79 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

(प्रस्तर 3.3.4)

सेतु एवं संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर ₹ 3.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय।

(प्रस्तर 3.3.5)

शासन द्वारा कार्यवाही न करने अथवा विलम्बित कार्यवाही के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु असित इण्टर कालेज, इटावा तथा अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में दो छात्रावासों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.59 करोड का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थियों (छात्राओं) को नि:शुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

(प्रस्तर 3.3.6)

लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान की वसूली न किये जाने के कारण जनपद औरैया में 1,092 आवासीय इकाईयों (पूर्ण : 576 ; अपूर्ण : 516) के निर्माण पर ₹ 22.68 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(प्रस्तर 3.3.7)

1.7.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमितताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वह सतत् अनियमितता है और जब वह पूरी प्रणाली में विद्यमान हो जाती है तब वह व्यापक अनियमितताएँ हैं। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना यह प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की तरफ से ढिलाई बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी रही। यह संकलित रूप से नियमों/नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है तथा परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में देखे गये सतत् और व्यापक अनियमितता के प्रकरण नीचे दिये जा रहे है:

अनुचित स्थल चयन के कारण सेतु, पहुँच मार्ग एवं गाईड बन्धों के निर्माण पर ₹ 5.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। बिना पहुँच मार्ग के बारह वर्षों से अधिक समय से सेतु झूल रहा था।

(प्रस्तर 3.4.1)

1.8 *लेखापरीक्षा के प्रति सरकार का रुझान*

1.8.1 लेखापरीक्षा के प्रति रुझान की कमी

सभी इकाईयों के लेखापरीक्षा के सम्पूर्ण होने के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें प्रस्तरों के रूप में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष मौजूद होते हैं, इकाई/विभाग के प्रमुख को निर्गत किए जाते है। इकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा निष्कर्ष का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करना होता है। प्रत्युत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष को या तो निस्तारित किया जाना चाहिए था या अनुपालन के लिए आगे की कार्यवाही की जानी थी। निरीक्षण प्रतिवेदन में उठे लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

पुनः, मार्च 2012 तक 5,389 निरीक्षण प्रतिवेदनों, जिसमें 18,836 प्रस्तर थे, में से 2,684 निरीक्षण प्रतिवेदनों (जिसमें 10,285 प्रस्तर थे) के प्रथम उत्तर भी नही प्राप्त हुए थे। मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 के अंत तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति को **सारणी 1.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1: अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों की स्थिति

विवरण	वर्ष के अन्त तक लम्बित		
	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012
निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	4,410	5,712	5,389
प्रस्तरों की संख्या	13,592	18,073	18,836

सारणी से यह ज्ञात हुआ कि अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि की प्रवृति थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों का वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दर्शित है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रस्तरों में कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितताएँ जारी रही।

1.8.2 आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं और लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आलेख्य निष्पादन समीक्षा और लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को छः सप्ताह

के अन्दर प्रत्युत्तर भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित किये जाते हैं। यह बात उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लायी जाती है कि ऐसे प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सकता है जिसे उत्तर प्रदेश विधान मंडल के पटल पर रखा जाता है। अतः सम्बन्धित प्रकरणों पर उनकी टिप्पणी वांछित है। उन्हे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए प्रस्तावित आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं/लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर प्रधान महालेखाकार से परिचर्चा की भी सलाह दी जाती है।

मई से दिसम्बर 2012 की अवधि में, दो आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं, 27 आलेख्य प्रस्तरों एवं एक वृहद प्रस्तर को सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को प्रेषित किये गये थे। नवम्बर 2012 से फरवरी 2013 के मध्य चर्चा हेतु गोष्ठी आयोजित की गयी थी। सभी आलेख्य निष्पादन समीक्षाओं एवं वृहद् प्रस्तर के प्रत्युत्तर प्राप्त किये गये एवं उन्हें यथोचित सम्मिलित किया गया। यद्यपि केवल नौ आलेख्य प्रस्तरों के संदर्भ में उत्तर प्राप्त हुये थे, इन उत्तरों को आलेख्य प्रस्तरों में उचित रुप से सम्मिलित किया गया।

1.8.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के बाद की कार्यवाही

लोक लेखा समिति के समक्ष मार्च 2012 के अंत में 1,002 प्रस्तर/समीक्षाएँ चर्चा हेतु लंबित थे। ये प्रस्तर/समीक्षाएँ वर्ष 1983–84 से 2009–10 (वर्ष 1997–98, 2002–03, 2004–05 एवं 2005–06 को छोड़कर) से सम्बन्धित थे। वर्ष 2008–09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों/समीक्षाओं पर लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा प्रगति पर थी एवं उनमें से 2009–10 के प्रतिवेदनों को चर्चा हेतु लिया जाना शेष था।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

इस अध्याय में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की कार्यप्रणाली और कृषकों हेतु हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप्स के क्रय एवं वितरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम दिये गये हैं।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

2.1 ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की कार्यप्रणाली

कार्यकारी सार

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का सृजन ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत वर्ष 1972 में विभिन्न सरकारी विभागों के सभी ग्रामीण कार्यों को निक्षेप कार्यों की भांति कराये जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की निष्पादन लेखा परीक्षा में नियोजन, निक्षेप का प्रबन्धन, कार्यों का सौंपा जाना एवं कार्य निष्पादन, मानव संसाधन प्रबन्धन और आन्तरिक नियन्त्रण में कमियाँ पाई गई। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नवत् है:

नियोजन

- यद्यपि, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को 'शासन द्वारा सौंपे गये समस्त ग्रामीण कार्य' किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु ''समस्त'' ग्रामीण कार्य इस विभाग को सौंपे नहीं गये थे। विभाग द्वारा परस्पेक्टिव प्लान, वार्षिक योजना बनाने एवं लक्ष्य निर्धारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। *शासन द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को ग्राम्य विकास के कार्यों को सौंपे जाने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।*

(प्रस्तर 2.1.7)

वित्तीय प्रबन्धन

- निक्षेप कार्यों के ₹ 292.86 करोड़ के अवशेषों को संबंधित विभागों को समर्पित नहीं किया गया था। *शासन द्वारा निक्षेप साख सीमा के रुप में धनराशियों को रोके रखने की अवधि को परिभाषित किया जाना चाहिए और धनाबंटन एवं व्यय को शीर्ष स्तर से अनुश्रवण हेतु प्रबन्धन किया जाना चाहिए।*

(प्रस्तर 2.1.8.6)

कार्य का सौंपा जाना

- चयन के आधार पर ठेकेदारों को ₹ 49.52 करोड़ के कार्यों को अनियिमत रुप से दिया गया था यद्यपि, सक्षम प्राधिकारियों के पास निविदा आमंत्रण हेतु पर्याप्त समय था। *शासन द्वारा पारदर्शी निविदा प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिए।*

(प्रस्तर 2.1.9.6)

आन्तरिक नियन्त्रण

- विभाग का सृजन 40 वर्ष पूर्व किया गया था फिर भी, विभाग द्वारा मैनुअल तैयार नहीं किया गया था, हालाँकि शासन द्वारा दर–अनुसूची बनाने हेतु आदेश (वर्ष 1995) पारित किये जाने के बावजूद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी दर–अनुसूची के आधार पर अभी भी कार्य करा रहा था। *शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग शीघ्र ही विभाग हेतु मैनुअल एवं दर–अनुसूची बनायें।*

(प्रस्तर 2.1.12.1)

कम्प्यूटरीकरण

- प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा वर्ष 2007 में ई–गवर्नेन्स को कार्यान्वित करने हेतु संस्तुति की गयी थी फिर भी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्च 2012 तक इसके क्रियान्वयन हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये थे। *शासन द्वारा ई–गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत शीघ्र कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।*

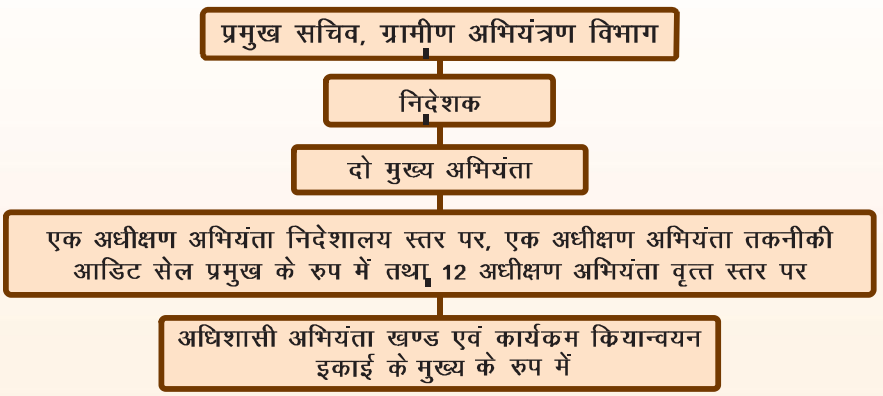
(प्रस्तर 2.1.14)

2.1.1 प्रस्तावना

वर्ष 1972 में शासन द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की स्थापना ग्रामीण विकास के समस्त कार्यों को निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से की गई थी। इस विभाग का ''पुनर्गठन'' दिनांक 14 जून 2011 को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के रुप में किया गया था। विभाग का स्वयं का योजनागत बजट/योजना न होने के कारण इस विभाग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं[1] के कार्य जैसे भवन निर्माण, संपर्क मार्ग, पुलिया, छोटे पुल आदि का निर्माण निक्षेप कार्य[2] के रुप में निष्पादित किया जाता है। कार्यों के निष्पादन सम्बन्धी अभिलेखों का रख–रखाव प्रखण्डों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V एवं VI के प्रावधानों एवं लोक निर्माण विभाग के मापदण्डों के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना[3] का क्रियान्वयन (वर्ष 2002) राज्य के 31 जनपदों में भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न मैनुअल/दिशा–निर्देशों/आदेशों से परिचालित होते हैं।

2.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं निदे"ाक को दो ग्रेड–1 मुख्य अभियन्ता और एक अधीक्षण अभियन्ता कार्य में सहायता प्रदान करते हैं तथा 12 अधीक्षण अभियंता और 81 अधिशासी अभियन्ता क्रमशः शासन, विभाग, वृत्त और प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली हेतु उत्तरदायी हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का एक अधीक्षण अभियंता शासन के अधीन तकनीकी आडिट सेल के प्रमुख के रुप में कार्य करता है। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा नीचे दर्शाया गया है:



[1]सीमा क्षेत्र विकास योजना, *बुन्देलखण्ड विकास निधि, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना, पूर्वान्चल विकास निधि, सम विकास योजना, सांसद निधि एवं विधायक निधि* आदि।

[2]वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 15 की परिभाषा के अनुसार यह शब्द निर्माण अथवा मरम्मत के कार्य जिसकी लागत शासकीय निधि से प्राप्त नहीं होती, लेकिन अशासकीय, स्रोतों जो या तो नगद निक्षेप के रुप में अथवा प्रखण्डीय अधिकारी की निधि के अधीन अन्य रुप में रखी गयी हो।

[3]प्रधानमत्री ग्राम सड़क योजना, असम्बद्ध बस्ती में हर मौसम में कार्यशील सड़क उपलब्ध कराता है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के क्षेत्रीय ढाँचे के अंतर्गत 127 इकाईयाँ (71 प्रखण्ड और 56 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई के प्रमुख के रुप में अधि"ाासी अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता) सम्मिलित हैं यद्यपि प्रखण्डों/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों, निदेशालय, तकनीकी आडिट सेल, वृत्तों आदि के मुखिया के रुप में क्रमशः अधि"ाासी अभियंता के 81 एवं अधीक्षण अभियंता के 14 पद ही स्वीकृत हैं।

उत्तर प्रदेश ग्राम सड़क विकास अभिकरण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 31 जनपदों[4] में कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के संचालन हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य करता है ।

2.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

विभाग की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का परीक्षण कर आंकलन किया गया कि क्याः

- स्थापित नियोजन तंत्र पर्याप्त एवं उचित था;
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी;
- कार्यों को सौंपा जाना एवं उनका निष्पादन विधि एवं नियमों के अनुरुप था तथा वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे थे;
- मानव एवं भौतिक संशाधनों का प्रबन्धन सौंपे गये कार्यों के अनुरुप और तर्कसंगत था;
- आन्तरिक नियन्त्रण पर्याप्त एवं सुदृढ़ थे; और
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र दक्ष एवं प्रभावी था।

2.1.4 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

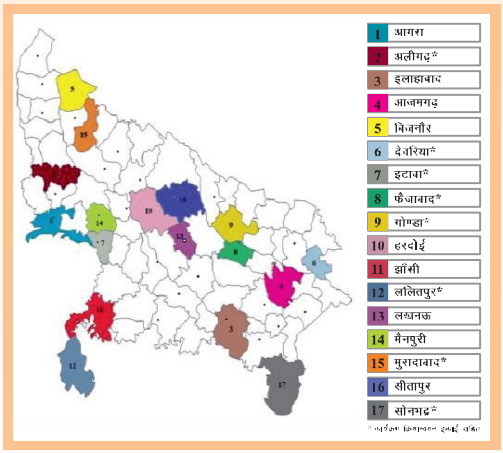
''ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की कार्यप्रणाली'' की समीक्षा हेतु अपनाये गये लेखापरीक्षा माप–दण्डों के स्रोत निम्नलिखित थेः

- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के गठन का अधिदेश (उत्तर प्रदेश शासन का माह जुलाई 1972 का आदेश);
- वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, कोषागार नियम और अन्य प्रचलित विधि एवं नियम;
- कार्यों के सौंपे जाने एवं उनके निष्पादन हेतु लोक निर्माण विभाग के आदेश;
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश; और
- ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के दिशा–निर्देश।

[4] शेष जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा।

2.1.5 लेखापरीक्षा के क्षेत्र एवं क्रियाविधि

प्रमुख सचिव, कार्यालय निदेशालय, दोनों क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, 12 में से तीन वृत्त, 59[5] में से 17 प्रखण्ड, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण एवं 56 में से आठ कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयाँ, जो चयनित प्रखण्डों के जनपदों में स्थित थे, के वर्ष 2007–12 की अवधि के अभिलेखों की जाँच माह मार्च 2012 से माह अगस्त 2012 तक की गई। भौतिक साक्ष्यों का एकत्रीकरण संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान बनाये गये बैठकों के कार्यवृत्त एवं फोटोग्राफ्स के द्वारा किया गया था। चार भौगोलिक क्षेत्रों–अवध, बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समूह बनाकर 17 प्रखण्डों का चयन किया गया था।



प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के साथ परिचयात्मक गोष्ठी दिनांक 23 अप्रैल 2012 को आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदण्डों एवं क्रियाविधि आदि पर चर्चा की गई। प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के साथ समापन गोष्ठी का भी आयोजन दिनांक 21 दिसम्बर 2012 को किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर विचार–विमर्श किया गया। शासन से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में यथोचित शामिल कर लिया गया है।

2.1.6 अभिस्वीकृति

शासन, निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालयों, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों द्वारा दिये गये सहयोग को साभार स्वीकार किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.7 नियोजन

यद्यपि, शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को समस्त ग्रामीण कार्य सौंपे जाने हेतु अधिकृत किया गया था, परन्तु "समस्त" ग्रामीण कार्य इस विभाग को नहीं सौंपे गये। समीक्षा की अवधि में भी शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कोई कार्य नहीं सौंपा गया था। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पास स्वयं का योजनागत बजट न होने के फलस्वरुप यह प्रखण्डों की क्षमता पर छोड़ दिया गया था कि वे जिला प्राधिकारियों से कार्य प्राप्त करें।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि यद्यपि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का सृजन ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों के तकनीकी शाखा के रुप में किया गया था, फिर भी इन विभागों द्वारा इसकी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपे जाने का निर्णय अपेक्षित था।

[5] 12 प्रखण्ड सितम्बर 2010 में सृजित किये गये।

निदेशालय स्तर पर नियोजन शाखा जो कि संरचना, नक्शा एवं मानक प्राक्कलन आदि बनाने हेतु प्राधिकृत थी, वह मात्र अनुशासनात्मक कार्य ही कर रही थी। वर्ष 2007–12 की अवधि में परस्पेक्टिव प्लान, वार्षिक योजना बनाने और लक्ष्य निर्धारित किये जाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपर्याप्त नियोजन के कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

2.1.7.1 समन्वय का अभाव

भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशियों से वंचित न होने तथा गावों में उच्च विशिष्टियों वाली सड़कों को बनाने हेतु शासनादेश (जनवरी 2006) के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण नामित कार्यक्रम कियान्वयन इकाई के अतिरिक्त अन्य संस्था द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य संपादित करने वाली विभिन्न संस्थाओं के मध्य सामंजस्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना था।

कार्यक्रम कियान्वयन इकाई को सौंपी गयी सड़कों का निर्माण कार्य अन्य संस्थओं द्वारा किया गया।

निदेशालय एवं उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के वर्ष 2007–12 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 47 मार्ग (248.909 किमी) जिसकी लागत ₹ 134.91 करोड़ थी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई को सौंपे गये थे जिनके निर्माण हेतु बनाये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों पर ₹ 24.85[6] लाख व्यय किया गया था। फिर भी, इन मार्गों को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यक्रम कियान्वयन इकाईयों को सौंपे गये कार्यों से हटा दिया गया।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और विभाग ने जनवरी 2006 के आदेशों का उद्धरण देते हुए आदेश जारी किया (जनवरी 2013) कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य कराये जाने के पूर्व नामित कार्यक्रम कियान्वयन इकाई से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं अन्य निर्माण संस्था/विभाग के मध्य समन्वय का अभाव होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि तथा ग्राम स्तर पर उच्च विशिष्ट वाली सड़क की सुविधा से वंचित रहना पड़ा। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.85 लाख के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के बनाने में हुआ व्यय निष्फल रहा।

2.1.7.2 भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत प्रस्तावों को भेजा जाना

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अनुमोदन हेतु निम्नलिखित श्रेणियों की संरचना (जून 2009) की गई थी:

- भारत निर्माण के फेज–1 के अन्तर्गत अवशेष नई संयोजना का आच्छादन;
- विश्व बैंक एवं एशिया विकास बैंक की सहायता से परियोजनाओं को लिया जाना;
- 33 चिन्हित वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जनपदों में नई बस्तियों का संयोजन; और
- सीमा क्षेत्रों के लिए घोषित विशेष सड़क संयोजन पैकेज।

भारत सरकार के निर्देश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विफलता के कारण भारत सरकार की धनराशि से वंचित रहना पड़ा।

हमने देखा कि फेज–8 के अंतर्गत 6,366 किमी सड़कों, लागत ₹ 2,672.16 करोड़ के निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार

[6] ₹ 10,000 प्रति किमी की दर से।

को भेजा गया (सितम्बर 2009) था जिसे उपर्युक्त वर्णित श्रेणी के अंतर्गत न होने के कारण निरस्त कर दिया गया (अप्रैल 2010)। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा पुनः वर्ष 2011–12 में फेज–10 के अंतर्गत 4,415 किमी सड़क हेतु ₹ 2,087.28 करोड़ की लागत के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये (जून 2012) गये जिन्हें उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा नवम्बर 2012 तक स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था।

शासन ने यह बताया (नवम्बर 2012) कि 852.73 किमी सड़क का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और 3,000.76 किमी की स्वीकृति अपेक्षित है। शेष 561.51 किमी के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया। वास्तविकता यह थी कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने में भारत सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

अग्रेतर, भारत सरकार के निर्देशों (जून 2009) के अनुसार प्रस्तावो को न बनाने और प्रस्तुत किये जाने में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विफल रहने के कारण कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयॉ काफी हद तक अकार्यशील पड़ी रहीं और गाँव उच्च विशिष्टिता वाले सड़कों की सुविधा से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, फेज–8 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के गठन पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 5.37 करोड़ को प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम में भारित (मार्च 2011) किया गया था जिसका समायोजन नवम्बर 2012 तक अवशेष था **(परिशिष्ट–2.1.1)**।

इस प्रकार, उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि शासन, विभाग, वृत्त एवं प्रखण्ड स्तर पर नियोजन का अभाव था।

2.1.8 वित्तीय प्रबन्धन

2.1.8.1 निधियों का व्यवस्थापन

शासन द्वारा निक्षेप साख सीमा प्रणाली में माह मार्च 2012 में संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत प्रखण्डों में क्लांइट विभाग से प्राप्त धनराशि को कोषागार में मुख्य शीर्ष 8782 के अंतर्गत जमा किया जाना था। निक्षेप साख सीमा अवमुक्त करने हेतु मांग चालान के साथ अधीक्षण अभियंता को भेजी जानी थी। अधीक्षण अभियंता द्वारा निक्षेप साख सीमा को अवमुक्त किया जाता है जो कि कोषागार के लेखा शीर्षक 8443–सिविल डिपाजिट में जमा होती है। आदेशों में यह भी सन्निहित है कि उपभोग प्रमाण–पत्र, प्रखण्डों में धन की उपलब्धता एवं निश्चित अवधि में प्रखण्डों द्वारा निक्षेप साख सीमा का उपभोग अधीक्षण अभियंता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से लखनऊ स्थित एक बैंक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आनलाइन मानीटरिंग एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम के परिचालन हेतु धन प्राप्त करता है। बैंक, कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई को स्वयं के लिए चेक आहरित करने, कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई से प्राप्त धनराशि को जमा करने, उसी दिन आंबटित खाते में चेक क्लीयर करने तथा प्रत्येक माह के अंत में बैंक स्टेटमेण्ट प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

2.1.8.2 वित्तीय स्थिति

वर्ष 2007–12 की अवधि में वर्षवार प्रारम्भिक अवशेष, धन प्राप्ति, व्यय धनराशि तथा अंतिम अवशेष की स्थिति नीचे दी गई है:

सारणी 1: वर्ष 2007–12 की अवधि में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अंतिम अवशेष
2007–08	124.28	934.00	1,058.28	885.04	173.24
2008–09	173.24	2,954.26	3,127.50	2,882.62	244.88
2009–10	244.88	2,279.16	2,524.04	2,310.06	213.98
2010–11	213.98	1,721.68	1,935.66	1,688.37	247.29
2011–12	247.29	1,853.69	2,100.98	1,705.03	395.95[7]
	योग	9,742.79	10,746.46	9,471.12	

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 को छोड़कर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया जा सका। वर्ष 2009–10 में किया गया व्यय आबंटित धन से अधिक परन्तु कुल उपलब्ध धनराशि से कम था।

शासन ने यह बताया कि (नवम्बर 2012) धनराशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रखण्डों द्वारा वर्ष 2008–12 की अवधि के सीसी रोड के अवशेषों को समर्पण न करने के कारण निधियों के संचय में वृद्धि हुई थी।

2.1.8.3 स्थापना पर अधिक व्यय

वर्ष 2007–12 की अवधि में स्थापना एवं विभिन्न कार्यों पर व्यय की स्थिति निम्नवत् थी:

सारणी 2: वर्ष 2007–12 की अवधि में कुल व्यय के सापेक्ष स्थापना पर व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्थापना व्यय	प्रखण्डों (71) द्वारा कार्यों पर व्यय			कार्यक्रम कियान्वयन इकाई (56) द्वारा कार्यों पर व्यय	कुल व्यय	कालम 7 के सापेक्ष कालम 2 का प्रतिशत
		सीसी रोड	अन्य	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8
2007–08	97.70	0.00	373.52	373.52	511.52	885.04	11.03
2008–09	110.39	1,544.61	451.29	1,995.90	886.72	2,882.62	3.82
2009–10	140.26	705.40	311.26	1,016.66	1,293.40	2,310.06	6.07
2010–11	156.50	872.90	384.24	1,257.14	431.23	1,688.37	9.26
2011–12	187.28	1,154.00	471.16	1,625.16	79.87	1,705.03	10.98
योग	692.13	4,276.91	1,991.47	6,268.38	3,202.74	9,471.12	

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अभिलेख)

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की स्थापना लागत वर्ष 2007–08 एवं वर्ष 2011–12 में शासन द्वारा निर्धारित परियोजना की कुल लागत का 6.875 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के सापेक्ष अत्यधिक क्रमशः 11.03 एवं 10.98 प्रतिशत थी।

अग्रेतर, संपादित किये जाने वाली परियोजनाओं की लागत का विभाजन नियमित करने के लिए वित्त विभाग द्वारा माह मार्च 2010 में एक आदेश निर्गत किया गया था जिसके अनुसार परियोजना की स्वीकृत लागत का 93.125 प्रतिशत कार्यों के संपादन तथा शेष

[7] सीसी रोड: ₹ 273.70 करोड़ एवं अन्य: ₹ 122.25 करोड़।

6.875 प्रतिशत (स्थापना व्यय के लिए) संबंधित विभागीय प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत पुस्तकीय समायोजन के माध्यम से करेत्तर राजस्व के लिए निर्गत किया जाना था। अप्रैल 2010 में उपर्युक्त आदेश को संशोधित किया गया था जिसमें 6.875 प्रतिशत परियोजना की लागत में जोड़ा जाना था तथा इसे शामिल कर स्वीकृति जारी की जानी थी। इस प्रकार यदि परियोजना की लागत ₹ 100 थी तो वित्तीय स्वीकृति ₹ 106.875 की जारी की जानी थी।

हमने देखा कि 17 नमूना परीक्षित प्रखण्डों मे डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत ₹ 53 करोड़[8] स्थापना व्यय के रुप में प्रभारित किया गया था तथा वर्ष 2010–12 की अवधि में राजस्व शीर्ष[9] के अंतर्गत जमा किया गया था।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि वित्त विभाग के आदेश के अनुपालन में परियोजना की लागत का 6.875 प्रतिशत राजस्व शीर्ष में जमा किया गया था।

वास्तविकता यह थी कि वर्ष की पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियाँ दोनों को उतनी ही धनराशि से बढ़ा कर दर्शाया गया था।

2.1.8.4 उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न किया जाना

शासन द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेशों में यह उल्लिखित था कि प्रखण्डों द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिला पंचायत राज अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजा जाए।

पंचायती राज विभाग द्वारा सीसी रोड एवं केसी ड्रेन के कार्यों के निर्माण के लिए वर्ष 2008–12 की अवधि में आबंटित ₹ 4,550.61 करोड़ के विरुद्ध ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा ₹ 4,276.91 करोड़ व्यय किया गया था लेकिन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

चर्चा के दौरान प्रमुख सचिव द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.1.8.5 धन की उपलब्धता के बिना निर्माण

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 375 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कार्य तब तक शुरु नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस उद्देश्य के लिए धन प्राप्त न हो जाए।

हमने पाया कि अधिशासी अभियंता, मुरादाबाद द्वारा बिना धन प्राप्ति के अक्टूबर से नवम्बर 2008 की अवधि में गठित अनुबंधों के विरुद्ध उन्हीं ठेकेदारों से वर्ष 2008–09 के अवशेष कार्य शुरु कराये गये (मई 2009)। परिणामस्वरुप, ₹ 3.06 करोड़[10] के दायित्व का सृजन हुआ जो कि नवम्बर 2012 तक असमायोजित था।

शासन ने अवगत कराया (नवम्बर 2012) कि धन प्राप्ति की प्रत्याशा में कार्य शुरु किये गये थे तथा शासन की स्वीकृति के लिए पंचायती राज विभाग से बकाया दायित्व को

[8] वर्ष 2010–11 में: उपलब्ध धन ₹ 405.43 करोड़, स्थापना व्यय ₹ 25.52 करोड़ एवं वर्ष 2011–12 में: उपलब्ध धन ₹ 467.20 करोड़ एवं स्थापना व्यय ₹ 27.48 करोड़।

[9] 1054–मार्ग एवं पुल –800 अन्य प्राप्तियां–01 प्राप्तियाँ, 0515–अन्य ग्राम विकास योजनायें–800–अन्य प्राप्तियाँ–02 प्रतिशत प्रभार की वसूली।

[10] जय प्रकाश नगर के 15 अनुबंधों के विरुद्ध ₹ 1.66 करोड़ एवं मुरादाबाद के 41 अनुबंधों के विरुद्ध ₹ 1.40 करोड़।

चुकाने के लिए निरन्तर[11] धन की मांग की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्य तब तक शुरु नहीं किये जाने चाहिए थे जब तक कि उसके लिए धन प्राप्त न हो जाए।

2.1.8.6 अवशेषों का समर्पण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 519 (ब) में यह व्यवस्था है कि निक्षेप कार्यों के प्रकरण में अवशेष, यदि कोई हो, को समर्पित करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए।

₹ 273.70 करोड़ के अवशेषों को प्रखण्डों द्वारा अनियमित रुप से रोके रहना।

हमने देखा कि पंचायती राज विभाग द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत सीसी रोड एवं केसी ड्रेन के निर्माण के लिए वर्ष 2008–12 की अवधि में ₹ 4,550.61 करोड़ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आबंटित किया गया था। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्च 2012 तक ₹ 4,276.91 करोड़ व्यय किया गया था। यह भी देखा गया कि ₹ 273.70 करोड़ के अवशेषों को अनियिमत रुप से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रखण्डों द्वारा रोका गया था। ₹ 273.70 करोड़ में से ₹ 81.26 करोड़ तीन वर्ष से अधिक समय (अगस्त 2012) तक रोका गया था।

उत्तर में प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (जनवरी 2013) कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना से संबंधित ₹ 144.91 करोड़ जून 2012 से जनवरी 2013 के मध्य समर्पित कर दिया गया है।

- वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर 17 नमूना परीक्षित प्रखण्डों में से 12[12] प्रखण्डों में ₹ 19.16 करोड़ का अवशेष (डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अतिरिक्त) एक से 37 वर्षों से अधिक क्लाइंट विभाग को समर्पित नहीं किया गया था।
- मार्च 2012 के कोषागार पास बुक के अनुसार सात प्रखण्डों में ₹ 68.36[13] करोड़ के निक्षेप साख सीमा अवशेष के विभाजन के विवरण का रख–रखाव नहीं किया गया था।

मैनपुरी एवं देवरिया में 31 मार्च 2012 को दर्शाये गये क्रमशः ₹ 5.40 करोड़ एवं ₹ 5.85 करोड़ के अवशेषों के विरुद्ध कोषागार पास बुक में केवल क्रमशः ₹ 2.51 करोड़ एवं ₹ 4.60 करोड़ ही अवशेष थे।

इस प्रकार एक से 37 वर्षों की अवशेष धनराशि का समर्पण न किये जाने का उदाहरण और बकाया शेषों का मिलान न किया जाना न केवल वित्तीय नियमों के उल्लघंन का द्योतक था बल्कि धोखा–धड़ी और दुर्विनियोग के उच्च जोखिम का भी द्योतक था।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि अवशेषों के समर्पण की कार्यवाही के प्रयास किये जा रहे हैं।

[11] फरवरी 2010, मार्च 2010, सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2011।

[12] आगरा (₹ 0.56 करोड़), इलाहाबाद (₹ 3.14 करोड़), देवरिया (₹ 0.70 करोड़), इटावा (₹ 1.37 करोड़), गोण्डा (₹ 8.12 करोड़), हरदोई (₹ 1.26 करोड़), झाँसी (₹ 2.75 करोड़), ललितपुर (₹ 0.22 करोड़), लखनऊ (₹ 0.38 करोड़), मैनपुरी (₹ 0.07 करोड़), मुरादाबाद (₹ 0.09 करोड़) और सीतापुर (₹ 0.50 करोड़)।

[13] आगरा (₹ 5.58 करोड़), अलीगढ़ (₹ 10.49 करोड़) , आजमगढ़ (₹ 34.79 करोड़),देवरिया (₹ 4.60 करोड़), झाँसी (₹ 7.22 करोड़), ललितपुर (₹ 3.17 करोड़) एवं मैनपुरी (₹ 2.51 करोड़)।

2.1.8.7 निक्षेप के विरुद्ध अधिक व्यय का नियमितीकरण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 519 (ब) एवं 578 में यह प्रावधान है कि निक्षेप कार्यों पर प्राप्त निक्षेप से अधिक व्यय को प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम को प्रभारित किया जाना चाहिए था तथा अधिशासी अभियंता द्वारा क्लाइंट विभाग से तत्काल वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

नमूना परीक्षित प्रखण्डों के अभिलेखों से यह मालूम हुआ कि 31 मार्च 2012 को 11 प्रखण्डों में निक्षेप के विरुद्ध ₹ 11.31 करोड़[14] के व्ययाधिक्य को न तो प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम को भारित किया गया था और न ही अधिशासी अभियंता द्वारा क्लाइंट विभाग से वसूल किया गया था। वसूली के विलम्ब की अवधि चार से 37 वर्षों के मध्य थी।

शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि अधिक व्यय के समायोजन का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.8.8 असमायोजित प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 578 के अंतर्गत हानि, छँटनी और कर्मियों के विरुद्ध अग्रिम आदि, जिन्हें प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत अभिलिखित किया गया है, को अधिशासी अभियंता द्वारा तत्काल वसूल किया जाना चाहिए। फिर भी, 31 मार्च 2012 को प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत ₹ 14.12 करोड़ के निस्तारण हेतु प्रभावशाली प्रयास नहीं किये गये थे। 31 मार्च 2012 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं नमूना परीक्षित प्रखण्डों में असमायोजित प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिमों की स्थिति क्रमशः **परिशिष्ट–2.1.2 (अ)** एवं **परिशिष्ट–2.1.2 (ब)** में दी गई है।

प्रकीर्ण अग्रिमों की कुल धनराशि ₹ 14.12 करोड़ में से ₹ 5.36 करोड़ वर्ष 1997 से पूर्व के तथा ₹ 8.76 करोड़ वर्ष 1997 के बाद की अवधि के थे। प्रकीर्ण अग्रिम के अंतर्गत अवशेषों के लम्बी अवधि तक बने रहने के कारण तथा वसूले जाने योग्य न होने के कारण शासन को हानि भी पहुँच सकती थी।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि प्रकीर्ण लोक निर्माण अग्रिम के समायोजन का प्रयास किया जा रहा है।

2.1.8.9 स्टाक के लाभ/हानि को लेखांकित न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 217(अ) के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक आधिक्य या कमी की धनराशि को प्रोफार्मा आधार पर तैयार किया जाना चाहिए तथा जैसी स्थिति हो, राजस्व (या पूंजीगत लागत पर प्राप्ति के रुप में) जमा किया जाना चाहिए या फिर ''स्टाक पर हानि'' के रुप में भारित किया जाना चाहिए। फिर भी, नमूना जाँच किये गये नौ[15] प्रखण्डों द्वारा 31 मार्च 2012 को स्टाक के लाभ को राजस्व में जमा नहीं किया गया था बल्कि सितम्बर 2010 से मार्च 2012 की अवधि की लेखाबंदी के अनुसार ₹ 88.82 लाख के स्टाक लाभ को लेखांकित नहीं किया गया था।

[14] अलीगढ़ (₹ 0.17 करोड़), इलाहाबाद (₹ 0.23 करोड़), बिजनौर (₹ 0.06 करोड़), इटावा (₹ 1.09 करोड़), फैजाबाद (₹ 0.57 करोड़), गोण्डा (₹ 6.92 करोड़), हरदोई (₹ 1.23 करोड़), झाँसी (₹ 0.32 करोड़), ललितपुर (₹ 0.02 करोड़), सीतापुर (₹ 0.27 करोड़) एवं सोनभद्र (₹ 0.43 करोड़)।

[15] आगरा (₹ 5.10 लाख), इलाहाबाद (₹ 25 लाख), देवरिया (₹ 4.27 लाख), गोण्डा (₹ 2.51 लाख), इटावा (₹ 37.57 लाख), हरदोई (₹ 6.37 लाख), ललितपुर (₹ 3.81 लाख), लखनऊ (₹ 0.31 लाख) एवं सीतापुर (₹ 3.97 लाख)।

नमूना परीक्षित चार[16] प्रखण्डों में 31 मार्च 2012 को ₹ 60.04 लाख की स्टाक हानि को अधिशासी अभियंता द्वारा भारित नहीं किया गया था।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि हरदोई, झाँसी एवं अलीगढ़ प्रखण्डों में स्टाक के लाभ को राजस्व में जमा कर दिया गया है।

2.1.8.10 बिना दावा की निक्षेप का राजस्व में जमा न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 622 एवं 623 के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्षों से बिना दावा की गई निक्षेप के अवशेष को व्यपगत निक्षेप के रुप में राजस्व में जमा करना चाहिए जिसे महालेखाकार के प्री–आडिट के बिना भुगतान नहीं किया जा सकता है। नमूना परीक्षित 11 प्रखण्डों[17] के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 34 वर्षों से अधिक समय से पड़े बिना दावा की ₹ 7.80 करोड़ की धनराशि को राजस्व में जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, पुनर्भुगतान हेतु महालेखाकार के प्राधिकार से बचने के लिए लम्बे समय से बिना दावा की निक्षेप को राजस्व में जमा नहीं किया गया था।

शासन ने यह बताया कि (नवम्बर 2012) ठेकेदारों को राजस्व से निकाल कर बिना दावा किये गये शेषों को वापस किया जाना एक जटिल प्रक्रिया है। उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि शासन द्वारा बिना दावा की गयी निक्षेप की धनराशि को राजस्व में जमा न किया जाना निर्धारित वित्तीय नियमों के प्रतिकूल था।

2.1.8.11 प्रपत्र 51 में पड़े शेषों का निस्तारण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 743 के अनुसार खण्डीय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रपत्र 51 के भाग I एवं II की दूसरी लाइन के आँकड़े प्रपत्र 77 (प्रेषण का शिड्यूल) के समान हो तथा दोनों भागों के नीचे निर्धारित प्रमाण–पत्र अभिलिखित किया जाना चाहिए तथा यदि कोई अन्तर हो तो उसके कारणों को अभिलिखित करना चाहिए।

17 प्रखण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि प्रपत्र 51 एवं प्रपत्र 77 में अंतर का मिलान अधिशासी अभियंता द्वारा नहीं किया गया था। भिन्नता की अवधि एक माह से 38 वर्षों तक थी। प्रपत्र 51 के भाग I के ₹ 1,46,40,531.05 एवं भाग II में ₹ 6,40,46,827.60 की भिन्नता का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2.1.3** में दिया गया है।

लम्बे समय से ₹ 1.46 करोड़ की भिन्नता का मिलान न किया जाना गबन, दुर्विनियोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा हुआ है।

शासन ने तथ्य स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि भिन्नता के मिलान के लिए निदेशक, कोषागार से वार्ता कर अभियान शुरु किया जाएगा।

2.1.8.12 प्रभारियों द्वारा वित्तीय अधिकारों का उल्लघंन

शासन द्वारा जून 1995 में अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में आदेश निर्गत किया था। अग्रेतर, वित्त विभाग द्वारा स्पष्टीकरण (दिसम्बर 2011) दिया गया कि कोई वित्तीय अधिकार तदर्थ अधिकारियों (प्रभारी) को नहीं दिया जाएगा।

[16] आजमगढ़ (₹ 0.74 लाख), फैजाबाद (₹ 40.37 लाख), मैनपुरी (₹ 3.02 लाख) एवं मुरादाबद (₹ 15.91 लाख)।

[17] इलाहाबाद (₹ 14.86 लाख), आजमगढ़ (₹ 6.18 लाख), इटावा (₹ 63.35 लाख), फैजाबाद (₹ 139.34 लाख), हरदोई (₹ 123.47 लाख), झाँसी (₹ 1.30 लाख), ललितपुर (₹ 308.70 लाख), लखनऊ (₹ 0.98 लाख), मुरादाबाद (₹ 84.10 लाख), सीतापुर (₹ 0.60 लाख) एवं सोनभद्र (₹ 37.04 लाख) (कुल ₹ 779.92 लाख अथवा ₹ 7.80 करोड़)।

प्रभारियों द्वारा ₹ 411.87 करोड़ का व्यय वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का उल्लघंन करते हुए किया गया।

निदेशक के अभिलेखों की जाँच (मार्च एवं जून 2012) में यह पाया गया कि 31 मार्च 2012 को अधीक्षण अभियंता के नौ (64 प्रतिशत), अधिशासी अभियंता के 51 (63 प्रतिशत) एवं सहायक अभियंता के 170 (59 प्रतिशत) पद अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ''नितांत कामचलाऊ व्यवस्था'' के लिए तदर्थ आधार (प्रभारी) पर शासन के आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। फिर भी, प्रभारी अधिशासी अभियंताओं द्वारा ₹ 411.87 करोड़ की धनराशि का व्यय वर्ष 2007–12 की अवधि में वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन का उल्लंघन करते हुए निम्नानुसार किया गया:

सारणी 3: प्रभारियों द्वारा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	प्रभारी अधिशासी अभियंता के पद धारण की अवधि	किया गया व्यय
1	अलीगढ़	01.04.2007 से 18.05.2011	89.77
2	अजामगढ़	04.07.2007 से 22.09.2007	14.14
3	प्रखण्ड, बिजनौर	01.04.2007 से 22.09.2008 तथा 01.10.2008 से 27.05.2011	108.35
4	देवरिया	05.07.2008 से 18.04.2009	5.88
5	झांसी	01.04.2007 से 27.06.2008	1.35
6	लखनऊ	13.05.2011 से 31.03.2012	6.15
7	मैनपुरी	01.04.2007 से 31.05.2010	19.19
8	मुरादाबाद	03.07.2007 से 31.03.2012	167.04
		योग	**411.87**

(**स्रोत:** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

शासन ने यह बताया (नवम्बर 2012) कि अधिशासी अभियन्ता वर्ग में पदोन्नति हेतु योग्य सहायक अभियंता को प्रभारी बनाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्त विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रभारी को उच्च अधिकारी के वित्तीय अधिकार उपयोग किये जाने का अधिकार नहीं था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि प्रभारी अधिशासी अभियंता के रुप में कार्यरत 65 सहायक अभियन्ता पदक्रम सूची में अपने वरिष्ठों से नीचे थे।

2.1.9 कार्यों का सौंपा जाना

अनुबंध प्रबन्धन एवं कार्यों को सौंपे जाने में पारदर्शिता एवं मितव्ययिता की निगरानी संबंधी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय[18] के प्रासंगिक सार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा माह जुलाई 2007 में जारी किया गया था **(परिशिष्ट–2.1.4)**। अग्रेतर, अनुबंध प्रबन्धन में पारदर्शिता संबंधी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश[19] के अनुपालन में शासन द्वारा भी आदेश जारी (जनवरी 2007) किये गये थे।

राज्य के वित्तीय हितों की सुरक्षा करने एवं अनुबंध प्रबंधन में पारदर्शिता की निगरानी हेतु माननीय न्यायालयों के आदेश स्वतः स्पष्ट थे। तथापि, प्रखण्डों एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह ज्ञात हुआ कि अनुबंध प्रबन्धन में विभिन्न कमियाँ थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

[18] 2006 की एसएलपी संख्या 10174: मेरठ नगर निगम बनाम अल फहीम मीट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड।
[19] याचिका संख्या 5153/एमएस/2005/भोला नाथ निषाद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार।

2.1.9.1 बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करके नियमों का उल्लंघन किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 318 के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जाने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्रदान की जानी चाहिये। बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने संबंधी लोक लेखा समिति (उत्तर प्रदेश) के निर्देशों को भी शासन द्वारा निर्गत (फरवरी 2000) किया गया था। नमूना परीक्षित 14 प्रखण्डों[20] द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि 11 प्रखण्डों में वित्तीय नियमों एवं लोक लेखा समिति के निर्देशों के विपरीत 295 अनुबंधों के माध्यम से ₹ 36.22 करोड़ की लागत के कार्य तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के एक दिन से 32 माह पूर्व ही प्रारम्भ कर दिये गये थे **(परिशिष्ट–2.1.5)**।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना हेतु निर्धारित समय कार्यक्रम का अनुपालन करने हेतु बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पाँच प्रखण्डों[21] में ₹ 3.14 करोड़ की लागत के 21 कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से एक माह से एक वर्ष पश्चात पूर्ण हुए थे।

2.1.9.2 तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब

प्रमुख अभियन्ता (लोक निर्माण विभाग) के आदेश (जनवरी 2002) के अनुसार विस्तृत आगणनों को प्रस्तुत किये जाने के 15 दिनों से 45 दिनों[22] की अवधि में तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी जानी चाहिये। नमूना परीक्षित 14 प्रखण्डों[23] के आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 191.15 करोड़ की लागत के 1,601 कार्यों में तकनीकी स्वीकृति एक दिन से पाँच वर्ष विलम्ब से प्रदान की गई थी **(परिशिष्ट–2.1.6)**। यह भी पाया गया कि तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब के परिणामस्वरुप 471 अनुबंधों में ₹ 18.43 करोड़ की लागत वृद्धि हुई थी।

चर्चा (दिसम्बर 2012) में प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा यह बताया गया कि तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

2.1.9.3 निविदाओं का अनियमित तकनीकी मूल्यांकन

माडल बिड डाक्यूमेन्ट की शर्त संख्या चार एवं निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों एवं नियमों के अनुसार अनुबंधकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य प्रदान करने से पूर्व ठेकेदारों की तकनीकी अर्हता सुनिश्चित की जानी चाहिये। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, आजमगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि निविदाओं के अपर्याप्त तकनीकी मूल्यांकन के कारण अवधि वर्ष 2009–11 की अवधि में सीसी रोड के कार्यों की निविदा प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। इसके बावजूद, हमने यह पाया

[20] इटावा, हरदोई एवं मैनपुरी जनपदों द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये।
[21] आगराः ₹ 0.67 लाख का एक कार्य (212 दिन), अलीगढ़ः ₹ 47.21 लाख के दो कार्य (30 से 60 दिन), आजमगढ़ः ₹ 210.41 लाख के 12 कार्य (30 से 365 दिन), सीतापुरः ₹ 2 लाख का एक कार्य (37 दिन), सोनभद्रः ₹ 53.50 लाख के 5 कार्य (37 से 276 दिन)।
[22] अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता द्वारा क्रमशः 15, 30 एवं 45 दिनों में।
[23] इटावा, हरदोई एवं मैनपुरी जनपदों द्वारा आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये।

कि पूर्व के वर्षों की विभिन्न अनियमितताओं[24] की पुनरावृत्ति वर्ष 2011–12 की अवधि में भी हुई थी।

शासन ने उत्तर में यह बताया (नवम्बर 2012) कि अनुबंधों का गठन पूरी सावधानी से किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अधिशासी अभियंता, आजमगढ़ द्वारा प्रकिया का अनुपालन किये बिना अनुबंधों का गठन करने संबंधी तथ्य को स्वीकार (अगस्त 2012) किया गया था ।

झाँसी में एक ठेकेदार[25] को अनुबंध संख्या 07/ईई/10–11 के अंतर्गत कार्य कराने हेतु तकनीकी आधार पर असंतोषजनक कार्यों के कारण अयोग्य घोषित (मई 2010) कर दिया गया था। फिर भी, सितम्बर 2010 एवं जनवरी 2011 में उसी ठेकेदार के साथ ₹ 3.85 लाख के दो अनुबंधों[26] का गठन किया गया था।

शासन द्वारा यह बताया गया (जनवरी 2013) कि ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' भेजा जा चुका है। उत्तर अमान्य था क्योंकि ठेकेदार को 'कारण बताओ नोटिस' मई 2010 के पूर्व जारी (दिसम्बर 2009) किया गया था जो कि दूसरे कार्य से संबंधित था।

2.1.9.4 अल्पकालीन निविदा के आधार पर अनियमित रुप से कार्यों को प्रदान किया जाना

शासनादेश (दिसम्बर 2000) के अनुसार ₹ दो लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदायें 30 दिनों के नोटिस पर तथा ₹ दो लाख से कम की लागत के कार्यों हेतु 15 दिनों का समय देकर अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जानी चाहिए थी। नमूना परीक्षित प्रखण्डों के आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि अवधि वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान ₹ 1,013.12 करोड़ की लागत के 4,535 अनुबंधों का गठन, प्रति अनुबंध ₹ दो लाख से अधिक लागत पर, अल्पकालिक निविदाओं के आधार पर किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.7** में दिया गया है।

अल्पकालिक निविदाओं की नोटिस की अवधि एक से 29 दिनों की थी। अग्रेतर, आँकड़ों के विश्लेषण में यह भी पाया गया कि अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने के बावजूद 2,701 अनुबंधों के गठन में एक से 19 माह का विलम्ब हुआ था जिसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.8** में दिया गया है।

शासन द्वारा इस संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया (नवम्बर 2012)। अतएव अनुबंधों के गठन में अत्यधिक विलम्ब से अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने का उद्देश्य विफल रहा।

2.1.9.5 अनियमित रुप से कार्यों को दिया जाना

- अलीगढ़ में दिनांक 03 अप्रैल 2010 को आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष ₹ 3.03 करोड़ के 10 कार्यों हेतु बहुल निविदायें विभागीय दर से 11.27 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कम दरों पर प्राप्त हुई थीं। परन्तु अधिशासी अभियंता द्वारा न्यूनतम निविदादाताओं के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। निविदायें निरस्त कर दिये जाने के परिणामस्वरुप दिनांक 28 मई 2010 को पुनः निविदायें

[24]अनुबंधों को सीलबंद न किया जाना, पृष्ठ संख्या अंकित न किया जाना एवं महत्वपूर्ण प्रपत्रों जैसे चरित्र प्रमाण–पत्र (टी–4), हैसियत प्रमाण–पत्र (टी–5) एवं शपथ–पत्र (टी–6) इत्यादि को अनुबंधों के साथ संलग्न न किया जाना।
[25] श्री राम कुमार निरन्जन
[26] अनुबंध संख्या 51/ईई/10–11 (सितम्बर 2010) एवं अनुबंध संख्या 62/ईई/10–11 (जनवरी 2011)

आमंत्रित किये जाने पर एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन विभागीय दर से 0.05 प्रतिशत से दो प्रतिशत कम दर पर किया गया।

शासन ने यह बताया (नवम्बर 2012) कि निविदाओं का निरस्तीकरण एवं एकल निविदाओं पर अनुबंधों का गठन कार्य हित में किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बहुल निविदाओं पर अनुबंध गठन से ₹ 0.39 करोड़ की धनराशि की बचत की जा सकती थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.9 (अ)** में दिया गया है।

- सीतापुर में मई 2011 में 35 कार्यों में से 18 कार्यों हेतु एकल निविदायें (लगभग विभागीय दरों पर) एवं 17 कार्यों हेतु बहुल निविदायें (विभागीय दर से 2.49 प्रतिशत से 23 प्रतिशत कम दरों पर) प्राप्त हुई थीं जिससे एकल निविदा के आधार पर अनुबंध गठित किये जाने से प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों का लाभ प्राप्त नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरुप ₹ 1.54 करोड़ के शासकीय धन के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकी। इसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.9 (ब)** में दिया गया है।

शासन ने उत्तर में यह बताया (नवम्बर 2012) कि अत्यावश्यकता के कारण एकल निविदा पर अनुबंधों का गठन किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि निविदाओं की प्राप्ति एवं अनुबंध गठन के मध्य दो माह से अधिक का समय लिया था।

- जनपद इटावा में माह अगस्त 2008 में जारी की गई निविदा सूचना के क्रम में आठ अनुबंधों का गठन बहुल निविदाओं के आधार पर विभागीय दर से औसत 6.94 प्रतिशत कम पर हुआ था जबकि 21 अनुबंधों का गठन एकल निविदा के आधार पर विभागीय दर से औसत मात्र 0.54 प्रतिशत कम पर किया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) गया कि एकल निविदा पर अनुबंधों का गठन समय सीमा के अनुपालन हेतु किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बहुल निविदाओं पर अनुबंध गठित किये जाने से ₹ 0.96 करोड़ की बचत की जा सकती थीं। इसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.9 (स)** में दिया गया है।

2.1.9.6 चयन के आधार पर अनियमित रुप से कार्यों को दिया जाना

प्रमुख अभियंता (लोक निर्माण विभाग) ने परिपत्र (नवम्बर 1965) द्वारा निर्देशित किया कि जब नई निविदा आमंत्रित किया जाना संभव न हो सके तब संबंधित अधिकारी द्वारा उसका कारण अंकित किया जाना चाहिये एवं चयन अनुबंध गठित करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृति हेतु अगले उच्चाधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना चाहिये।

नमूना परीक्षित 17 में से 14 प्रखण्डों के आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि के मध्य ₹ 49.52 करोड़ के 327 अनुबंधों का गठन चयन अनुबंध के रुप में किया गया था जिसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.10** में दिया गया है।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि चयन अनुबंधों का गठन निविदायें प्राप्त नहीं होने के कारण किया गया था। अग्रेतर, यह भी बताया गया कि डा0 अंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना हेतु निर्धारित समय सीमा का अनुपालन किये जाने के कारण कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि गोण्डा एवं झाँसी जनपदों में वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 3.52 करोड़ की लागत पर गठित 13 चयन अनुबंधों में से ₹ 2.74 करोड़[27] की लागत पर गठित नौ चयन अनुबंधों का गठन उच्चाधिकारी की स्वीकृति हेतु संस्तुति किए जाने के एक माह पश्चात किया गया था।

मैनपुरी एवं सोनभद्र जनपदों में अधिशासी अभियंताओं द्वारा दो–दो चयन अनुबंधों का गठन क्रमशः ₹ 79.05 लाख[28] एवं ₹ 39.07 लाख[29] की लागत पर अधीक्षण अभियंता का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही किया गया था। अग्रेतर, इलाहाबाद में दो चयन अनुबंधों[30] का गठन एक ठेकेदार से क्रमशः ₹ 18.95 लाख एवं ₹ 10.98 लाख की लागत पर अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति के प्राप्त किये बिना किया गया था (फरवरी 2008) जबकि सहायक अभियंता द्वारा प्रकरणों को दिसम्बर 2007 में ही अग्रसारित कर दिया गया था।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि चयन अनुबंधों का गठन अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात ही किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंधों के गठन हेतु नई निविदायें आमंत्रित किये जाने का पर्याप्त समय था। अग्रेतर, इलाहाबाद, मैनपुरी तथा सोनभद्र जनपदों में चयन अनुबंधों का गठन उच्चाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही किया गया था।

2.1.9.7 अनुबन्धों के गठन में विलम्ब

- प्रमुख अभियंता के निर्देशों (जनवरी 2002 एवं दिसम्बर 2005) के अनुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरान्त 60 दिनों के अन्दर अनुबंधों का गठन कर लिया जाना चाहिए। नमूना परीक्षित प्रखण्डों के आँकड़ो के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान ₹ 582.96 करोड़ की लागत के 6,986 अनुबंधों के गठन में एक दिन से 2,701 दिनों का विलम्ब हुआ था जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.11** में दिया गया है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपरेशन मैनुअल के चैप्टर–8 के अनुसार निविदा सूचना जारी किए जाने के 86 दिनों के अन्दर निविदा प्रक्रियाँ पूरी कर ली जानी चाहिए **(परिशिष्ट–2.1.12)**। नमूना परीक्षित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान 189 पैकेजों में से 139 पैकेजों के अनुबंधों (73 प्रतिशत) का गठन ₹ 446.96 करोड़ की लागत पर निर्धारित मानक 86 दिनों के पश्चात चार दिन से 413 दिनों के विलम्ब से किया गया था। विवरण **परिशिष्ट–2.1.13** में दिया गया है।

चार कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों[31] में अवधि 2007–12 के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 112.85 करोड़ लागत के 38 पैकेजों से सम्बन्धित अनुबंधों के गठन एवं कार्य पूर्ण होने में निम्नांकित विवरण के अनुसार विलम्ब हुआ थाः

[27] झाँसीः अनुबंध संख्या 95/एसई/09–10: ₹ 42.94 लाख, 93/एसई/09–10: ₹ 53.95 लाख, 92/एसई/09–10: ₹ 53.48 लाख; गोण्डाः 24/ईई/10–11: ₹ 4.00 लाख, 106/ईई/10–11: ₹ 25.51 लाख, 77/ईई/10–11: ₹ 20.56 लाख, 66/ईई/10–11: ₹ 12.24 लाख, 14/ईई/10–11: ₹ 21.06 लाख, 24/ईई/09–10: ₹ 39.96 लाख।

[28] अनुबंध संख्या 34 एवं 35/ईई/2008–09 (₹ 39.55 लाख एवं ₹ 39.50 लाख)।

[29] अनुबंध संख्या 43 एवं 44/ईई/2007–08 (₹ 19.52 लाख एवं ₹ 19.55 लाख)।

[30] अनुबंध संख्या 296 एवं 297/ईई/2007–08

[31] कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, देवरिया; कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2, इटावा; कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2, गोण्डा एवं कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1, सोनभद्र।

सारणी 4: कार्य पूर्ण होने में विलम्ब

कार्यक्रम कियान्वयन इकाई	पैकेजों की संख्या	पैकेजों की लागत (₹ करोड़ में)	निविदा प्रक्रिया में विलम्ब वाले पैकेजों की संख्या	निविदा प्रक्रिया में विलम्ब वाले पैकेज (लागत) (₹ करोड़ में)	86 दिनों से अधिक दिनों का विलम्ब	विलम्ब से पूर्ण होने वाले अनुबन्धों की संख्या	विलम्ब से पूर्ण अनुबन्ध (लागत) (₹ करोड़ में)	कार्य पूर्ण करने में विलम्ब (दिनों में)
कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, देवरिया	24	82.03	18	57.34	23 – 167	11	33.74	30 – 341
कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2, गोण्डा	14	54.23	12	44.49	46 – 165	8	29.67	90 – 177
कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2, इटावा	21	52.83	19	43.48	31 – 88	11	26.39	40 – 680
कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1, सोनभद्र	24	77.99	18	59.80	26 – 126	8	23.05	90 – 272
योग	**83**	**267.08**	**67**	**205.11**		**38**	**112.85**	

(**स्रोत:** कार्यक्रम कियान्वयन इकाई)

शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर–2012) कि कार्यक्रम कियान्वयन इकाईयों में अनुबंधों के गठन में विलम्ब विधानसभा चुनाव के कारण हुआ था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 413 दिनों तक के विलम्ब हेतु विधानसभा चुनाव का आधार न्यायसंगत नहीं था।

2.1.9.8 फर्जी सिक्योरिटी डिपाजिट

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम फण्ड मैनुअल (2005) के अध्याय–13 के अनुसार बैंक गारण्टी स्वीकार करने वाले अधिकारी को उसकी सत्यता की पुष्टि बिना तीसरे पक्ष को शामिल किए सीधे गारण्टी जारी करने वाले बैंक से की जानी चाहिए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आदेश (दिसम्बर 2007) में भी बैंक गारण्टी की सत्यता की पुष्टि किए जाने पर जोर दिया गया था। माडल बिड डाक्यूमेन्ट (टी–2) में भी यह प्रावधानित है कि ₹ 40 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु परफारमेंस सिक्योरिटी, बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा रसीद के रूप में सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता के पक्ष में होनी चाहिए।

नमूना परीक्षित प्रखण्डों[32] में वर्ष 2007–12 के दौरान ठेकेदारों द्वारा अनुबंधों के सापेक्ष जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट का सत्यापन शत प्रतिशत नहीं कराया गया था। सिक्योरिटी डिपाजिट के सत्यापन की स्थिति शून्य से 86 प्रतिशत के मध्य थी जोकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा नियमों एवं आदेशों के प्रति शिथिलता को इंगित करता है **(परिशिष्ट–2.1.14)**।

₹ 11.99 करोड़ के अनुबंधों का गठन फर्जी सिक्योरिटी डिपाजिट पर किया जाना।

मुख्य अभियंता (पूर्वी) तथा मुख्य अभियंता (पश्चिमी), लखनऊ, प्रखण्ड बिजनौर तथा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, मुरादाबाद के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 के दौरान सिक्योरिटी डिपाजिट की सत्यता की पुष्टि किए बिना अधीक्षण अभियंता, कानपुर एवं मुरादाबाद तथा अधिशासी अभियंता, इलाहाबाद एवं बिजनौर द्वारा ₹ 11.99 करोड़ के लागत की 11 अनुबंधों का गठन फर्जी सिक्योरिटी डिपाजिट के आधार पर किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है:

[32] इलाहाबाद ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

सारणी 5: अनुबंधों के सापेक्ष जमा की गई फर्जी सिक्योरिटी डिपाजिट

क्रम संख्या	प्रखण्ड/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	अनुबंधित धनराशि (₹ करोड़ में)	फर्जी प्रपत्रों के प्रकार
1.	प्रखण्ड, इलाहाबाद	59/एसई, 20.10.08	मे0 विराट इंटरप्राईजेज	1.21	सावधि जमा रसीद
2.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, बाराबंकी	4/एसई, 28.04.08	मे0 आदिशक्ति इंटरप्राईजेज	2.07	सावधि जमा रसीद
3.	प्रखण्ड, बिजनौर	37/ईई, 12.10.09	श्री शहजाद अंसारी	0.34	मियादी जमा रसीद
4.	प्रखण्ड, कानपुर	128/एसई, 07.11.08	मे0 अमन ट्रेडर्स	0.97	पोस्ट आफिस पासबुक
5.	प्रखण्ड, कानपुर	45/एसई, 15.09.08	मे0 डाईनेमिक बिल्डर्स	0.40	पोस्ट आफिस पासबुक
6.	प्रखण्ड, कानपुर	52/एसई, 15.09.08	मे0 डाईनेमिक बिल्डर्स	0.43	पोस्ट आफिस पासबुक
7.	प्रखण्ड, कानपुर	115/एसई, 03.11.08	मे0 डाईनेमिक बिल्डर्स	0.47	पोस्ट आफिस पासबुक
8.	प्रखण्ड, कानपुर	42/एसई, 15.09.08	मे0 हरिप्रताप एंड संस	0.40	पोस्ट आफिस पासबुक
9.	प्रखण्ड, कानपुर	114/एसई, 03.11.08	मे0 हरिप्रताप एंड संस	0.90	पोस्ट आफिस पासबुक
10.	प्रखण्ड, कानपुर	113/एसई, 03.11.08	मे0 हरिप्रताप एंड संस	0.62	पोस्ट आफिस पासबुक
11.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, मुरादाबाद	51/एसई, 01.03.09	मे0 एसबी इंटरप्राईजेज	4.18	सावधि जमा रसीद
			योग	11.99	

(स्रोतः प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

हमने पाया कि:

- सात प्रकरणों में अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा निहित नियम एवं शर्तों के विपरीत ₹ 4.19 करोड़ लागत के कार्यों के सापेक्ष सिक्योरिटी डिपाजिट के रुप में डाकघर पास बुक स्वीकार की गई थी जो फर्जी पाई गई थी।

- अधीक्षण अभियंता, फैजाबाद द्वारा फर्जी सावधि जमा रसीद एवं बैंक गारण्टी के सापेक्ष दो ठेकेदारों को ₹ 45.21 लाख की धनराशि मोबलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिमों के रूप में प्रदान की गई थी।

- एक ठेकेदार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक से अधीक्षण अभियंता, फैजाबाद के फर्जी हस्ताक्षर करके ₹ 5.42 लाख की सावधि जमा रसीद को कपटपूर्ण तरीके से भुना लिया गया था।

उत्तर में मुख्य अभियंता (पूर्वी) द्वारा यह बताया (सितम्बर 2012) गया कि ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से अनुरोध किया गया है (अगस्त 2012) जबकि मुख्य अभियंता (पश्चिमी) ने यह बताया (सितम्बर 2012) कि अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद को आरोप पत्र निर्गत (जुलाई 2012) किए जा चुके हैं । हमने यह देखा कि विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की गई थी वह लेखापरीक्षा द्वारा उक्त बिन्दुओं को क्रमशः अप्रैल एवं जून 2012 में इंगित किए जाने के पश्चात् ही की गई थी।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

2.1.9.9 सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली

माडल बिड डाक्यूमेन्ट्स के नियमों एवं शर्तों में, अन्य बातों के साथ, यह भी प्रावधानित किया गया था कि अनुबंध गठन के समय अनुबंधित लागत के पाँच प्रतिशत मूल्य के

बराबर की प्रतिभूति धनराशि जमा के रुप में विभाग में जमा की जानी थी। अभिलेखों की सम्प्रेक्षा में यह पाया गया कि 17 प्रखण्डों में से छः प्रखण्डों में उक्त नियम एवं शर्तों के विपरीत विभाग द्वारा ₹ 158.31 करोड़ के अनुबंधों का गठन मानकों को मनमाने ढंग से शिथिल करते हुए पाँच प्रतिशत से कम सिक्योरिटी डिपाजिट पर किया गया था। विवरण निम्नानुसार है:

अनुबन्ध के नियम तथा शर्तों की शिथिलता के कारण ठेकेदारों को ₹ 3.47 करोड़ की अनुचित सहायता।

सारणी 6 : प्रखण्डों में सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली

प्रखण्ड	कम सिक्योरिटी वाले अनुबंधों की संख्या	कम सिक्योरिटी वाले अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	अपेक्षित सिक्योरिटी डिपाजिट (5 प्रतिशत) (₹ करोड़ में)	जमा की गई सिक्योरिटी (₹ करोड़ में)	कम प्राप्ति (₹ करोड़ में)
इलाहाबाद	207	9.57	0.48	0.34	0.14
गोण्डा	227	28.69	1.44	0.63	0.81
हरदोई	183	20.97	1.05	0.81	0.24
लखनऊ	333	37.45	1.87	0.87	1.00
मैनपुरी	79	16.77	0.84	0.53	0.31
सीतापुर	545	44.86	2.24	1.27	0.97
योग	**1,574**	**158.31**	**7.92**	**4.45**	**3.47**

(**स्रोतः** अभिलेख/सूचनायें प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट के प्रस्तर 43.1 एवं 46.1 के अनुसार अनुबंधों की लागत के 2.5 प्रतिशत मूल्य के बराबर की धनराशि ठेकेदारों से परफारमेंस सिक्योरिटी के रुप में प्राप्त की जानी थी एवं 2.5 प्रतिशत राशि की कटौती सिक्योरिटी जमा के रुप में ठेकेदारों के देयकों से की जानी थी। आठ कार्यक्रम कियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा में यह पाया गया कि कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2, इटावा जनपद में आठ अनुबंधों के सापेक्ष परफारमेंस सिक्योरिटी एवं सिक्योरिटी डिपाजिट के रुप में ₹ 0.72 करोड़ की धनराशि की कटौती ठेकेदारों के देयकों से नहीं की गई थी जैसाकि **परिशिष्ट–2.1.15** में दर्शाया गया है।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया (नवम्बर 2012) गया कि सिक्योरिटी डिपाजिट की धनराशि में छूट वित्तीय नियमों के अनुसार प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कम सिक्योरिटी डिपाजिट पर अनुबंध गठित किया जाना स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट की शर्तों एवं नियमों के विपरीत था।

2.1.9.10 बीमा शर्तों का उल्लंघन

माडल बिड डाक्यूमेन्ट्स के सेक्शन 4 के अनुसार ठेकेदार द्वारा विभिन्न मदों हेतु बीमा कवर का प्रावधान कराया जाना था जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.16** में वर्णित है।

चौदह प्रखण्डों में अधीक्षण अभियन्ता स्तर पर गठित अनुबंधों से सम्बन्धित आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 1,178.83 करोड़ की लागत पर 1,694 अनुबंधों का गठन माडल बिड डाक्यूमेन्ट्स में निहित प्रावधानों के विपरीत ₹ 294.67 करोड़ का बीमा कराए बिना ही किया गया था **(परिशिष्ट–2.1.17)**।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट में यह प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा स्वयं की लागत पर कार्य प्रारम्भ की तिथि से उसके पूर्ण होने की तिथि तक बीमा का प्रावधान किया जाएगा। सभी कार्यक्रम कियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 489.33 करोड़ लागत के 152 अनुबंधों का गठन बीमा प्रावधान के किये बिना किया गया था जिससे सम्बन्धित ठेकेदारों की बीमा

कवर के प्रीमियम के भुगतान नहीं करने के फलस्वरुप ₹ 88.37 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ **(परिशिष्ट–2.1.18)**।

इस प्रकार बिना बीमा कराए ही अनुबंधों का निष्पादन न केवल अनुबंध की शर्तों के विपरीत था बल्कि कार्य सम्पादन में जोखिम भी निहित था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) और यह बताया गया कि यह स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट की एक अतिमहत्वपूर्ण शर्त है जो सुरक्षात्मक दृष्टि से शासन के हित में है। बिना बीमा कवर के अनुबंधों का गठन नहीं किए जाने हेतु शासन स्तर से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

2.1.9.11 अन्य रोचक बिन्दु

- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर–318 के अनुसार एक मूल कार्य की योजना एवं प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। नमूना परीक्षित 14 प्रखण्डों[33] द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि सात प्रखण्डों में 2007–12 की अवधि में 24 प्रकरणों में ₹ 9.41 करोड़ के लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रदान की गयी थी। प्रशासकीय स्वीकृति के दो दिनों से 11 महीनों पूर्व प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति का विवरण **परिशिष्ट–2.1.19** में दिया गया है। शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की समय सीमा के पालन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह न केवल वित्तीय नियमों के विपरीत था बल्कि इसके कारण सात प्रखण्डों के 16 कार्यों में अनुबन्धित लागत से ₹ 0.72 करोड़ कम एवं छः कार्यों में अनुबंधित लागत से ₹ 0.39 करोड़ अधिक की भिन्नता हुई।

- प्रखण्डों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हरदोई एवं गोण्डा जनपदों में अनुबंध गठन के बाद की तिथि को जारी स्टैम्प पेपर, ठेकेदार के अनुरोध के पूर्व की तिथि में उसके पक्ष में संस्तुति करने, हैसियत प्रमाण पत्रों की सत्यता जाँचे बगैर इत्यादि ही यद्यपि यह आवश्यक था, ₹ 2.57 करोड़ के कार्यों को प्रदान किया गया था **(परिशिष्ट–2.1.20)**।

शाासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) एवं यह बताया गया कि अलग–अलग कर्मचारियों द्वारा अभिलेखों के रख–रखाव के कारण यह घटित हुआ एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति के रोकने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.1.10 कार्यों का निष्पादन

2.1.10.1 स्वीकृत विशिष्टियों का उल्लंघन

शासन द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना 2008–09 के अन्तर्गत सीसी रोड एवं ढकी हुयी नालियों के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश माह जुलाई 2008 में निर्गत किए गए थे। उक्त दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ कार्य हेतु मानक ड्राइंग एवं डिजाइन, उपभोग मानक एवं यूनिट दरें भी थी जो राज्य नियोजन संस्थान[34] द्वारा अनुमोदित थी।

[33] इटावा, हरदोई एवं मैनपुरी ने आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये।
[34] शासन के नियोजन विभाग के अधीन कार्यरत

नमूना परीक्षित 17 प्रखण्डों के 186 कार्यों (261 मदों) की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि योजना हेतु स्वीकृत डिजाइनों एवं विशिष्टियों तथा क्षेत्र में प्रचलित लोक निर्माण विभाग की दर–अनुसूची की दरों के उल्लंघन के कारण तथा गैर अनुमन्य मदों यथा हैसन क्लाथ, स्वीकृत डिजाइन से विचलन, अनुबंधों की मात्राओं एवं दरों इत्यादि के फलस्वरुप ₹ 7.77 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट–2.1.21)**। शासन द्वारा खपत मानक एवं मानक ड्राइंग एवं डिजाइन को परिवर्तित किए जाने का कारण स्थल की आवश्यकता बताया (नवम्बर 2012) गया। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि हैसन क्लाथ के अधिक भुगतान की वसूली हेतु प्रखण्डों को निर्देशित कर दिया गया था। यद्यपि, वसूली की स्थिति प्रतीक्षित थी (नवम्बर 2012)।

2.1.10.2 बिना कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र के भुगतान किया जाना

मुख्य सचिव एवं प्रमुख अभियंता (लोक निर्माण विभाग) के आदेशों (क्रमशः मई 2009 एवं अक्टूबर 2008) के अनुसार बिटुमिनस मदों के भुगतान के पूर्व ठेकेदारों से मूल कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा भी कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों को निर्देशित किया गया था (नवम्बर 2008) कि भुगतान से पूर्व ठेकेदारों से बिटुमिन की खरीद सम्बन्धी प्रपत्रों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा उसका सत्यापन भी कराया जाए। नमूना जाँच हेतु चयनित आठ में से छः कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि निम्नांकित विवरण के अनुसार ठेकेदारों से कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र प्राप्त किए बिना ही उनको ₹ 29.86 करोड़ का भुगतान कर दिया गया थाः

सारणी 7: वांछित कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र का विवरण

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	पैकेजों की संख्या	उपयोग किये गये बिटुमिन की मात्रा (एमटी)	ठेकेदारो द्वारा प्रस्तुत कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र (एमटी)	बिटुमिन की मात्रा, जिसकी कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र नहीं थी (एमटी)	अप्रस्तुत कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र की लागत[35] (₹ करोड़ में)
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, अलीगढ़	17	3,149.81	925.51	2,224.30	7.01
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	24	2,531.44	1,087.41	1,444.03	4.09
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2, इटावा	9	1,041.70	521.05	520.65	1.43
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2, गोण्डा	14	1,410.57	678.20	732.37	2.15
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, ललितपुर	10	1,205.98	119.66	1,086.32	3.64
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, मुरादाबाद	22	2,902.74	60.18	2,842.56	11.54
योग	**96**	**12,242.24**	**3,392.01**	**8,850.23**	**29.86**

(**स्रोतः** कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2 इटावा जनपद के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि दो पैकेजों (यूपी 2245 एवं यूपी 2247) के सापेक्ष 92.16 एमटी बिटुमिन हेतु ₹ 0.27 करोड़ का भुगतान नवम्बर 2010 एवं मार्च 2011 में बिना कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र सत्यापन के किया गया था यद्यपि उक्त कंसाइनी रिसीट प्रमाण–पत्र को

[35] गणना का आधार प्रत्येक कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई में औसत दर है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था जिससे इनके अनधिकृत उपभोग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2012) करते हुए यह बताया गया कि ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए थे।

2.1.10.3 अतिरिक्त मदों का अनियमित भुगतान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मानक निविदा प्रपत्र के क्लाज 35.1 के अनुसार कार्य की प्रगति के दौरान यदि अभियंता कार्य के प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे तो वह विचलन स्वीकृति हेतु लिखित आदेश करेगें। चार[36] कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के 15 पैकेजों से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्प्रेक्षा में यह पाया गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट के उपरोक्त क्लाज की परिधि में नहीं होने के बावजूद ₹ 4.50 करोड़ का अनियमित व्यय अतिरिक्त मद के रुप में किया गया था।

शासन द्वारा यह बताया (नवम्बर 2012) गया कि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट के क्लाज 35 में विचलन का प्रावधान है जिसमें अतिरिक्त मद भी सम्मिलित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट में कार्य की परिधि में मात्र विचलन स्वीकृत किए जाने का प्रावधान था एवं उपरोक्त प्रावधान में कार्य यथा–बोल्डर पिचिंग, सीसी पेवमेंट एवं सीमेंट कंक्रीट ब्लाक पेवमेंट बिछाए जाने का कार्य अतिरिक्त कार्य होने के कारण सम्मिलित नहीं थे।

2.1.10.4 लिक्वीडेटेड डैमेज आरोपित नहीं किया जाना

केन्द्रीय लोक लेखा समिति के आदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा कार्यों की समाप्ति में विलम्ब हेतु लिक्वीडेटेड डैमेज की कटौती नहीं सुनिश्चित किए जाने हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत (सितम्बर 2008) किए गए थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सम्बन्धी प्रपत्र स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट में भी प्रावधानित है कि कार्य समापन की निर्धारित तिथि के पश्चात कार्य समाप्त करने की स्थिति में ठेकेदार को अनुबंध की लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक भुगतान करना होगा।

अनुबंध की शर्तों के विपरीत ₹ 17.31 करोड़ के लिक्वीडेटेड डैमेज को आरोपित नहीं किया जाना।

नमूना परीक्षित कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 57 प्रकरणों में कार्यों का समापन निर्धारित तिथि तक नहीं हुआ था एवं कार्य समापन में विलम्ब की अवधि दो से 100 सप्ताह तक थी जिसका कारण बरसात, ठेकेदार की बीमारी इत्यादि थे। स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट के प्रावधानों के अनुसार ₹ 17.59 करोड़ की वांछित पेनाल्टी के सापेक्ष मात्र ₹ 0.28 करोड़ ही आरोपित की गई थी जिसके फलस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 17.31 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ **(परिशिष्ट 2.1.22)**।

शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि समय वृद्धि स्वीकृति के पूर्व लिक्वीडेटेड डैमेज की कटौती की गई थी। समय वृद्धि स्वीकृति के उपरान्त लिक्वीडेटेड डैमेज की कटौती का औचित्य नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिन कारणों के आधार पर समय वृद्धि स्वीकृत की गई थी वे विभाग पर मान्य नहीं थे।

[36] अलीगढ़ (₹ 0.33 करोड़), फैजाबाद (₹ 1.07 करोड़), गोण्डा (₹ 2.59 करोड़) एवं मुरादाबाद (₹ 0.51 करोड़)।

2.1.10.5 सीसी मार्गों एवं केसी नालियों का निर्माण

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त 71[37] जनपदों में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना की शुरूआत की गई (जुलाई 2008)। योजना में अन्य बातों के साथ–साथ ग्रामों के अन्दर सीसी मार्गों एवं केसी नालियों के निर्माण का प्रावधान था। शासन द्वारा बाद में यह भी स्पष्ट किया गया (जून 2009) कि ग्रामों की गलियों में जहाँ दोनों और आबादी होगी वहीं सीसी मार्गों का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया (मई एवं जून 2012) कि उक्त आदेशों (जून 2009) का उल्लंघन करते हुए तीन प्रखण्डों द्वारा अनियमित कार्य कराए गए थे।



मैनपुरी में आबादी के बाहर निर्मित सीसी रोड (दिनांक 22 जून 2012)



हरदोई में आबादी के बाहर निर्मित सीसी रोड (दिनांक 16 मई 2012)



अलीगढ़ के ग्राम हेतमपुर में निर्मित सीसी परिक्रमा रोड (दिनांक 07 जून 2012)

प्रथम एवं द्वितीय छाया चित्र से स्पष्ट है कि वहाँ कोई आबादी नहीं थी जबकि छाया चित्र 3 में यद्यपि मार्ग के एक तरफ आबादी थी परन्तु सीसी कार्य घरों के पीछे के भाग की तरफ सम्पादित किया गया था। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं की गई (नवम्बर 2012)।

निर्माण हेतु धन का आबंटन पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को किया गया था। मूल एवं संशोधित कार्य योजना के सापेक्ष वर्ष 2008–12 में उपलब्ध धनराशि एवं व्यय का विवरण निम्नवत था:

सारणी 8 : सीसी मार्ग एवं केसी ड्रेन निर्माण की कार्य योजना

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	कार्य योजना	पुनरीक्षित कार्य योजना	उपलब्ध धनराशि	व्यय	अवशेष धनराशि	कार्य योजना के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि का प्रतिशत
1	2008–09	2,041.57	1,625.87	1,625.88	1,544.61	81.27	80
2	2009–10	717.93	747.60	726.45	705.40	21.05	101
3	2010–11	926.05	926.05	913.88	872.90	40.98	99
4	2011–12	3,022.31	1,296.43	1,284.40	1,154.00	130.40	42
	योग	**6,707.86**	**4,595.95**	**4,550.61**	**4,276.91**	**273.70**	

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कार्य योजना अवास्तविक थी क्योंकि कार्य योजना एवं उपलब्ध धनराशि के मध्य 20 प्रतिशत (2008–09) से 58 प्रतिशत (2011–12) तक का विचलन हुआ।

[37] उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में सीसी मार्गों का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु ₹ 3,022.31 करोड़ की कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी (अप्रैल 2011) एवं प्रति डा0 अम्बेडकर ग्राम हेतु मानक ₹ 50 लाख के सापेक्ष बिना धन की उपलब्धता के अनुबंधों का गठन औसत लागत ₹ 141.69 लाख प्रति ग्राम पर प्रारम्भ कर दिया गया। बिना धन की उपलब्धता के अनुबंधों का गठन न केवल वित्तीय नियमों के विरुद्ध था बल्कि इससे योजना के मूल उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि शासन द्वारा मात्र ₹ 1,284.40 करोड़ की धनराशि ही उपलब्ध कराई गई। परिणामस्वरुप, मजरे असंतृप्त रहे तथा अपात्र मजरों का संतृप्तीकरण हुआ जिसे जनपद हरदोई के एक प्रकरण के अध्ययन के रुप में किया गया है।

शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि ₹ 3,022.31 करोड़ के प्रस्ताव के सापेक्ष पंचायती राज विभाग द्वारा मात्र ₹ 1,284.40 करोड़ की धनराशि ही उपलबध कराई गई। चूँकि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना एक समयबद्ध कार्यक्रम था अतः धन की प्रत्याशा में अनुबंध गठित किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धन की उपलब्धता के बिना अनुबंधों का गठन एवं कार्य प्रारम्भ किया जाना वित्तीय नियमों[38] के प्रतिकूल था।

एक प्रकरण का अध्ययन

शासन द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सीसी मार्गों एवं केसी ड्रेनों के निर्माण हेतु गाँव के अन्दर मजरों के चयन हेतु अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वाले मजरों को सबसे पहले लेते हुए अवरोही क्रम में चयनित किए जाने के आदेश दिए गए (अप्रैल 2011)। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मई 2012) में पाया गया कि 85 डा0 अम्बेडकर गांवों के 489 मजरों के संतृप्तीकरण हेतु वर्ष 2011–12 में ₹ 199 करोड़ की एक प्रारम्भिक कार्य योजना तैयार (मार्च 2011) की गई थी। इसे संशोधित कर मई 2011 में ₹ 175 करोड़ किया गया। इस बीच, धनाबंटन सुनिश्चित किए बिना ही अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता द्वारा ₹ 175 करोड़ की कार्य योजना के आधार पर अनुबंध गठित कर दिए गए जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में मात्र ₹ 52 करोड़ की धनराशि ही उपलब्ध कराई गई थी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि धन की अनुपलब्धता, समय से पहले ठेके दिए जाने एवं कार्य प्रारम्भ किए जाने से लक्षित 489 मजरों के सापेक्ष 194 मजरे असंतृप्त रह गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मजरों को अवरोही क्रम में सम्बद्ध करने हेतु किए गए आदेश के उल्लंघन के कारण 87 ऐसे मजरे असंतृप्त रह गए जिनकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उसी गाँव के संतृप्त मजरों से अधिक थी। यह भी देखा गया कि दस ऐसे मजरे भी संतृप्त कर दिए गए थे जिनकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शून्य थी। अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया गया (मई 2012) कि मजरों को धन की उपलब्धता के अनुसार संतृप्त किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासनादेश में मजरों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को संज्ञान में लेते हुए अवरोही क्रम में संतृप्त करने हेतु स्पष्ट निर्देश थे। अतः आदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने से योजना के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण **परिशिष्ट–2.1.23** में दिया गया है।

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया (नवम्बर 2012)।

[38] वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग VI का प्रस्तर 375

2.1.10.6 अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण

आईआरसी : एसपी : 62 के प्रस्तर 7.15 के अनुसार प्रति 100 घनमीटर कंक्रीट निर्माण के सापेक्ष कम से कम छः क्यूब नमूना परीक्षण कराए जाने थे जिसमें तीन क्यूब सात दिनों एवं तीन क्यूब 28 दिनों की क्षमता परीक्षण हेतु चयनित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना परीक्षण आधार पर प्रखण्डों द्वारा निष्पादित कराए गए सीसी कार्यों के श्रेणी[39] को आधार बनाकर आँकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि वांछित परीक्षण नहीं कराए गए थे। विवरण **परिशिष्ट–2.1.24** में दिया गया है। गुणवत्ता नियंत्रण के विश्लेषण का सार नीचे वर्णित है :

सारणी 9: गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण

प्रखण्ड	कार्यों की संख्या	निष्पादित कंक्रीट कार्य की मात्रा (घनमीटर)	आदेश के अनुसार वांछित क्यूब नमूनों की संख्या		सात दिनों की क्षमता परीक्षण हेतु नमूना क्यूबों की संख्या	28 दिनों की क्षमता परीक्षण हेतु नमूना क्यूबों की संख्या	सात दिनों हेतु परीक्षण की कमी (प्रतिशतता)	28 दिनों हेतु परीक्षण की कमी (प्रतिशतता)
			सात दिनों हेतु	28 दिनों हेतु				
आगरा	1	399.00	12	12	2	2	10 (83)	10 (83)
आजमगढ़	2	496.24	15	15	4	4	11 (73)	11 (73)
बिजनौर	8	2,885.01	87	87	6	34	81 (93)	59 (68)
इटावा	3	1,895.45	57	57	0	0	57 (100)	57 (100)
फैजाबाद	4	1,193.72	36	36	4	4	32 (89)	32 (89)
ललितपुर	2	591.95	18	18	6	6	12 (66)	12 (66)
मैनपुरी	3	1,316.78	40	40	0	4	40 (100)	36 (90)
गोण्डा	4	704.11	21	21	5	10	16 (76)	11 (52)
सीतापुर	4	1,001.95	30	30	0	10	30 (100)	20 (67)
योग	31	10,484.21	316	316	27	74	289	248

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

सात दिनों के परीक्षण में 66 से 100 प्रतिशत एवं 28 दिनों हेतु 53 से 100 प्रतिशत तक की कमी थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि इलाहाबाद में चार नमूना परीक्षित कार्यों में नवम्बर 2008 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य 28 दिनों में कराए गए सीसी कार्यों के परीक्षण रिपोर्टों में सात एवं 28 दिनों का विवरण अंकित नहीं था। यद्यपि, एक कार्य में नवम्बर 2008 से जनवरी 2009 के मध्य 18 दिनों तक सीसी डाली गई थी जिसके सापेक्ष नियम विरुद्ध 20 अप्रैल 2009 में एक साथ 57 परीक्षण कराए गए थे।

अग्रेतर, अनुबंध की शर्त के अनुसार ठेकेदारों के सीमेंट क्रय की रसीद भी प्रस्तुत की जानी थी जिसमें सीमेण्ट का ब्रांड नाम[40] अंकित हो। परन्तु लेखापरीक्षा में देखा गया कि भुगतान के पूर्व ठेकेदारों द्वारा सीमेण्ट क्रय सम्बन्धी बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वार्ता (दिसम्बर 2012) में प्रमुख सचिव ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया कि सीमेन्ट का परीक्षण नहीं कराने का कारण इसे ठेकेदार द्वारा प्रबन्ध करना था तथा प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध करने हेतु प्रयास किये जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनिवार्य सीसी क्यूब परीक्षण नहीं कराये गये एवं सीमेन्ट की खरीद के बिलों को प्राप्त किये बिना भुगतान किया गया।

[39]90–110 घनमीटर, 190–210 घनमीटर, 290–310 घनमीटर इत्यादि प्रत्येक 100 घनमीटर, 200 घनमीटर एवं 300 घनमीटर हेतु।

[40]जेपी एसोसिएट, सतना, मैहर, एसीसी, प्रिज्म हिडलवर्ग, ग्रासिम, गुजरात, अम्बुजा एवं लफार्ज आफ ओपीसी 43 ग्रेड/वीपीसी 53

2.1.10.7 परियोजना पूर्ण होने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–VI) के प्रस्तर 75 के साथ पठित प्रस्तर 399 (अ) के अनुसार कार्य के समाप्त होते ही खण्डीय अधिकारी को कार्य की लेखाबंदी करके प्रपत्र 45 पर परियोजना पूर्ण होने सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करानी चाहिए।

नमूना परीक्षित 17 में से सात प्रखण्डों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि के मध्य लागत ₹ 474.46 करोड़ के 2,461[41] कार्यों की कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र क्लाइंट विभागों को प्रस्तुत नहीं की गई थी। अतः न केवल कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र अप्रेषित थी बल्कि कार्यों के लेखे भी अनिश्चित काल तक खुले थे।

शासन द्वारा इस संबंध में उचित उत्तर नहीं दिया गया।

2.1.10.8 अन्य रोचक बिन्दु

- कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, ललितपुर के अभिलेखों के नमूना–जाँच से ज्ञात हुआ कि एक कार्य (पैकेज संख्या यूपी 4533)[42] निर्धारित तिथि से 23 माह पश्चात (दिसम्बर 2011) पूर्ण हुआ यद्यपि कार्य का अनुबंध अधीक्षण अभियंता, झाँसी द्वारा अनुबंध के मौलिक शर्तों के उल्लंघन के कारण निरस्त (जुलाई 2010) कर दिया गया था फिर भी ठेकेदार को कार्य किए जाने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा भी यह कहा गया कि ठेकेदार द्वारा खराब कार्य किए जाने के कारण उसे काली सूची में क्यो न डाला जाये (सितम्बर 2011) फिर भी ठेकेदार के विरुद्ध संबंधित अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसे ₹ 6.49 करोड़ का भुगतान (अप्रैल 2012) में किया गया।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ललितपुर में खराब हुआ मार्ग (पैकेज यूपी 4533) दिनांक 19 जुलाई 2012

मार्ग के संयुक्त भौतिक निरीक्षण (जुलाई 2012) से ज्ञात हुआ कि कार्य के पूर्ण होने के सात माह बाद ही पूरा मार्ग खराब हो गया था जबकि ठेकेदार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि पूर्ण होने (दिसम्बर 2016) तक मार्ग के रख–रखाव हेतु बाध्य था।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण (सितम्बर 2010) किया गया था, यद्यपि मुख्य अभियंता (पश्चिमी) द्वारा मार्ग का रख–रखाव नहीं किए जाने के कारण ठेकेदार को प्रतिबंधित (मार्च 2012) कर दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया था बल्कि निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अनुबंध नवीनीकृत करने हेतु निर्देशित किया था। इसके साथ ही, निर्माण कार्य की समाप्ति के बाद डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में मार्ग का रख–रखाव सुनिश्चित किये बिना ही ठेकेदार को प्रतिबंधित किया जाना उसे अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का भी द्योतक था।

[41] अलीगढ़ : 53, आजमगढ़ : 1,262, बिजनौर : 508, फैजाबादः 275, ललितपुर : 147, मुरादाबाद : 202 एवं सीतापुर : 14

[42] अनुबंध संख्याः 30/एसई दिनांक 29–12–2008, लागत ₹ 7.90 करोड़ (40.65 प्रतिशत उच्च दर पर)।

बिना उच्चतम बाढ़ स्तर को सुनिश्चित किये सड़क निर्माण के कारण ₹ 6.60 करोड़ की हानि।

- अधिशासी अभियंता, कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1, मुरादाबाद के अभिलेखों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि पैकेज संख्या यूपी 5403 के सापेक्ष जनवरी 2009 में ₹ 4.73 करोड़ व्यय किये जाने के बाद ₹ 2.86 करोड़[43] के दो अनुबंध गठित किये गये और ₹ 1.87 करोड़ का व्यय फरवरी 2013 तक किया गया जोकि ₹ 8.19 करोड़ के प्राक्कलित लागत के उस मार्ग का था जो 20 सितम्बर 2010 को रामगंगा नदी का स्तर 193 मीटर होने के कारण आई बाढ़ से बह गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1924 में रामगंगा नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर 193.94 मीटर को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय संज्ञान में नहीं लिया गया था।

मार्ग के संयुक्त भौतिक निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि मार्ग की स्थिति अत्यन्त ही खराब थी एवं मार्ग के आबादी भाग में पड़ने वाला हिस्सा भी ठेकेदार द्वारा संरक्षित नहीं किया जा रहा था जबकि डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड जनवरी 2014 तक था।



मुरादाबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्ग (यूपी 5403) की खराब दशा दिनांक 28 जून 2012

शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय उच्चतम बाढ़ स्तर को संज्ञान में लिया गया था परन्तु अप्रत्याशित बाढ़ आने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय 60 सेमी की सामान्य ऊँचाई ही ली गई थी और उच्चतम बाढ़ स्तर को संज्ञान में नहीं लिए जाने से मार्ग बाढ़ में बह गया था।

- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग–3 द्वारा 72 जिलों में मौजूदा 18,193 किमी ग्रामीण सड़कों[44] (32,477.24 किमी) के अनुरक्षण हेतु अक्टूबर 2011 में ₹ 470 करोड़ का एक प्रस्ताव बनाया गया था। तथापि, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा इसके लिये प्रभावी ढंग से प्रयास नहीं किया गया क्योंकि वित्त विभाग के सुझाव कि कृषि उत्पादन कमिश्नर की अध्यक्षता में प्रकरण पंचायती राज विभाग के साथ वार्ता की जाये, का अनुपालन नहीं किया गया। शासन द्वारा यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि प्रकरण विचाराधीन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा प्रयास नहीं किये जाने के कारण 72 जनपदों के 32,477.24 किमी मार्ग बिना अनुरक्षण के पड़े थे।

- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत चयनित डा0 अम्बेडकर गाँवों में सीसी मार्गों एवं ढकी नालियों के निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुमोदित ड्राइंग एवं डिजाइन (जुलाई 2008) के अनुसार सीसी मार्गों के निर्माण में सीमेण्ट

[43] अनुबंध संख्या 2/एसई/दिनांक 13–04–2012 (₹ 1.40 करोड़) एवं अनुबंध संख्या 3/एसई/दिनांक 13–04–2012 (₹ 1.46 करोड़)।

[44] किसी विभाग द्वारा अनुरक्षित नहीं।

कंक्रीट एवं लीन कंक्रीट परतों के मध्य 125 माइक्रान पॉलीथिन शीट की एक परत सेपरेशन मेम्ब्रेन के रुप में बिछाई जानी थी।

निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत इटावा एवं मैनपुरी में क्रमशः 29 एवं सात कार्यों के निर्माण में लीन कंक्रीट की परत के ऊपर 125 माइक्रान पॉलीथिन शीट नहीं डाली गयी थी। इस प्रकार, ₹ 8.45 करोड़ के सीमेण्ट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया **(परिशिष्ट–2.1.25)**।

शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि इटावा एवं मैनपुरी जनपद की कार्य योजनायें लोक निर्माण विभाग के दिशा–निर्देश जारी होने के पूर्व ही स्वीकृत हो गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यों का निष्पादन, दिशा–निर्देश जारी होने के उपरान्त (सितम्बर 2008 से नवम्बर 2008) किया गया था।

- कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ललितपुर के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानक प्राक्कलन के प्रावधानों के विपरीत तीन पैकेजों में ₹ 0.76 करोड़ का व्यय प्रथम सतह लेपन (पी 1) और टैक कोट की द्वितीय सतह पर किया गया। शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि पी 1 तथा टैक कोट की द्वितीय सतह की अनुमति मुख्य तकनीकी सलाहकार द्वारा प्रदान की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रथम सतह लेपन (पी 1) और टैक कोट की द्वितीय सतह का प्रावधान मुख्य तकनीकी सलाहकार के अनुमोदन के पूर्व किया गया था। इसके अतिरिक्त, जाँच में यह भी पाया गया कि उसी कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई द्वारा उसी अवधि के अन्य पैकेजों में प्रथम सतह लेपन (पी 1) और टैक कोट की द्वितीय लेपन का प्रावधान नहीं किया गया था।

- शासन के आदेश (नवम्बर 2010) के अनुसार डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड समाप्त होने के बाद, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित मार्गों को लोक निर्माण विभाग को अनिवार्य रुप से हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। अधिशासी अभियंता, कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया, फैजाबाद एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, सोनभद्र के लेखा अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि फेज 2 एवं 3 में निर्मित ₹ 25.91 करोड़ लागत के 44 मार्गों[45] को, जिनकी डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड मार्च 2008 से सितम्बर 2010 के मध्य समाप्त हो चुकी थी, शासनादेश की तिथि से सात से 19 माह पश्चात लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया (जून 2012 तक)।

प्रखण्ड के सहायक अभियंता और लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, सोनभद्र द्वारा छतारा बंजरिया से निपनियाँ पिथौरी तक निर्मित मार्ग, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, विलम्ब से हस्तांतरित किये जाने के कारण (मार्च 2010 के स्थान पर जून 2011) क्षतिग्रस्त हो गया था।



पैकेज संख्या 6704, छतारा बंजरिया से निपनियाँ पिथौरी मार्ग, सोनभद्र (दिनांक 5 अगस्त 2012)

[45] देवरियाः 11 (₹ 4.43 करोड़), फैजाबादः 29 (₹ 15.91 करोड़) एवं सोनभद्रः 4 (₹ 5.57 करोड़)।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु निर्देश नवम्बर 2010 में जारी किये गये थे जिसमें अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेश से सात से 19 माह का विलम्ब था।

2.1.11. मानव संसाधन प्रबन्धन

एक संस्था के समुचित संचालन एवं उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मानव प्रबन्धन एक प्रमुख तत्व होता है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन की पर्याप्तता की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तरों में की गई है:

2.1.11.1 मानव संसाधन का अपर्याप्त प्रबंधन

31 मार्च 2012 को विभाग में स्टाफ की स्थिति निम्नवत् थी:

सारणी 10: 31 मार्च 2012 को स्टाफ की स्थिति

क्रम संख्या	पद नाम	स्वीकृत पद	तैनाती की स्थिति	कालम 3 के सापेक्ष कमी (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
1	निदेशक	1	1	शून्य
2	मुख्य अभियंता ग्रेड–2	2	0	2 (100)
3	अधीक्षण अभियंता	14	4	10 (71)
4	अधिशासी अभियंता	81	54	27 (33)
5	सहायक अभियंता	288	199	89 (31)
6	अवर अभियंता	2,022	1,722[46]	300 (15)

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

स्पष्टत:, वर्ष 2007–12 के मध्य विभाग में मुख्य अभियंता कार्यरत नहीं थे। शीर्ष स्तर यथा अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता आदि के पदों पर कमी थी। अवर अभियंताओं के 2,022 स्वीकृत पदो के सापेक्ष 31 मार्च 2012 तक मात्र 1,722 अवर अभियंता कार्यरत थे जिसमें से 820 अवर अभियंता (48 प्रतिशत), खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विकास खण्डों में कार्यरत थे। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता स्तर की कमी को तदर्थ प्रोन्नति (प्रभारी) के माध्यम से प्रबंधन किया गया था जिससे सहायक अभियंता/अवर अभियंता स्तर पर अतिरिक्त कमी हुई। इसी प्रकार, 31 मार्च 2012 तक लिपिकीय वर्ग के पदों पर कार्यरत कर्मियों की भी कमी थी जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.26** में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, उचित संरचनात्मक ढाँचे के अभाव में विभाग के परिचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसके कारण वर्ष 2007–12 की अवधि में 17 से 50 प्रतिशत कार्य अपूर्ण थे **(परिशिष्ट–2.1.27)**।

अग्रेतर, कार्यभार के अनुसार स्टाफ की तर्कसंगत तैनाती भी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010–12 के मध्य सीसी मार्गों के कार्यों हेतु 12 प्रखण्डों में अतिरिक्त अधिशासी अभियंता तैनात किए गए थे जबकि 35 जनपदों में प्रत्येक अधिशासी अभियंता को दो से चार प्रखण्डों का कार्यभार प्रदान किया गया था।

[46] 1,722 में से 820 अवर अभियंता विकास खण्डों में कार्यरत थे।

शासन ने उत्तर में बताया कि विभाग के पास स्वयं का बजट न होने के कारण अधिकारियों की तैनाती कार्यभार एवं आवश्यकता के अनुरुप किया जाना संभव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि फील्ड में तैनात अधिशासी अभियंताओं द्वारा अन्य प्रखण्डों का दायित्व भी संभाला जा रहा था जबकि वर्ष 2008–12 की अवधि में तीन अतिरिक्त अधिशासी अभियंताओं को निदेशालय में तैनात किया गया था।

2.1.11.2 कार्यभार के सापेक्ष क्षमता का उपयोग

कार्यभार का प्रति प्रखण्ड मानक शासन द्वारा ₹ 20 करोड़ निर्धारित (सितम्बर 2008) किया गया था । अवर अभियंता के कार्यभार का मानक ₹ 2.50 करोड़ जबकि सहायक अभियंता का ₹ सात करोड़ था। फिर भी, वर्ष 2008–12 की अवधि में प्रखण्डों के कार्यभार में भारी भिन्नतायें परिलक्षित हुई जैसा कि निम्नवत् विवरण से स्पष्ट है:

सारणी 11: वर्ष 2008–12 के दौरान कार्यभार की स्थिति

वर्ष	व्यय सहित प्रखण्डों की संख्या					कुल प्रखण्डों की संख्या
	₹ 20 करोड़ या अधिक	₹ 15 से ₹ 20 करोड़	₹ 10 से ₹ 15 करोड़	₹ 5 से ₹ 10 करोड़	₹ 5 करोड़ से कम	
2008–09	45	02	04	07	01	59
2009–10	21	10	16	14	02	63
2010–11	26	14	15	13	04	72
2011–12	41	08	13	08	02	72
योग	133	34	48	42	09	266

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

सारणी से यह स्पष्ट है कि 133 प्रखण्डों (50 प्रतिशत) का कार्यभार निर्धारित मानक (₹ 20 करोड़) से कम था। 11 प्रखण्डों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं के मध्य कार्यभार भी उसी प्रखण्ड के अन्य सहायक अभियंताओं एवं अवर अभियंताओं के बराबर नहीं था, जैसा कि निम्नवत् दिया गया है:

सारणी 12: अवर अभियंता एवं सहायक अभियंता का कार्यभार

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रखण्ड	सहायक अभियंता का न्यूनतम एवं अधिकतम कार्यभार (मानक ₹ 7 करोड़)	अवर अभियंता का न्यूनतम एवं अधिकतम कार्यभार (मानक ₹ 2.5 करोड़)
2007–12	आगरा	0.85 (12) से 15.59 (67)	1.00 (2) से 4.00 (56)
2007–12	आजमगढ़	6.18 (11) से 13.18 (19)	0.07 (1) से 11.65 (18)
2007–12	बिजनौर	0.37 (1) से 25.19 (87)	0.01 (1) से 15.01 (30)
2007–12	देवरिया	1.30 (14) से 4.00 (48)	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी
2007–12	इटावा	0.85 (10) से 5.07 (60)	0.20 (1) से 3.93 (47)
2007–12	गोण्डा	सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी	0.05 (1) से 4.92 (28)
2007–12	झाँसी	1.90 (19) से 11.61 (61)	0.35 (2) से 2.65 (26)
2007–12	ललितपुर	0.45 (4) से 9.69 (74)	0.10 (1) से 0.17 (36)
2007–12	लखनऊ	0.35 (8) से 3.34 (73)	0.10 (2) से 3.22 (71)
2007–12	मैनपुरी	0.80 (25) से 8.28 (67)	0.02 (1) से 1.35 (43)
2007–12	सोनभद्र	3.00 (5) से 6.50 (33)	0.20 (1) से 12.46 (21)
नोट: प्रखण्डों के कुल कार्यभार का प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है।			

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

अतः नियोजन के अभाव में नमूना जाँच किये गये प्रखण्डों में अन्तर प्रखण्डीय एवं प्रखण्डों के अन्दर कार्यभार उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप नहीं था।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि विभाग के पास अपना कोई बजट नहीं था और अवर अभियंताओं एवं सहायक अभियंताओं के कार्यभार में भिन्नता का कारण उनकी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि शीर्ष स्तर पर प्रखण्डों एवं कर्मचारियों के मध्य विवेकपूर्ण कार्यभार वितरण से संबंधित नियोजन का अभाव था।

2.1.11.3 स्थानान्तरण नीति का पालन न किया जाना

स्थानान्तरण नीति (मई 1989) के अनुसार अवर अभियंता की तैनाती एक प्रखण्ड में सात वर्षों के लिए की जा सकती थी। नमूना जाँच में चयनित 17 प्रखण्डों में 530 अवर अभियंताओं में से 114 (22 प्रतिशत) अवर अभियंता एक ही प्रखण्ड में 10 से 15 वर्षों तक तैनात थे, जबकि 54 अवर अभियंता (10 प्रतिशत) एक ही प्रखण्ड में 15 वर्षों से अधिक समय से तैनात थे जैसाकि **परिशिष्ट–2.1.28** में दिया गया है।

शासन ने वर्ग ग कर्मचारियों के मध्य, जो कि तीन वर्षों तक एक ही पटल पर कार्य कर रहे थे, को कार्यभार में बदलाव किये बिना उनके पटल परिवर्तन हेतु स्थानान्तरण नीति निर्गत (मई 2008) की। नमूना जाँच मे चयनित 17 में से आठ[47] प्रखण्डों में पाँच वर्षों से समान पटल पर कार्य करने के प्रकरणों को **परिशिष्ट–2.1.29** में दिया गया है। शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि शासन द्वारा वर्ष 2009–12 में शून्य स्थानान्तरण सत्र घोषित करने के कारण सीमित स्थानान्तरण किए गए थे। शासन द्वारा यह भी बताया कि समान पटल पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के कार्यों के पटल परिवर्तन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि शून्य स्थानांतरण सत्र केवल तीन वर्ष तक ही लागू थी जबकि अवर अभियंताओं की तैनाती एक ही प्रखण्ड में 15 वर्षों तक थी।

2.1.11.4 अप्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य प्रशिक्षण नीति–1999 के अनुसार सभी विभागों को कर्मचारियों की कार्य–दक्षता के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाना था। निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 1.48 करोड़ व्यय करके 452 अवर अभियंताओं/सहायक अभियंताओं/अधिशासी अभियंताओं को 12 विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। वर्ष 2009–12 के दौरान दो विषयों[48] में 266 (59 प्रतिशत) अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सम्प्रेक्षा में यह पाया गया कि:

- वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रशिक्षण हेतु अग्रिम कैलेण्डर/लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

[47] आगरा: 8, इटावा: 5, गोण्डा: 6, झाँसी: 11, लखनऊ: 2, मैनपुरी: 12, सीतापुर: 1 एवं सोनभद्र: 4

[48] मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आन मैनेजमेंट इफेक्ट: 124 प्रशिक्षण, डिजाइन और कन्सट्रक्शन आफ फ्लेक्सीबिल और रिजिड पेवमेन्ट: 142 प्रशिक्षण

- माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव द्वारा अवर अभियंताओं और सहायक अभियंताओं के लिए सीसी रोड निर्माण कार्यों पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने हेतु आदेश (मार्च 2009) पारित किया गया था। सीसी रोड योजना के आरम्भ होने के दो वर्ष पश्चात ही अगस्त 2011 से अप्रैल 2012 के मध्य डिजाइन एण्ड कन्सट्रक्शन आफ फ्लेक्सीबिल एण्ड रिजिड पेवमेन्ट विषयक 142 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये थे जबकि सीसी रोड योजना मई 2012 से बंद कर दी गयी थी।

- दिसम्बर 2009 से फरवरी 2010 के मध्य 38 अधिकारियों को एक ही विषय में दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया (नवम्बर 2012) कि विभाग के पास स्वयं का बजट न होने एवं विभिन्न प्रकृति के कार्यों के कारण प्रशिक्षण हेतु अग्रिम कैलेण्डर नहीं बनाया गया था। अग्रेतर, निविदा प्रबन्धन, स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट आदि विषय नये एवं विस्तृत होने के कारण एक बार से अधिक प्रशिक्षण के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सीसी रोड एवं केसी ड्रेन का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का मुख्य कार्य था जिसके लिये उपयुक्त समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिये था।

2.1.11.5 अनुशासनात्मक प्रकरणों का निस्तारण न किया जाना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश के प्रस्तर 6.2 के अनुसार साक्ष्यों के नष्ट होने एवं अभिलेखों के खोने से बचाव हेतु प्रशासनिक प्राधिकारियों को तीन माह के अन्दर जाँच पूर्ण कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्रकरणों में यह संबंधित अधिकारियों को उनके कदाचार के परिणामों से बचने में सहायक हो सकते हैं।

हमने पाया कि:

- मार्च 2012 तक निदेशालय स्तर पर कुल 161 अवर अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण लम्बित थे। निस्तारित एवं लम्बित प्रकरणों की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी:

सारणी 13: वर्ष 2007–12 की अवधि में अवर अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रकरणों की स्थिति

वर्ष	अवर अभियंताओं के विरुद्ध आरंभ किये गये अनुशासनात्मक प्रकरणों की संख्या	निस्तारित प्रकरण	लम्बित प्रकरण
2007–08	110	66	44
2008–09	209	113	96
2009–10	280	135	145
2010–11	263	111	152
2011–12	260	99	161

(स्रोत: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

हमनें पाया कि 31 मार्च 2012 तक 161 प्रकरणों में से 64 प्रकरण एक वर्ष से अधिक पुराने जबकि 47 प्रकरण तीन वर्षों से अधिक पुराने थे। 161 अनिस्तारित प्रकरणों में से हानि एवं चोरी के चार, कार्यों में अनियमितता के 129, निविदा प्रक्रियाओं में अनियमितता के पाँच एवं अन्य विषयों के 23 प्रकरणों में कार्यवाही लम्बित थीं।

इसी प्रकार, माह मार्च 2012 तक अधिशासी एवं सहायक अभियंताओं के 49 प्रकरण[49] निदेशालय स्तर पर लम्बित थे जिसमें प्रारम्भिक जाँच की शुरु नहीं की गयी थी। शासन स्तर पर आरोप–पत्र निर्गत करने में दो से सात वर्ष तक का विलम्ब पाया गया। मार्च 2012 तक चार प्रकरणों में शासन द्वारा आरोप–पत्र निर्गत नहीं किये गये थे।

मार्च 2012 तक शासन स्तर पर लम्बित 112 प्रकरणों[50] में कार्यवाही अपेक्षित थी यद्यपि, जाँच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी थी। जाँच में यह भी पाया गया कि 112 अनिस्तारित प्रकरणों में से 31 अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके थे और चार कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी थी।

शासन द्वारा उत्तर में यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि अनुशासनात्मक कार्यवाही निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और विलम्ब का कारण जाँच रिर्पोटों का विलम्ब से प्राप्त होना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रकरणों के लम्बित रहने से अधिकारियों को उनके कदाचार के परिणामों से बचाव में मदद दे सकता है।

2.1.12. आन्तरिक नियंत्रण

आन्तरिक नियंत्रण किसी संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जो उस संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए शासित करती हैं। एक स्थापित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और अधिनियम, कोड एवं मैनुअल लागू प्रति मानक तथा नियमों के अनुपालन के लिये विभाग को आश्वासन प्रदान करते है जिससे विभागीय संचालन में वित्तीय रिर्पोटिंग, प्रभावकारिता तथा दक्षता प्राप्त किया जाता है।

सम्प्रेक्षा द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में लेखाकंन की पर्याप्तता एवं आन्तरिक नियंत्रण की जाँच की गयी जो निम्नवत् हैः

2.1.12.1 नियमावली और प्रतिवेदन

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के पास विभाग की कोई नियमावली नहीं है यद्यपि इसका गठन ''सभी ग्रामीण विकास कार्यों के संपादन'' हेतु 40 वर्ष पूर्व किया गया था। विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कोई प्रशासनिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था जिसके फलस्वरुप विधायिका विभाग के कार्यों के निष्पादन संबंधित जानकारी से वंचित थी।

शासन द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंताओं को प्रत्येक जिले के लिए अपनी दर–अनुसूची बनाने हेतु अधिकृत किया (जून 1995) गया था। मुख्य अभियंता द्वारा भी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए व्यापक दर–अनुसूची तैयार की जानी थी। फिर भी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा दर–अनुसूची तैयार नहीं की गयी थी और इसके लिए विभाग लोक निर्माण विभाग की दर–अनुसूची पर निर्भर था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) और यह बताया गया कि नियमावली, प्रतिवेदनों और दर–अनुसूची को बनाने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।

[49] एक वर्ष तक 16, एक से तीन वर्ष तक 21, तीन से पाँच वर्ष तक की सात एवं पाँच वर्ष से अधिक के पाँच।

[50] मार्च 2012 को बकाया प्रकरणों की आयुवार स्थिति

कुल प्रकरण	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक
112	56	17	20	19

(**स्रोतः** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.12.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

शासन द्वारा निर्गत आदेश (जनवरी 2001) के अनुसार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में नियुक्त वित्त नियंत्रक आन्तरिक लेखापरीक्षक के रुप में कार्य करता है। नियोजित तथा लेखापरीक्षित प्रखण्डों की स्थिति निम्नानुसार थी:

सारणी 14: आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	नियोजित प्रखण्डों की संख्या	कुल सम्परीक्षित प्रखण्डों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)
2007–08	31	20	11(35)
2008–09	31	15	16(52)
2009–10	31	18	13(42)
2010–11	40	22	18(45)
2011–12	40	शून्य	40(100)

(स्रोत: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

वर्ष 2007–12 की अवधि में आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना के सापेक्ष 35 से 100 प्रतिशत तक की कमी रही। इस प्रकार, योजना के सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति न किया जाना अप्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा का द्योतक था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच में चयनित 17 में से आठ[51] प्रखण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा वर्ष 2007–12 की अवधि में नहीं की गयी थी। माह जून 2007 से जनवरी 2012 की अवधि में अलीगढ़ एवं झाँसी प्रखण्डों की आन्तरिक लेखापरीक्षा तीन बार की गयी थी लेकिन प्रखण्डों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन नहीं भेजा गया था जिससे आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) और यह बताया गया कि भविष्य में प्रखण्डों की आंतरिक लेखापरीक्षा को अन्तर–प्रखण्डीय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

2.1.12.3 अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना एवं अपर्याप्त साक्ष्य

लेखाकंन पर उचित नियंत्रण हेतु मूल लेखा अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना आवश्यक है। अभिलेखों का रख–रखाव न किये जाने एवं लेखे के अपूर्ण रहने के कारण गंभीर त्रुटियों और गलत रिर्पोटिंग की आशंका रहती है। सम्प्रेक्षा में अभिलेखों के रख–रखाव न किये जाने एवं अपूर्ण अभिलेखों के कई प्रकरण पाये गये जो निम्नलिखित है:

नियंत्रण अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना

नमूना जाँच में चयनित सभी प्रखण्डों में कान्ट्रैक्टर लेजर, कार्य–सार एवं कार्य–पंजिका जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा था, जबकि सात प्रखण्डों में अनुबन्ध पंजिका एवं तकनीकी स्वीकृति पंजिका में पूर्ण सूचनायें अंकित नहीं की जा रही थी। अतः अभिलेखों के अभाव/अपूर्ण रख–रखाव के कारण लेखाओं में गंभीर त्रुटियों एवं गलत रिपोर्टिंग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2.1.30 (अ)** एवं **परिशिष्ट–2.1.30 (ब)** में दिया गया है।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012) और यह बताया गया कि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावित है।

[51] आगरा, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, इटावा, ललितपुर, मैनपुरी और सोनभद्र

माप पुस्तिकाओं में अशुद्ध मापांकन

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड VI) के प्रस्तर 451 के अनुसार भुगतान करते समय माप पुस्तिका में अंकित विवरण को लाल स्याही से क्रास करते हुये पृष्ठांकित किया जाना चाहिए तथा प्रस्तर 434, 436 एवं 438 के अनुसार माप पुस्तिका में दिनांकित हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।

हमनें पाया कि:

- प्रत्येक प्रखण्ड में नमूना जाँच की गई 20 माप पुस्तिकाओं में भुगतान के समय संबंधित माप को उपरोक्तानुसार क्रास करते हुये वाउचर संख्या अंकित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त, सभी चयनित प्रखण्डों एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में अधिशासी अभियंता द्वारा मानक के अनुसार, कम से कम पाँच प्रतिशत, मापों की जाँच नहीं की गई थी **(परिशिष्ट–2.1.31)।**

- नमूना जाँच में चयनित कुल 25 में से 10 प्रखण्डों एवं पाँच कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई[52] में संबंधित सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता द्वारा मापन पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था **(परिशिष्ट–2.1.32)**।

- माप पुस्तिकाओं के निर्गमन तिथि एवं प्रथम मापांकन की तिथि में तीन से 26 माह का अन्तर था **(परिशिष्ट–2.1.33)**।

- अवर अभियंताओं द्वारा पूर्व दिनांकित मापांकन एवं सहायक अभियंताओं द्वारा किये गये जाँच का विवरण निम्नानुसार था:

सारणी 15: पूर्व दिनांकित मापांकन के प्रकरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	माप पुस्तिका के निर्गमन की तिथि	मापांकन की तिथि/माप पुस्तिका के जाँच की तिथि
1	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2, इटावा	125 एल	12.08.09	11.08.09
2	प्रखण्ड, हरदोई	997 एल	20.06.11	12.06.11 और 17.06.11
3	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1, ललितपुर	22 एल	18.08.08	25.07.08
4	प्रखण्ड, सीतापुर	1112 एल	20.07.11	12.07.11 और 18.07.11
5	प्रखण्ड, सीतापुर	1087 एल	09.07.11	05.07.11 (सहायक अभियंता द्वारा)

(**स्रोत:** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई)

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि संबंधित प्रखण्डों द्वारा उत्तरदायी अवर अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

अवस्थापना संबंधी मामलों में अनियमिततायें

- वर्ष 2007–12 की अवधि में नमूना जाँच में चयनित 17 प्रखण्डों में से नौ[53] प्रखण्डों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि ब्राडशीट तथा छः[54]

[52] आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बिजनौर, देवरिया, देवरिया (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों), गोण्डा (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2), ललितपुर, ललितपुर (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1), लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, मुरादाबाद (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1), सोनभद्र एवं सोनभद्र (कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1)।

[53] अलीगढ़, आजमगढ़, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, गोण्डा, झाँसी, ललितपुर एवं मैनपुरी।

[54] अलीगढ, आजमगढ़, गोण्डा, झाँसी, मैनपुरी एवं सोनभद्र।

प्रखण्डों में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि लेजर का रख–रखाव नहीं किया गया था जबकि तीन प्रखण्डों[55] में वर्ष 2008–12 की अवधि के सामान्य भविष्य निधि लेजर अपूर्ण थे।

- नमूना जाँच में चयनित 17 प्रखण्डों में से छः प्रखण्डों[56] के आठ प्रकरणों में ₹ 0.71 लाख के अस्थायी अग्रिम की वसूली नहीं की गई थी।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये यह बताया गया (नवम्बर 2012) कि दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

2.1.13 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

शासन के विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण किये जाने से विभाग द्वारा रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियंत्रण से विभाग की कमियों, सीमाओं एवं प्रबंधकीय आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है जिससे विभाग के नीति निर्धारण, संसाधनों के आबंटन एवं निष्पादन मानकों में सुधार लाया जा सके। विभाग में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से संबंधित पाई गई कमियाँ निम्नानुसार हैं:

2.1.13.1 तकनीकी आडिट सेल की त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणाली

वर्ष 1973 में तकनीकी आडिट सेल का गठन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये एवं किये जा रहे कार्यों का रैण्डम आधार पर आकस्मिक निरीक्षण एवं शिकायतों की जाँच करने के उद्देश्य से किया गया था। वर्ष 1985 से तकनीकी आडिट सेल का नियंत्रण सीधे शासन के अधीन कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि तकनीकी आडिट सेल द्वारा कार्यों के चयन में प्रखण्डीय अधिकारियों से विचार–विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रखण्डों द्वारा सम्पादित कार्यों के सापेक्ष तकनीकी आडिट सेल द्वारा संपादित जाँच का विवरण निम्नानुसार था:

सारणी 16: तकनीकी आडिट सेल द्वारा जाँचे गये कार्यों की स्थिति

वर्ष	प्रखण्डों की संख्या	जाँचे गये प्रखण्डों की संख्या (प्रतिशत)	कुल जाँचों की संख्या	जारी किये गये वसूली आदेश (₹ लाख में)	वर्ष में सम्पादित कार्यों की कुल संख्या	सम्पादित कार्यों से जाँचे गये कार्यों की प्रतिशतता
2007–08	58	47 (81)	300	5.43	6,639	4.52
2008–09	58	31 (53)	248	6.13	6,491	3.82
2009–10	59	49 (83)	457	14.50	3,622	12.62
2010–11	59	42 (71)	393	13.65	6,688	5.88
2011–12	72	50 (69)	371	14.82	6,652	5.58
योग		219	1,769	54.53		

(**स्रोत:** मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी आडिट सेल के अभिलेख)

वर्ष 2007–12 की अवधि में कुल कार्यों के सापेक्ष प्रतिशत जाँच 3.82 से 12.62 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, तकनीकी आडिट सेल किसी एक वर्ष में सभी प्रखण्डों की जाँच करने में असफल था एवं संपादित जाँच 53 से 83 प्रतिशत के मध्य थी। परिणामस्वरुप,

[55] आगरा (2010–12), फैजाबाद (2010–12) एवं ललितपुर (2008–12)
[56] अलीगढ़: ₹ 11100, बिजनौर: ₹ 4500, देवरिया: ₹ 2800, इटावा: ₹ 40500, लखनऊ ₹ 8000 (प्रत्येक में एक प्रकरण) एवं मैनपुरी: ₹ 4000 (तीन प्रकरण)।

नौ प्रखण्डों[57] की जाँच तीन वर्षों तक नहीं की गयी थी जिसमें वर्ष 2007–12 की अवधि में गाजीपुर, बलिया एवं बाँदा की जाँच लगातार तीन वर्षों तक नहीं की गई थी।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2012) करते हुये लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के क्रम में जाँचों की प्रतिशतता एवं प्रत्येक वर्ष सभी प्रखण्डों के आच्छादन हेतु आदेश जारी किया (जनवरी 2013) गया।

2.1.13.2 विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यों के निरीक्षण में विफलता

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा जारी आदेश (मई 2007) के अनुसार मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को उनके क्षेत्राधिकार के प्रखण्डों का एक माह में दस दिनों का निरीक्षण करना आवश्यक था। अधीक्षण अभियंता द्वारा उनके अधीन प्रखण्डों में चल रहे कार्यों के निरीक्षण हेतु पाँच दिनों का रात्रि विश्राम भी आवश्यक था। प्रखण्डों को मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करनी थी।

नौ परिमण्डलों के अधीन 25 प्रखण्डों में से 17 प्रखण्डों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 214 निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किये गये थे। अनुपालन में 14 प्रखण्डों द्वारा 80 प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई थी जबकि तीन प्रखण्डों[58] द्वारा 77 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसी प्रकार, वर्ष 2007–12 की अवधि में मुख्य अभियंता द्वारा संपादित 21 निरीक्षणों में से मात्र छः की अनुपालन आख्या संबंधित अधिशासी अभियंताओं द्वारा भेजी गयी जबकि छः प्रखण्डों[59] द्वारा 15 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई थी। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2.1.34** में दिया गया है।

तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत किये बिना शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2012) कि अधिकारियों द्वारा समुचित एवं नियमित रुप से निरीक्षण किये गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रखण्डों के नमूना–जाँच से ज्ञात हुआ कि न केवल निरीक्षण अपर्याप्त थे बल्कि निरीक्षण टिप्पणियों की अनुपालन आख्या में भी शिथिलता थी।

2.1.14. कम्प्यूटरीकरण

विभाग में ई–गवर्नेन्स आरम्भ करके उसे राज्य के ई–गवर्नेन्स प्लान एवं राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, कम्प्यूटरीकरण की स्थिति एवं उसके अनुप्रयोग के अध्ययन हेतु प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को नियुक्त किया था। प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द्वारा विभागीय कर्मियों से विचार–विमर्श पर आधारित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ई–गवर्नेन्स को लागू करने हेतु ₹ 13.53 करोड़ का एक स्टडी प्लान तैयार (फरवरी 2007) किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पाँच वर्षों की अवधि में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इसे लागू करने हेतु शासन से धनराशि प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि

[57] बलिया, बाँदा, फैजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, ललितपुर, लखनऊ एवं सहारनपुर।

[58] अलीगढ़ प्रखण्डः 11, कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1, अलीगढ़ः 12 एवं कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, फैजाबादः 54।

[59] प्रखण्ड अलीगढ़, सीतापुर, कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1 अलीगढ़, कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, फैजाबाद, कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–2 गोण्डा एवं कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–1 ललितपुर

उक्त रिपोर्ट विभाग के संज्ञान में ही नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (मार्च 2012) किये जाने पर निदेशक ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया कि प्रकरण विभाग के संज्ञान में नहीं था। अतः सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को लागू नहीं करने के कारण विभाग में कम्प्यूटर के अनुप्रयोग एवं विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (नवम्बर 2012) कि कम्प्यूटरीकरण हेतु धनराशि की मांग की गई जो दिसम्बर 2012 तक विचाराधीन थी।

2.1.15. त्रुटि संकेतकों के प्रति संवेदनशीलता

वर्ष 2007–12 की अवधि में प्रधान महालेखाकार (जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 128 प्रखण्डों से संबंधित 176 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये थे जिसमें ₹ 1,128.88 करोड़ की आपत्तियों के 737 प्रस्तर सम्मिलित थे। 31 मार्च 2012 तक अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नानुसार था:

सारणी 17: 31 मार्च 2012 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	जारी किये गये			अनिस्तारित		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	आपत्तियाँ (₹ करोड़ में)	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	आपत्तियाँ (₹ करोड़ में)
2007–08	24	66	39.84	12	23	17.74
2008–09	45	186	266.81	41	114	222.53
2009–10	24	119	166.89	24	114	166.80
2010–11	64	290	585.38	64	286	519.63
2011–12	19	76	69.96	19	76	69.96
योग	**176**	**737**	**1128.88**	**160**	**613**	**996.66**

(**स्रोत**: प्रधान महालेखाकार, जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद)

आडिट एण्ड एकाउन्ट्स रेगुलेशन–2007 के प्रस्तर 197 के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर निरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अपना उत्तर प्रेषित करना था। वर्ष 2007–12 की अवधि में 56 निरीक्षण प्रतिवेदनों के अंतर्गत 220 प्रस्तर, जिनकी आपत्तियाँ ₹ 336.13 करोड़ की थीं, का प्रथम उत्तर इकाइयों द्वारा प्रेषित नहीं किया गया था।

लम्बी अवधि तक अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रस्तरों/निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारण से यह स्पष्ट है कि प्रखण्डीय अधिकारियों द्वारा उचित एवं समयबद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के फलस्वरुप उत्तरदायित्व के निर्धारण में क्षरण हुआ।

2.1.16. निष्कर्ष

यद्यपि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का गठन "शासन द्वारा सौंपे गये समस्त ग्रामीण निर्माण कार्यों के संपादन" के उद्देश्य से किया गया था। फिर भी, विभाग को ग्रामीण विभाग के "समस्त" कार्य सौंपे नहीं गये थे। शासन द्वारा विभाग को कोई कार्य नहीं सौंपा गया क्योंकि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दो विभागों के निर्माण कार्यों को सौंपे जाने का निर्णय लिया जाना था। विभाग द्वारा परस्पेक्टिव योजना, वार्षिक योजना एवं लक्ष्य निर्धारण करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। प्लान बजट एवं कम्प्यूटरीकरण और कार्यों के संपादन में समन्वय का अभाव था। निक्षेप धनराशि का प्रबन्धन वित्तीय नियमों के अनुरुप नहीं था क्योंकि निक्षेप धनराशि से अधिक व्यय,

अव्ययित निक्षेप का अप्राधिकृत रुप से अवरोधन, भण्डार के लाभ एवं हानि को लेखांकित नहीं करने का प्रकरण सभी चयनित प्रखण्डों में पाया गया जो कि कमजोर और अप्रभावी वित्तीय प्रबंधन का द्योतक था। कार्यों को सौंपे जाने की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति के पूर्व तकनीकी स्वीकृति का जारी किया जाना, बिना तकनीकी स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ किया जाना, अल्पकालीन निविदा पर कार्य कराया जाना, एकल निविदा एवं चयन अनुबन्ध के आधार पर कार्य का संपादन, सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली तथा जाली सिक्योरिटी डिपाजिट के कई प्रकरण पाये गये थे। कार्य निष्पादन में स्वीकृत विशिष्टियों का उल्लंघन, अतिरिक्त मदों पर अनियमित भुगतान एवं सीसी मार्ग एवं केसी ड्रेन के निर्माण पर अनियमितताओं के साथ–साथ अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण भी परिलक्षित हुई। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन का प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण एवं अप्रभावी था क्योंकि अधिकतर कार्यकारी एवं पर्यवेक्षकीय पदों का संचालन निचले काडर के अधिकारियों को प्रभारी के रुप में नामित करके किया जा रहा था। मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा किया गया निरीक्षण मानक से कम था एवं अनुपालन की कार्यवाही नहीं किये जाने से किया गया निरीक्षण अप्रभावी था।

2.1.17. अनुशंसा

शासन द्वाराः

- ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को सभी ग्रामीण कार्य सौंपने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए;
- निक्षेप साख सीमा के रुप में प्राप्त धनराशि रोकने की अवधि निश्चित किया जाना चाहिये तथा शीर्ष स्तर से निधियों के आबंटन एवं व्यय की निगरानी का प्रबन्धन किया जाना चाहिये;
- विभाग में पारदर्शी निविदा प्रणाली एवं शासन के वित्तीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना चाहिये;
- विभागीय मैनुअल एवं दर–अनुसूची को यथाशीघ्र तैयार किया जाना चाहिये; एवं
- ई–गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत यथाशीघ्र विभाग में कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए।

कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग

2.2 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन का क्रय एवं कृषकों को वितरण

2.2.1 प्रस्तावना

जल–उपयोग की क्षमता में वृद्वि हेतु सिंचाई स्रोत से सिंचाई बिन्दु तक जाने के दौरान जल के ह्रास को कम करने हेतु वर्ष 2007–12 की अवधि में राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, चिन्हित कृषकों को अनुदान पर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप प्रदान किये गये थे।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

कृषि विभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक[1]/ भूमि संरक्षण अधिकारी[2] विभिन्न योजनाओं के लिए क्रमशः राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। लघु सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव, मुख्य अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड क्रमशः राज्य एवं जनपद स्तर पर उत्तरदायी हैं।

2.2.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

2.2.3.1 लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित योजनायें

कृषि विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन[3], कुशल जल प्रबन्धन[4], राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं तिलहन बीज, दालें, पाम आयल एवं मक्का के एकीकृत कार्यक्रम योजनायें संचालित की गयी थी। इन योजनाओं मे से एक घटक[5] अनुदानित 'हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप का वितरण' था। इसी प्रकार, लघु सिंचाई विभाग द्वारा भी दो योजनायें यथा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित की गयी थी जिनके अन्तर्गत कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप भी वितरित किये गये थे।

कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग, दोनों के सम्बन्ध में लाभार्थियों की पात्रता मापदण्ड एवं देय अनुदान की राशि का योजनावार विवरण (**परिशिष्ट–2.2.1**) में दिया गया है।

वर्ष 2007–12 की अवधि मे हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के क्रय एवं वितरण से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा माह जून एवं जुलाई 2012 के मध्य की गयी थी। लेखापरीक्षा में निदेशक, कृषि विभाग एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ एवं छः जनपदों यथा–इलाहाबाद, बस्ती, हमीरपुर, जालौन स्थित उरई, झाँसी एवं रायबरेली मे उप निदेशकों, भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं अधिशासी अभियंताओं के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गयी थी। फोटोग्राफी एवं संयुक्त भौतिक सत्यापनों के माध्यम से भौतिक साक्ष्य भी एकत्र किये गये थे। प्रत्येक जनपद में 20 लाभार्थियों से साक्षात्कार भी किया गया था।

[1] आईसोपाम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं वर्षा जल संचयन (योजना का संचालन 2007–08 तक भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा तदोपरान्त उप निदेशक योजना को क्रियान्वित करनें के लिए उत्तरदायी थे)।
[2] कुशल जल प्रबन्धन।
[3] बुन्देलखण्ड के सात जनपदों में।
[4] कुशल जल प्रबन्धन वर्ष 2009–10 के पश्चात समाप्त कर दिया गया था।
[5] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरण तथा निजी नलकूप की स्थापना हेतु अनुदान, प्रमाणिक बीज के क्रय में अनुदान, कृषि हेतु आधुनिक यंत्र, जनशक्ति का विकास (प्रशिक्षण), कृषि की आधुनिक तकनीकी की प्रदर्शनी आदि।

प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर शासन से प्राप्त (अक्टूबर 2012 एवं फरवरी 2013) उत्तर को समावेशित कर लिया गया है। इस सम्बन्ध मे एक समापन गोष्ठी भी आयोजित (फरवरी 2013) की गयी थी जिसमें शासन ने तथ्यों एवं आँकडों की पुष्टि की तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.2.4 नियोजन

कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग ने लाभार्थियों के चयन और हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के क्रय एवं वितरण हेतु अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी।

योजना के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए समुचित नियोजन ही उसका आधार होता है। समुचित नियोजन तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब समान/एकरुप उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं को एक से अधिक विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाना हो। यद्यपि कि पात्र कृषक लाभार्थियों को अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप दिये जाने का उद्देश्य समान था, कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग ने लाभार्थियों के चयन, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के क्रय एवं वितरण के लिए अलग–अलग प्रक्रिया अपनायी थी। एक समान उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दोनों विभागों के मध्य समन्वय बनाये रखने की कोई प्रक्रिया विद्यमान नहीं थी जिसके कारण योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कमियाँ/असमानतायें आयीं जैसा कि निम्नवत् है:

कृषि विभाग ने हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप अधिक दर पर क्रय करके ₹ 2.67 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

- लघु सिंचाई विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप का क्रय ₹ 113.54 से लेकर ₹ 125.76 प्रति मीटर के औसत दर पर किया गया था जबकि कृषि विभाग द्वारा एक समान मानक {आईएस कोड–14151 (भाग–I व II)} के पाईप की आपूर्ति ₹ 139.57 से लेकर ₹ 144.47 प्रति मीटर की औसत दर **(परिशिष्ट–2.2.2)** पर की गयी। यहाँ तक कि कुछ प्रकरणों में कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्तिकर्ता फर्में[6] एक ही थी। परिणामस्वरुप, दो वर्षो में (2010–12) लगभग ₹ 2.67 करोड़ परिहार्य/आधिक्य व्यय किया गया।

शासन ने उत्तर में यह बताया (फरवरी 2013) कि कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग में पाईप की आपूर्ति होने की प्रक्रिया भिन्न है। लघु सिंचाई विभाग केन्द्रीयकृत पद्धति के अन्तर्गत पाईप क्रय करता है जबकि कृषि विभाग में कृषक अपने स्वंय के चयन पर पाईप क्रय करता है जिसके कारण कृषि विभाग में पाईप का क्रय लघु सिंचाई विभाग के पाईप क्रय की दरों की तुलना में महंगे दर पर किया जाता है। शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब दो विभागों–कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा छः योजनाओं को समान एवं एकरुप उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रियान्वित की जा रही थी तब क्रय प्रक्रिया में भी एकरुपता होनी चाहिए थी।

- कृषकों के चयन एवं उन्हें हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति हेतु दोनो विभागों (कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग) में न तो उत्तरदायी प्राधिकारी समान थे और न ही वर्ष 2010–12 के दौरान चयन प्रक्रिया में इन प्राधिकारियों के मध्य कोई समन्वय ही था। परिणामस्वरुप, एक ही कृषक को दो बार हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का वितरण किया गया। नमूना जाँच किये गये छः जनपदों के कुल 29,913 कृषकों में से 600 कृषकों के अभिलेखों की नमूना जाँच में उद्घटित

[6] मेसर्स रूंगटा ऐरिगेशन लिमिटेड, गाजियाबाद एवं मे0 तिरूपति स्ट्रक्चरल लिमिटेड, गाजियाबाद।

हुआ कि 138[7] कृषकों ने अनुदानित पाइप दो बार प्राप्त किये थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून एवं जुलाई 2012) के दौरान उपरोक्त 138 कृषकों में से 24 ने यह स्वीकार किया कि उन्होने अनुदानित पाइप दो बार प्राप्त किया था।

शासन ने उत्तर में यह बताया (अक्टूबर 2012) कि दो जनपदों–जालौन स्थित उरई एवं हमीरपुर में समन्वय समितियाँ, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित थे, गठित की गई थी। अस्तु, शासन के उत्तर से ही स्पष्ट है कि प्रदेश के अन्य जनपदों में लाभार्थियों के चयन, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति व वितरण की प्रक्रिया में दोनों विभागों के मध्य कोई समन्वय नहीं था। फिर भी, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि जालौन स्थित उरई एवं हमीरपुर में दोनों विभागों ने लाभार्थियों का चयन स्वतन्त्र रूप से अपने–अपने स्तर पर किया था।

2.2.5 वित्तीय प्रबन्धन

वर्ष 2007–12[8] की अवधि में निधि के आबंटन एवं व्यय की योजनावार स्थिति निम्नवत् है:

सारणी 1: वर्ष 2007–12 की अवधि में अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के आपूर्ति हेतु योजनावार आबंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	आबंटन	व्यय	बचत
कृषि विभाग			
वर्षा जल संचयन	59.02	31.89	27.13
आईसोपॉम	27.42	24.79	2.63
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	9.12	5.46	3.66
कुशल जल प्रबन्धन	8.78	8.69	0.09
			लघु सिंचाई विभाग
बुन्देलखण्ड स्पेशल पैकेज	40.00	39.97	0.03
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	18.24	17.36	0.88
योग	**162.58**	**128.16**	**34.42**

(**स्रोतः** सूचना एवं आँकड़े कृषि विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

वर्षवार विवरण निम्नवत् दिया गया है:

सारणी 2: अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के लिए वर्षवार आबंटन एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
कृषि विभाग						
आबंटन	06.61	25.12	32.01	17.12	23.48	104.34
व्यय	06.03	18.31	26.27	14.30	05.92	70.83
बचत	00.58	06.81	05.74	02.82	17.56	33.51
लघु सिंचाई विभाग						
आबंटन	किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया गया।			37.65	20.59	58.24
व्यय				37.65	19.68	57.33
बचत				00.00	00.91	00.91

[7] कृषि विभाग के अन्तर्गतः 88 कृषक, लघु सिंचाई विभागः16 कृषक तथा कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के मध्यः 34 कृषक।
[8] लघु सिंचाई विभाग में 2010–12 की स्थिति दी गयी है क्योंकि इस विभाग में योजनाओं का संचालन मात्र इसी अवधि मे हुआ था।

कुल योग (कृषि विभाग + लघु सिंचाई विभाग)						
आबंटन	06.61	25.12	32.01	54.77	44.07	162.58
व्यय	06.03	18.31	26.27	51.95	25.60	128.16
बचत	00.58	06.81	05.74	02.82	18.47	34.42
समर्पण का प्रतिशत	8.77	27.11	17.93	5.15	41.91	21.17

(स्रोतः सूचना एवं आँकड़े कृषि विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

व्यय पर नियन्त्रण तथा योजनाओं के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता में कमी के फलस्वरुप कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा धनराशियों का व्यय पूरी तरह से नहीं किया जा सका

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि वर्ष 2007–12 की अवधि में कृषि विभाग/लघु सिंचाई विभाग में निधि के समर्पण की मात्रा 5.15 से 41.91 प्रतिशत के मध्य थी जबकि लक्षित लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप प्रदान नहीं किया गया था जैसा कि छः जनपदों के नमूना जाँच के दौरान प्रकाश में आया। यह व्यय पर नियन्त्रण तथा योजनाओं के प्रति वित्तीय प्रतिबद्धता में कमी को प्रतिबिम्बित करता है।

कृषि विभाग में ₹ 33.51 करोड़ में से ₹ 17.56 करोड़ (2011–12) की बचत का कारण, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध समय से करने में विफल होना बताया गया।

इस संबंध में संवीक्षा में यह भी उद्घटित हुआ कि निदेशक, कृषि विभाग द्वारा शासन को दर अनुबन्ध के अनुमोदन हेतु एक प्रस्ताव माह सितम्बर 2011 मे प्रेषित किया गया था। शासन ने प्रस्ताव को निदेशक, कृषि विभाग को वापस करते हुए (मार्च 2012) कहा कि उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर पर निर्णय लें। तदोपरान्त, निदेशक, कृषि विभाग द्वारा दर अनुबन्ध करते हुए दरों को दिनांक 19 मार्च 2012 को जनपदों को सूचित किया गया और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 में आबंटन का उपभोग नहीं हो पाया।

शासन ने उत्तर में यह बताया (फरवरी 2013) कि प्रदेश में विधान सभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दिये जाने के कारण दरों के अनुमोदन में विलम्ब हुआ था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि आचार संहिता दिनांक 24 दिसम्बर 2011 से लागू की गई थी जबकि निदेशक, कृषि विभाग द्वारा दरों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव शासन को सितम्बर 2011 में ही प्रेषित कर दिया गया था। इस प्रकार, दरों के अनुमोदन में विलम्ब के कारण वर्ष 2011–12 में ₹ 17.56 करोड़ की बचत हुई।

लघु सिंचाई विभाग में ₹ 91 लाख की बचत में से ₹ 72 लाख समर्पित किया गया था (मार्च 2012) तथा ₹ 19 लाख का उपयोग बोरिंग कार्यों पर कर लिया गया था।

शासन ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर 2012) किया ।

हमने अग्रेतर अवलोकन में पाया कि झाँसी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत 400 लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप वितरित किये जाने हेतु शासन द्वारा ₹ 60 लाख की धनराशि आबंटित की गयी थी। आबंटित राशि को इस उद्देश्य पर व्यय न कर सकने के कारण बाद में (2011–12), मिशन निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के निर्देशानुसार, बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु व्यवर्तित कर दिया गया। शासन ने अपने उत्तर में उक्त तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2013) किया।

2.2.6 कार्यकम क्रियान्वयन

2.2.6.1 लाभार्थियों का चयन

योजनाओं के दिशा–निर्देशों[9] के अनुसार, कृषि विभाग[10] में, अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के वितरण हेतु लाभार्थियों का चयन जिला अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला चयन समिति[11] द्वारा निर्धारित मानदण्डों[12] के आधार पर किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

लाभार्थियों के चयन मे विलम्ब के कारण कृषक अभीष्ट लाभ समय से पाने से वंचित रहे।

- चयन समिति की उक्त बैठकें निर्धारित समय पर आहूत नहीं की गयी थी तथा बैठकों के आयोजन में 116 दिनों तक का विलम्ब **(परिशिष्ट–2.2.3)** था। चयन में विलम्ब होने तथा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के वितरण में विलम्ब के कारण कृषक अभीष्ट लाभ से वंचित रहे।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर में यह बताया (फरवरी 2013) कि विलम्ब प्रक्रियात्मक था। शासन ने यह भी बताया कि लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में किया जाता है। लाभार्थियों की सूची विकास खण्ड, तहसील तथा जनपद स्तर पर संकलित करते हुए जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तथ्य यथावत रहे कि बैठकों के आयोजन में विलम्ब होने के कारण कृषक निर्धारित तिथि से 116 दिन के विलम्ब तक चयनित किये गये थे।

लाभार्थी यद्यपि वर्ष 2008–11 की अवधि में चयनित हो गये थे परन्तु उन्हे हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप माह मार्च 2012 तक भी नही दिया गया था।

- कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार यदि लाभार्थियों का चयन किसी योजना में हुआ हो परन्तु सम्बन्धित वर्ष में उन्हें लाभ न दिया गया हो तो उनको आगामी वर्षो में योजना का लाभ देने हेतु विचार किया जाना था। लेखापरीक्षा में यद्यपि पाया गया कि नमूना जाँच किये गये तीन जनपदों[13] में 194 से 511 लाभार्थी ऐसे थे जिनका चयन वर्ष 2008–11 की अवधि में हुआ था परन्तु उन्हे चयन वर्ष में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप प्रदान नहीं किया गया तथा वे माह मार्च 2012 तक भी योजना के लाभ से वंचित थे। उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग ने चयनित कृषकों की कोई वरीयता सूची नहीं बनाई थी।

शासन ने लेखापरीक्षा बिन्दु पर उत्तर में मात्र यह दोहराया (फरवरी 2013) कि छूटे हुए लाभार्थियों को आगामी वर्षो में सन्तृप्त किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मापदण्डों के अनुसार कृषि विभाग द्वारा चिन्हित गांव, धन की उपलब्धता के बावजूद आच्छादित नही किये गये थे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अर्न्तगत 50 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र वाले गाँवों में बोरिंग किये जाने एवं हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के वितरण हेतु लघु सिंचाई विभाग उत्तरदायी था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उप निदेशक, कृषि विभाग ने वर्ष 2011–12 मे 426 गॉवों की सूची लघु सिंचाई खण्ड, बस्ती को राष्ट्रीय कृषि विकास

[9] पत्र संख्या 729 दिनांक 17.12.2007, 434 दिनांक 07.11.2008, 345 दिनांक 26.09.2009, 403 दिनांक 30.11.2010 तथा 566 दिनांक 19.03.2012 के द्वारा निर्गत किया गया था।

[10] लघु सिंचाई विभाग में लाभार्थियों का चयन, उथली एवं गहरी बोरिंग वाले कृषकों में से, फुटनोट संख्या 12 पर दर्शित मापदण्डों पर, प्रथम आगत प्रथम पावत आधार पर होना था।

[11] उपनिदेशक, कृषि विभाग, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, उप–मण्डलीय कृषि प्रसार अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक कारपोरेशन लिमिटेड के स्थानीय अभियन्ता।

[12] राजस्व अभिलेखों में स्वंय अथवा किसी के साथ संयुक्त रूप से दर्ज नाम वाले कृषि भूमि के स्वामित्व वाले कृषक हों तथा उनके खेतों में डीजल/विद्युत संचालित पम्पिंग सेट के साथ बोरिंग वाले जल स्त्रोत/कुऑ हों।

[13] हमीरपुर, जालौन स्थित उरई एवं झॉसी।

योजना के अन्तर्गत बोरिंग करने एवं हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप वितरित करने हेतु प्रेषित (जनवरी 2011) किया था। यद्यपि उनमे से 344 गाँवों को खण्ड द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 में ₹ 39.83 लाख व्यय करने के उपरान्त भी आच्छादित नही किया गया था।

शासन ने उत्तर मे यह बताया (अक्टूबर 2012) कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र वाले गाँवों को ही आच्छादित करने की बाध्यता नही थी। शासन ने यह भी कहा कि उक्त हेतु इच्छुक लाभार्थियों के अभाव में अन्य गाँवों को भी आच्छादित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश में 50 प्रतिशत से कम सिंचित क्षेत्र वाले गाँवों को ही आच्छादित करना था।

2.2.6.2 क्रय

कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा पाईपों के क्रय हेतु पृथक प्रक्रियाँ अपनायी गयी थी।

कृषि विभाग में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के दिशा–निर्देशानुसार, निदेशक, कृषि विभाग ने फर्मो के साथ, फर्मो के जनपदों में स्थित फुटकर विक्रेता के माध्यम से, चयनित कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति हेतु एक केन्द्रीय दर अनुबन्ध किया था। चयनित कृषकों को यह छूट थी कि वह अपने पसंद के किसी भी अनुबन्धित फर्म से, अनुबन्धित दरों पर, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप क्रय करें।

योजनाओं के दिशा–निर्देशों के विपरीत, कृषक अपनी पसन्द के फर्म से पाईप क्रय करने के अवसर से वंचित रहे।

अभिलेखों की जाँच में यद्यपि प्रकाश में आया कि योजना के दिशा–निर्देशों एवं तत्सम्बन्धी शासनादेशों की अवहेलना करते हुए उप निदेशक, झाँसी एवं रायबरेली, कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में 5368 लाभार्थियों (झाँसीः 4904 लाभार्थियों को ₹ 5.75 करोड़ मूल्य एवं रायबरेलीः 464 लाभार्थियों को ₹ 60 लाख मूल्य) को कुल ₹ 6.35 करोड़ की हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप आपूर्ति हेतु नामित फर्मों को आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये थे। इससे शासनादेश की अवहेलना के साथ–साथ कृषकों को अपनी पसंद के फर्म से पाइप क्रय करने के अवसर से वंचित भी किया गया था।

शासन ने उत्तर में यह बताया (फरवरी 2013) कि कृषकों द्वारा अपने पसन्द की फर्मो से पाईप क्रय करने हेतु जनपदों को अनुबन्धित फर्मो की सूची उपलब्ध करा दी गयी थी। शासन ने उप निदेशक, झाँसी एवं रायबरेली, कृषि विभाग द्वारा शासनादेशों के उल्लंघन किये जाने के बिन्दु पर कोई उत्तर नहीं दिया।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा शासनादेश (शासनादेश संख्या 331, जनवरी 2010) के अनुसार निर्धारित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की क्रय प्रकियाँ का अनुपालन किया गया था। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ने निर्माता फर्मो से हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप[14] (आईएस कोड 14151 की विशिष्टियों अनुसार) क्रय करने हेतु मात्रा अनुबन्ध किया था और फर्मो को निर्देशित किया कि पाईप की आपूर्ति जनपद स्थित खण्डों से किया जाय। खण्डों द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप प्राप्त करके चयनित लाभार्थियों को वितरित करना था ।

[14]हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की विशिष्टी एवं गुणवत्ता आईएस कोड 14151 (लम्बाईः 6 मीटर, व्यासः 90 मिमी एवं 110 मिमी के अनुसार होनी थी)।

हमने पाया कि :

पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये गये हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के क्रय में ₹ 2.90 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

- उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (अगस्त 2009) में उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग इकाईयों को क्रय में 15 प्रतिशत की मूल्य वरीयता दिये जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा निर्गत (अगस्त 2006) सामग्रियों के क्रय हेतु "सामग्रियों के क्रय नीति एवं प्रक्रियाँ" नामक मैनुअल में यह प्रावधानित किया गया था कि क्रयों में किसी भी प्रकार की मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने हेतु निविदा आमन्त्रण सूचना (एनआईटी) में स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ने 31.74 लाख मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के क्रय हेतु निविदा आमन्त्रण सूचना (जनवरी 2010: 28.38 लाख मीटर तथा फरवरी 2011: 3.36 लाख मीटर) में मूल्य वरीयता के किसी प्रावधान का उल्लेख किये बिना प्रकाशित किया था। यद्यपि, निविदा प्रपत्र में यह उल्लिखित किया गया था कि उत्तर प्रदेश के निर्माता इकाईयों को वरीयता (लघु उद्योग इकाईयों को मूल्य वरीयता दिये जाने का उल्लेख किये बिना) दी जायेगी। परन्तु वित्तीय बिड के मूल्यांकन के समय, उत्तर प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को 15 प्रतिशत की मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने की व्यवस्था लागू कर दी गयी। तद्नुसार, मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ने उत्तर प्रदेश की दो फर्मों[15] के साथ प्रस्तावित न्यूनतम दर[16] (राजस्थान की एक फर्म) को संज्ञान में न लेकर अनुबन्ध गठित किया, जिसके कारण 31.74 लाख मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का क्रय ₹ 2.90[17] करोड़ की अतिरिक्त लागत पर किया गया। इस प्रकार, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित किये जाने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार के आदेश (जनवरी 2007) आदि की अवहेलना की गयी।

शासन ने निविदा आमन्त्रण सूचना में अधूरी सूचना दिये जाने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए उत्तर में यह बताया (अक्टूबर 2012) कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता दिये जाने का प्राविधान निविदा प्रपत्रों में कर दिया गया था। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को मूल्य वरीयता दिये जाने का उल्लेख निविदा आमन्त्रण सूचना में नहीं किया गया था अपितु वित्तीय बिड के अंतिमीकरण मूल्यांकन के समय उक्त प्रावधान को सम्मिलित कर लिया गया था। शासन का मन्तव्य मान्य नहीं था क्योंकि इससे अन्य लघु उद्योग इकाईयों को निविदा में सम्मिलित होने से वंचित रखा गया तथा इसके साथ अन्य लघु उद्योग इकाईयों से सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त किये जाने का उद्देश्य भी विफल हुआ।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा दो योजनाओं यथा बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप, विगत 15 माह से अवितरित पड़े थे।

- नमूना जाँच किये गये छः खण्डों में से पाँच खण्डों[18] में अवितरित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप/फिटिंग्स (पाईपः ₹ 1.54 करोड़ मूल्य की 1.44 लाख मीटर एवं फिटिंग्सः ₹ 0.46 करोड़ मूल्य की 4,611 नग फिटिंग्स) जो कि बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी थी, जुलाई 2012 तक लघु सिंचाई खण्डों में अवितरित पडी थीं (**परिशिष्ट–2.2.4**)। पाईप के अवितरित रहने का कारण कृषकों से माँग प्राप्त न होना बताया गया। खण्डों ने यह भी बताया कि उनके द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप हेतु मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को कोई माँग प्रेषित नहीं की गयी थी।

[15] मेसर्स रूंगटा इरिगेशन लिमिटेड एवं मे0 तिरूपति स्ट्रक्चरल लिमिटेड, गाजियाबाद।
[16] प्रथम प्रकरण में क्रय ₹ 120 प्रति मीटर की दर पर किया गया जबकि एल–1 ₹ 110 प्रति मीटर था, दूसरे प्रकरण में क्रय ₹ 113.70 प्रति मीटर पर किया गया जबकि एल–1 ₹ 112.00 प्रति मीटर था।
[17] 28.38 लाख मीटर X ₹ 10.00= ₹ 283.80 लाख तथा 3.36 लाख मीटर X ₹ 1.70= ₹ 5.71 लाख। अतः कुल अतिरिक्त भुगतान ₹ 289.51 लाख (₹ 2.90 करोड़)।
[18] रायबरेली को छोड़कर।

शासन ने अपने उत्तर में यह बताया (अक्टूबर 2012) कि कृषकों ने पाइप लेना प्रारम्भ कर दिया है एवं माह नवम्बर 2012 के अन्त तक इन्हें वितरित कर दिया जाएगा। इसको संज्ञान मे लेते हुए मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग ने यह सूचित किया (फरवरी 2013) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अवितरित पड़ी हुई 1.44 लाख मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप तथा 4,611 नग फिटिंग्स में से 50,100 मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप एवं 885 नग फिटिंग्स (मूल्यः ₹ 0.74 करोड़) अभी भी चार खण्डों मे अवितरित पड़े थे। इस प्रकार, पाइपों का क्रय (नवम्बर 2011) आवश्यकता का आंकलन किये बिना किया गया था जिसके कारण निधि (₹ 0.74 करोड़) विगत 15 माह से अवरूद्ध थी।

2.2.6.3 वितरण

कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार किसानों को अपना अंश किसी भी अनुबन्धित फर्म के वितरक के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में किया जाना था। किसानों से अंश प्राप्त होने एवं उन्हें हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप वितरित कर देने के पश्चात् वितरक द्वारा धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग को देयक प्रस्तुत करना था। उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग द्वारा देयक की आधी धनराशि का ही भुगतान करना था। शेष राशि की प्रतिपूर्ति उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग द्वारा कृषकों को वितरित पाईप के सन्तोषजनक निष्पादन के सत्यापन कर लिए जाने के पश्चात फुटकर/थोक विक्रेता को किया जाना था।

हमने पाया कि :

हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के वितरण का अनिवार्य सत्यापन नही किया गया था।

- यद्यपि वितरित की गई हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के सन्तोषजनक निष्पादन का शत प्रतिशत सत्यापन किया जाना अनिवार्य था फिर भी छः नमूना जाँच वाले जनपदों के रेन्डमली रूप से चयनित 600 लाभार्थियों, जिनको ₹ 90 लाख मूल्य की 0.61 लाख मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप वितरित की गयी थी, के आवेदन पत्रों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2007–12 में 93 प्रकरणों (16 प्रतिशत) में भुगतान बिना आवश्यक सत्यापन के किया गया था।

शासन ने उत्तर में यह बताया (फरवरी 2013) कि वितरित पाईप के सत्यापन के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही कृषि विभाग द्वारा भुगतान किया जाता है, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा कृषि विभाग से एकत्र किये गये सत्यापन आख्याओं से प्रकाश में आया कि सभी 93 प्रकरणों में सत्यापन आख्यायें खाली थी तथा सक्षम अधिकारियों द्वारा उन पर केवल हस्ताक्षर किये गये थे।

- नमूना जाँच वाले छः जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाईप के अधिक वितरण, अपात्र कृषकों को पाईप का वितरण तथा एक ही किसान को दो बार पाईप के वितरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिन्हें आगे विवेचित किया गया है:

कृषकों को उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरित किया गया था।

अधिक वितरण – लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, 10 हेक्टेयर भूमि रखने वाले प्रत्येक चयनित कृषक को 180 मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप दिया जाना था। यद्यपि, उपरोक्त वर्णित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मे दी गयी व्यवस्थाओं के अनुपालन हेतु तैयार किए गये दिशा–निर्देश में 10 हेक्टेयर से कम, विभिन्न क्षेत्रफल वाले भूमि धारकों को दी जाने वाली पाइप की मात्रा के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया

था। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के तीन नमूना जाँच जिलों[19] के 10,904 कृषकों में से रेन्डमली रूप से चयनित 300 (प्रत्येक जनपद में 100 कृषक) कृषकों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 72 कृषकों (24 प्रतिशत) को आवश्यक 2,439 मीटर पाईप से अधिक पाईप का वितरण (12,960 मीटर) किया गया था। अतः इस प्रकार, ₹ 13.17 लाख मूल्य की 10,521 मीटर (81 प्रतिशत) अधिक हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप का वितरण किया गया था **(परिशिष्ट–2.2.5)**।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए यह बताया (अक्टूबर 2012) कि लाभार्थी जिन्हें 180 मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप वितरित किया गया था उनके पास गहरी बोरिंग के साथ साथ 12 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्डों के अभिलेख से यह स्पष्ट था कि सम्बन्धित लाभार्थियों की जोत मात्र 0.223 हेक्टेयर से 7.187 हेक्टेयर के मध्य थी परन्तु लघु सिंचाई खण्डों द्वारा, प्रत्येक कृषक की जोत को ध्यान दिये बिना, प्रत्येक कृषक को 180 मीटर पाइप वितरित किया गया था।

अपात्र कृषको को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरित किया गया था।

अपात्र कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का वितरण – लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज योजना के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप उन्हीं कृषकों को वितरित की जानी थी जिनके खेतों में उथली या गहरी बोरिंग थी। मध्यम बोरिंग वाले कृषकों को स्पष्ट रूप से इस योजना से लाभान्वित नही किया जाना था क्योंकि उनके खेतों मे बोरिंग एवं जल संवाहक नाली निर्माण हेतु, मध्यम गहरी योजना के अन्तर्गत पहले ही ₹ 85,000 का अनुदान (क्रमशः ₹ 75,000 एवं ₹ 10,000) दिया जा चुका था। अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नमूना जाँच वाले दो[20]जनपदों (हमीरपुर एवं जालौन स्थित उरई) रेन्डमली रूप से चयनित 200 में 38 ऐसे कृषकों को 6840 मीटर[21] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप (मूल्यः ₹ 8.56 लाख)[22] वितरित किया गया था (2010–12) जिनके पास मध्यम गहरी बोरिंग थी **(परिशिष्ट–2.2.6)**।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2012) कि बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज योजना में मध्यम गहरी बोरिंग के किसी भी लाभार्थी को लाभान्वित नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार नहीं था क्योंकि स्वयं खण्ड के अभिलेखों से प्रकाश में आया कि प्रश्नगत लाभार्थियों को मध्यम गहरी बोरिंग हेतु खण्ड से अनुदान प्राप्त हुआ था तथा इस प्रकार वे हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थे।

दोहरा वितरण – लेखापरीक्षा में एक ही/उसी लाभार्थी को पाइप के दोहरे वितरण के तीन प्रकार के प्रकरण प्रकाश मे आये यथा–(i) लघु सिंचाई विभाग में (ii) कृषि विभाग में एवं (iii) लघु सिचाई विभाग और कृषि विभाग के मध्य।

एक ही कृषक को एक से अधिक विभाग एवं योजना के अंतर्गत हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरित किया गया था।

नमूना जाँच के छः जनपदों के रेन्डमली चयनित 600 प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच से प्रकाश मे आया कि वर्ष 2007–12 के दौरान 29,913 प्रकरणों में से ₹ 37.96 लाख मूल्य के 138 प्रकरण ऐसे थे जिनमें एक ही कृषक को एक से अधिक विभाग एवं एक से अधिक योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया था। विवरण **परिशिष्ट – 2.2.7, 2.2.8 एवं 2.2.9** मे दिये गये हैं। शासन (लघु सिंचाई विभाग) ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लिए गए 50 प्रकरणों में (लघु सिंचाई विभाग में तथा लघु सिंचाई विभाग एवं कृषि विभाग के

[19] हमीरपुर, जालौन स्थित उरई एवं झाँसी।
[20] झाँसी में कोई मध्यम गहरी बोरिंग नहीं हुयी थी।
[21] 38X180=6840 मीटर।
[22] ₹ 125.22 प्रति मीटर की दर से।

मध्य) से 15 प्रकरणों में त्रुटिवश एक ही लाभार्थी का नाम दो बार अभिलेखित हो गया था परन्तु वास्तव मे पाईप एक ही बार दिया गया था तथा चार प्रकरणों में अधिक वितरित पाईप लाभार्थियों से वापस ले लिया गया था। अन्य 31 प्रकरणों मे शासन ने कहा कि वितरण का सत्यापन किया जा रहा है। शासन ने यह भी कहा कि लाभार्थियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया था कि उन्होने किसी अन्य विभाग से पाइप नहीं लिया था यदि सत्यापन में दोहरे वितरण का तथ्य स्थापित होगा तब पाइपों को वापस ले लिया जाएगा तथा सम्बन्धितों के विरूद्ध विभाग से छल करने हेतु कानूनी कार्यवाही की जाएगी। शासन के उत्तर से ही यह स्पष्ट है कि हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप के दोहरे वितरण को रोकने हेतु आवश्यक सावधानी नहीं बरती गई थी। कृषि विभाग में दोहरे वितरण के संदर्भ में शासन ने उत्तर मे यह बताया (फरवरी 2013) कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत किसी भी कृषक को दोबारा पाईप नही दिया गया है। शासन ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर पात्र लाभार्थियों का चयन, सम्बन्धित कृषक से शपथ–पत्र/घोषणा–पत्र लेने के बाद, जनपदीय चयन समिति द्वारा किया जाता है।

इस प्रकार, विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत विभाग में विद्यमान पाइप वितरण पद्धति, पाइपों के अधिक वितरण, अपात्र कृषकों को पाइप के वितरण एवं पाईपों के दोहरे वितरण को रोकने में असफल रही।

2.2.7 गुणवत्ता नियंत्रण

कृषि विभाग में गुणवत्ता परीक्षण करने के तन्त्र का अभाव था तथा लघु सिंचाई विभाग में इसका पालन नहीं किया गया।

कृषि विभाग में लाभार्थियों को वितरित किए जा रहे हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप की गुणवत्ता जाँच हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। योजनाओं के दिशा–निर्देशों में न ही आपूर्ति के पूर्व की एवं न ही आपूर्ति के पश्चात की गुणवत्ता–जाँच की कोई व्यवस्था विद्यमान थी। कृषि विभाग के दिशा–निर्देशों में वितरित पाइपों के गुणवत्ता नियंत्रण के सम्बन्ध में मात्र यह उल्लिखित था कि कृषकों से शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी।

यद्यपि इस प्रकार की शिकायतों को प्राप्त किए जाने एवं उन पर कार्यवाही किए जाने हेतु कोई भी कार्य पद्धति विद्यमान नहीं थी। नमूना जाँच के जनपदों में शिकायतों को दर्ज करने एवं फर्मों द्वारा दोष के प्रति देय गारण्टी को प्राप्त कर लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा माँगे जाने (जून एवं जुलाई 2012) पर भी शिकायतों को दर्ज करने एवं उन पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/पंजिका लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर मे यह बताया (फरवरी 2013) कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पाईपों के बदलाव एवं कुशल निष्पादन की क्रय तिथि से क्रमशः एक एवं पाँच वर्षो की गारण्टी दी जाती है। शासन ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में यद्यपि नगण्य शिकायतें प्राप्त हुई थी फिर भी भविष्य में इस सम्बन्ध में और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

लघु सिंचाई विभाग में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति हेतु अनुबन्धित फर्मो से किये गये अनुबन्धों की शर्तो के अनुसार पाईपों का निरीक्षण एवं परीक्षण, आपूर्ति प्राप्त करने वाले की उपस्थिति में पाईप के प्रेषण के पूर्व सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाना था। गुणवत्ता परीक्षण, आईएस कोड 14151, भाग I एवं II/1999 (अद्यतन संशोधन के साथ) के प्रावधानों के अनुपालन के साथ किया जाना था।

हमारे संज्ञान में आया कि:

लघु सिंचाई विभाग में कृषकों को अनुपयुक्त हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति की गयी थी।

- लघु सिंचाई विभाग में, आईएस कोड 14151, भाग I एवं II/1999 (अद्यतन संशोधन के साथ) हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की गुणवत्ता एवं हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन कपलर हिस्से जो कि प्रथम इंगित भाग को दूसरे भाग से संयोजित करने हेतु है, के सम्बन्ध में बताता है। उपरोक्त कोड, निष्पादन की सुनिश्चितता हेतु किये जाने वाले परीक्षणों के श्रेणी, परीक्षण हेतु पाईपों के लाट के आकार एवं परीक्षण के सही पाये जाने के मापदण्ड एवं पाईप के साथ कपलर भाग को संयोजित करने हेतु तीन प्रकार के संयोजन की श्रेणियों यथा–बट संयोजन, साकेट संयोजन तथा विद्युत संयोजन की व्याख्या करता है। हमने लेखापरीक्षा मे आगे यह भी पाया कि यद्यपि मुख्य अभियंता, लघु सिचाई विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप की विशिष्टियों के निर्धारण हेतु एक तकनीकी कमेटी का गठन किया गया था परन्तु कमेटी द्वारा संयोजन के प्रकार को निर्धारित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में मांगे जाने पर भी लिए गये नमूनों के आकार और परीक्षण सही पाये जाने के मापदण्डों के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। अग्रेतर, अनुबन्धों में इन विशिष्टियों के उल्लेख के अभाव में फर्मो द्वारा (जून एवं जुलाई 2012) ₹ 39.71 करोड़ मूल्य की 'बट संयोजन' के साथ की 31.75 लाख मीटर हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाइप की आपूर्ति (जून 2010 से मई 2011) की गयी थीं। 83 लाभार्थियों[23] मे से 58 ने साक्षात्कार (जून एवं जुलाई 2012) के दौरान यह बताया कि पाइप एवं कपलर के मध्य का संयोजन कमजोर था जिसके कारण दो से आठ पाइप (प्रत्येक लाभार्थी को दिये गए 30 पाइपों में से) टूट गये थे।



जालौन स्थित उरई में संयोजन बिन्दु पर टूटा पाईप (दिनांक 16–06–2012)

इसके (सितम्बर 2011) बाद से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति हेतु गठित अनुबन्धों एवं निर्गत आपूर्ति आदेशों में संयोजन का प्रकार (साकेट संयोजन) स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया। जबकि दोषयुक्त पाईपों के बदलाव के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह बताया (अक्टूबर 2012) कि सभी तीन श्रेणी के संयोजन, आईएस कोड (14151, भाग I एवं II/1999) में अनुमन्य है, अतः संयोजन की श्रेणी अनुबन्ध में यह मानकर उल्लिखित नहीं किया गया था कि किसी भी श्रेणी का संयोजन उपयुक्त रहेगा। पाईपों के जोड़ से टूटने की समस्या क्रियान्वयन के समय प्रकाश में आयी। शासन ने आगे उल्लेख किया कि निर्माताओं द्वारा तीन वर्ष की वारण्टी दी गयी थी जिसके अन्तर्गत टूटी पाइपों को बदला जा सकता था। गुणवत्ता–जाँच के विषय में शासन ने यह बताया कि सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ने आपूर्तिकताओं द्वारा आपूर्तित प्रत्येक पाईप का परीक्षण किया था।

[23] 2010–12 की अवधि में लघु सिंचाई विभाग से पाईप प्राप्तकर्ता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लघु सिंचाई विभाग पाईपों के सम्बन्ध में उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी था। लघु सिंचाई विभाग में निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण करने पर कमियाँ प्रकाश में आना यह इंगित करता है कि कृषि विभाग में भी हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति के समय सघन गुणवत्ता परीक्षण करने की व्यवस्था बनाने एवं उन्हें लागू करने की आवश्यकता थी।

2.2.8 निष्कर्ष

योजनाओं की बहुतायता (छः योजनाएं) और इन योजनाओं का दो विभागों द्वारा क्रियान्वयन किये जाने के दृष्टिगत एक समन्वित नियोजन का तन्त्र होना आवश्यक था। फिर भी, योजना क्रियान्वयन के सभी पहलू यथा–वित्तीय प्रबन्धन, लाभार्थियों के चयन, हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप का क्रय, वितरण एवं गुणवत्ता नियंत्रण मे नियोजन तन्त्र कमजोर था। बचत, समर्पण और व्यावर्तन के दृष्टान्त, शिथिल बजटीय नियंत्रण की ओर इंगित करते थे। कृषकों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के अधिक वितरण एवं दोहरे वितरण के प्रकरण भी प्रकाश में आये। कृषि विभाग में गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव था। लघु सिंचाई विभाग में कथित रूप से लागू, कठोर गुणवत्ता नियन्त्रण व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा था।

2.2.9 अनुशंसायें

- लाभार्थियों का चयन व क्रय पद्धति पारदर्शी, साफ और दिशा–निर्देशों, नियमों एवं निर्देशों के अनुरुप होनी चाहिए; तथा
- गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली कृषि विभाग में लागू होना चाहिए एवं लघु सिंचाई विभाग में विद्यमान प्रणाली का अनुपालन किया जाना चाहिए।

अध्याय 3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

3.1 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण

3.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

3.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

अध्याय 3

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासन के विभागों एवं उनके संरचना घटक के साथ ही साथ स्वायत्त निकायों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा में अनेक प्रकरण, जिनमें संसाधनों के प्रबन्धन में कमियाँ और आर्थिक एवं औचित्य के मापदण्डों के मानकों के पालन में विफलताएँ प्रकाश में आयें। इन समस्त प्रकरणों को उत्तरोत्तर प्रस्तरों में व्यापक उद्देश्यों के शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है ।

3.1 नियमन एवं नियमों का अनुपालन न किया जाना

उचित वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्ययों हेतु वित्तीय नियम, नियमन एवं आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जायें। यह न केवल अनियमितता, दुर्विनियोग और धोखाधड़ी को रोकती है अपितु वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में सहायक है। लेखापरीक्षा के कुछ निष्कर्ष जिनमें नियम, नियमन के अनुपालन में कमियाँ पायी गयी, नीचे दिये जा रहे हैं ।

उच्च शिक्षा विभाग

3.1.1 परिहार्य व्यय

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन न किये जाने के कारण विश्वविद्यालय अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिससे उसके द्वारा वर्ष 1999–2008 के मध्य ₹ 95.80 लाख की धनराशि का परिहार्य व्यय किया गया एवं ₹ 2.31 करोड़ की धनराशि का अभुक्त दायित्व सृजित (नवम्बर 2012) हुआ।

विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1999 में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम[1] के अन्तर्गत की गई थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत[2] पाठ्यक्रम तैयार करने, पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों तथा विशेषज्ञों को चिन्हित करने तथा विद्यार्थियों को वितरित करने हेतु अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने के लिए अध्ययन बोर्ड का गठन किया जाना था।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2011) में यह पाया गया कि वर्ष 2003–13 (जनवरी 2013 तक) के मध्य नियमित पदों पर मुख्य पदाधिकारियों[3] की नियुक्ति के बावजूद भी अध्ययन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004 से जनवरी 2013 तक प्रवक्ताओं व परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी संविदा पर की गयी (जनवरी 2013 तक) थी। कार्यकारणी/शैक्षणिक समिति की बैठकों में भी अध्ययन बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गयी थी। अध्ययन बोर्ड का गठन न होने के कारण विश्वविद्यालय की स्थापना (मई 1999) से अब तक विद्यार्थियों हेतु अध्ययन सामग्रियाँ तैयार नहीं की गई। अपने अध्ययन सामग्रियों के अभाव के कारण विश्वविद्यालय ने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु उसके मुद्रित

[1]उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999
[2]अध्याय V प्रस्तर 5.47(2)(अ)
[3]पाँच निदेशक, दो उपनिदेशक, तीन सह प्राध्यापक व दस सहायक प्राध्यापक।

अध्ययन सामग्रियों के उपयोग हेतु शुरु में तीन वर्ष तक पुनरुत्पादन अधिकार प्राप्त करने के लिए अनुबन्ध किया एवं वर्ष 1999–2001 के मध्य ₹ 13.67 लाख[4] लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया। वर्ष 2001 तक भी अध्ययन सामग्रियाँ तैयार नहीं की गयी थीं जिसके फलस्वरूप पुनः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से अनुबन्ध का नवीनीकरण (मई 2002 एवं अक्टूबर 2005) किया गया तथा वर्ष 2002–08 के मध्य ₹ 82.13 लाख[5] का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2008 में अनुबन्ध की वैधता समाप्त होने के बाद भी अनुबन्ध का नवीनीकरण फरवरी 2013 तक नहीं किया गया था। किन्तु, विश्वविद्यालय द्वारा अनुबन्ध की वैधता अवधि समाप्ति (अक्टूबर 2008) के पश्चात् भी मुद्रित अध्ययन सामग्रियों का उपयोग किया जाता रहा। परिणामस्वरूप, अनुबन्ध की शर्ते भंग होने के साथ ही नवम्बर 2012 तक ₹ 2.31 करोड़ का दायित्व भी सृजित हुआ। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद अध्ययन बोर्ड का गठन करने व अध्ययन सामग्रियाँ तैयार करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999–2008 के मध्य विश्वविद्यालय को ₹ 95.80 लाख[6] का व्यय करना पड़ा।

चर्चा (नवम्बर 2012) में शासन द्वारा यह स्वीकार किया गया कि अध्ययन बोर्ड का गठन नहीं किया गया था तथा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के अध्ययन सामग्रियों का उपयोग अनुबन्ध के नवीनीकरण के बिना किया जा रहा था। कई अनुस्मारक देने के बाद भी शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2013)।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.1.2 ब्याज भुगतान से हानि

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण निर्णय के कारण हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ऋण को वापस किया गया तथा उस पर भुगतानित ब्याज से शासन को ₹ 6.91 करोड़ की हानि हुई।

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) में यह पाया गया कि मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड से फरवरी 2009 में ₹ 24.44 करोड़ का मथुरा जिले के अजीजपुर गाँव में भू–स्वामियों[7] की 110.496 हेक्टेयर भूमि पर आवास एवं पर्यटन विकसित करने हेतु ब्याजयुक्त ऋण[8] प्राप्त किया गया था। इस धनराशि को भू–स्वामियों के प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास जमा भी किया गया। अभिलेखों की जाँच से यह भी संज्ञान में आया कि स्थल चयन समिति[9] ने मई 2005 में 103.596 हेक्टयर भूमि (अनुमानित) का सर्वेक्षण किया था एवं उक्त स्थल पर कोई धार्मिक स्थल, समाधि–क्षेत्र, श्मशान घाट इत्यादि न होने के कारण भूमि को निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु उपयुक्त पाया गया था। फलस्वरुप, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण ने

[4]जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाना है उस पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम शुल्क का पाँच प्रतिशत।
[5]पाठ्यक्रम में अध्ययन सामग्री का प्रयोग किया जाना है उस पाठ्यक्रम हेतु विद्यार्थियों से संग्रहीत पाठ्यक्रम शुल्क का दस प्रतिशत।
[6]जुलाई 1999 से जुलाई 2001: ₹ 13.66 लाख, 2002–2003 से 2006–07–₹ 82.13 लाख।
[7]उद्योगपतियों, विद्यालय को।
[8]ऋण 24 अंशों में प्रतिदेय था (₹1.31 करोड़ के 6 अंश तथा ₹ 92.14 लाख के 18 अंश)।
[9]सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष थे तथा अन्य सदस्य मुख्य अभियंता, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, भूमि अध्याप्ति अधिकारी इत्यादि।

अपनी 56वीं बैठक[10] (अक्टूबर 2005) में भूमि के अधिग्रहण का निर्णय लिया। शासन ने अगस्त 2007 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(1) व 17(4) में उल्लिखित आकस्मिकता अनुच्छेद का उपयोग करते हुए धारा[11] 4 (अगस्त 2007) एवं धारा[12] 6 (अगस्त 2008) के अंतर्गत 110.496 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत करने हेतु अधिसूचना भी जारी की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुच्छेद 17(1)[13] सपठित 17(4)[14] में उल्लिखित है कि आकस्मिकता की स्थिति में सम्बन्धित सरकार यह निर्देशित कर सकती है कि धारा 5(अ)[15] में उल्लिखित प्रावधान नहीं लागू होंगे और यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है तो धारा 4 (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी समय धारा 6 के अंतर्गत इस आशय की घोषणा की जा सकती है।

उपरोक्त घोषणा से अंसतुष्ट होकर भू–स्वामियों ने, इस आधार पर कि उपरोक्त भूमि पर विद्यालय जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद सुविधा उपलब्ध है, एक कार्यशाला, समाधि इत्यादि स्थित है तथा ऐसी कोई भी आकस्मिकता की स्थिति नहीं थी कि भूमि धारा 17 (1) के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिग्रहीत करने हेतु धारा 5(अ) में उल्लिखित प्रावधानों की अनदेखी की जाय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिकाएँ दाखिल[16] (2008–11) की। याचिकाकर्ताओं ने यह भी पक्ष रखा कि अधिसूचना में उल्लिखित सार्वजनिक उद्देश्य यथा–सुनियोजित आवास एवं पर्यटन सुविधा का विकास सार्वजनिक उद्देश्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता तथा उपरोक्त उद्देश्य ऐसे नहीं थे कि धारा 17(1) व 17(4) में उल्लिखित आकस्मिकता प्रावधानों का प्रयोग किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार करते हुए उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त (अगस्त 2011) कर दिया। अतः मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण की धनराशि ₹ 24.44 करोड़ व ब्याज की धनराशि ₹ 6.91 करोड़ हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को (फरवरी 2009 से मार्च 2012 के मध्य) वापस किया गया जिसमें ब्याज का ₹ 1.09 करोड़ की धनराशि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद के सात माह मार्च 2012 तक की है, सम्मिलित थीं ।

इस प्रकार, न केवल स्थल सर्वेक्षण सही नहीं था बल्कि अधिनियम में आकस्मिकता के प्रावधानों का प्रयोग किए जाने का निर्णय भी दोषपूर्ण था जिसके कारण मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को ₹ 24.44 करोड़ के ऋण पर ₹ 6.91 करोड़ का ब्याज वहन करना पडा। पुनः माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के सात माह विलम्ब के उपरान्त हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को धनराशि वापस की गयी।

शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2012) किन्तु, चर्चा में (दिसम्बर 2012) शासन द्वारा यह बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में समस्त विकास प्राधिकरणों एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को सामान्य निर्देश जारी कर दिये जाएंगे।

[10]आयुक्त, आगरा मण्डल की अध्यक्षता में।

[11]भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4, सार्वजनिक उद्देश्यों हेतु भूमि की आवश्यकता व विभिन्न अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकार की आरम्भिक अधिसूचना जारी करने से सम्बन्धित है।

[12]धारा 6 अभीष्ट अधिग्रहण की घोषणा से सम्बन्धित है।

[13] धारा 17(1) में प्राविधानित है कि आकस्मिकता के मामलों में जब भी सम्बन्धित सरकार निर्देशित करेगी, जिलाधिकारी, धारा 9 में प्रकाशित सूचना के 15 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहीत कर सकेगा तथा अधिग्रहीत भूमि समस्त ऋणभार से मुक्त होगी।

[14]धारा 17(4) में प्राविधानित है कि जब भी धारा 17(1) अथवा 17(2) में प्राविधानित आकस्मिकता के प्राविधानों का प्रयोग किया गया हो तो सम्बन्धित सरकार यदि चाहे तो धारा 5(अ) के प्राविधानों का प्रयोग न करने का निर्देश दे सकती है।

[15]धारा 5अ(1) में प्राविधानित है सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भू–स्वामी धारा 4उप–धारा (1) में प्रकाशित अधिसूचना के 30 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

[16]फर्मों एवं व्यक्तियों द्वारा 10 याचिकायें दाखिल की गयी ।

सिंचाई विभाग

3.1.3 पुनरीक्षित परियोजना के स्वीकृत न होने के कारण अलाभकारी व्यय

चौधरी चरण सिंह अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिवर्तित स्थान मेरठ में निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना व्यय–वित समिति द्वारा अनुमोदित न होने के कारण इसके निर्माण इत्यादि पर किया गया ₹ 11.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा ।

बाढ़ से सुरक्षा एवं कार्यरत अभियंताओं को बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रति जागरुक करने की दृष्टि से एक आदर्श अध्यापन के संचालन के लिए चौधरी चरण सिंह बाढ़ प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का फैजाबाद में निर्माण करने हेतु ₹ 11.10 करोड़ की एक परियोजना व्यय–वित्त समिति से अनुमोदित (दिसम्बर 2005) थी। परियोजना के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि मार्च 2010 थी। शासन द्वारा परियोजना का स्थान इन निर्देशों (नवम्बर 2006) के साथ मेरठ जनपद हेतु परिवर्तित (अगस्त 2006) कर दिया गया कि कार्य परियोजना, ड्राइंग एवं मेरठ जनपद हेतु लागू दर–अनुसूची पर आधारित प्राक्कलन की सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के पश्चात प्रारम्भ किया जाय तथा निर्धारित तकनीकी मानकों/दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि निष्पादन से पूर्व व्यय–वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। मेरठ हेतु परियोजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (गंगा) मेरठ द्वारा प्रदान की गई (सितम्बर 2006)।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ की लेखापरीक्षा (फरवरी 2011) में अभिलेखों की जाँच एवं तत्पश्चात सूचनाओं के संग्रहण (मार्च 2012) से यह संज्ञान में आया कि संस्थान के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता–प्रथम, सिंचाई कार्य मण्डल मेरठ तथा उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड, लखनऊ के मध्य संस्थान के निर्माण हेतु ₹ 8.86 करोड़ की लागत का एक समझौता ज्ञापन नवम्बर 2006 में हस्ताक्षरित किया गया था। कार्य का प्रारम्भ फैजाबाद के स्थान पर मेरठ में बिना व्यय–वित्त समिति के अनुमोदन के प्रारम्भ (मार्च 2007) किया गया। उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड द्वारा मार्च 2010 में ₹ 8.86 करोड़ व्यय करने के पश्चात कार्य रोक दिया गया। अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड द्वारा ₹ 4.01 करोड़ की अतिरिक्त माँग की गई (अक्टूबर 2010)। इसके अतिरिक्त, मार्च 2010 तक खण्ड द्वारा ₹ 2.24 करोड़ का व्यय परिसर के विकास, चहारदीवारी एवं अन्य कार्यो पर भी किया गया था। पुनः स्वचालित मौसम केन्द्र एवं बाढ़ कार्यों के आदर्श अध्ययन हेतु इण्टेक चैनल के निर्माण के साथ कार्य का क्षेत्र भी परिवर्तित कर दिया गया एवं ₹ 22.57 करोड़ की एक पुनरीक्षित परियोजना शासन को जून 2009 में प्रस्तुत की गई जो परिवर्तित स्थान हेतु व्यय–वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण स्वीकृत नहीं की गई। पुनः ₹ 35.65 करोड़[17] की एक पुनरीक्षित परियोजना शासन को प्रस्तुत की गई (अक्टूबर 2011) जिसे भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई और कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ (जनवरी 2013) था। इस प्रकार बाढ़ कार्यों के लिये

[17](1)प्रशासनिक भवन, आडिटोरियम, प्रयोगशाला, फील्ड हास्टल, आवासीय भवनों इत्यादि के निर्माण हेतु मूल परियोजना की पुनरीक्षित लागत ₹ 18.19 करोड़।
(2)पक्का दौला, ओवर हैड टैंक, इण्टेक चैनल, चारदीवारी, नलकूप एवं स्वचालित मौसम केन्द्र इत्यादि अतिरिक्त कार्यों हेतु ₹ 10.52 करोड़।
(3)भूमि के समतलीकरण, वृक्षारोपण, भूमि विकास एवं विशेष यंत्र संयत्र के लिये प्रावधानित ₹ 6.94 करोड़।

समुचित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु संस्थान की स्थापना का उद्देश्य इसके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के दो वर्ष पश्चात भी अप्राप्त रहा।

लेखापरीक्षा (फरवरी 2011) में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने यह बताया (फरवरी 2011) कि उत्तर प्रदेश परियोजना निगम लिमिटेड को अवशेष धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण कार्य अपूर्ण था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि कार्य को परिवर्तित स्थल पर बिना व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के ही प्रारम्भ किया गया था जिसके फलस्वरुप पुनरीक्षित परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत नहीं की गई न कि अवशेष धनराशि के अदेय होने के कारण।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि संस्थान का निर्माण, पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति एवं धनाबंटन के अभाव में पूर्ण नहीं हुआ।

3.1.4 अभिलेखों में कूट रचना द्वारा कपटपूर्ण भुगतान

वास्तविक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार के पक्ष में ₹ 3.61 लाख का भुगतान तथा पुनः वास्तविक ठेकेदार को बिना किसी वाउचर के ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V भाग–1 के प्रस्तर 169 के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को शासकीय कार्यो हेतु लेन–देन के सम्बन्ध में व्यय करते समय उसी प्रकार सतर्कता बरतनी चाहिये जिस प्रकार वह स्वंय अपने निजी धन को व्यय करते समय बरतता है। यह सुनिश्चित करना आहरण एवं वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वाउचर नियमों के अनुसार तैयार किये गये है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तरों 157, 447, 448, 450, 451 एवं 731 के द्वारा अभिलेखों–वाउचर, बिल, सम्पादित कार्य ज्ञापन एवं आपूर्तित सामग्री तथा माप पुस्तिका के साथ बिलों, वाउचरों को तैयार करना, माप का अभिलेखन तथा भुगतान की प्रमाणिकता को सुनिश्चित करने हेतु इन अभिलेखों में प्रति प्रविष्टि के बारे में वर्णन दिया गया है। देयक, माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये तथा भुगतान के पश्चात माप पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ जिन पर माप अंकित है, को लाल स्याही से तिर्यक रेखा से काट दिया जाना चाहिये तथा मापन के सारांश पर लाल स्याही से वाउचर की संख्या एवं दिनांक का सन्दर्भ सहित पृष्ठांकन अवश्य करना चाहिये। अभिलेख जिस पर भुगतान किया गया है पर, माप पुस्तिका संख्या एवं पृष्ठ संख्या, जिस पर माप का विवरण अंकित किया गया था, अवश्य अंकित किया जाना चाहिये।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–II, महाराजगंज के अभिलेखों (अगस्त 2010) तथा तत्पश्चात् संग्रहित (मई 2011 तथा अप्रैल 2012) सूचनाओं की जाँच से यह संज्ञान में आया कि खण्ड के सहायक अभियंता–द्वितीय द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में ₹ 3.97 लाख लागत के तीन अनुबंध[18] बी गैप बंध[19] से संबधित कार्यो हेतु मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज के साथ गठित किये गये थे। अधिशासी अभियंता द्वारा उक्त अनुबंधो के सापेक्ष वाउचरों पर मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज के नाम को काटकर एक अन्य फर्म मेसर्स प्रताप निर्माण संस्थान को ₹ 3.61 लाख[20] का भुगतान (मार्च 2010) बैंक ड्राफ्ट के

[18] 143/एई–II/08–09 ₹ 1,39,390 फरवरी 2009; 05/एई–II/09–10 ₹ 1,40,100 मई 2009 तथा 16/एई–II/09–10 ₹ 1,17,750 फरवरी 2009

[19] बी–गैप बंध, जनपद नवलपरासी, नेपाल में स्थित गण्डक बैराज का एक भाग है।

[20] 143/एई–II/08–09 ₹ 1,37,034, 05/एई II/09–10 ₹ 1,37,875 तथा 16/एई–II/09–10 ₹ 86,247

माध्यम से किया गया था। अधिशासी द्वारा पुनः उन्ही अनुबंधो के सापेक्ष मेसर्स नावेद इण्टरप्राइजेज को बिना किसी समर्थित वाउचर के ₹ 3.61 लाख का भुगतान (मई 2010) एक चेक[21] के माध्यम से किया गया तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया (सितम्बर 2010)। इस प्रकार एक ठेकेदार के बिलों पर दूसरे ठेकेदार को ₹ 3.61 लाख का भुगतान और पुनः बिना किसी समर्थित वाउचर के वास्तविक ठेकेदार जिसको कार्य दिया गया था, को ₹ 3.61 लाख के भुगतान के कारण कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (अगस्त 2010) अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया गया (अप्रैल 2012) कि यह दोहरे भुगतान का एक प्रकरण है तथा अधिशासी अभियंता जिसने सितम्बर 2010 में चेक को पुनः नवीनीकृत किया वह कपटपूर्ण आहरण एवं भुगतान के लिये उत्तरदायी था। यह भी बताया गया कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता के विरुद्ध ₹ 0.09 लाख की आयकर कटौती सहित ₹ 3.70 लाख का विविध अग्रिम निर्धारित किया गया था (मई 2010), परन्तु उक्त धनराशि की वसूली हेतु उच्च अधिकारियों के विशिष्ट आदेश उपलब्ध न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अप्रैल 2012)। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वित्तीय नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया था जिसके कारण कपटपूर्ण भुगतान एवं शासकीय धन का दुर्विनियोग हुआ। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी वाउचर में नाम परिवर्तित कर दूसरे ठेकेदार को भुगतान के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। वित्तीय अनियमितता के प्रकरण में उच्चाधिकारियों के वित्तीय प्रबंधन के अभाव का द्योतक था। प्रकरण की विस्तृत जाँचकर दोहरे आहरण एवं भुगतान के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि जाँच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3.1.5 रायल्टी की वसूली न करने से शासन को हानि

ठेकेदारों के बिलों से रायल्टी की वसूली न करने के कारण शासन को ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम 3 एवं 21 के अनुसार शासन द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया (अगस्त 2002) गया कि वह ठेकेदारों को भुगतान के पूर्व सुनिश्चित करे कि ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित स्टोन बैलास्ट, मोरम, मिट्टी और बालू के सापेक्ष रायल्टी का भुगतान भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग को किया गया था और उनके द्वारा इसके समर्थन में प्रपत्र एमएम–11 प्रस्तुत किया गया। जिन प्रकरणों में आपूर्ति बिना रायल्टी के भुगतान के की जाये वहां ठेकेदारो के बिलों से निर्धारित दर से रायल्टी की कटौती एवं उसके कोषागार में जमा करने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी थे। शासनादेश (अगस्त 2002) के अनुसार, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

[21] संख्या 577063 दिनांक 05.05.2010

तीन सिंचाई खण्डों[22] के अभिलेखों की जाँच (जून–जुलाई 2011) में यह विदित हुआ कि अधीक्षण अभियंता उत्तर प्रदेश वाटर रिस्ट्रकचरिंग प्रोजेक्ट, लखनऊ द्वारा रजवाहों एवं अल्पिकाओं की पुर्नस्थापना हेतु, मिट्टी के कार्य के लिए दस अनुबंध[23] गठित किये गये थे। सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं द्वारा 17,31,896.42 घनमीटर **(परिशिष्ट 3.1)** लाई गयी मिट्टी के सापेक्ष ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओ के बिलों से ₹ छः प्रति घन मीटर[24] की दर से रायल्टी की वसूली किये बिना ₹ 17.42 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार शासन को ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से जून 2007 से अक्टूबर 2009 के मध्य रायल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ की हानि हुई।

इसे इंगित (जून–जुलाई 2011) किये जाने पर अधिशासी अभियंताओं द्वारा यह बताया गया (जून–जुलाई 2011) कि रायल्टी की कटौती नहीं की गई क्योंकि अनुबंधों में रायल्टी की कटौती का प्रावधान नही था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योकि उपरोक्त वर्णित नियमों तथा शासनादेश के अनुपालन में अनुबंध गठित करते समय रायल्टी की कटौती का प्रावधान करना अधीक्षण अभियन्ता का उत्तरदायित्व था। अनुबंधो में रायल्टी की कटौती से संबंधित शर्तों को सम्मिलित न करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडो को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि अगस्त 2002 के शासनादेश के उल्लंघन हेतु दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

3.1.6 मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन में कपटपूर्ण भुगतान

मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु प्रयुक्त दर्शाये गये ट्रैक्टर जो वास्तव में प्रयोग नही किये गये थे, के कारण ₹ 23.44 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

वित्तीय नियमों[25] के अनुसार कोई भी बिल माप पुस्तिकाओं में अंकित मापन सम्बन्धी प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये और जब भुगतान किया जाये तो माप के सारांश पर लाल स्याही से भुगतान वाउचर की संख्या एवं तिथि का पृष्ठांकन अवश्य किया जाना चाहिये। पुनः,वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 430(डी) के अनुसार भुगतान उपलब्ध उच्चतम अधिकारी द्वारा या उसकी उपस्थिति में जो भुगतान प्रमाणित करे, करना चाहिये। पुनःश्च, मस्टर रोल की विशुद्धता के लिये सहायक अभियन्ता उत्तरदायी है।

चयनित आदिवासी बाहुल्य/पिछड़े जनपदों के लिये समेकित कार्य योजना के अन्तर्गत 11 बंधियों के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ₹ 4.91 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (जनवरी 2011)की गई। इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति

[22]शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर, शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली तथा सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर ।

[23]13/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,23/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,32/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,33/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 तथा 35/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर हेतु,18/एसई/
यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,22/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08,26/एसई/यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 तथा 34/एसई /यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 शारदा सहायक खण्ड–41 रायबरेली हेतु तथा 7/एसई/ यूपीडब्ल्यूएसआरपी/07–08 सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर हेतु ।

[24]भूतत्व एवं खनिकर्म (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत निर्गत 16.12.2004 से 01.06.2009 तक लागू गजट अधिसूचना के अनुसार।

[25]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 447 तथा 451

अधीक्षण अभियंता, सिचांई कार्य मण्डल, मिर्जापुर द्वारा अप्रैल एवं दिसम्बर 2010 के दौरान प्रदान की गई थी। कार्य हेतु जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र द्वारा ₹ 2.45 करोड़ की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) निर्गत (जनवरी 2011) की गई ।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, राबर्टसगंज के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011) में यह पाया गया कि मजदूरो को मस्टर रोल द्वारा भुगतान करने के लिये सहायक अभियन्ताओं के पक्ष में ₹ 1.85 करोड़ का अस्थाई अग्रदाय लेखा खोला गया (फरवरी और मार्च 2011)। मजदूरों और ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन के लिये ₹ 1.85 करोड़[26] का भुगतान (मार्च 2011) किया गया । मस्टर रोल में ट्रैक्टर की पंजीकरण सख्या एवं चालक/मालिक का नाम अंकित था। मस्टर रोल में उल्लिखित ₹ 1.85 करोड़ की कुल धनराशि में से ₹ 98.37 लाख का भुगतान ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु किया गया था। ईकाई द्वारा लेखापरीक्षा में इस बात की पुष्टि की गई कि मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन में प्रयोग किए गए वाहन ट्रैक्टर थे। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों राबर्टसगंज एवं मिर्जापुर के अभिलेखों से ट्रैक्टरों के प्रदर्शित पंजीकृत संख्या का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि मस्टर रोलों में ट्रैक्टर के रूप में प्रदर्शित 106[27] वाहन, ट्रैक्टर के अतिरिक्त अन्य वाहन यथा मोटर साइकिल, ट्रक, कार इत्यादि थे **(परिशिष्ट 3.2)**। इन 106 वाहनों द्वारा किया गया मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन के लिए ₹ 23.44 लाख का भुगतान दिखाया गया था। इन 106 वाहनों (ट्रैक्टर के अतिरिक्त) के प्रयोग द्वारा मिट्टी की ढुलाई और संघनन का कार्य संभव नही था और इस प्रकार अस्तित्वहीन ट्रैक्टर मालिकों/चालकों को मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु किये गये ₹ 23.44 लाख के भुगतान के कपटपूर्ण हाने से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने यह बताया (मार्च 2012) कि अधिकतर प्रकरणों में ट्रैक्टरों पर पंजीकरण संख्या नही थी एवं मस्टर रोल में अनपढ़ चालकों द्वारा बतायी गयी संख्या अंकित की गई थी। कथन के समर्थन में पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति और ट्रैक्टर के चालकों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र संलग्न किये गये। बिल/वाउचरों जिनके सापेक्ष भुगतान किया गया, में अंकित ट्रैक्टरों की पंजीकरण संख्या की प्रमाणिकता सत्यापित करना अधिकारियों/स्टाफ की जिम्मेदारी थी।

इस प्रकार अस्तित्वहीन ट्रैक्टरों के प्रयोग द्वारा ₹ 23.44 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया था।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि लेखा परीक्षा द्वारा उद्घटित उक्त प्रकरण पर जाँच समिति गठित कर दी गई थी (अक्टूबर 2012) तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

[26]मजदूरों को भुगतान : ₹ 0.87 करोड़ + ट्रैक्टर द्वारा मिट्टी की ढुलाई एवं संघनन हेतु भुगतान : ₹ 0.98 करोड़ = ₹ 1.85 करोड़

[27]मोटर साइकिल–82, ट्रक–08, कार–05, जीप–05, बस–02, आटोरिक्शा–01 तथा अनिर्गत पंजीकृत संख्या–03

3.1.7 रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ प्रदान करने से शासकीय क्षति

रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को अनुचित लाभ दिये जाने से शासन को ₹ 103.94 करोड़ की क्षति हुई। इसके अतिरिक्त, ऊपरी गंगा नहर के लाइनिंग कार्य पर अभी तक अदा न की गई ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी भी सृजित की गई।

शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 1 के अनुसार ''विद्युत नीति 2003'' के अन्तर्गत शासन द्वारा उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने वाले निजी उद्यमियों को परियोजना के लिये कानून व्यवस्था बनाये रखना, सड़क, पुल एवं जल इत्यादि जैसी मूलभूत/बुनियादी सुविधायें प्रदान करना था। शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार जल की वांछित मात्रा निर्धारित स्थल तक पहुचाने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यो की लागत सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन की जानी थी।

अधिशासी अभियंता, बुलन्दशहर खण्ड, गंगा नहर बुलन्दशहर के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2011) में यह विदित हुआ कि विद्युत उत्पादन हेतु रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड ने गाजियाबाद के गाँव देहरा में 8,000 मेगावाट की एक विद्युत परियोजना[28] शासन को प्रस्तावित (सितम्बर 2004) की। शासन ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए (मार्च 2005) वांछित जल की आपूर्ति की स्वीकृति दी तथा जल की आपूर्ति के लिये नियमों और शर्तों को समाहित करते हुए रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड और सिंचाई विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन अनुबन्ध गठित करने हेतु निर्देशित किया। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली की नहरों से रिसाव को रोक कर बचाये गये जल को रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराने तथा नहरों की लाइनिंग हेतु ₹ 103.94 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान (नवम्बर 2005) की गई। तथापि रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड एवं सिंचाई विभाग के मध्य समझौता ज्ञापन अनुबन्ध गठित नही किया गया।

खण्ड द्वारा रिलांयस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के साथ बिना समझौता ज्ञापन अनुबंध गठित किये ही लाईनिंग कार्य वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ किया गया। विद्युत परियोजना के अस्तित्व में न आने के कारण लक्षित 22,93,000 वर्ग मीटर के सापेक्ष 19,30,477 वर्ग मीटर कार्य के पूरा होने पर कार्य रोक (जुलाई 2007) दिया गया। इस समय तक ₹ 112.09 करोड़ के कार्य कराये जा चुके थे और ₹ 103.94 करोड़[29] का व्यय कर ₹ 8.15 करोड़[30] की देनदारी सृजित की जा चुकी थी। परियोजना की लागत पुनरीक्षित की गई और मुख्य अभियंता गंगा, मेरठ द्वारा ₹ 142.78 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (अक्टूबर 2007)। विद्युत परियोजना अस्तित्व में न होने के कारण व्यय–वित्त समिति द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी प्राक्कलन को अनुमोदित नही किया गया (अप्रैल 2009)। शासन द्वारा किये गये व्यय और अदा न की गई देनदारी का सृजन, ''विद्युत नीति 2003'' के उल्लंघन में था जिसके कारण निजी उद्यमी को अनुचित लाभ मिला क्योंकि शासनादेश (फरवरी 2004) के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार उल्लिखित व्यय और देनदारी निजी उद्यमी द्वारा वहन की जानी थी न कि शासन द्वारा।

[28]4000 मेगावाट के दो चरणों में।
[29]बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर ₹ 77.05 करोड़ तथा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर ₹ 26.89 करोड़
[30]बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहरः ₹ 0.29 करोड़ तथा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर ₹ 7.86 करोड़

अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया (दिसम्बर 2011) गया कि शासन द्वारा शासनादेश दिनांक 20 फरवरी 2004 के प्रस्तर 1 की शर्तो पर कार्य स्वीकृत किया गया था। उत्तर सही नही था क्योंकि प्रस्तर–1 निजी उद्यमियों को परियोजना हेतु बुनियादी सुविधायें प्रदान करने के बारे में है जबकि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 3 (अ) के अनुसार विद्युत परियोजना लगाने वाले उद्यमी ही विद्युत उत्पादन हेतु जल की वांछित मात्रा निर्धारित स्थल तक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्य की लागत वहन करेंगे। इस प्रकार, शासन की विद्युत नीति का उल्लंघन कर ₹ 112.09 करोड़ की शासकीय धनराशि व्यय कर रिलायंस ईनर्जी जेनरेशन लिमिटेडको अनुचित लाभ पहुचाने के कारण शासन को ₹ 103.94 करोड़ की हानि के साथ साथ ₹ 8.15 करोड़ की देनदारी सृजित हुई।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) में तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि यद्यपि संचित जल का उपयोग प्रस्तावित विद्युत परियोजना हेतु अभी नही हो पाया है परन्तु नहरो में किये गये लाइनिंग कार्य का लाभ सिंचाई सुविधा में वृद्धि के रूप में जनता को मिल रहा है। उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि इन क्षेत्रों के सिंचित क्षेत्र एवं राजस्व वसूली के आँकड़ों[31] में गिरावट आयी हैं।

3.1.8 वित्तीय नियमों का उल्लंघन

नकद साख सीमा जो ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में वसूली गई धनराशि को कोषागार में प्रेषण हेतु प्राधिकृत थी, का कार्यो, जिनके लिये बजटीय प्रावधान नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण ₹ 1.22 करोड़ की अतिरिक्त देयता सृजित हुई।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल[32] एवं वित्तीय नियमों[33] के अनुसार कोई भी आबंटन केवल उन्हीं मदों हेतु विनियोजित किया जाना चाहिये जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया है। शासनादेश (जून 1998)[34] के अनुसार भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नकद साख सीमा के माध्यम से आबंटित धनराशि का व्यावर्तन वित्तीय अनियमितता है और तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा पुनः किसी कार्य विशेष हेतु ठेकेदारों के बिलों से व्यापार कर, आयकर और रायल्टी के रुप में की गई कटौती को आहरण एवं वितरण अधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध आबंटित साख सीमा (उस कार्य हेतु) से कोषागार में प्राधिकृत लेखाशीर्ष में तत्परता से जमा करने हेतु, प्रतिबंधित किया गया था (अगस्त 2004)।

अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खण्ड–1 (एसएनके–1), बाँसी, सिद्वार्थ नगर, तथा अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2011 तथा दिसम्बर 2011) तथा तत्पश्चात सूचनाओं के संग्रहण (मई 2012) में यह पाया गया कि ठेकेदारों के बिलो से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में

[31]

	2008–09		2009–10		2010–11	
	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	37,855	41,556	36,559	40,407	36,073	39,527
प्राप्त राजस्व (₹)	75,41,160	80,14,393	70,35,558	78,20,964	68,34,010	73,90,904

[32]कमशः प्रस्तर 109 (सी) एवं अध्याय 15, प्रस्तर 174(8)

[33]विहपु खण्ड 6 का प्रस्तर 315

[34]संख्याः ए–2–311/दस–98–24121/98 दिनांक 29 जून 1998

कटौती कर कोषागार में जमा करने हेतु उपलब्ध ₹ 26.92 लाख[35] एवं ₹ 94.92 लाख[36] की नकद साख सीमा को उन कार्यो जिनके लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था। अधिशासी अभियंताओं द्वारा नकद साख सीमा का उपयोग कर आबंटन से अतिरिक्त व्यय किया गया था और जनवरी 2013 तक ₹ 1.22 करोड़[37] कोषागार में प्राधिकृत लेखाशीर्ष मे जमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.22 करोड़ की नकद साख सीमा का उपयोग अनियमित रूप से उन कार्यों का भुगतान करने में किया गया जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं था।

इसे इंगित करने पर (फरवरी 2012) अधिशासी अभियंता, बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती द्वारा यह बताया गया (फरवरी 2012) कि धनराशि का उपयोग बाढ़ के पूर्व कराये गये आवश्यक कार्यो हेतु किया गया था जबकि अधिशासी अभियंता, एसएनके–1, बाँसी, सिद्वार्थ नगर द्वारा यह बताया गया (मई 2012) कि धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो के भण्डार मदों के भुगतान हेतु किया गया था। अधिशासी अभियंताओं द्वारा यह भी बताया गया कि इस धनराशि को कोषागार में जमा करने हेतु बजट की मांग (जनवरी 2012) की गई थी। उत्तर वित्तीय नियमों के उल्लंघन को प्रमाणित करते हैं क्योकिं ठेकेदारों के बिलों से आयकर, व्यापार कर, वैट, रायल्टी और स्टाम्प ड्यूटी के रुप में काटी गई धनराशि का न केवल उन कार्यो, जिनके लिए बजटीय आबंटन नहीं था, के भुगतान हेतु दुरुपयोग किया गया था बल्कि ₹ 1.22 करोड़ की देयता का सृजन भी किया गया जिसके लिये शासन द्वारा जनवरी 2013 तक कोई बजट आबंटित नहीं किया गया था।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ो को स्वीकार करते हुए यह बताया गया कि इस सम्बन्ध मे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.9 वित्तीय नियमों का उल्लंघन

बिना बजट आबंटन के कार्य कराये जाने के कारण दो अन्य परियोजनाओं से ₹ 1.02 करोड़ का व्यावर्तन एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा के कारण ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान।

वित्तीय नियमों[38] के अनुसार कोई भी कार्य तब तक प्रारम्भ नही किया जाना चाहिये जब तक की धनाबंटन न कर दिया जाये। पुनःश्च, वित्तीय नियमों[39] में यह भी प्रावधानित है कि किसी भी निर्विवाद रूप से संदेय धनराशि को अदत्त नही छोडना चाहिये। अपरिहार्य भुगतानों को लम्बित रखना मितव्ययिता नही है तथा निकटतम सम्भव तिथि को सभी वास्तविक देयताओं को चुकाना और भुगतान के अभिलेखन को सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अधीक्षण अभियन्ता, गंडक सिंचाई कार्य मण्डल–2, गोरखपुर (अगस्त 2011) एवं अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, कुशीनगर (मार्च 2012) के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि बोल्डरों की आपूर्ति एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु वर्ष 2000–09 के दौरान ₹ 2.73 करोड़ की लागत के 21 अनुबंध[40] और आठ कार्यादेश[41] एक ठेकेदार[42] के साथ

[35]आयकर ₹ 3.23 लाख + वैट ₹ 1.06 लाख + रायल्टी ₹ 21.98 लाख + स्टाम्प ड्यूटी ₹ 0.65 लाख = ₹ 26.92 लाख।
[36]आयकर ₹ 1.32 लाख + व्यापार कर ₹ 3.95 लाख + रायल्टी ₹ 88.40 लाख + स्टाम्प ड्यूटी ₹ 1.25 लाख = ₹ 94.92 लाख।
[37]₹ 27 लाख (सरयू नहर खण्ड–1, बॉसी, सिद्धार्थ नगर) + ₹ 95 लाख (बाढ़ कार्य खण्ड, बस्ती) = ₹ 1.22करोड़
[38]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 का प्रस्तर 375 (अ)
[39]वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 का प्रस्तर 161
[40]18 अनुबंध : 2000–05 तथा 03 अनुबंध : 2008–09
[41]8 कार्यादेश: 2002–03
[42]श्री हरिमोहन राय।

अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता द्वारा गठित किये गये थे। ठेकेदार ने आपूर्तित एवं निष्पादित कार्य के सापेक्ष ₹ 1.08 करोड़ के देय भुगतान हेतु दिसम्बर 2005 में अनुरोध किया परन्तु खण्ड ने अनुरोध की ओर ध्यान नही दिया। ठेकेदार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका[43] दायर की (नवम्बर 2006)[44] जिस पर न्यायालय ने खण्ड को याचिकाकर्ता के आवेदन पर तीन माह में निर्णय लेने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2006) किया। अधिशासी अभियंता द्वारा दिसम्बर 2006 से जून 2007 के मध्य ₹ 0.50 करोड़ का भुगतान किया गया और दिसम्बर 2007 तक देय ₹ 0.29 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि को सम्मिलित करते हुये ₹ 0.87 करोड़ की बची हुई देयता को स्वीकार करते हुए ठेकेदार के आवेदन का निस्तारण (जनवरी 2008) कर दिया गया। ठेकेदार द्वारा देयता के भुगतान हेतु पुनः माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका[45] दायर (सितम्बर 2008) की गयी। न्यायालय ने ठेकेदार की देयताओ के साथ–साथ 7.5 प्रतिशत की दर से (भुगतान की वास्तविक तिथि तक) ब्याज का भुगतान करने का आदेश (अप्रैल 2010) दिया। विभाग द्वारा, फिर भी, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नही किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर ठेकेदार द्वारा दायर अवमानना याचिका[46] (नवम्बर 2010) पर माननीय उच्च न्यायालय ने, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को नोटिस (जनवरी 2011) जारी किया। इसके पश्चात खण्ड द्वारा ठेकेदार की अद्यतन देयताओं का आंकलन किया गया जो ₹ 1.02 करोड़ आंकलित की गयी और वर्ष 2010–11 में पुर्नस्थापना एवं बाढ सुरक्षा कार्य की दो अन्य परियोजनओ[47] हेतु आबंटित धनराशि से ठेकेदार को संचित देय राशि पर ₹ 59.36 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान (फरवरी 2011) किया गया। इस प्रकार, शिथिल बजटीय नियंत्रण एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना के फलस्वरुप वित्तीय नियमों और अनुबंधित दायित्व का उल्लंधन हुआ, जिसके कारण कार्य, जिसके लिये बजट आबंटन नही था, हेतु ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज सहित ₹ 1.61 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

इसे इंगित किये जाने पर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता द्वारा यह बताया गया (अगस्त 2011 तथा मार्च 2012) कि भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया था। यह भी बताया गया कि पूर्व[48] में भी देयताओं के भुगतान हेतु मांग की गई थी परन्तु धनाबंटन न होने के कारण भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर वित्तीय नियमों की अवहेलना और अनुबंधीय दायित्वों का उल्लंधन कर देयताओं के सृजन को प्रमाणित करता है। इसके कारण न केवल ₹ 59.36 लाख के परिहार्य ब्याज का भुगतान करना पड़ा बल्कि दो अन्य परियोजनाओं पर ₹ 1.61 करोड़ तक की देयता भी सृजित हुई क्योंकि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुये यह बताया गया कि इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्यवाही की जायेगी।

[43]संख्या 60929/2006 दिनांक 06.11.2006
[44]माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2006
[45]संख्या 49599/2008 दिनांक 18.09.2008
[46]संख्या 5377/2010 दिनांक 19.11.2010
[47]छितौनी बांध की पुर्नस्थापना किमी 0.00 से 2.400 तथा किमी 2.400 से 3.750
[48]दिनांक 30.07.2010 तथा 10.08.2010

लोक निर्माण विभाग

3.1.10 शासकीय क्षति

जनपद उन्नाव में संडीला–रसूलाबाद–चकलवंशी मार्ग के दो लगातार भागों पर कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमंत्रण कर अविवेकपूर्ण अनुबंध करने के कारण ₹ 0.95 करोड़ की क्षति हुई।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 316(1), 317, 318 एवं 356 के अनुसार प्रत्येक कार्य के निष्पादन हेतु सर्वप्रथम प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अग्रेतर, शासन ने आदेशित किया (मई 1999) कि निविदा का आमंत्रण सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य की बिल ऑफ क्वान्टिटी तैयार किये जाने एवं अनुमोदन के बाद ही किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–प्रथम, उन्नाव के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009) तथा अग्रेत्तर एकत्रित सूचना (जनवरी 2013) से हमने यह पाया कि जनपद उन्नाव में संडीला–रसूलाबाद–चकलवंशी मार्ग के किमी 31 से 46 एवं किमी 47 से 59 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए निविदाओं का आमंत्रण क्रमशः 01 और 24 मार्च 2008 को किया गया था। शासन ने उक्त कार्य के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय स्वीकृति[49] क्रमशः 27 एवं 13 जून 2008 को प्रदान की। मुख्य अभियंता ने बिल ऑफ क्वान्टिटी सहित आगणनों[50] को 28 जून 2008 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। अग्रेतर, हमने यह पाया कि दोनों कार्यों के लिए एकल निविदायें एक ही ठेकेदार से प्राप्त हुईं तथा किमी 47 से 59 के लिए बिल ऑफ क्वान्टिटी के दरों से 05 प्रतिशत अधिक (₹ 14.88 करोड़) तथा किमी 31 से 46 के लिए बिल ऑफ क्वान्टिटी की दरों से 10.68 प्रतिशत अधिक (₹ 18.92 करोड़) प्राप्त की गयी थीं। दो अनुबंध, कार्य आरम्भ (जुलाई 2008) एवं कार्य पूर्ण (जुलाई 2010) की एक निर्धारित तिथि के साथ बिल ऑफ क्वान्टिटी की दरों से क्रमशः 05 प्रतिशत (₹ 15.63 करोड़) तथा वार्तोपरान्त 10.01 प्रतिशत (₹ 20.82 करोड़) अधिक पर गठित किये गये थे। अग्रेतर, हमने यह पाया कि निविदा आमंत्रण की सूचना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा बिल ऑफ क्वान्टिटी के अन्तिमीकरण किये जाने के तीन माह पहले ही निर्गत की गयी थी। लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2009) के समय पाया गया कि एक ही ठेकेदार के साथ, उसी मार्ग के लिए समान विशिष्टियों सहित समान प्रकृति के कार्यों के लिए विभिन्न दरों को अंगीकृत कर अनुबंधों को गठित किया गया था। दोनों कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के अंदर ही पूर्ण कर लिए गए थे तथा ₹ 22.04 करोड़[51] (जून 2010) एवं ₹ 16.48 करोड़[52] (दिसम्बर 2009) का भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

इस प्रकार, विभाग को समान विशिष्टियों के साथ समान प्रकृति के कार्य को एक ही ठेकेदार के साथ अधिक दर (5.01 प्रतिशत) पर (मार्ग के किमी 31–46 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अनुबन्ध संख्या 18/एसई–उन्नाव वृत्त/2008–09 कार्य की दरों को किमी 47–59 के अनुबन्ध संख्या 16/एसई–उन्नाव वृत्त/2008–09 के कार्य की दरों से तुलना करने पर) स्वीकार करने के कारण एक ही ठेकेदार को भुगतान से ₹ 0.95[53] करोड़ का अधिक व्यय परिणामित हुआ।

[49]किमी 31–46: ₹ 19.17 करोड़ (27.06.2008); एवं किमी 47–59: ₹ 15.04 करोड़ (13.06.2008)
[50]किमी 31 से 46 तथा 47 से 59
[51]बाउचर संख्या 55 दिनॉक 25.06.2010 धनराशि ₹ 22,03,87,593 या ₹ 22.04 करोड़, किमी 31–46 के लिए
[52]बाउचर संख्या 100 दिनॉक 24.12.2009 धनराशि ₹ 16,47,74,868 या ₹ 16.48 करोड़, किमी 47–59 के लिए
[53]₹ 18,92,48,355×5.01 प्रतिशत = ₹ 94.81 लाख अथवा ₹ 0.95 करोड़

इसे लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2009) में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने अवगत कराया (दिसम्बर 2010) कि निविदायें कार्यों को तत्काल कराये जाने की आवश्यकता के दबाव में आमंत्रित की गयी थीं। उत्तर सही नहीं था क्योंकि न तो कार्य ही अत्यावश्यक प्रकृति का था और न ही यह वित्तीय नियमों के अनुरूप था (प्रशासनिक स्वीकृति से तीन माह अग्रिम) तथा निविदा आमन्त्रण सूचना में भी अतिशीघ्रता का उल्लेख नहीं किया गया था।

शासन ने (जनवरी 2013) उत्तर में बताया कि कार्य की स्वीकृति एवं दरों के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया गया था। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रयास किया गया होता तो किमी 31–46 की वार्तोपरान्त दरें किमी 47–59 की तरह समान होती। अतएव सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

अग्रेतर चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए कहा कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

3.1.11 संदिग्ध व्यय एवं अधोमानक कार्य

गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, मथुरा पर प्रयोग हेतु प्राप्त की गयी बिटुमिन के भुगतान की राशि ₹ 1.35 करोड़ के समर्थन में आवश्यक अभिलेख न होने से ₹ 8.32 करोड़ की लागत का संदिग्ध व्यय एवं अधोमानक बिटुमिनस कार्य हुआ।

शासनादेश (मई 2009) के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा सीधे रिफाइनरी से बिटुमिन आपूर्ति लिए जाने का प्रावधान था। ठेकेदार को प्रदान की गयी बिटुमिन के विरुद्ध भुगतान, मूल इनवाइस/आपूर्ति प्राप्ति चालान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर करना था एवं निरस्त तथा क्रास किए जाने के उपरांत बीजक के साथ संलग्न किया जाना था। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश (अक्टूबर 2008) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बिटुमिन आपूर्ति आदेश के विवरण, आपूर्ति अवधि एवं कार्य स्थल की सूचना रिफाइनरी को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था।

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मथुरा के अभिलेखों की जाँच (जनवरी 2011) में यह पाया गया कि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, मथुरा द्वारा मेसर्स पीएनसी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मथुरा के साथ ₹ 45.11 करोड़ की लागत का एक अनुबंध गठित (फरवरी 2009) किया गया था जिसकी कार्य पूर्ण की निर्धारित तिथि फरवरी 2010 थी। बिटुमिन की आपूर्ति ठेकेदार द्वारा तेल रिफाइनरी से प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2011) एवं खण्ड से (सितम्बर 2011) तथा तेल रिफाइनरी[54] (मई एवं जून 2011) से एकत्र की गयी सूचना से यह विदित हुआ कि सन्दर्भित कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए 41 कन्साईनी रिसीट चालान में से 20[55] आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष बिटुमिन इस कार्य हेतु आपूर्ति नहीं किए गए थे। इन 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान में से 13 आपूर्ति प्राप्ति चालान ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 02 अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, मथुरा के स्वयं के प्रयोजन हेतु, एवं 05 आगरा

[54]इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड
[55]इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड से 13 सीआरसी, हिन्दुस्ताल पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से 05 सीआरसी एवं हिन्दुस्तान कोलास लिमिटेड से 02 सीआरसी।

जनपद के कार्यो से सम्बन्धित थे। उक्त आपूर्ति प्राप्ति चालान की प्रतियाँ जिनके विरुद्ध ठेकेदार को भुगतान किए गये थे ठेकेदार के आपूर्ति प्राप्ति चालान की मूल प्रति के स्थान पर ट्रान्सपोर्टर या अधिकृत व्यक्ति/निर्धारिती से सम्बन्धित थे। अधिशासी अभियंता द्वारा बिटुमिनस कार्य हेतु ₹ 8.32 करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2012) था जिसमें इन्ही 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष ₹ 1.35 करोड़ का 313.09 एमटी बिटुमिन सम्मिलित था। कार्य में प्रयुक्त होने वाले बिटुमिन की मात्रा 1231.56 एमटी थी जिसमें सम्मिलित 313.09 एमटी बिटुमिन इस कार्य पर निर्गत नहीं की गयी थी। ठेकेदार को भुगतान हेतु समर्थन में संलग्न आपूर्ति प्राप्ति चालान गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, मथुरा से सम्बन्धित नहीं होने से 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान के विरुद्ध ₹ 1.35 करोड़ के बिटुमिन के उपयोग की निश्चितता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में यह बताया गया (जनवरी एवं अगस्त 2011) कि इन्टरनेट के माध्यम से तेल रिफाइनरियों द्वारा बिटुमिन आपूर्ति का सत्यापन किया गया था। अग्रेतर बताया गया कि सभी तीन प्रतियाँ मूल हैं। उत्तर सही नही है क्योंकि जो बिटुमिन आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष प्राप्त की गयी थी वह इस कार्य से सम्बंधित नही थी एवं भुगतान ठेकेदार के मूल आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष नही किया गया था। अग्रेतर, तेल कम्पनियों से एकत्रित सूचना से यह पुष्टि हुई कि 41 आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा 20 आपूर्ति प्राप्ति चालान की बिटुमिन जो इस कार्य पर निर्गत होना दिखाया गया था एवं खण्ड द्वारा बिटुमिनस कार्य हेतु भुगतान किया गया था, इस कार्य से सम्बन्धित नहीं थी। अतः अधिशासी अभियंता द्वारा ₹ 1.35 करोड़ का भुगतान उन आपूर्ति प्राप्ति चालान के सापेक्ष किया गया जो ₹ 8.32 करोड़ के इस बिटुमिनस कार्य के लिए निर्गत नहीं किए गए थे।

शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार (22 जनवरी 2013) किया गया तथा उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 10 दिनों में उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया जो अनुस्मारकों के बावजूद प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

3.1.12 व्ययाधिक्य

वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के आगणन में टिपर पाँच घनमीटर क्षमता की अनियमित उच्च दर प्रावधान के कारण ₹ 1.13 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

लोक निर्माण विभाग में राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मानक डाटा बुक में दिये गये दरों के अनुसार दरें विश्लेषित की जाती है। प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के परिपत्र (सितम्बर 2008) के अनुसार मशीनरी पर पाँच प्रतिशत मूल्य वृद्धि आधार वर्ष 2001–02 को लेते हुए प्रत्येक वर्ष अनुमन्य है। मानक डाटा बुक (2003) के अनुसार, टिपर[56] पाँच घनमीटर क्षमता की आधार वर्ष 2001–02 के लिये निर्धारित दर ₹ 1.74 प्रति टन/किमी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र की लेखापरीक्षा (मई 2011) में यह पाया गया कि शासन द्वारा (जनवरी 2009) वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग, सोनभद्र में 62 किमी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (किमी 37 से 98) हेतु ₹ 265.66 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य

[56]मिटटी की ढुलाई, ग्रेनुलर सब बेस, वेट मिक्स मैकाडम, हाट मिक्स इत्यादि में उपयोग की जाने वाली मशीन।

की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी द्वारा प्रदान (मई 2009) की गयी। अधीक्षण अभियन्ता, मिर्जापुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर द्वारा जनवरी 2009 (तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के 4 महीने पूर्व) में मेसर्स छात्र शक्ति कान्स्ट्रक्शन कंपनी के साथ ₹ 125.15 करोड़ की आगणित लागत के सापेक्ष ₹ 124.84 करोड़ का अनुबंध[57] गठित किया गया था। आगणन में ग्रेनुलर सब बेस तथा वेट मिक्स मैकाडम बिछाने के लिए प्रयुक्त टिपर की स्टैण्डर्ड डाटा बुक के अनुसार दरें ₹ 1.74[58] (प्रति टन/किमी) के स्थान पर ₹ 3.35[59] प्रति टन/किमी प्रावधानित की गयी थी। इस प्रकार ग्रेनुलर सब बेस तथा वेट मिक्स मैकाडम के लिये उपयोग में लाई जाने वाली टिपर की दरों को विभाग द्वारा क्रमशः ₹ 176.22 एवं ₹ 193.84 के स्थान पर ₹ 324.20 एवं ₹ 356.62 प्रति घनमीटर प्रावधानित की गयी थी।

इस प्रकार, टिपर हेतु उपयोग किये जाने के लिए अधिक दरें ग्रेनुलर सब बेस के लिए ₹ 147.98 प्रति घनमीटर तथा वेट मिक्स मैकाडम के लिए ₹ 162.98 प्रति घनमीटर प्रावधानित करने के फलस्वरूप ग्रेनुलर सब बेस की 48,492.384 घनमीटर तथा वेट मिक्स मैकाडम की 25,749.415 घनमीटर की निष्पादित मात्राओं के अनुरुप ₹ 1.13 करोड़ का व्ययाधिक्य तृतीय चालू बीजक (मार्च 2011) के भुगतान तक किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.3** में वर्णित है।

इसको लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया (मई 2011 एवं जून 2012) कि राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार दरें विश्लेषित की गयी थी। आगे यह भी बताया गया (मई 2012) कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र (जनवरी 2006) के अनुसार आगणन स्वीकृत किया गया जिसके अनुसार टिपर की दर ₹ 3.45 प्रति टन/किमी थी, जबकि आगणन में दर को ₹ 3.35 प्रति टन/किमी लिया गया था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय विशिष्टियों एवं विभाग के परिपत्र (सितम्बर 2008) के विरुद्ध ग्रेनुलर सब बेस एवं वेट मिक्स मैकाडम की अंगीकृत विश्लेषित टिपर की दरें मानक डाटा बुक में निर्धारित दर से अधिक थी। प्रमुख अभियन्ता के परिपत्र (जनवरी 2006) में प्रावधानित दर ₹ 3.45 प्रति टन/किमी विभागीय हाट मिक्स प्लांट (20–30 टन) के अतिरिक्त आईटम थे तथा टिपर की उपयोग दरें नहीं थी। टिपर के उपयोग दरों का निर्णय प्रमुख अभियन्ता (सितम्बर 2008) के परिपत्र के अन्तर्गत राज मार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय डाटा बुक के अनुसार निर्धारित की जानी थी।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन द्वारा तथ्यों, आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकार किया गया। शासन द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

[57]अनुबन्ध संख्या 74/एसई/08–09 दिनॉक 24.01.2009

[58]टिपर की दर ₹ 1.74x35% (आधार वर्ष 2001–02 को शामिल करते हुए वृद्धि) = ₹ 2.35

[59]टिपर की दर ₹ 3.35x29% वृद्धि = ₹ 4.32

3.1.13 बिटुमिन के कार्यों पर परिहार्य व्यय

इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा–निर्देश एवं कन्सल्टेन्ट फर्म की संस्तुतियों के उल्लंघन के कारण महंगी विशिष्टियों के उपयोग के परिणामस्वरुप ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 205 के अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन का उपयोग करते समय उसी प्रकार की सतर्कता बरतेगा जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति स्वयं की धनराशि को व्यय करते समय बरतता है। अग्रेतर, फ्लेक्सीबिल पेवमेण्ट संरचना हेतु इण्डियन रोड कांग्रेस 37–2001 में निहित है कि एक मिलियन स्टैण्डर्ड एक्सल संकलित यातायात एवं सीबीआर मूल्य 6 प्रतिशत के लिए 20 एमएम बिटुमिनस प्रीमिक्स कार्पेट का प्रावधान बियरिंग सतह के लिए किया जायेगा।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–चतुर्थ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2011) में पाया गया कि शासन द्वारा लखनऊ–कानपुर मार्ग से हरदोई मार्ग तथा हरदोई मार्ग से सीतापुर मार्ग (दो लेन से छः लेन) सर्विस लेन (किमी 22.47) सहित रिंग रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 297.31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी थी। मुख्य अभियंता, लखनऊ जोन, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ने उपरोक्त निर्माण कार्यों के लिए समान धनराशि की तकनीकी स्वीकृति निर्गत (जून 2008) की। तदनुसार, दो अनुबन्ध[60], प्रथम ₹ 287.95 करोड़ की धनराशि का एक अनुबंध मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा सर्विस लेन के निर्माण के लिए बिल आफ क्वान्टिटी से 15 प्रतिशत अधिक पर निष्पादित किया गया एवं छः लेन मार्ग एवं सर्विस लेन के निर्माण में पेवमेन्ट संरचना तथा क्रस्ट डिजाइन के लिए कन्सलटेन्सी उपलब्ध कराने के लिए एक अन्य अनुबन्ध ₹ 0.43 करोड़ का निष्पादित किया गया (क्रमशः अगस्त 2008 एवं मई 2011)।

अनुबन्धों की जाँच में यह पाया कि इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देशों के प्रावधानों तथा कन्सलटेन्ट फर्म की सर्विस लेन में सर्फेस ड्रेसिंग के लिए ग्रेन्यूलर बेस पर 20 एमएम प्रिमिक्स कार्पेट की संस्तुति के प्रतिकूल सर्विस लेन में 50 एमएम मोटी बिटुमिनस मैकेडम तथा 25 एमएम मोटी सेमी डेन्स बिटुमिनस कन्क्रीट से सर्फेस ड्रेसिंग की गयी थी जिसके कारण सर्विस लेन की आच्छादित 3.298 किमी रेलवे ओवर ब्रिज एवं फ्लाई ओवर भाग की लागत छोड़कर ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया **(परिशिष्ट 3.4 एवं 3.5)।**

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित (नवम्बर 2011) किए जाने पर शासन ने बताया (नवम्बर 2012) कि सर्विस लेन के निर्माण के लिए कन्सलटेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन एक मिलीयन स्टैन्डर्ड एक्सल पर आधारित था, जिसमें कि 165 एमएम ग्रेनुलर सब बेस, 225 एमएम वेट मिक्स मैकाडम तथा 20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट का प्रावधान केवल हल्के वाहनों द्वारा उपभोग किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था, परन्तु यह पाया गया कि सर्विस लेन के अधिकतर भाग का प्रयोग मुख्य मार्ग पर पाँच स्थानों पर रेलवे ओवर ब्रिज तथा फ्लाई ओवर के निर्माण के कारण भारी यातायात के व्यावर्तन के रूप में किया जाना था, इसलिए सर्विस लेन में 50 एमएम बिटुमिनस मैकेडम तथा 25 एमएम सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट के बिटुमिन कार्यों को स्वीकृत

[60]मेसर्स विजय इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के साथ अनुबंध संख्या 14/एसई/2008–09 दिनांक 26.08.2008 एवं मेसर्स एक्मेटेक कन्सलटेन्ट प्रा0 लि0 के साथ अनुबंध संख्या 04/एसई–एलओ/08–09 दिनांक 06.06.2008

एवं निष्पादित किया गया। उत्तर एवं दिये गये औचित्य स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि सर्विस लेन में महंगी बिटुमिन सतह लेपन का निष्पादन इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देश तथा कन्सलटेन्ट फर्म की संस्तुतियों के विपरीत था।

इस प्रकार पाँच स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज तथा फ्लाई ओवर के निर्मित भागों को छोड़कर 19.172 किमी मार्ग में महँगी बिटुमिनस विशिष्टियों का उपयोग करने के कारण ₹ 7.63 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

शासन द्वारा वार्ता में (जनवरी 2013) तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया गया।

3.1.14 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण पर परिहार्य व्यय

अचलगंज–गंगाघाट मार्ग को दो लेन से चार लेन तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण में शासनादेश एवं यातायात गणना के प्राविधानों के उल्लंघन से ₹ 22.18 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2003) कि 10,000 पैसेन्जर कार यूनिट या अधिक के यातायात घनत्व वाले मार्ग दो लेनों (07 मीटर) तक चौड़ीकृत किये जायेंगे। लोक लेखा समिति बैठक (अगस्त 2005) के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख अभियंता के परिपत्र संख्या 7947 एमटी/60एमटी/799 दिनांक 07.11.2005 के द्वारा समुचित यातायात गणना के पालन करने के लिए इण्डिन रोड कांग्रेस–9–1972 के प्रावधानों के अनुसार व्यवस्था/प्रकिया को निर्धारित किया गया था।

अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड–प्रथम, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के अभिलेखों की जाँच (अक्टूबर 2009) से यह विदित हुआ कि अचलगंज–गंगाघाट मार्ग (किमी 9.400 से 15.350) के दो लेन तक चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य ₹ 4.61 करोड़ की लागत से (अगस्त 2007) पूर्ण किया गया था। यद्यपि, उक्त मार्ग के एक लेन से दो लेन उच्चीकरण हेतु किये गये यातायात सर्वेक्षण के अभिलेख लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध नहीं कराया गया था। अग्रेतर मार्ग के पूर्ण होने के दो माह के अन्दर ₹ 20.68 करोड़ का एक आगणन, इस मार्ग[61] (किमी 9.400 से 15.350) के चौड़ीकरण (07 से 14 मीटर) तथा सुदृढ़ीकरण (47 से 57 सेमी क्रस्ट) हेतु जनवरी 2007 में यातायात गणना के आधार पर, शासन को प्रेषित किया गया था। आगणन/प्रस्ताव ₹ 19.93 करोड़ के लिए स्वीकृत (नवम्बर 2007) किया गया था। तत्पश्चात् चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए दो अनुबंध[62] उसी ठेकेदार[63] के साथ निष्पादित (नवम्बर 2007) किए गए जिसने पूर्व में उक्त मार्ग का कार्य अगस्त 2007 में निष्पादित किया था। इन दोनों अनुबंधों के विरुद्ध ₹ 22.18 करोड़ का अंतिम भुगतान किया गया (जुलाई तथा दिसम्बर 2009) था। मुख्य अभियंता ने सितम्बर 2009 में ₹ 22.68 करोड़ की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृत किया था।

यह भी पाया गया कि चार लेन का कार्य उसी यातायात गणना के आधार पर स्वीकृत किया गया था जिसे किमी 10 (चैनेज 9.900 किमी) पर किया जाना (जनवरी 2007) बताया गया था, जहाँ पर तेज एवं धीमी गति वाहन का औसत दैनिक यातायात 3,933 ट्रक सहित 19,788 इकाई था, जबकि दो लेन के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर था, जिस पर तीन ट्रक प्रत्येक मिनट पर वास्तविक रूप में गुजर रही थीं। अधिशासी

[61]मार्ग कानपुर–उन्नाव–लखनऊ मार्ग, राज्य मार्ग–58 के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग–25: कानपुर–लखनऊ को जोड़ता है।
[62]अनुबंध संख्या : 06/एसई/2007–08: रू0 9.10 करोड़ तथा 07/एसई/2007–08: रू0 8.14 करोड़।
[63]मेसर्स अरूण कन्साट्रक्शन, उन्नाव।

अभियंता द्वारा उत्तर में बताया गया कि (मार्च 2013) मार्ग के दो लेन के चौड़ीकरण की यातायात गणना संबंधित अभिलेख खण्ड में उपलब्ध नहीं थे।

इंगित किए जाने पर मुख्य अभियंता ने उत्तर में यह बताया (जनवरी 2011) कि मार्ग का चार लेन में चौड़ीकरण आवश्यकतानुसार, जनता की मांग पर तथा स्थानीय सांसद के प्रस्ताव पर किया गया था। अग्रेतर, अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया (मई 2012) कि यातायात गणना को अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता तथा प्रमुख अभियंता को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी और न ही इसे भेजा गया था। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लोक लेखा समिति की अगस्त 2005 में बैठक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रमुख अभियंता द्वारा जारी परिपत्र (नवम्बर 2005) में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि यातायात गणना को अधिशासी अभियंता द्वारा प्रपत्र–3 में अधीक्षण अभियंता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता, मुख्यालय, निदेशक अन्वेषणालय (शोध संस्थान) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को प्रेषित किये जायें।

इस प्रकार ₹ 22.18 करोड़ की लागत से मार्ग के दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश (दिसम्बर 2003) जिसके अनुसार 10,000 पैसेन्जर कार यूनिट या अधिक के यातायात घनत्व वाली मार्ग को दो लेन (7 मीटर) तक चौड़ीकरण किया जाना था, के विरुद्ध था।

शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया (जनवरी 2013) तथा यातायात गणना के अभिलेखों की पुनः जॉच कर उत्तर देने का आश्वासन दिया जो प्रतीक्षित है (मार्च 2013)।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग

3.1.15 फर्जी बैंक गारण्टी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रायबरेली के अंतर्गत दिए गए सड़क निर्माण कार्य हेतु ₹ 38 लाख की फर्जी बैंक गारण्टी स्वीकार किए जाने से ठेकेदार पर अधिरोपित ₹ 1.75 करोड़ का अर्थदण्ड वसूल नहीं हुआ।

प्रधान मंत्री ग्रामीण संड़क योजना के स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेण्ट के क्लाज 45(i) के अनुसार, नियोक्ता बिना शर्त बैंक गारन्टी के सापेक्ष ठेकेदार को मोबिलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम दे सकता है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग के कार्यालय ज्ञाप (दिसम्बर 2007) में प्रावधान है कि ठेकेदार से बैंक गारण्टी प्राप्त होने के उपरान्त जारीकर्ता बैंक से बिना मुहर बैंक गारन्टी की द्वितीय प्रतिलिपि प्रेषित किए जाने हेतु, तत्काल निवेदन किया जाए जिसे असली बैंक गारन्टी से मिलान कर उसकी सत्यता सिद्ध करायी जा सके। बीजी को स्वतंत्र रूप से संगठन (इस प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता) द्वारा भी सत्यापित कराया जाना चाहिए था।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कार्यक्रम क्रियान्वयन ईकाई-II, रायबरेली की लेखापरीक्षा (सितम्बर 2011) में पाया गया कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीन पैकेजों[64] हेतु, भारत सरकार द्वारा ₹ 7.90 करोड़ की लागत का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था (सितम्बर 2006 एवं फरवरी 2007)। अधीक्षण अभियन्ता,

[64]पैकेज: 5825-कोडाउ से सालाराहा मार्ग, पैकेज:5827-सतनवा से चक सिंगरिया, मुंशीगंज–डाकमऊ सड़क से पूरेजुबारी गिरगिरानपुर तक, बिलहटा से रौसी और पैकेज:5833- टी 08 बिलहटा से रौसी–सभी जिला रायबरेली।

लखनऊ वृत्त, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लखनऊ ने एक ही ठेकेदार से ₹ 7.85 करोड़ की लागत के तीन अनुबंध[65] गठित किए गए जिनकी कार्य पूर्ण तिथियाँ मई–सितम्बर 2008 थीं। ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर अनुबंध निरस्त किए जाने (जुलाई 2008 एवं फरवरी 2009) के पूर्व ₹ 1.04 करोड का व्यय कार्य पर किया जा चुका था। अधीक्षण अभियंता ने ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 1.36 करोड़[66] का अर्थदण्ड अधिरोपित किया (जुलाई, अगस्त 2008 एवं नवम्बर 2009) जो कि फरवरी 2012 में ₹ 2.15 करोड़[67] पुनरीक्षित हो गयी थी। अर्थदण्ड धनराशि के समायोजन के समय ठेकेदार द्वारा (जून 2007) प्रस्तुत ₹ 38 लाख की बैंक गारण्टी, जिसके सापेक्ष मोबिलाइजेशन/मशीनरी अग्रिम प्रदान किया गया था, फर्जी पाई गयी थी (मई 2008)। बैंक द्वारा सूचित किया गया (जून 2008) कि बैंक गारण्टी मात्र ₹ 38,000 की थी तथा यह जुलाई 2007 तक ही वैध थी। इसके अतिरिक्त, शासन ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि ठेकेदार से अधिरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध ₹ 40.26 लाख की राशि वसूल की गयी थी। यदि खण्ड द्वारा बैंक गारण्टी का समय से एवं उचित ढंग से सत्यापन कराया गया होता तो अधिरोपित अर्थदण्ड के विरुद्ध ₹ 38.00 लाख की वसूली भी हो गयी होती। इस प्रकार, ₹ 1.75 करोड़ की अधिरोपित अर्थदण्ड अनुबंधों के निरस्त होने के 46 से 54 महीने की अवधि व्यतीत होने के बाद भी बिना वसूली रह गयी थी (दिसम्बर 2012)।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने बताया (सितम्बर 2011) कि बैंक ने विभाग को दिग्भ्रमित किया एवं ठेकेदार को दिया गया अग्रिम ठेकेदार के बीजकों एवं परफारमेंस सिक्योरिटी से समायोजित किया जा चुका था।

अग्रेतर, शासन ने अवगत कराया (जुलाई 2012) कि (i) अधिशासी अभियंता द्वारा बैंक गारण्टी का सत्यापन (जून 2007) किया गया था (ii) सत्यापन करने वाले अवर अभियन्ता को निलम्बित (जून 2012) किया जा चुका है (iii) ठेकेदार को फेज–6 योजना के मार्च 2009 तक के कार्यों हेतु प्रतिबन्धित कर दिया गया है, तथा (iv) प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से ठेकेदर का पंजीकरण निरस्त करने तथा उसे काली सूची में डालने हेतु अनुरोध किया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज (जुलाई 2012) करा दी गयी तथा जिलाधिकारी, रायबरेली से अर्थदण्ड की अवशेष धनराशि ₹ 1.75 करोड़ की वसूली भू–राजस्व बकाया के रूप में करने का अनुरोध किया गया है। अनुपालन में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा वसूली प्रमाणपत्र निर्गत करते हुए तहसीलदार, लालगंज को भू–राजस्व के रुप में वसूली हेतु निर्देशित (मई 2012) किया गया था।

इस प्रकार, यदि विभाग ने बैंक गारण्टी का सत्यापन समय से एवं उचित ढंग से किया होता तो कम से कम ₹ 38 लाख की वसूली प्रभावी हो सकती थी।

शासन ने चर्चा (दिसम्बर 2012) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए यह कहा कि दोषी अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

[65]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 2.37 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 2.97 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 2.51 करोड़।

[66]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 0.34 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 0.53 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 0.49 करोड़।

[67]अनुबन्ध संख्या.23/एसई दिनांक 16.05.07: ₹ 0.58 करोड़, 34/एसई दिनांक 17.07.07: ₹ 0.83 करोड़ और 38/एसई दिनांक 18.09.07: ₹ 0.74 करोड़।

3.2 औचित्य लेखापरीक्षा और बिना उचित समर्थन के व्ययों के प्रकरण

लोक निधियों से प्राधिकृत होने वाले व्यय औचित्य और लोक व्ययों की दक्षता के सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होते हैं। प्राधिकारी जिसे व्यय के लिए सामर्थ्य किया जा रहा है वह उसका परिपालन उसी प्रकार करे जैसा कि सामान्य विवेक का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के सम्बन्ध में करता है। प्रत्येक स्तर पर वित्तीय आदेशों और मितव्ययिता को लागू किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में अनौचित्य और अतिरिक्त व्यय के प्रकरण प्रकाश में आए हैं।

कृषि विभाग

3.2.1 मानदेय के रूप में वितरित निष्फल व्यय

किसान मित्र योजनान्तर्गत वर्ष 2010–11 की अवधि में 7,448 किसान मित्रों को अनियमित रूप से परिनियोजित कर ₹ 10.90 करोड़ मानदेय के रूप में भुगतानित व्यय निष्फल हुआ।

शासन ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय के शोधों एवं किसानों के मध्य के अंतर को कम करने हेतु, 'किसान मित्र योजना' प्रारम्भ की (1998–99)। योजना के अनुसार, शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत में विभिन्न कार्यो जैसे ग्राम पंचायत के आधारभूत अभिलेख की व्यवस्था करना, मृदा नमूनों को संकलित कर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना, किसानों को कृषि सहायता प्रदान करना, किसानों को मिनी किट्स प्रदान करना एवं कृषक हित समूह की स्थापना करना आदि के नियोजन हेतु तहसील स्तर पर समिति[68] द्वारा एक प्रगतिशील किसान का चयन किया जाना था। उक्त किसान को 'किसान मित्र' पदनाम से परिनियोजित किया जाना था एवं उसे वार्षिक कार्य योजना में विनिर्दिष्ट दर से मानदेय का भुगतान, वर्ष 2003–04 से किया जाना था।

उप निदेशक, कृषि, पीलीभीत के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल 2011) तथा तत्पश्चात संकलित सूचनाओं में पाया गया कि शासन द्वारा वर्ष 2009–10 में किसान मित्रों के मानदेय वितरण हेतु ₹ 67.91 करोड़ की राशि का बजट प्रावधान किया गया। निदेशक, कृषि, लखनऊ ने सितम्बर 2009 में योजना की संशोधित वार्षिक कार्य योजना, शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि, शासन द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया तथा प्रस्तुति के छः माह पश्चात योजना को मार्च 2010 में बन्द कर दिया गया तथा ₹ 67.91 करोड़ का बजट प्रावधान मार्च 2010 में समर्पित कर दिया गया। फिर भी, उप निदेशकों (प्रसार) ने तहसील स्तर की उपरोक्त समिति द्वारा किसान मित्रों के चयन की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, उन किसान मित्रों का परिनियोजन (2009–10) जारी रखा जिनका चयन पूर्ववर्ती वर्षों में किया गया था। किन्तु, योजना को रोक देने तथा संशोधित वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित न होने के कारण, मानदेयों का भुगतान नहीं किया गया। फलस्वरूप, उत्तर प्रदेश किसान मित्र संगठन, लखनऊ[69] द्वारा मानदेयों के संवितरण हेतु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में याचिका दायर की गयी (2009)। माननीय उच्च न्यायालय ने शासन को उन किसान मित्रों को मानदेयों के भुगतान का आदेश दिया (दिसम्बर 2009) जिन्होंने कार्यों का निष्पादन किया था जिसके परिणामस्वरूप शासन ने वर्ष 2010–11 की अवधि में ₹ 58.36 करोड का पुनः बजट प्रावधान किया तथा निदेशक, कृषि को इस निर्देश (जुलाई 2010) के साथ कि वर्ष

[68]अध्यक्षः उप–सम्भागीय कृषि अधिकारी एवं सदस्यःसहायक विकास अधिकारी, किसान सहायक, पौध रक्षा अधिकारी आदि।
[69]ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत किसान मित्रों का एक संघ।

2008–09 के लिए निर्धारित दर से किसान मित्रों को उनके द्वारा निष्पादित कार्यो के सत्यापन के बाद मानदेयों के भुगतान हेतु ₹ 44.32 करोड़ की स्वीकृति दी (जुलाई और अगस्त 2010)। वर्ष 2010–11 में ₹ 44.32 करोड का मानदेय वितरित किया गया। तथापि जाँच से यह संज्ञान में आया कि ₹ 44.32 करोड़ में से ₹ 10.90 करोड़ 25 जनपदों[70] के 7,448 किसान मित्रों को बिना किसी कार्य निष्पादित किये ही वितरित किया गया जिससे यह व्यय निष्फल रहा।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (अप्रैल 2012) कि किसान मित्रों से विभिन्न कार्य लिए गए जैसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु मृदा का संकलन आदि। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 25 जनपदों में 7448 किसान मित्रों को बिना किसी कार्य निष्पादन के ही ₹ 10.90 करोड़ का वितरण किया गया था ।

शासन ने चर्चा के दौरान (दिसम्बर 2012) तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया तथा पुनः कहा कि किसान मित्रों को शासन द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पूर्वानुमान में परिनियोजित किया गया था। यह कार्य भी सही नहीं था क्योंकि शासन द्वारा संशोधित वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के पश्चात ही किसानों को परिनियोजित कर विविध कार्यों को कराया जाना था ।

सिंचाई विभाग

3.2.2 अतिरिक्त जल के निस्तारण की व्यवस्था का प्रावधान न करने के कारण निरर्थक व्यय

किच्छा बैराज से अतिरिक्त जल के निस्तारण की व्यवस्था का प्रावधान न करने के कारण₹ 11.74 करोड़ का निरर्थक व्यय।

किच्छा मुख्य नहर एवं उसकी शाखाओं को जल उपलब्ध कराकर 15,425 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई की दृष्टि से जनपद उद्यम सिंह नगर में किच्छा नदी पर, किच्छा बैराज का निर्माण 1962 में किया गया था। इसका जल ग्रहण क्षेत्र, अधिकतम डिजाईन निस्तारण 39,279 क्यूसेक्स के साथ 289 वर्ग मील है। 1982 में किच्छा बैराज से लगभग 40 किमी ऊपर 1,15,000 क्यूसेक की निस्तारण क्षमता वाले गोला बैराज का निर्माण किया गया था। गोला बैराज द्वारा निस्तारित जल किच्छा नदी के रास्ते किच्छा बैराज तक पहुंचता है।

अधिशासी अभियंता, रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) से पता चला कि सितम्बर 2010 में गोला बैराज (किच्छा बैराज के ऊपर की ओर स्थित) से अतिरिक्त (87,000 क्यूसेक) जल का निस्तारण हुआ था तथा अतिरिक्त जल किच्छा बैराज के गेटों से निस्तारित नही किया जा सका। साथ ही यह भी पाया गया कि किच्छा नदी की धारा बैराज के बायी ओर तीन सौ मीटर तक स्थानान्तरित हो गई, फलस्वरूप बैराज, मार्जिनल बांध एवं नहर क्षतिग्रस्त हो गये। क्षतिग्रस्त किच्छा बैराज की पुर्नस्थापना हेतु ₹ 11.77 करोड़ की एक परियोजना को मुख्य अभियंता (शारदा), लखनऊ द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (सितम्बर 2010)। परियोजना हेतु ₹11.77 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा जनवरी 2011 में प्रदान की गई। पुर्नस्थापना का कार्य ₹ 11.74 करोड़ में पूरा कर लिया गया था (मार्च 2012)।

[70]इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, औरैया, बहराईच, बस्ती, बदायूँ, चित्रकूट, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, जालौन, हमीरपुर कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मैनपुरी, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और सीतापुर।

आगे लेखापरीक्षा में यह उद्घटित हुआ कि बैराज के क्षतिग्रस्त होने की पुनरावृत्ति का कारण अतिरिक्त जल के निस्तारण की कोई व्यवस्था न होना था। जाँच में यह भी पाया गया कि विभाग इस तथ्य से अवगत था कि किच्छा बैराज में गोला बैराज से बार–बार अतिरिक्त जल आ रहा था, जिसके कारण किच्छा बैराज की संरचनायें बार–बार क्षतिग्रस्त हो रही थी। 1993 में भी इसी प्रकार की घटना में बैराज की संरचना क्षतिग्रस्त हुयी थी। विभाग द्वारा फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और बैराज अगस्त 2011 में पुनः क्षतिग्रस्त हुआ जिसके कारण पुनः परिहार्य व्यय होगा। यदि विभाग द्वारा गोला बैराज के अतिरिक्त जल के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था कर दी जाती तो किच्छा बैराज एवं नहर आदि की क्षति को रोका जा सकता था। इस प्रकार, अतिरिक्त जल के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था के अपर्याप्त नियोजन के कारण ₹ 11.74 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा (मार्च 2012)।

शासन द्वारा चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकडों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि किच्छा बैराज को अधिक जल प्रवाह/बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु बैराज की सुरक्षा में वृद्धि हेतु विभाग स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएँ

3.2.3 भूमि की खरीद पर परिहार्य व्यय

शासन के असफल और असंगत निर्णय से गौतम बुद्ध नगर में कारागार भवन के निर्माण हेतु भूमि की खरीद पर ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया ।

राज्य सरकार के स्वामित्व में जनपद गौतम बुद्ध नगर के दनकौर तहसील के नमौली ग्राम में 63 एकड़ भूमि[71] उपलब्ध थी । शासन ने 63 एकड़ भूमि में से 35 एकड़ भूमि पर कारागार भवन बनाने का निर्णय लिया (जून 1997)। इसके लिए ₹ 144.51 करोड़ की निर्माण लागत अनुमानित की गई थी (सितम्बर 2010)। शासन द्वारा भूमि का भारमुक्त अधिग्रहण सुनिश्चित किए बिना ही निर्माण कार्य, दिसम्बर 2012 तक कार्य समाप्ति हेतु, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया (दिसम्बर 2009) तथा इस कार्य के लिए ₹ 125 करोड़ अवमुक्त किया गया[72]।

जिला कारागार, गाजियाबाद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (सितम्बर 2011) कि विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति[73] द्वारा तीन स्थलों के मूल्यांकन (नवम्बर 2002) के बाद, पूर्वोक्त 35 एकड़ भूमि उपयुक्त पायी गई, जिसका मुख्य कारण था कि यह भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व में थी। यद्यपि यह भूमि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे में थी। राज्य सरकार ने इस भूमि को खाली कराने के लिए जिलाधिकारी को कई बार[74] निर्देश दिये थे (2007–09)। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शासकीय भूमि को खाली करने के बजाय राज्य सरकार को 88.98 एकड़ की अन्य भूमि सदर तहसील के लक्सर गाँव में ₹ 107.46 करोड़ में देने हेतु प्रस्तावित किया (अक्टूबर 2009)। शासन ने इस भूमि पर कब्जा लिया (फरवरी 2010) एवं इसके लिए ₹ 107.46 करोड़ का भुगतान किया

[71]जमींदारी उन्मूलन की धारा 154 के अंतर्गत तथा भूमि सुधार अधिनियम –1950
[72]सितम्बर 2010; ₹ 25 करोड़ एवं मार्च 2011;₹ 100 करोड़।
[73]सरकारी आदेश संख्या 2136पी/22–4–95, दिनांक 19 सितम्बर 1995 द्वारा गठित एवं इसमें जिलाधिकारी, उप महानिदेशक (जेल), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक आदि सम्मिलित।
[74]22फरवरी 2008, 18 मार्च 2008, 28 अप्रैल 2008, 18 नवम्बर 2008 आदि।

(अगस्त 2010)। अतः शासन द्वारा स्वयं की भूमि को अनधिकृत कब्जे से खाली कराने में असफल रहने के कारण लक्सर गाँव में ₹ 107.46 करोड़ में भूमि खरीदनी पड़ी।

संवीक्षा में यह भी पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा मार्च 2010 में सूचित किया गया था कि वैकल्पिक भूमि पर भी कारागार भवन[75] का निर्माण अधोलिखित बाधाओं के कारण उचित नहीं था जैसे–भूमि के बीच में गाँव की सड़क थी, भूमि पर जूनियर हाई स्कूल अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था, इत्यादि। इसके पश्चात भी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा इन बाधाओं को हटाए बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया (नवम्बर 2010) तथा ₹ 98.36 करोड़ के व्यय से 68 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया था (सितम्बर 2012), जबकि शेष कार्य प्रगति पर थे।

शासन ने उत्तर में कहा कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से 63 एकड़ भूमि वापस लेने हेतु प्रयास किए गए थे (जून 2012)। शासन ने यह भी कहा (जून 2012) कि स्थल चयन समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था (अक्टूबर 2009) जिसमें अधीक्षक, जिला जेल, गाजियाबाद, एक सदस्य थे। भूमि उपयुक्त पायी गई थी एवं उनके द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया था। तथापि उनके द्वारा बाधाओं को शासन के संज्ञान में नहीं लाया गया था। इस प्रकार, नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। उत्तर सम्प्रेक्षा को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे से अपनी भूमि खाली कराने में शासन असफल था। पुनः ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी दूसरी भूमि के भुगतान को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि की लागत से सम्बद्ध किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त बाद में खरीदी गई भूमि, पूर्णरूप से हस्तांतरित नहीं की गयी थी तथा कार्य का आरम्भ, भूमि के पूर्ण एवं भार मुक्त कब्जे को सुनिश्चित किए बिना ही किया गया था। शासन द्वारा ₹ 107.46 करोड़ के परिहार्य व्यय एवं कारागार के लिए भारमुक्त एवं अविवादित भूमि न उपलब्ध कराने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। प्रमुख सचिव द्वारा चर्चा के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2012)।

अतः शासन द्वारा स्वयं की भूमि को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनधिकृत कब्जे से खाली कराने में असफल रहने से ₹ 107.46 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त शासन ने उसी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अन्य भूमि खरीदी जिसने सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया था ।

[75]सर्किल दीवार, मुख्य दीवार, और सीमा दीवार।

पंचायती राज विभाग

3.2.4 अनुदानों का दुरुपयोग

शासन द्वारा 'कार्य का क्षेत्र' तैयार करने में विफल रहने के कारण, बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात भी पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस नहीं विकसित किये गये। इसके अतिरिक्त ₹ 62.49 करोड़ की निर्दिष्ट धनराशि में से ₹ 62.37 करोड़ का विचलन अन्य योजनाओं पर किया गया ।

बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा (नवम्बर 2004) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं[76] के निधियों को कम्प्यूटरीकृत कर एवं भारत सरकार के पोर्टल से जोड़ कर संबंधित डाटा बेस विकसित किए जाने चाहिये जो सभी के लिए उपलब्ध हो। डाटा बेस इसलिए भी आवश्यक थे क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे 'मनरेगा' आदि का क्रियान्वयन किया जा रहा था।

निदेशक, पंचायती राज, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (फरवरी 2011) कि शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ₹ 62.49 करोड़[77] की धनराशि, उपयोग एवं डाटा बेस तैयार करने की समय सीमा का निर्धारण किए बिना ही, स्वीकृत किया एवं वित्त विभाग से आहरण हेतु अनुमोदन प्राप्त कर उक्त धनराशि को जिला पंचायत, लखनऊ के वैयक्तिक लेखा खाते में जमा किया। पंचायती राज विभाग ने 3 अगस्त 2009 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ एक मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग का गठन किया जो क्रियान्वयन तिथि से दो वर्षो तक मान्य था एवं सेवाएँ असंतोषजनक होने पर परस्पर समाप्त किया जा सकता था। मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को पंचायती राज संस्थाओं तथा विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु परामर्श सेवाओं के लिये ₹ 12.00 लाख की धनराशि प्रदान की जानी थी तथा विभाग को जाँच एवं संस्तुति हेतु 'कार्य का क्षेत्र'[78] उपलब्ध कराना था। मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग जुलाई 2011 तक मान्य था। शासन ने 15 दिसम्बर 2009 को, ₹ 62.49 करोड़ की धनराशि में से ₹ 12 लाख की स्वीकृति दी एवं उस स्वीकृत धनराशि से ₹ तीन लाख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भुगतान किया (मार्च 2010) तथा ₹ नौ लाख बैंक खातें[79] में अवरुद्ध रहे। तथापि शासन ने न तो 'कार्य का क्षेत्र' तैयार किया और न ही मेमोरेंडम आफ अन्डरस्टैंडिंग निरस्त किया। अतः ₹ 62.46 करोड़ की धनराशि सितम्बर 2009 तक अप्रयुक्त[80] पड़ी थी।

निदेशक, पंचायती राज ने, सितम्बर 2009 और दिसम्बर 2009 में, शासन को पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के रख–रखाव पर वैयक्तिक लेखा खाते में जमा ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि के उपयोग हेतु प्रस्ताव दिया। शासन ने 29 दिसम्बर 2009 को वित्त विभाग के अनुमोदन से प्रस्ताव के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को निधि देने का निर्णय लिया एवं तद्नुसार वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन के पश्चात ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि का आबंटन आदेश जारी किया। ₹ 62.37 करोड़ की धनराशि में से

[76]जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और ग्राम पंचायत।
[77]सितम्बर 2006: ₹ 33.64 करोड़ एवं अगस्त 2007: ₹ 28.85 करोड़।
[78]अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के विकास में सहभागी, कम्प्यूटर हॉर्डवेयर आदि का प्रबन्ध।
[79]निदेशक पंचायती राज, लखनऊ के नाम से।
[80]व्यक्तिगत लेजर खाता: ₹ 62.37 करोड़ एवं बैंक: ₹ नौ लाख।

₹ 8.43 करोड़ सात जनपदों[81] को आबंटित की गयी, पंचायती राज संस्थाओं ने इस धनराशि में से ₹ 1.65 करोड़ सड़क निर्माण, सोलर लाइट के संस्थापन एवं खण्ड विकास कार्यालयों तथा पंचायत भवनों आदि की मरम्मत पर व्यय किया।

अतः पंचायती राज संस्थाओं की निधियों से संबंधित डाटा बेस बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के सात वर्ष पश्चात् भी विकसित नहीं किए गए थे। पुनः, ₹ 62.49 करोड़ की निर्धारित धनराशि में से, ₹ 62.37 करोड़ का विचलन कर पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के रख–रखाव पर व्यय किया गया था। सात जनपदों में आबंटित धनराशि को पंचायती राज संस्थाओं ने पेयजल और स्वच्छता योजनाओं पर व्यय न करके सड़क निर्माण, सोलर लाइट आदि पर व्यय किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को ₹ तीन लाख का किया गया भुगतान भी निरर्थक रहा एवं अवशेष ₹ नौ लाख की धनराशि निदेशक, पंचायती राज के बैंक में दिसम्बर 2009 से बिना उपयोग के पड़ी रही। निदेशक, पंचायती राज ने उत्तर में कहा (फरवरी 2011) कि शासन स्तर पर निर्णय लिए जाने के कारण डाटा बेस का विकास नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित धनराशि के उपयोग का प्रस्ताव उनके द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2012), कई अनुस्मारक प्रेषित करने के बाद भी शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013)।

3.3 असावधानी/नियंत्रण की कमी

सरकार की यह बाध्यता है कि वह लोगों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में जीवन शैली, अवस्थापनाओं के विकास और उच्चीकरण, लोक सेवा इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार करे। फिर भी, लेखापरीक्षा के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये जिसमें लोक सम्पत्तियों को बनाने हेतु सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशियों का उपभोग नहीं किया गया था अथवा अवरुद्ध रखा गया था या फिर इसका कारण अलाभकारी अनुत्पादक व्यय, प्रशासनिक नियंत्रण की कमी और असावधानी तथा ठोस निर्णयों का विभिन्न स्तरों पर अभाव रहना था जिनमें से कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं ।

पशुपालन विभाग

3.3.1 विवादित भूमि की खरीद पर अलाभकारी व्यय

जनपद गौतम बुद्ध नगर में पशु पॉलीक्लीनिक हेतु विवादित भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, चार वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

जनपद–गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर में एक पशु पॉलीक्लीनिक को क्षेत्र का परामर्श केन्द्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा निर्माण कार्यों (मुख्य भवन, आवासीय सुविधा आदि) हेतु ₹ 2.59 करोड़ का अनुमोदन किया गया (मार्च 2008)। निर्माण कार्य जुलाई 2012 (संशोधित) तक पूर्ण किये जाने हेतु निर्माण एवं परिकल्प सेवायें, उत्तर प्रदेश जल निगम को प्रदान (फरवरी 2011) किया गया था।

[81] बहराईच, देवरिया, फतेहपुर, गोरखपुर, हरदोई, मिर्जापुर, और सुल्तानपुर।

निदेशक, पशु पालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (निदेशक) के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया (अप्रैल 2012) कि पशु पॉलीक्लीनिक के लिए भूमि उपलब्ध न होते हुए भी शासन द्वारा उपरोक्त धनराशि अनुमोदित की गई (मार्च 2008) तथा उस धनराशि को पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा के वैयक्तिक लेखा खाता में जमा किया गया (मार्च 2008)। अग्रेतर, शासन द्वारा जारी अनुदेशानुसार (जुलाई 2008) ग्रेटर नोयडा ने ₹ 9.56 करोड़[82] की कुल लागत पर पशु पॉलीक्लीनिक की स्थापना हेतु एक हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई (मार्च 2011)। उक्त भूमि का सम्पर्क मार्ग विवादास्पद था। शासन ने तथापि निर्माण स्थल का प्रभावी सत्यापन किए बिना ग्रेटर नोएडा को लागत का भुगतान[83] कर (नवम्बर 2010 से मई 2011) भूमि का अधिग्रहण (जून 2011) किया तथा ग्रेटर नोएडा द्वारा दिये गये इस आश्वासन (जनवरी 2012) पर कि सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था शीघ्र ही कर ली जाएगी, भवन निर्माण कार्य के लिए भूमि उत्तर प्रदेश जल निगम को स्थानांतरित (जून 2011) कर दिया। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ₹ 4.76 करोड़ का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत (मार्च 2011) किया गया जिसमें से ₹ 4.63 करोड[84] शासन द्वारा माह सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया था। तब तक, ₹ 2.59 करोड़ की धनराशि जो शासन द्वारा मार्च 2008 में स्वीकृत की गई थी तथा वैयक्तिक लेखा खाता में रखी रही, को विभागीय प्राप्ति शीर्ष[85] के अंतर्गत शासकीय खाते में जमा (जुलाई 2011) किया गया। शासन द्वारा पुनः अगस्त 2011 में ₹ 3.82 करोड़ (₹ 4.63 करोड़ का पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष) की धनराशि स्वीकृत की गयी एवं उसमें से ₹ 1.91 करोड़ की धनराशि निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम को अवमुक्त की गयी। हालांकि, शासन द्वारा कई अनुस्मारक[86] निर्गत करने के पश्चात् भी ग्रेटर नोएडा द्वारा उक्त भूमि हेतु सम्पर्क मार्ग की व्यवस्था नहीं किये जाने के कारण निर्माण कार्य फरवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं हुआ। अंततः, शासन ने निदेशक, पशुपालन विभाग को ₹ 1.91 करोड़ की धनराशि समर्पित किये जाने का निर्देश (मार्च 2012) दिया जिसे निदेशक ने पुनः प्राप्ति शीर्ष[87] के अंतर्गत जमा (मार्च 2012) कर दिया।

अतः, अविवादित भूमि उपलब्ध कराने में शासकीय विफलता के कारण इसके क्रय पर किया गया ₹ 9.56 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, पशु पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का उद्देश्य चार वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी पूरा नहीं हो पाया। अग्रेतर, वर्ष 2011–12 के लिए शासन के प्राप्ति शीर्ष में ₹ 3.50 करोड़ की धनराशि का जमा होना आधिक्य व्यय तथा करेत्तर राजस्व को दर्शाता है।

शासन का उत्तर अप्राप्त (जनवरी 2013) था। तथापि, चर्चा (फरवरी 2013) के समय शासन द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों का पुष्टि की गयी ।

[82]प्रीमियम : ₹ 7.50 करोड़ (₹ 7500 प्रति वर्ग मी0 की दर से) और पट्टा भाड़ा : ₹ 2.06 करोड़ (प्रीमियम का 27.50 प्रतिशत)।

[83]नवम्बर 2010: ₹ 556 लाख; मार्च 2011: ₹ 225.89 लाख; मई 2011: ₹ 174.36 लाख।

[84]मुख्य भवन : ₹ 243.89 लाख, आवासीय भवन : ₹ 134.63 लाख, वाह्य क्षेत्र के विकास : ₹ 41.26 लाख, विद्युत संयोजन एवं वर्षा जल का संचयन : ₹10.00 लाख तथा मजदूरी उपकर एवं सैंटेज चार्जेज: ₹ 33.84 लाख।

[85]0403 पशुपालन–राजस्व प्राप्तियाँ –800–अन्य प्राप्तियाँ–99–विविध प्राप्तियाँ।

[86]पत्र संख्या 825 दिनांक 22 नवम्बर 2011, पत्र संख्या 1317 दिनांक 08 दिसम्बर 2012, पत्र संख्या 1180 दिनांक 27 जनवरी 2012, पत्र संख्या 1044 दिनांक 18 फरवरी 2012 एवं पत्र संख्या 510 दिनांक 24 फरवरी 2012

[87]0403 पशुपालन–राजस्व प्राप्तियाँ–800–अन्य प्राप्तियाँ–99–विविध प्राप्तियाँ।

सामान्य प्रशासन विभाग

3.3.2 पट्टे किराये पर परिहार्य व्यय

सामान्य प्रशासन तथा राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वय के अभाव के कारण जनवरी 2001 से जनवरी 2013 के मध्य भवन के पट्टे के किराये ₹ 5.19 करोड़ का परिहार्य व्यय।

शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विशिष्ट आगन्तुकों को स्थान सुलभ कराने हेतु नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन स्थित है। साथ ही शासन के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार से समन्वय हेतु एक निजी भवन[88] में (1992 से) मासिक किराये के आधार पर[89] स्थानिक आयुक्त का कार्यालय संचालित था।

कार्यालय स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2010) में यह पाया गया कि आयुक्त द्वारा अपना कार्यालय उत्तर प्रदेश सदन के भवन में स्थानांतरित करने हेतु शासन को एक प्रस्ताव इस आधार पर प्रेषित (दिसम्बर 1998) किया गया कि दूसरे प्रदेशों के स्थानिक आयुक्तों के कार्यालय उनके स्वयं के प्रशासनिक भवनों में संचालित हो रहे थे और इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश सदन में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य वास्तुविद द्वारा यह अवगत (नवम्बर 1998) कराये जाने कि उत्तर प्रदेश सदन के प्रथम तथा चतुर्थ तल पर कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है, के उपरान्त ही उक्त प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्रस्ताव पर कार्यवाही करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने आयुक्त को जून 1999 तक कार्यालय को उत्तर प्रदेश सदन में स्थानांतरित करने का निर्देश (मार्च 1999) दिया। राज्य सम्पत्ति विभाग[90] द्वारा इस हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की (मार्च 1999) गयी थी ।

उपरोक्त निर्देश एवं आदेश के उपरान्त भी आयुक्त द्वारा बिना किसी अभिलिखित कारण के कार्यालय नियत अवधि में (जून 1999 तक) स्थानांतरित नही किया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग से कार्यालय स्थानांतरण की समय सीमा अक्टूबर 1999 तक बढ़ाने का अनुरोध (जुलाई 1999) किया गया। यद्यपि विलम्ब हो गया था तथापि समय सीमा (नवम्बर 1999) जनवरी 2000 तक बढ़ा दी गयी। इस बढ़ायी गयी समय सीमा में भी आयुक्त द्वारा कार्यालय स्थानांतरित नही किया गया तथा राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बिना कोई कारण बताये इसकी स्वीकृति (मार्च 1999) को निरस्त (फरवरी 2000) कर दिया गया। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सदन में स्थान उपलब्ध होते हुए कार्यालय एक निजी किराये के भवन में जनवरी 2013 तक संचालित था, जोकि शासन के अनिर्णय तथा सामान्य प्रशासन व राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वय के अभाव का द्योतक है। शासन द्वारा जनवरी 2001 से जनवरी 2013 तक पट्टा किराये के रूप में ₹ 5.19 करोड़[91] का भुगतान किया गया जिससे अन्यथा बचा जा सकता था।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं ₹ 5.19 करोड़ के व्यय को इस आधार पर उचित ठहराया कि स्थानिक आयुक्त कार्यालय अन्य केन्द्रीय कार्यालयों के समीप स्थित था एवं एक नई अवस्थापना का सृजन आर्थिक

[88] 3,612 वर्ग फिट।

[89] प्रारम्भ में ₹ 27 प्रतिमाह, प्रतिवर्ग फुट प्रत्येक तीन वर्ष के उपरांत 20 प्रतिशत वृद्धि के साथ।

[90] उत्तर प्रदेश सदन सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में है।

[91] जनवरी 2001 से मार्च 2001 : ₹ 6.92 लाख, 2001–2002 : ₹ 27.68 लाख, 2002–03 : ₹ 27.68 लाख, 2003–04 : ₹ 30.68 लाख, 2004–05 : ₹ 28.26 लाख, 2005–06 : ₹ 28.26 लाख, 2006–07 : ₹ 28.26 लाख, 2007–08 : ₹ 28.26 लाख, 2008–09 : ₹ 56.87 लाख, 2009–10 : ₹ 53.14 लाख, अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 : ₹ 44.72 लाख, जनवरी 2011 से जनवरी 2013: ₹ 141.08 लाख।

दृष्टि से उचित नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि कार्यालय का स्थानान्तरण पहले से ही अवस्थित शासकीय भवन में किया जाना था जहाँ व्यय करके कोई नई अवस्थापना नहीं की जानी थी। इसके अतिरिक्त, स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली ने प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सम्बोधित पत्र (अप्रैल 2012) में यह बताया कि सामान्य सुविधाओं एवं पार्किंग पर परिहार्य व्यय किया जा रहा था जो मितव्ययिता की दृष्टि से अनुप्रयुक्त था। यह भी बताया कि अन्य राज्यों की भाँति स्थानिक आयुक्त का कार्यालय गेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था एवं सुझाव दिया कि यह कार्य मितव्ययी रहेगा तथा रख–रखाव व्यय की बचत भी होगी।

अतः शासन के अनिर्णय तथा सामान्य प्रशासन एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के मध्य समन्वयाभाव से स्थानिक आयुक्त का कार्यालय जनवरी 2013 तक एक निजी भवन में संचालित था जिससे ₹ 5.19 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2012), शासन को कई बार[92] संदर्भित करने के बाद भी फरवरी 2013 तक उत्तर प्रतीक्षित है ।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3.3 प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय

जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र के निर्माण पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय पदों की स्वीकृति न होने तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों के अवमुक्त न किये जाने के कारण अलाभकारी रहा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गयी घोषणा (फरवरी 2005) के अनुपालन में शासन ने जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर में 20 शैय्यायुक्त एक नये प्रसूति केन्द्र के निर्माण हेतु ₹ 1.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान (फरवरी 2006) की। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना था। निर्माण कार्य जिसमें मुख्य भवन, आवासीय भवन, चहारदीवारी आदि सम्मिलित थे, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सितम्बर 2009 तक पूर्ण किये जाने हेतु सौंपा गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अम्बेडकर नगर के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2011) में यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अक्टूबर 2006 में कार्य प्रारम्भ किया। कुछ लघु कार्यो को छोड़कर, कार्य पूर्ण (अगस्त 2008) होने पर इसे अगस्त 2009 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को हस्तगत कर दिया गया। निर्माण कार्य पर कुल ₹ 1.21 करोड़ व्यय हुआ तथापि, लघु कार्य जैसे गेट सहित चहारदीवारी, मुख्य नाली, सम्पर्क मार्ग तथा विद्युत संयोजन का कार्य अपूर्ण थे। विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन (अप्रैल 2010) के अनुसार इन कार्यो को पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा पुनः ₹ 20.47 लाख स्वीकृत किया (जुलाई 2010) गया। गेट सहित चहारदीवारी को छोड़कर ये समस्त कार्य भी पूर्ण हो गये। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि भवनों आदि को हस्तगत करने के डेढ़ वर्ष पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, लखनऊ को मेडिकल तथा पैरामेडिकल

[92]पत्र संख्या :अर्द्ध0शसकीय पत्र सं0 रिपोर्ट (सिविल)/639 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित, रिपोर्ट (सिविल)/एआर 2011–12/642 दिनांक 12 दिसम्बर 2012, 279 दिनांक 18 फरवरी 2013 तथा एसएस–IV /डीपी–2011–12/227 दिनांक 25 फरवरी 2013

कर्मचारियों के पद सृजन तथा प्रसूति केन्द्र के संचालन हेतु ₹ 15 लाख[93] वार्षिक के आवर्ती अनुदान तथा ₹ 44.50 लाख[94] एक बार के अनावर्ती अनुदान हेतु भी प्रस्ताव (फरवरी 2011) प्रस्तुत किया। तथापि, प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद फरवरी 2013 तक न तो पद और न ही अनुदान स्वीकृत हुए थे।

इस प्रकार, मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति तथा औषधियों, भोजन, लेखन–सामग्री आदि व्ययों की पूर्ति के लिए आवर्ती अनुदानों तथा आपरेशन थिएटर की स्थापना के लिए अनावर्ती अनुदानों की स्वीकृति में विलम्ब के कारण 20 शैय्यायुक्त प्रसूति केन्द्र, इसके पूर्ण होने तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम से हस्तगत (अगस्त 2009) हो जाने के तीन वर्षो से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद क्रियाशील नहीं हो पाया था पुनः इसके कारण, इस पर किया गया ₹ 1.41 करोड़ का व्यय अलाभकारी था। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच का विस्तार किये जाने का उद्देश्य भी विफल रहा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–अम्बेडकर नगर ने उत्तर में यह बताया (मार्च 2011) कि मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों की प्राप्ति के पश्चात प्रसूति केन्द्र तत्काल क्रियाशील कर दिया जायेगा। इस प्रकार, प्रसूति केन्द्र के सिविल कार्यो के पूर्ण किये जाने को मेडिकल एवं पैरामेडिकल पदों तथा आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदानों की स्वीकृति की प्रक्रियाँ, जो कि प्रसूति केन्द्र को क्रियाशील किये जाने के लिए आवश्यक थी, से सह–सम्बद्ध नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच का विस्तार किये जाने का उद्देश्य पूर्ण नही हो पाया।

प्रकरण शासन को संदर्भित (अप्रैल 2012) किया गया था। कई अनुस्मारक प्रेषित करने बाद भी फरवरी 2013 तक शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

3.3.4 चिकित्सालय भवन के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

जनपद अलीगढ़ के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सालय भवन एवं मेडिकल तथा पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण पर वर्ष 2006–13 (जनवरी 2013) के मध्य किया गया ₹ 5.79 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, शासन द्वारा अलीगढ़ जनपद के अतरौली में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को ₹ 7.55 करोड़ की लागत से अतिरिक्त 70 शैय्या का निर्माण कर, 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण एवं मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के निर्माण का निर्णय (जनवरी 2004)लिया गया। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को मार्च 2009 तक पूरा किए जाने हेतु सौपा (जनवरी 2004)गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ के अभिलेखों की जाँच (मई 2011) में यह पाया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ ने महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

[93]वार्षिक आवर्ती व्यय (अ) औषधि ₹ 10 लाख (ब) खुराक ₹ 1.50 लाख (स) विद्युत एवं जल ₹ 2 लाख (द) लेखन सामग्री एवं कार्यालय व्यय ₹ 1.50 लाख, योग ₹ 15 लाख।

[94]अनावर्ती व्यय (अ) 20 सुसज्जित बिस्तरों ₹ 5 लाख (ब) ऑपरेशन थिएटर और चिकित्सा सर्जिकल उपकरणों ₹ 15 लाख (स) गाइनोलोजिकल उपकरणों ₹ 2.50 लाख (द) लकड़ी का सामान ₹ 2.50 लाख (य) जनरेटर ₹ 3.50 लाख (र) एम्बुलेंस ₹ 0.6 लाख (ल) एक्स–रे और अल्ट्रासाउण्ड मशीन ₹ 10 लाख, योग ₹ 44.50 लाख।

को सूचित किया (दिसम्बर 2003) कि 0.854 एकड़ भूमि[95] अलीगढ़ जनपद के अतरौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र[96] के परिसर में उपलब्ध थी। यद्यपि अतिरिक्त 70 शैय्या के निर्माण हेतु 1.96 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी। इस प्रकार उपलब्ध भूमि अपर्याप्त थी। इसके बावजूद, जनवरी 2004 में शासन ने पूर्वोक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण का निर्णय भूमि की पर्याप्तता सुनिश्चित किए बिना ही लिया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (जुलाई 2006) पर शासन द्वारा सितम्बर 2006 में निर्माण कार्य हेतु ₹ 49.49 लाख संस्वीकृत किये गए, यद्यपि व्यय–वित्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट (जुलाई 2006) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में उपलब्ध भूमि को (क्षेत्रफल के आधार पर) 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय हेतु अपर्याप्त दर्शाया गया था । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने अप्रैल 2007 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। सितम्बर 2007 में शासन द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि ₹ 7.06 करोड़ स्वीकृत किया गया। तथापि उपलब्ध 0.854 एकड़ भूमि पर जनवरी 2013 तक 70 अतिरिक्त शैय्या हेतु मात्र चिकित्सालय भवन निर्माणाधीन था। मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन निर्माण, भूमि की अनुपलब्धता के कारण जनवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। धनराशि का उपयोग न होने के कारण अक्टूबर 2011 में ₹ 1.72 करोड़ शासकीय खाते में वापस[97] किया गया। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें द्वारा प्रस्ताव दिए जाने पर शासन ने अक्टूबर 2012 में ₹ 1.72 करोड़ में से ₹ 1.34 करोड़ पुनः स्वीकृत किए। जनवरी 2013 तक, भवन निर्माण पर ₹ 5.79 करोड़ व्यय हो चुका था एवं ₹ 1.38 करोड. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के पास अवशेष था।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उत्तर में आवासीय भवनों का निर्माण न होने का कारण भूमि की अनुपलब्धता बताया (मई 2011)। उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि भूमि उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना धनराशि अवमुक्त की गयी एवं निर्माण आरम्भ किया गया था।

इस प्रकार, भूमि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना अलीगढ़ जनपद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय के रूप में उच्चीकरण करने के शासकीय निर्णय के कारण 70 अतिरिक्त शैय्यों हेतु चिकित्सालय भवन के निर्माण पर किया गया ₹ 5.79 करोड़ व्यय[98] निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त उसके पूरा होने के नियत माह के चार वर्ष बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ ।

यह प्रकरण शासन को संदर्भित (अप्रैल 2012) किया गया; शासन को कई बार[99] संदर्भित करने के बाद भी उत्तर फरवरी 2013 तक प्रतीक्षित है।

[95]30X10 मीटर और 79 X40 मीटर माप के दो प्लाट। 4046.856 वर्ग मीटर बराबर एक एकड़।

[96]30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय।

[97]डी 8443000 दिनांक 17 अक्टूबर 2011

[98]2006–07 ₹ 1.55 लाख; 2007–08 ₹ 7.45 लाख; 2008–09 ₹ 57.50 लाख; 2009–10 ₹ 132.50 लाख; 2010–11 ₹ 153 लाख; 2011–12 ₹ 170 लाख; एवं 2012–13 ₹ 57 लाख (जनवरी 2013 तक)।

[99]पत्र संख्या :अर्द्ध0शसकीय पत्र संख्या रिपोर्ट (सिविल)/639 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को सम्बोधित, रिपोर्ट (सिविल)/एआर 2011–12/642 दिनांक 12 दिसम्बर 2012, 279 दिनांक 18 फरवरी 2013 तथा एसएस–IV / डीपी–2011–12/227 दिनांक 25 फरवरी 2013

लोक निर्माण विभाग

3.3.5 सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

सेतु एवं संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य पर ₹ 3.36 करोड़ का अलाभकारी व्यय

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–6 के प्रस्तर 375(अ) के अनुसार किसी परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किए जाने के पूर्व समुचित व विस्तृत सर्वेक्षण किया जाना चाहिए एवं अनुमोदित डिजाइन के अनुसार कार्य संपादन किया जाना चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर खीरी की जाँच (दिसम्बर 2010) एवं एकत्रित सूचनाओं (जून 2012) से यह विदित हुआ कि नोवापुर मुड़िया–नकहा पहुँच मार्ग के किमी 6 में चौका नदी पर एक सेतु (लम्बाई 79.40 मीटर), 400 मीटर पहुँच मार्ग, 7.200 किमी अतिरिक्त पहुँच मार्ग के लिए ₹ 3.47 करोड़ (सेतु ₹ 1.47 करोड एवं पहुँच मार्गों: ₹ दो करोड़) की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि–14 के अधीन प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा (अगस्त 2008) पुल निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ को एवं पहुँच मार्गों का कार्य अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड–1, लखीमपुर खीरी को सौंपा गया था। दोनों इकाईयाँ प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थीं। दोनों कार्यदायी इकाईयों के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति द्वारा साइट सर्वे (अगस्त 2008) किया गया जिसमें नदी के बहाव सीधे बहने और मुड़िया नकहा (पगडण्डी) व नोवापुर के मध्य प्रचलित मार्ग के साथ पुल एवं पहुँच मार्ग संरेखण को चयनित किया गया। पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग निर्माण की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी (फरवरी 2009) थी। पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 1.29 करोड़ की लागत का एक अनुबंध[100] गठित किया गया (सितम्बर 2010)।

अग्रेतर, मासिक समीक्षा बैठक के अनुसार, सेतु निर्माण का कार्य सहमत संरेखण के अनुसार नहीं था, जिसके अनुरूप जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ने स्थल निरीक्षण हेतु अधिकारियों[101] की एक समिति गठित (मार्च 2009) की। समिति ने यह पाया कि सेतु का निर्माण चयनित अपस्ट्रीम स्थल एवं संरेखण से 15–20 मीटर दूर किया जा रहा था। जिलाधिकारी ने प्रकरण प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग (मार्च 2009) को सूचित किया एवं सेतु निर्माण कार्य रोकने हेतु अनुरोध किया, किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने जुलाई 2011 तक निर्माण पूर्ण होने तक कार्य जारी रखा। ₹ 1.36 करोड की धनराशि पहुँच मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी थी (जून 2011) एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा जून 2012 तक पुल के निर्माण पर ₹ दो करोड़ की धनराशि व्यय की गयी थी। यद्यपि, नोवापुर की तरफ जुलाई 2010 में पहुँच मार्ग बह जाने एवं नदी के सेतु से दूर हट जाने के कारण सेतु अनुपयोगी ही रहा था। अग्रेत्तर, सितम्बर 2011 में नकहा की तरफ भी नदी द्वारा पहुँच मार्ग को बहा ले जाने के परिणामस्वरूप दोनों तरफ के पहुँच मार्गों के अभाव में सेतु अनुपयोगी हो गया था। इस प्रकार, सेतु व पहुँच मार्गों के संरेखण के मुद्दे का हल न होने पाने के कारण सेतु व पहुँच मार्गों के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि ₹ 3.36 करोड़ अलाभकारी रहा।

[100] 1/एसई/दिनांक 09–06–2009

[101] उपजिलाधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, आवास विकास परिषद, उपपरियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखीमपुर खीरी।

इसको इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में यह बताया गया (दिसम्बर 2010) कि संरेखण के प्रकरण के समाधान हेतु प्रमुख अभियंता (सेतु) द्वारा मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की अध्यक्षता में संरेखण के हल के लिए एक समिति गठित की गयी थी। संरेखण का तथ्य दोनों इकाईयों के संज्ञान में मार्च 2009 से होते हुए भी दोनों इकाईयों ने बिना संरेखण की समस्या सुलझाये कार्यों को कराया जाना जारी रखा जिससे दोनों तरफ पहुँच मार्गों के अभाव में सेतु अनुपयोगी एवं एकल संरचना के रूप में जनवरी 2013 तक खड़ा था। गठित समिति (दिसम्बर 2010) ने भी अपनी रिपोर्ट (फरवरी 2011) में सुझाव दिया कि नदी की धारा को निर्मित सेतु के नीचे लाने के लिए एक गाइड बन्ध का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा उप परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को अचयनित संरेखण पर पुल निर्माण करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।

चर्चा के दौरान (जनवरी 2013) शासन ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया तथा उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 10 दिनों में उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया, जो प्रतीक्षित (मार्च 2013) था।

समाज कल्याण विभाग

3.3.6 छात्रावासों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

शासन द्वारा कार्यवाही न करने अथवा विलम्बित कार्यवाही के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं हेतु असित इण्टर कालेज, इटावा तथा अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में दो छात्रावासों के निर्माण पर किया गया ₹ 1.59 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, लक्षित लाभार्थियों (छात्राओं) को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

शासन ने असित इंटर कालेज, इटावा एवं अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रत्येक में 100 छात्राओं के लिए एक–एक छात्रावास[102] के निर्माण की स्वीकृति दी (लागतः ₹ 1.30 करोड़[103])। इन छात्रावासों को शैक्षणिक सत्र 2006–07 (जुलाई 2006) के प्रारम्भ से संचालित किया जाना था। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को मार्च 2006 तक पूर्ण करने हेतु सौंपा[104] गया था। इन छात्रावासों का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराना था ।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद (जनवरी 2011) एवं इटावा (जनवरी 2010) के अभिलेखों की जाँच एवं तत्पश्चात संकलित सूचनाओं से यह संज्ञान में आया कि सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को अपेक्षित भूमि[105] उपलब्ध कराई गई तथा ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि भी अवमुक्त[106] की गयी। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम द्वारा फरवरी

[102]इटावाः मार्च 2003 एवं इलाहाबादः दिसम्बर 2004।
[103]इटावा : ₹ 65.24 लाख; इलाहाबाद : ₹ 65.24 लाख।
[104]इटावाः मार्च 2003 एवं इलाहाबादः दिसम्बर 2004
[105]इटावाः फरवरी 2005 एवं इलाहाबादः जनवरी 2005
[106]जनवरी 2005 में इटावाः ₹ 65.24 लाख तथा फरवरी 2005 में इलाहाबादः ₹ 65.24 लाख।

2005 में निर्माण कार्य आरम्भ किये गये तथा ₹ 1.30 करोड़ की धनराशि में निर्माण कार्य को पूर्ण[107] करने के पश्चात भवन विभाग को हस्तगत[108] किया गया।

छात्रावास भवन के हस्तान्तरण होने के छः वर्ष पश्चात भी जनपद इटावा में शासन द्वारा अनुमोदन के पश्चात भी न तो स्टाफ की तैनाती हुई और न ही विद्युत संयोजन, साज–सज्जा सामग्री आदि के लिये धनराशि उपलब्ध करायी गयी, जो शासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। इलाहाबाद में, छात्रावास भवन के हस्तान्तरण के तीन वर्ष पश्चात, एक अधीक्षक की तैनाती (सितम्बर 2010) हुई जिनके वेतन एवं भत्तों पर सितम्बर 2010 से जून 2012 की अवधि में ₹ 4.20 लाख की धनराशि संवितरित की गयी थी। विभाग द्वारा ₹ 15 लाख की लागत की साज–सज्जा सामग्री[109] भी आपूर्ति[110] की गयी जो छात्रावास में अप्रयुक्त पड़ी रही। यद्यपि, अन्य अपेक्षित कर्मचारी जैसे चतुर्थ श्रेणी, रसोइया, सफाई कर्मचारी आदि की तैनाती नहीं हुई थी। शासन द्वारा विद्युत संयोजन हेतु शहरी विद्युत वितरण खण्ड, इलाहाबाद को भी ₹ 10.02 लाख का भुगतान किया गया (अगस्त 2011)। किन्तु, विद्युत संयोजन खण्ड द्वारा प्राक्कलन जमा करने व निधियों का प्रावधान करने में विलम्ब के कारण सात माह पश्चात मार्च 2012 में प्राप्त हुआ। छात्रावास को जुलाई 2012 से आंशिक रूप से संचालित किया गया।

अतः भवनों के हस्तान्तरण के उपरान्त, कार्यवाही न किये जाने के कारण असित इण्टर कालेज, इटावा में पाँच शैक्षणिक सत्रों की समाप्ति के पश्चात भी छात्रावास संचालित नहीं हो सका। इलाहाबाद में अभियान्त्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान का छात्रावास आंशिक रूप से ही संचालित (जुलाई 2012) हो सका। अतः ₹ 1.59 करोड़[111] का व्यय अलाभकारी रहा। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध करने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

शासन का उत्तर अप्राप्त था (जनवरी 2013)। यद्यपि, शासन ने चर्चा (फरवरी 2013) के दौरान तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार किया और बताया कि इलाहाबाद में छात्रावास के संचालन में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इटावा के छात्रावास के संदर्भ में, शासन ने विभाग के उप निदेशक को प्रकरण पर व्यक्तिगत जाँच एवं 15 दिन के अंदर उसके संचालन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग

3.3.7 आवासीय इकाईयों के निर्माण पर निष्फल व्यय

लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान की वसूली न किये जाने के कारण जनपद औरैया में 1,092 आवासीय इकाईयों (पूर्ण : 576; अपूर्ण : 516) के निर्माण पर ₹ 22.68 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, औरैया के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह संज्ञान में आया (नवम्बर 2011) कि भारत सरकार ने समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास परियोजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की। उपर्युक्त योजना

[107] इटावा: मार्च 2007 तथा इलाहाबाद: फरवरी 2007।
[108] इटावा: जुलाई 2007 तथा इलाहाबाद: जुलाई 2007।
[109] जनवरी 2011 : 100 कुर्सियाँ; 100 मेजे, 100 वुडेन बेड एवं फरवरी 2012 : 10 डाइनिंग टेबल; 80 डाइनिंग कुर्सियाँ एवं आठ पुस्तकालय आलमारी।
[110] जनवरी एवं फरवरी 2012
[111] ₹ 1.30 करोड़ + ₹ 0.04 करोड़ + ₹ 0.15 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़ = ₹ 1.59 करोड़।

का उद्देश्य राज्य में मलिन बस्ती वासियों को आवास[112] उपलब्ध कराना था। आवासीय इकाईयों की निर्माण लागत का न्यूनतम बारह प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के लिए दस प्रतिशत) परियोजना प्रस्तुत करने से पूर्व लाभार्थियों से वसूल किया जाना था। लाभार्थियों से निर्धारित अंश लिये बिना (₹ 1.08 करोड़[113]) परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, औरैया ने समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास परियोजना, योजना के अन्तर्गत छः नगर पंचायतों[114] में ₹ 27.62[115] करोड़ लागत से 1,092 आवासीय इकाईयों के निर्माण की विस्तृत परियोजना आख्या राज्य नगरीय विकास अभिकरण को मार्च 2008 में प्रस्तुत किया । विस्तृत परियोजना आख्या के प्रस्तुतीकरण के तीन माह पश्चात् राज्य सरकार ने निराश्रित विधवाओं, विकलांगों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को भी 924 आवास (औरैया में) निशुल्क उपलब्ध कराने हेतु मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना प्रारम्भ की। शासन ने दोनों योजनाओं में तारतम्य स्थापित किए बगैर विस्तृत परियोजना आख्या की स्वीकृति (मार्च 2008), परियोजना अधिकारी के इस आश्वासन पर दी कि परियोजनाओं को स्वीकृत किये जाने के बाद लाभार्थियों से अंशदान लिया जायेगा (जनवरी 2009; दो परियोजनायें एवं जून 2009; चार परियोजनायें)। शासन ने निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को आबंटित किया (फरवरी 2009; दो परियोजनायें तथा जुलाई 2009; चार परियोजनायें), जिसे मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था। राज्य नगरीय विकास अभिकरण ने छः नगर पंचायतो हेतु[116] उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को ₹ 23.68[117] करोड़ अवमुक्त किया जिसने विभिन्न नगर पंचायतों में मई से अगस्त 2009 के मध्य कार्य प्रारम्भ किया किन्तु दिसम्बर 2012 तक मात्र 576 आवासीय इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण किया। उपरोक्त 576 आवास दिसम्बर 2012 तक रिक्त पड़े थे क्योंकि राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत निःशुल्क आवास प्राप्त होने की प्रत्याशा में लाभार्थी अपना अंशदान जमा करने के इच्छुक नहीं थे[118]। शेष 516 इकाईयाँ अभी भी अपूर्ण थीं। इन 1092 आवासीय इकाईयों पर दिसम्बर 2012 तक किया गया व्यय ₹ 22.68[119] करोड़ निष्फल रहा। निःशुल्क आवास प्रदान करने की अन्य योजना क्रियान्वित होने के पश्चात् इन आवासीय इकाईयों के आबंटन की सम्भावना भी क्षीण प्रतीत हो रही है।

शासन ने उत्तर में बताया कि (दिसम्बर 2012) जिन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाईयाँ तैयार थी वहाँ लाभार्थियों से अंशदान वसूली हेतु कैम्प लगाए जा रहे थे। शासन ने यह भी बताया (दिसम्बर 2012) कि अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की लागत बढ़ गयी है, अतः संशोधित अनुमान तैयार किये जा रहे है। चर्चा के समय (दिसम्बर 2012) भी शासन ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि लाभार्थियों से अंशदान कार्य आरम्भ से पूर्व ही एकत्र कर लिया जाता जैसा कि परियोजना में अपेक्षित था तो यह बहुत सम्भावित था कि लाभार्थियों ने आवासीय इकाई ले ली होती ।

[112]आधार भूत सुविधाओं यथा सड़क, सीवर इत्यादि के साथ।

[113]नगर पंचायत–दिबियापुर, अछल्दा, बाबरपुर व फफूंद : 444 आवासीय इकाईयाँ ₹ 12,589 प्रति इकाई की दर से तथा बिदुना व भीखमपुरः 648 आवासीय इकाईयाँ ₹ 8,000 प्रति इकाई की दर से।

[114]बाबरपुर : 180 आवासीय इकाईयाँ लागत ₹ 4.88 करोड़, फफूंदः60 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.50 करोड अछल्दा :132 आवासीय इकाईयां लागत ₹ 3.59 करोड़, दिबियापुरः 72 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.75 करोड़, भीखमपुरः 48 आवासीय इकाईयां लागत ₹1.18 करोड़, बिदुना : 600 आवासीय इकाईयां लागत ₹14.73 करोड़।

[115]आवासीय इकाईयों की लागतः ₹ 13.68 करोड़ एवं आधारभूत सुविधाओं की लागत ₹ 13.94 करोड़।

[116]बाबरपुर ₹ 4.28 करोड़, फफूंद : ₹ 1.31 करोड़, अछल्दाः ₹ 3.15 करोड़, दिबियापुरः ₹ 76.35 लाख, भीखमपुरः ₹ 1.05 करोड़ एवं बिदुनाः ₹ 13.13 करोड़।

[117]2008–09 : ₹ 1.50 करोड़, 2009–10 : ₹ 14.66 करोड़, एवं 2010–11: ₹ 7.53 करोड़।

[118]दिसम्बर 2012 तक मात्र 13 लाभार्थियों ने अपना अंशदान जमा किया।

[119]आवासीय इकाईयों पर ₹ 19.81 करोड़ व आधारभूत सुविधाओं के विकास पर ₹ 2.87 करोड़।

3.4 सतत् और व्यापक अनियमितताएँ

यदि अनियमितताएँ वर्ष प्रति वर्ष होती रहती हैं तो वह सतत् अनियमितताएँ हैं । इसके सम्पूर्ण तंत्र में रहने के कारण यह व्यापक हो जाती है। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर भी बार–बार अनियमितताओं का होना प्रदर्शित करता है कि कार्यपालिका की तरफ से ढील बरती गयी तथा प्रभावी अनुश्रवण की कमी थी। यह संकलित रूप से नियमों एवं नियमन के पालन में इच्छापूर्वक विचलन को बढ़ावा देती है। परिणामस्वरूप प्रशासनिक ढाँचे को कमजोर करती है। लेखापरीक्षा में इंगित सतत् अनियमितताओं के प्रकरणों को नीचे दिया जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग

3.4.1 सेतु के निर्माण पर अलाभकारी व्यय

अनुचित स्थल चयन के कारण सेतु, पहुँच मार्ग एवं गाईड बन्धों के निर्माण पर ₹ 5.95 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। बिना पहुँच मार्ग के बारह वर्षों से अधिक समय से सेतु झूल रहा था।

शासन ने जिला बलरामपुर के कुन्दरीघाट में हरिहरगंज–ललीया मार्ग के किमी 3.436 में राप्ती नदी पर सेतु और इसके पहुँच मार्गों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मार्च 1998) प्रदान की।

शासन द्वारा ₹ 11.71 करोड़ के आगणन की स्वीकृति (दिसम्बर 1998) प्रदान की गयी तथा मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद ने मार्च 1999 में तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इसमें ₹ 3.35 करोड़ सेतु की लागत तथा ₹ 8.36 करोड़ पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्गों तथा गाईड बंधों का सुरक्षात्मक कार्यों की लागत शामिल थे जिससे जनपद बलरामपुर के हरिहरगंज–ललीया मार्ग के किमी 3.436 के राप्ती नदी के दोनो तरफ की जनता को आवागमन सम्पर्क उपलब्ध कराया जा सके।

यद्यपि कि, दोनो कार्य अर्थात् सेतु निर्माण एवं सिविल कार्य साथ–साथ किये जाने थे, तब भी लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च 1999 में गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों से संबंधित कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा सेतु निर्माण का कार्य आरम्भ (फरवरी 1998) किये जाने के 13 माह बाद, आरम्भ किया गया। परिणामस्वरूप, जून 1999 (मानसून आरम्भ होने से पूर्व) तक ₹ 31.32 लाख की धनराशि से गाईड बंधों का केवल आंशिक निर्माण ही किया गया था। गाईड बंधों[120] के निर्माण में विलम्ब के कारण राप्ती नदी ने 1999 के मानसून सत्र में अपनी धारा बदल दी तथा गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों के आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों को क्षति पहुँचाया था।

इस प्रकार, सेतु निर्माण कार्य के साथ ही गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों का कार्य न किये जाने से शासन को, आंशिक रूप से पूर्ण कार्यों के क्षतिग्रस्त होने, जो वर्ष 1999 में बह गये थे, के कारण हानि हुई। विभाग द्वारा ₹ 30 लाख की क्षति का आकलन (जनवरी 2008) किया गया था जो विगत पाँच वर्षों में और बढ़ गया होगा और बढ़ना अवश्यसंभावी था क्योंकि सुरक्षात्मक कार्य (गाइड बन्ध) अपूर्ण था (फरवरी 2013)। सेतु, गाईड बंधों एवं पहुँच मार्गों के निर्माण पर दिसम्बर 2012 तक ₹ 5.95 करोड़ (₹ 4.17 करोड़ + ₹ 1.78 करोड़) का किया व्यय इस प्रकार अलाभकारी था। इसके अतिरिक्त, शेष कार्यों की लागत जिसे जब भी किया जायेगा, और बढ़ जायेगी।

[120]नदी को उसके बहाव की ओर दिशा देने हेतु तटबन्धों की सुरक्षा एवं प्रशिक्षण।

प्रकरण 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ''अनौचित्यपूर्ण व्यय तथा धनराशि का अवरुद्ध होना'' (प्रस्तर–4.11) तथा पुनः मार्च 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ''विलम्ब के कारण सेतु एवं पहुँच मार्गों के निर्माण पर अलाभकारी व्यय तथा गाईड बंधों का अपूर्ण रहना'' (प्रस्तर–4.7) के रूप में वर्णित किया गया था। तत्पश्चात् 23 सितम्बर 2004 को लोक लेखा समिति में परिचर्चा भी की गयी थी। प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के लोक लेखा समिति को दिए गए आश्वासन पर गठित एक जाँच समिति द्वारा क्षति के लिए उत्तरदायी लोक निर्माण विभाग के दो अधिशासी अभियंताओं को निलम्बित कर दिया गया था तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गयी थी। परन्तु, दिसम्बर 2012 तक ₹ 5.95 करोड़ के व्यय के बावजूद सेतु एक तरफ से बिना पहुँच मार्ग के हवा में अभी भी झूल रहा था तथा बारह वर्षों से अधिक समय से नदी सेतु के बाहर से बह रही थी।

इसको लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (मई 2010 एवं जून 2012) किए जाने पर अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खंड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर ने अपने उत्तर में कहा कि (मई 2010) उच्चस्तरीय समिति के सुझाव आने वाले हैं तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाना है।

उत्तर पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा सेतु को उपयोग में लाने एवं जनहित की सुरक्षा हेतु लोक लेखा समिति की चर्चा (सितम्बर 2004) एवं निर्देशों के आठ वर्ष पश्चात भी प्रभावी प्रयास नहीं किये गये थे। फलस्वरुप, राप्ती नदी जिस पर विगत वर्ष 2001 में सेतु का निर्माण हो जाना था, के दोनों ओर हरिहर और ललिया की जनता संपर्क मार्ग की सुविधा से मार्च 2013 तक वंचित थी।

चर्चा के मध्य (जनवरी 2013) शासन द्वारा तथ्यों, आँकड़ों एवं लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गयी आपत्तियों को स्वीकार किया गया।

प्रकरण शासन को जुलाई 2012 में सन्दर्भित किया गया; अनुस्मारकों के बावजूद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2013) था।

अध्याय 4

राज्य सरकार के विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

4. उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा

आज के परिवेश में समाज मे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कई बार लम्बाई, भार एवं आयतन की माप से प्रभावित रहता है। अतः शासन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके पास एक मजबूत प्रणाली हो जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान की गयी धनराशि के सापेक्ष उसे उचित मात्रा में सामग्री प्राप्त हो सके।

कार्यकारी सार

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग की मुख्य नियंत्रक आधारित लेखापरीक्षा में बाट एवं माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत बाटों एव मापों के अनुदेशन हेतु प्राप्त अधिदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007–12 की अवधि को आच्छादित करते हुए विभाग की क्रिया–कलापों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभावशीलता की जाँच अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 के मध्य की गयी। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार निम्नवत् है:

- विभाग की प्रवर्तन के क्रिया–कलापों का प्रभाव सीमित था क्योंकि विभाग के पास राज्य में बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का कोई डेटाबेस नहीं था। नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय अनुपालन हेतु विभाग ने निर्देशों का कोई मैनुअल भी नहीं बनाया था। *विभाग को उपयोगकर्त्ताओं के समुचित सर्वेक्षण के आधार पर बाटों एवं मापों का प्रयोग करने वाले व्यापारिक संस्थानों का एक डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे कि उनके प्रभावी अनुश्रवण एवं प्रर्वतन हेतु एक कार्य योजना बनायी जा सके।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.1]

- सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक के स्वीकृत पदों का क्रमशः लगभग 29 से 50 प्रतिशत तथा 18 से 36 प्रतिशत पद लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के अनुरोध पर प्रतिक्रिया न देने के कारण रिक्त पड़े थे (2007–12)। *विभाग द्वारा पदों के अनुकूलतम स्थिति तक भरे जाने हेतु प्रयास जारी रखना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.2.1]

- केन्द्रों के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र एवं जनसंख्या में समानता लाने के उद्देश्य से केन्द्र स्थापना हेतु विभाग द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये थे। जैसा कि सहायक नियंत्रक, झाँसी के अधीन औसत जनसंख्या 8.78 लाख थी जबकि सहायक नियंत्रक, गोरखपुर के अधीन औसत जनसंख्या 22.77 लाख थी। इसके अतिरिक्त, शासन द्वारा केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता (₹ 7.44 करोड़) के उपभोग हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। *विभाग द्वारा केन्द्र/प्रयोगशाला आदि का मजबूत ढाँचा विकसित किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त केन्द्र की स्थापना हेतु मानक भी विकसित किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.3]

- कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के प्रवर्तन में कमियाँ विभाग स्तर पर *पर्याप्त एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विकसित की जानी चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.5.4]

- रिक्त पदों के वेतन–भत्तों हेतु ₹ 5.41 करोड़ की धनराशि का आबंटन वर्ष 2007–12 की अवधि में वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर समर्पित की गयी थी, इसके अतिरिक्त, करेत्तर राजस्व के रोकड़–प्रबन्धन में कमी थी। *शासकीय निधि के प्रबंधन मे वित्तीय नियमों का पूर्णरुपेण पालन किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.1.1 एवं 4.6.1.2]

- नमूना–जाँच में लिये गये 42 केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के अधीन कुल 1.29 लाख उपयोगकर्ताओं ने वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 की अवधि में अपने बाट मापों को सत्यापन हेतु निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरुप ₹ 1.51 करोड़ की शुल्क की वसूली नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, अमानक बाट माप के उपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। *विभाग द्वारा सत्यापन हेतु त्रुटिविहीन प्रणाली सुनिश्चित की जानी चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.2]

- निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011–12 में किये गये निरीक्षणों की संख्या में वर्ष 2007–08 की तुलना में 69 प्रतिशत तथा वर्ष 2010–11 की तुलना में 32 प्रतिशत की गिरावट थी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों की गलत सूचना प्रेषित किये जाने पर नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा तथ्य को प्रकाश में लाये जाने के चार वर्ष पश्चात् भी निरीक्षणों (2007–12) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं पाये गये। *निरीक्षण हेतु निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.3]

- न्यायालय में बड़ी संस्था में प्रकरण निर्णय हेतु लम्बित थे। नमूना–जाँच में लिये गये केन्द्रों पर न्यायालय प्रकरण पंजिका के अनुचित रख–रखाव के फलस्वरुप प्रकरणों की अवधिवार लम्बित होने की सूचना उपलब्ध नहीं थी। *विभाग द्वारा बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।*

[प्रस्तर संख्या 4.6.2.4]

4.1 प्रस्तावना

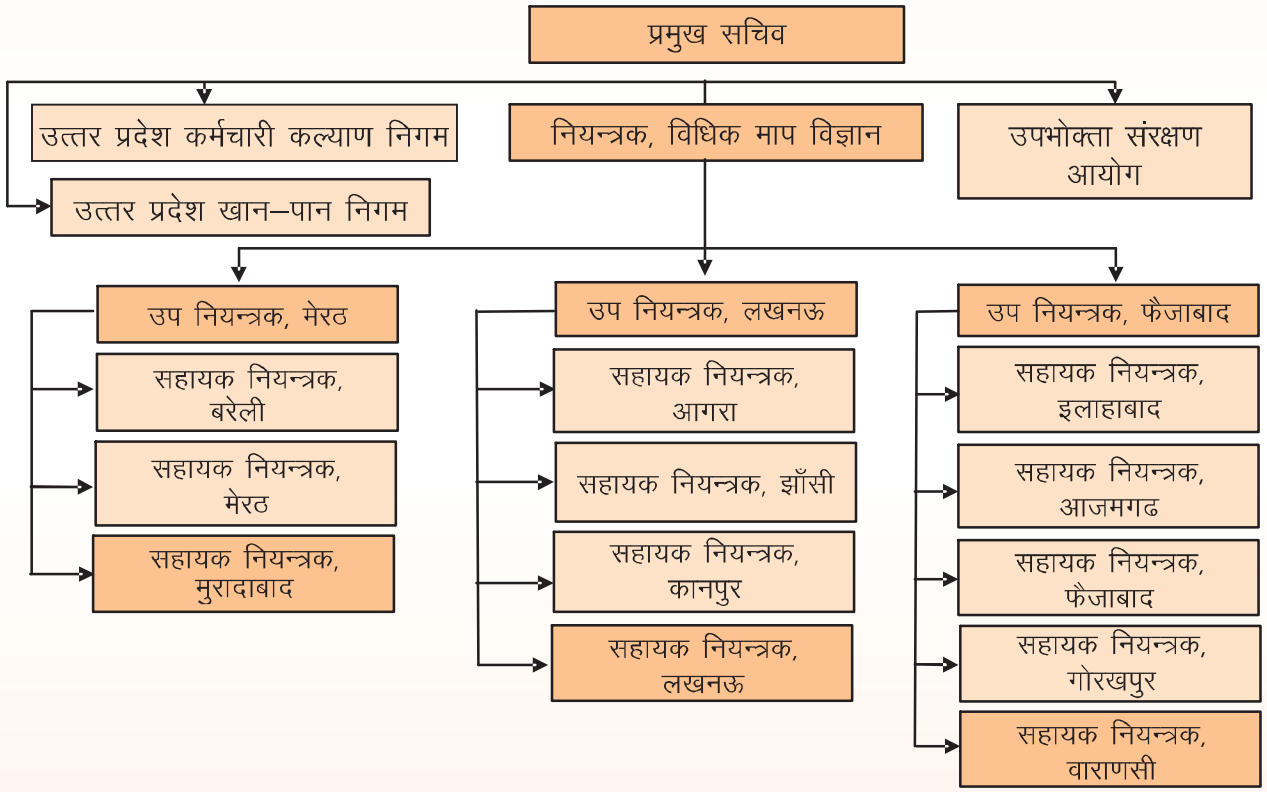
विभाग का लक्ष्य अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रवर्तन द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की घटतौली या कम मापन जैसे कदाचार से सुरक्षा करना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता द्वारा जो धनराशि व्यय की जाती है उसके सापेक्ष उन्हें उचित मात्रा में सामग्री प्राप्त हो। विभाग का मुख्य कार्य व्यापार एवं औद्योगिक उत्पादन में उपयोग किये जा रहे बाट, माप एवं मापन यन्त्रों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करना है। विभाग द्वारा आवर्ती निरीक्षण करना, डिब्बाबन्द वस्तुओं के निर्माता एवं डिब्बाबन्द करने वालों को पंजीकृत करना, डिब्बाबन्द वस्तु नियम 1977 एवं 2011 का अनुपालन न किये जाने पर कार्यवाही करना तथा अधिनियम, 1985 एवं 2009 और नियम 1990 एवं 2011 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन के साथ–साथ अमानक

बाट, माप एवं मापन यन्त्र का उपयोग, घटतौली वाले प्रकरणों में जब्ती तथा प्रशमन करना एवं प्रशमन न कराने वालों को न्यायालय में पंजीकृत कराना है।

उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने बाट एवं माप मानक (प्रर्वतन) अधिनियम, 1985 का नियमन किया तथा इसे राज्य सरकार ने राज्य मे जनवरी 1990 से लागू किया। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त किया और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का नियमन किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रर्वतन) नियम 2011 बनाया गया जिसमे बाटों एवं मापों के सत्यापन का समय ढांचा (नियम 14), बनाये जाने वाली पंजिकाओं एवं अभिलेखों (नियम 13) आदि का विवरण है।

4.2 संगठनात्मक ढाँचा

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



(**स्रोतः** नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

अप्रैल 2008 तक शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग का विधिक माप विज्ञान पर नियन्त्रण था। मई 2008 से विधिक माप विज्ञान प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के नियन्त्रणाधीन हो गया।

नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (नियंत्रक) जो अधिनियमों एवं नियमों के प्रवर्तन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष हैं। इनकी सहायता के लिये जोन स्तर पर तीन उप नियन्त्रक, खण्डीय स्तर पर

12 सहायक नियन्त्रक एवं केन्द्र स्तर पर निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक है (सभी सत्यापन एवं निरीक्षण द्वारा प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी)। उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक अपने नियन्त्रणाधीन जिलों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं।

4.3 लेखापरीक्षा का ढाँचा

4.3.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि क्या :

- वार्षिक एवं संदर्श योजना तैयार करने हेतु डेटाबेस बनाये जाने के लिये कुशल एवं प्रभावी आवर्ती सर्वेक्षण किया गया था;
- विभाग अनुज्ञप्ति, शोधन, सत्यापन, मुद्रांकन तथा प्रवर्तन के अधिदेश को क्रियान्वित करने हेतु मानव, वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों जैसे आवश्यक संस्थागत् साधनों से परिपूर्ण किया गया था;
- कुशल एवं प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण कार्यरत् था तथा आवर्ती अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जा रहा था; और
- विभाग का वित्तीय प्रबन्धन कुशल, मितव्ययी एवं प्रभावी था तथा प्रचलित वित्तीय कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों इत्यादि के अनुरूप भी था।

4.3.2 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में प्रयुक्त मापदण्ड के निम्नलिखित स्रोत थेः

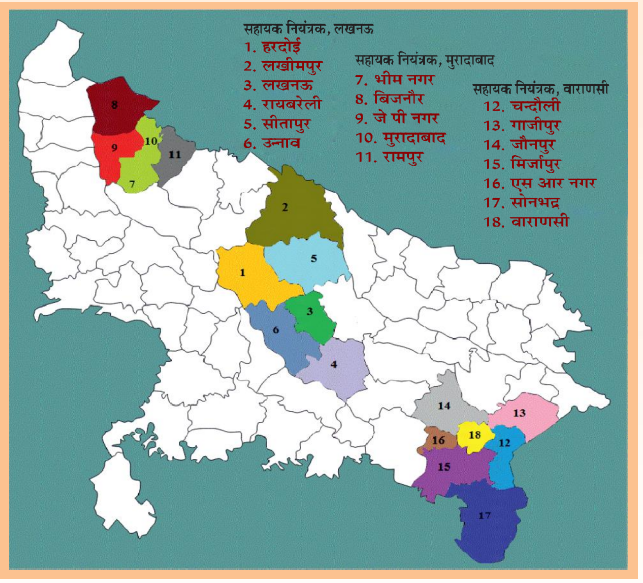
- बाट एवं माप का मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (अधिनियम 1985);
- बाट एवं माप का मानक (सामान्य) नियमावली, 1987 (सामान्य नियम 1987);
- उत्तर प्रदेश बाट एवं माप का मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1990 (प्रवर्तन नियम 1990);
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम 2009);
- उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 (प्रवर्तन नियम 2011);
- विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011, और
- समय–समय पर निर्गत शासन के आदेश एवं निर्देश।

4.3.3 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

अप्रैल से जुलाई 2011 की अवधि में शासन, विभाग, जोन, खण्ड एवं जिला स्तर पर क्रमशः प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग, नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश (नियंत्रक), सभी तीन[1] उप नियन्त्रक, तीन सहायक नियन्त्रक एवं उनके नियन्त्रणाधीन समस्त 42 केन्द्रों के वर्ष 2007–12 की अवधि के अभिलेखों की

[1]लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

जाँच की गयी। लेखापरीक्षा में पाये गये तथ्यों के समर्थन में संयुक्त भौतिक सत्यापन[2] से साक्ष्य संकलित किये गये एवं फोटो भी लिये गये।



लेखापरीक्षा प्रतिदर्श/ सैम्पल में नियन्त्रक, सभी तीन उप नियन्त्रक, 12 मे से तीन सहायक नियन्त्रक तथा उनके अधीन 18 जिलों को आच्छादित करते हुए सभी 42 केन्द्रों को सम्मिलित किया गया। प्रमुख सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के साथ एक परिचयात्मक गोष्ठी दिनांक 8 जून 2012 को आयोजित हुई जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्डों, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर विचार–विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा के निष्कर्षो पर राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त (दिसम्बर 2012) हुआ तथा सचिव, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के साथ दिनांक 26 फरवरी 2013 को समापन गोष्ठी भी आयोजित की गयी थी। गोष्ठी में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष पर विचार–विमर्श किया गया था एवं संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

4.4 अभिस्वीकृति

राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि में किये गये सहयोग को साभार स्वीकार किया जाता है।

4.5 संस्थागत् कमजोरियाँ

प्रत्येक संगठन को अपने अधिदेश को प्रबन्धित एवं प्राप्त करने के लिये एक स्वस्थ आधारभूत संरचना, पर्याप्त मानवशक्ति एवं निधि की आवश्यकता होती है। यह इसकी गतिविधियों के मूल क्षेत्रों में समुचित आन्तरिक तन्त्र एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने में सहायता करता है तथा संगठन को उसके उद्देश्यों की ओर मितव्ययी एवं प्रभावी ढंग से अग्रसर करता है। उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी पर आधारित लेखापरीक्षा के समय संस्थागत् कमियों पर संज्ञान में आये कुछ लेखापरीक्षा बिन्दु निम्नवत् हैं:

4.5.1 नियोजन

प्रवर्तन गतिविधियों हेतु संदर्भ योजना नही बनायी गयी।

अधिनियमों एवं नियमों को कुशलता एवं प्रभावी रूप से लागू करने हेतु यह अनिवार्य रूप से आवश्यक है कि विभाग के पास राज्य में बाट माप के प्रयोगकर्ताओं की वर्गवार पूरी सूचना उपलब्ध हो। इस उद्देश्य के लिये, विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोगकर्ताओं का डेटाबेस बनाने हेतु आवर्ती सर्वेक्षण कराना चाहिये जो कि प्रयोगकर्ताओं के चिन्हीकरण, प्रयोग किये जा रहे बाट माप के प्रकार, बाट माप के सत्यापन की आवृत्ति एवं उनका शोधन, वार्षिक वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण

[2]प्रत्येक जिले के 5 धर्मकाटा, 5 उचित दर की दुकान, 5 ज्वेलरी दुकान एवं 5 सामान्य किराना व्यवसायी

तथा समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा बाट माप के उपयोगकर्त्ताओं के परिसर में जाकर निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाने हेतु सार्थक संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना के लिये आवश्यक है।

विभाग ने लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाट माप के उपयोगकर्ताओं के चिन्हीकरण हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं कराया था तथा उनका कोई डेटाबेस भी नहीं बनाया था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा अपने अस्तित्व में आने (मई 2008) से अब तक अपनी अधिदेशित क्रिया–कलापों के प्रवर्तन हेतु संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। पुनः, यह भी पाया गया कि विभाग अपना विभागीय प्रतिवेदन अपने गठन के चार वर्ष बाद भी खाद्य एवं रसद विभाग के साथ ही (2011–12 तक) बनाता रहा।

उत्तर में शासन ने यह पुष्टि की (दिसम्बर 2012) कि विभाग द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था तथा बाट माप के उपयोगकर्ताओं का कोई डेटाबेस भी नहीं बनाया गया था। क्योंकि यह शासन की लाइसेन्स राज समाप्त करने की नीति के विरूद्ध था। शासन ने पुनः बताया कि कोई संदर्श योजना नही बनायी गयी थी फिर भी नियमो के अन्तर्गत अधिक से अधिक सत्यापन, मुद्रांकन एवं प्रवर्तन गतिविधियों पर जोर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि शासन द्वारा उल्लिखित नीति केवल उद्योगों के लिये थी एवं बाट माप के उपयोगकर्ताओं पर लागू नहीं थी। इससे यह भी पुष्टि होती है कि डेटाबेस, संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना के अभाव में विभाग अधिनियम एवं नियमों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने में विफल रहा।

परिणामस्वरुप बाट एवं माप के सत्यापन, करेत्तर राजस्व की वसूली इत्यादि के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियत न्यूनतम मानदण्ड को तदर्थ रूप में निर्धारित किया गया था। जैसा कि प्रस्तर 4.6.1.2 एवं 4.6.2.2 में चर्चा किया गया है।

4.5.2 मानव संसाधन

4.5.2.1 अपर्याप्त मानवशक्ति

सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संवर्ग में कमी थी।

राज्य में बाट एवं माप अधिनियमों/नियमों के प्रवर्तन के लिये सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं जिससे यदि कोई कदाचार हो तो उसे पता लगाया जा सके तथा गलती करने वाले उपयोगकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त पदों की संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं कमियों का विवरण **सारणी 1** में दिया गया है।

सारणी 1: संवर्गवार स्वीकृत पद, कार्यरत एवं कमियों का विवरण

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत (कैलेण्डर वर्ष)					कमी (कैलेण्डर वर्ष)				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
सहायक नियन्त्रक	14	10	08	09	09	07	04	06	05	05	07
वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक	236	193	182	166	166	151	43	54	70	70	85

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

सारणी इस ओर इंगित करती है कि लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित अवधि में सहायक नियन्त्रक एवं वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संवर्ग के पदों में कमी थी। इसके साथ ही नमूना जाँच में लिये गये 42 में से आठ[3] केन्द्रों/प्रयोगशालाओं में लम्बे समय से कोई भी वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक तैनात नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि सीधी भर्ती हेतु अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है तथा रिक्त सम्भागों का कार्य समीप में तैनात सहायक नियन्त्रक से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कराया जा रहा था। शासन द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि विभिन्न संवर्गो में कमियों के फलस्वरूप विभागीय कार्य प्रभावित हुए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, नमूना–जाँच किये गये सहायक नियन्त्रकों के कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों (तकनीकी/गैर–तकनीकी) की कमी थी। जैसाकि लिपिकों, प्रयोगशाला सहायकों इत्यादि के 152 स्वीकृत पदों[4] के सापेक्ष मात्र 138 (14 कम) तैनात थे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रों/प्रयोगशालाओं में स्वीकृत पद के सापेक्ष उनकी तैनाती भी अविवेकपूर्ण ढंग से कहीं अधिक (एक से लेकर सात तक) तो कहीं कम (एक से लेकर चार तक) की गयी थी। सहायक कर्मचारियों की कमी एवं उनकी तैनाती के साथ स्वीकृत पद का विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है।

परिणामस्वरुप, उपयोगकर्ता पंजिकाएं, न्यायालय प्रकरण पंजिकाएँ, निरीक्षण पंजिकाएँ, जब्त वस्तु पंजिकाएँ एवं मृत भण्डार पंजिकाएँ आदि जैसे मौलिक अभिलेख या तो बनाये नहीं गये थे या अधूरे थे। विभाग को पदों के अनुकूलतम स्थिति तक भरे जाने हेतु प्रयास जारी रखने चाहिये।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विभाग में कर्मचारियों की कमी है जिससे विभागीय कार्य कुप्रभावित होता है।

4.5.3 अपर्याप्त ढाँचागत सुविधायें

केन्द्र/प्रयोगशालाएँ विभाग के आधारभूत स्तम्भ हैं जहाँ बाट एवं माप आदि का शोधन/मुद्रांकन/सत्यापन किया जाता है। केन्द्रों के अधिकार में आने वाले क्षेत्र एवं जनसंख्या में समरूपता हेतु तथा उपयोगकर्ताओं की संख्या में तथ्यपरक वृद्धि के कारण नये केन्द्रों के बनाये जाने की संभावना तलाशने हेतु उनकी स्थापना के लिए कुछ विशिष्ट मानक होना चाहिए। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आये:

केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के लिए कोई मानक नहीं।

वर्ष 2007–12 की अवधि में राज्य में कुल 146 केन्द्र/प्रयोगशालाएँ थीं तथा इस अवधि में कोई नया केन्द्र नहीं स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने इन केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, जनसंख्या इत्यादि का कोई मानक नियत नहीं किया था (दिसम्बर 2012)। परिणामस्वरूप, 12 सहायक नियन्त्रकों के नियन्त्रणाधीन इन 146 केन्द्रों/प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या के आकार में व्यापक भिन्नता थी जैसा कि **सारणी 2** से परिलक्षित है। जहाँ सहायक नियन्त्रक, झाँसी के क्षेत्राधिकार वाले प्रत्येक केन्द्र/प्रयोगशालाएं द्वारा सेवित औसत जनसंख्या 8.78 लाख थी जबकि सहायक नियन्त्रक, गोरखपुर में इनके द्वारा सेवित जनसंख्या 22.77 लाख थी।

[3]सहायक नियन्त्रक, लखनऊः मलिहाबाद एवं मोहनलालगंज, सहायक नियन्त्रक, मुरादाबादः अमरोहा, चॉदपुर, नगीना एवं सम्भल तथा सहायक नियन्त्रक, वाराणसीः जमनिया एवं मछलीशहर)।

[4]तीन सहायक नियन्त्रक एवं 42 में से 30 केन्द्रों।

सारणी 2: केन्द्रों द्वारा सेवित औसत जनसंख्या में भिन्नताएँ

आहरण वितरण अधिकारी	जनसंख्या	केन्द्रों की संख्या	औसत जनसंख्या प्रति केन्द्र	आहरण वितरण अधिकारी	जनसंख्या	केन्द्रों की संख्या	औसत जनसंख्या प्रति केन्द्र
आगरा	1,97,05,477	15	13,13,698	झाँसी	96,59,718	11	8,78,156
इलाहाबाद	1,33,63,143	09	14,84,794	कानपुर	1,28,65,072	11	11,69,552
आजमगढ	1,00,45,321	07	14,35,046	लखनऊ	2,36,82,514	16	14,80,157
बरेली	1,32,17,683	11	12,01,608	मेरठ	2,21,87,067	18	12,32,615
फैजाबाद	2,20,89,309	13	16,99,178	मुरादाबाद	1,26,31,203	12	10,52,600
गोरखपुर	2,04,89,916	09	22,76,657	वाराणसी	1,96,45,054	14	14,03,218

(स्रोतः नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान,उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अभिलेख एवं जनगणना–2011)

उत्तर में शासन ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) कि केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक नियत नही किये गये थे। केन्द्रों/प्रयोगशालाओं द्वारा सेवित जनसंख्या के आकार में विसंगति के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अपर्याप्त ढाँचागत सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित अनियमिततायें भी प्रकाश में आयीं:

ढाँचागत संरचना के सुदृढीकरण हेतु केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

- भारत सरकार ने केन्द्रों/प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यकारी मानक प्रयोगशाला के भवन निर्माण (13 प्रयोगशाला; ₹ 3.25 करोड़) एवं द्वितीयक मानक प्रयोगशाला (5 प्रयोगशाला; ₹ 1.25 करोड़), टैंक लारी की जाँच के लिए शोधन टावर (14 लारी; ₹ 2.24 करोड़) तथा टैक्सी मीटर की जाँच हेतु टैक्सी मीटर इकाई (14 टैक्सी मीटर; ₹ 70 लाख) की स्थापना हेतु वर्ष 2010–11 (₹ 1.70 करोड़) तथा वर्ष 2011–12 (₹ 5.74 करोड़) में कुल ₹ 7.44 करोड़ उपभोग की समय सीमा निर्धारित किये बिना ही अवमुक्त कर दिया।



अभिलेखों की जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि ₹ 7.44 करोड़ में से ₹ 1.48 करोड़ (भवनः ₹ 1.20 करोड़ एवं शोधन टावरः ₹ 0.28 करोड) को व्यवर्तित कर दिया गया था एवं पाँच जिलों (आगराः ₹ 17.80 लाख में 120 वर्गमीटर, गोरखपुरः ₹ 21 लाख में 200 वर्गमीटर, मेरठः ₹ 36.30 लाख में 202.50 वर्गमीटर, मुरादाबादः ₹ 17.29 लाख में 129 वर्गमीटर एवं वाराणसीः ₹ 55.20 लाख में 300 वर्गमीटर) में भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय में उपयोग कर लिया गया। अवशेष ₹ 5.96 करोड़ का दिसम्बर 2012 तक उपभोग नहीं किया गया था।

उत्तर में शासन ने स्वीकार (दिसम्बर 2012) किया कि ₹ 1.48 करोड़ प्राप्त कर लिया गया था तथा आगरा, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद एवं वाराणसी में भूमि क्रय कर ली गयी है। भवन निर्माण (₹ 3.30 करोड़) शोधन टावर (₹ 1.96 करोड़) एवं टैक्सी मीटर (₹ 0.70 करोड़) की स्थापना से सम्बन्धित अवशेष ₹ 5.96 करोड़ के सम्बन्ध में दिसम्बर 2012 तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

चालकों की अनुपलब्धता से तीन मोबाइल किट निष्क्रिय थीं।

- भारत सरकार ने धर्मकाँटाओं की जाँच हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को चार मोबाइल किट (लागतः ₹ 2.30 करोड़) उपलब्ध कराये (मार्च 2008: दो एवं जुलाई 2010: दो)। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सहायक नियन्त्रकों, कानपुर (जुलाई 2010), लखनऊ (मार्च 2008), मेरठ (मार्च 2008) एवं वाराणसी (जुलाई 2010) को आबंटित कर दिया गया। तथापि, अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि सहायक नियन्त्रक, लखनऊ को उपलब्ध करायी गयी मोबाइल किट प्रयोग में थी तथा शेष तीनों मोबाइल किटें अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं (जून 2012)।



वाराणसी में निष्क्रिय मोबाइल किट वैन

शासन ने यह अवगत कराया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 5000 प्रति माह के मानदेय पर संविदा के आधार पर चालक उपलब्ध नहीं थे तथा भर्ती पर रोक के कारण इन मोबाइल किट वैन को चलाने के लिए चालकों की नियुक्ति प्रारम्भ नहीं की जा सकी। वस्तुतः स्थिति यह थी कि ये किटें विगत दो से चार वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थीं एवं इनके प्राकृतिक क्षय/अवमूल्यन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कमियाँ यह दर्शाती हैं कि विभाग विभागीय ढाँचागत आवश्यकताओं के प्रति अप्रतिक्रियाशील था।

- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि विभाग में बुनियादी स्तर पर प्रभावी प्रवर्तन/निरीक्षण हेतु वाहनों के रूप में पर्याप्त आवागमन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध वाहनों की संख्या **सारणी 3** में दी गयी है।

सारणी 3: विभिन्न स्तरों पर वाहनों की उपलब्धता

संवर्ग/केन्द्र	कार्यालय	उपलब्ध वाहनों की संख्या
नियन्त्रक	01	05
उप नियन्त्रक	03	शून्य
सहायक नियन्त्रक	12	10
केन्द्र	146	शून्य

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, लखनऊ)

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा प्रवर्तन क्रिया–कलापों के लिए केन्द्रों को कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया था। तथापि, दो सहायक नियन्त्रकों (झाँसी एवं मुरादाबाद) तथा सभी तीनो उप नियन्त्रकों के पास वाहन नहीं थे। इस प्रकार, विभाग केन्द्र स्तर पर बुनियादी कार्यकर्ताओं, जो सीधे प्रवर्तन क्रिया–कलापों हेतु उत्तरदायी थे, को वाहन उपलब्ध कराने में असफल रहा।

शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (दिसम्बर 2012)।

4.5.4 आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक नियन्त्रण संगठनात्मक प्रबन्ध प्रक्रिया का एक अभिन्न घटक है जो यह आश्वासन देता है कि संगठन के क्रिया–कलापों का संचालन, दक्षता एवं प्रभावशाली

ढंग से किया जा रहा हैं, वित्तीय प्रतिवेदन एवं प्रक्रियात्मक आँकड़ें विश्वसनीय हैं तथा विधि एवं विनियमन का अनुपालन इस प्रकार है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। भारत सरकार ने शासकीय विभागों में आन्तरिक नियन्त्रण के अनुरक्षण पर मानक/निर्देश सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 64 के अन्तर्गत प्रावधानित किये हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण शाखा की स्थापना एवं उसकी प्रभावी क्रियाशीलता विभाग की आवश्यकता है। नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रकों एवं 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट एवं माप विभाग में आन्तरिक नियन्त्रण की प्रभावहीनता परिलक्षित हुई जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

4.5.4.1 विभागीय मैनुअल का न बनाया जाना

अधिनियमों एवं नियमों के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय अनुपालन हेतु कार्य परिभाषित करने, सामान्य सिद्धांत, निर्देश एवं विधि स्थापित करने वाला एक विभागीय मैनुअल अति आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (अप्रैल से जुलाई 2012) कि विभाग ने विभिन्न स्तरों पर विभागीय गतिविधियों के संचालन हेतु कोई निर्देशों का मैनुअल नहीं बनाया था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि मैनुअल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विधिक माप विज्ञान नियमावली स्थापित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मैनुअल अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।

4.5.4.2 सहायक नियन्त्रकों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण

नियन्त्रक, विधिक माप एवं विज्ञान, लखनऊ ने सहायक नियन्त्रकों को उनके नियन्त्रणाधीन केन्द्रों के नियमित निरीक्षण हेतु एक रोस्टर बनाये जाने के लिए निर्देश निर्गत किया (मई 2008) था। नियन्त्रक ने सहायक नियन्त्रक द्वारा किये गये निरीक्षणों के रोस्टर को नियन्त्रक/उप नियन्त्रक (मुख्यालय) एवं सम्बन्धित उप नियन्त्रकों को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया था।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि सहायक नियन्त्रकों द्वारा न तो रोस्टर बनाया गया था और न ही नियमित निरीक्षण किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, 146 केन्द्रों में से 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में यह भी परिलक्षित हुआ कि छः[5] केन्द्रों का वर्ष 2007–12 की अवधि में सहायक नियन्त्रकों द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। सात[6] केन्द्रों का तीन वर्ष से अधिक समय तथा शेष 29 में से 19 केन्द्रों का एक वर्ष से अधिक समय से कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, केन्द्रों का अपर्याप्त निरीक्षण, अपर्याप्त अनुश्रवण दर्शाता है।

शासन ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2012) कि इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये (मई 2008) थे तथा रोस्टर पंजिका वर्ष 2013 से बनाया जायेगा।

[5]बिस्वां, हरदोई, मोहनलालगंज,पलिया, पूर्वा एवं जमनिया।
[6]चुनार, दुद्धी, मछलीशहर, मिर्जापुर, संडीला, यूसुफपुर एवं जमनिया।

4.5.4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग ने समस्त विभाग प्रमुखों को विभाग की कम से कम 10 प्रतिशत इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा उनके आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किया (जनवरी 2001) था। आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की अनुपस्थिति में विभाग में कार्यरत लेखा कर्मचारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा करायी जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि विभाग में न तो कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा थी और न ही विभाग में कार्यरत लेखा कर्मचारियों द्वारा अपने गठन (मई 2008) से अब तक आंतरिक लेखापरीक्षा करायी थी। आन्तरिक लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति में प्रमुख अभिलेखों एवं पंजिकाओं जैसे शिकायत प्रकरण पंजिकाओं एवं भविष्य निधि खाते की ब्राडशीट के रख–रखाव न किये जाने, रोकड़ बही के अनियमित रख–रखाव, डेड स्टॉक एवं जब्ती वस्तुओं का भौतिक सत्यापन तथा अप्रयुक्त मुद्राओं के समर्पित न किये जाने इत्यादि के सम्बन्ध में कोई निगरानी नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) और यह बताया कि लेखा संवर्ग के विभागीय कर्मचारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा कराये जाने हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये (नवम्बर 2012) हैं।

4.5.4.4 अपर्याप्त अनुश्रवण

प्रभावी अनुश्रवण विभाग की अनुदेशित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल मापदण्ड है। इस प्रयोजन से विभिन्न स्तरो पर की जा रही विभागीय क्रिया–कलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए नियन्त्रक, उप नियन्त्रक एवं सहायक नियन्त्रक स्तर पर मासिक बैठकें आहूत करने हेतु शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये थे।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रत्येक स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित नहीं की जा रही थी जैसा कि **सारणी 4** से स्पष्ट है।

सारणी 4: विभिन्न स्तर पर आयोजित मासिक बैठक

स्तर	वर्ष				
	मानक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियन्त्रक	12	08	11	08	11
उप नियन्त्रक, फैजाबाद	12	07	11	11	07
उप नियन्त्रक, मेरठ	12	11	07	01	शून्य
उप/सहायक नियन्त्रक, लखनऊ	12	09	10	09	08
सहायक नियन्त्रक, मुरादाबाद	12	08	10	12	01
सहायक नियन्त्रक, वाराणसी	12	09	04	01	04

(**स्रोतः** नियन्त्रक, उप नियन्त्रक एवं सहायक नियन्त्रक)

सारणी से यह देखा जा सकता है कि विभाग, जोन एवं संभाग स्तर पर अनुश्रवण का अभाव था। इसके साथ ही उप नियन्त्रक, मेरठ के प्रकरण में पिछली बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण भी नही किया गया था। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण अपर्याप्त था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने तथ्यों का स्वीकार किया (दिसम्बर 2012) तथा यह बताया कि इस सम्बंध मे निर्देश निर्गत कर दिये गये (अगस्त 2012) है।

4.5.4.5 उड़न दस्ता का अक्रियाशील रहना

प्रवर्तन क्रिया–कलापों में तीव्रता देने के लिए बाट एवं माप पर उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा अपराध का पता लगाने के उद्देश्य से विभाग ने नौ[7] सम्भागों में उड़न दस्ते संस्थापित किया।

नियन्त्रक, विधिक माप एवं विज्ञान, तीन उप नियन्त्रक[8] एवं तीन सहायक नियन्त्रक[9] के अभिलेखों की जाँच में यह परिलक्षित हुआ कि उड़न दस्ता क्रियाशील नहीं था क्योंकि समीक्षा की अवधि मे कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि कर्मचारियों एवं वाहन के अभाव के कारण उड़न दस्ता क्रियाशील नहीं था।

इस प्रकार विभाग प्रत्येक व्यापारिक गतिविधियों में मानक बाट एवं माप क्रियान्वित करने हेतु द्वितीयक जाँच को लागू करने में असफल रहा।

4.5.4.6 मूल्यांकन

विभाग को अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के प्रभाव तथा क्रियान्वयन तन्त्र की दक्षता, प्रभाव एवं कुशलता का मूल्यांकन करना चाहिये। नियोजन, निष्पादन, प्रवर्तन एवं अनुश्रवण पहलुओं की पर्याप्तता की जाँच तथा इसके प्रभाव को बेहतर बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि उपभोक्ता हितों के संदर्भ में अधिनियमों एवं नियमों के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभाव के आंकलन के लिए कोई ऐसा मूल्यांकन अध्ययन नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु कार्यरत् है तथा विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में सुधार हेतु क्रिया–कलापों का मूल्यांकन आवश्यक था।

4.6 अनुपालन विषय

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन एवं नियन्त्रण हेतु यह आवश्यक है कि किया गया व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं कपट को रोकता है अपितु उचित वित्तीय अनुशासन बनाये रखने में सहायता करता है। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन न किये जाने पर कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

4.6.1 वित्तीय नियन्त्रण

4.6.1.1 आबंटन एवं व्यय

विभाग की अधिदेशित गतिविधियाँ राज्य बजट के अन्तर्गत अनुदान संख्या 21 के पूंजीगत् एवं राजस्व लेखे में उपलब्ध करायी गयी निधि से सम्पादित की जाती है।

[7]जुलाई 1979 में लखनऊ एवं कानपुर, सितम्बर 1985 में मेरठ, फरवरी 1986 में वाराणसी तथा फरवरी 1988 में आगरा, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर एवं झाँसी।
[8]फैजाबाद, लखनऊ एवं मेरठ।
[9]लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी।

भारत सरकार की अनुदान सहायता भी राज्य सरकार के बजट के माध्यम से दी जाती है।

वर्ष 2007–12 की अवधि में शासन ने नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान को पूँजीगत् एवं राजस्व लेखा शीर्ष मे ₹ 93.06 करोड़ का बजट प्रावधान तथा ₹ 92.41 करोड़ का आबंटन किया जिसके सापेक्ष ₹ 5.41 करोड़ की कुल बचत करते हुए बाट एवं माप को नियन्त्रित करने पर ₹ 87 करोड़ का उपभोग किया गया। वर्षवार विवरण **सारणी 5** में दिया गया है।

सारणी 5: बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय

वर्ष	बजट प्रावधान	आबंटन	व्यय	बचत
	(₹ करोड़ में)			
	राजस्व खाता			
2007-08	13.27	13.27	12.27(92)	1.00
2008-09	15.94	15.94	14.54(91)	1.40
2009-10	18.05	17.55	15.83(90)	1.72
2010-11	22.90	22.90	22.15(97)	0.75
2011-12	21.42	21.27	20.73(97)	0.54
योग	**91.58**	**90.93**	**85.52**	**5.41**
	पूंजीगत् खाता			
2011-12	1.48	1.48	1.48	शून्य
योग	**1.48**	**1.48**	**1.48**	**शून्य**
कुल योग	**93.06**	**92.41**	**87.00**	**5.41**

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने के कारण ₹ 5.41 करोड की बचत।

बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 के अनुसार बजट प्राक्कलन, स्वीकृत पदों का ध्यान दिये बिना तैनाती के सापेक्ष वेतन भत्तों पर होने वाले व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर भी, जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि शासन ने राजस्व लेखे के अन्तर्गत वेतन भत्तों का आबंटन वास्तविक तैनाती के स्थान पर स्वीकृत पदों के सापेक्ष किया था। इससे न केवल बजट मैनुअल के प्रस्तर 32 में उल्लिखित प्रावधान का उल्लंघन हुआ अपितु कुल ₹ 5.41 करोड़ की बचत हुयी जिसे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समर्पित किया गया।

पुनः उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार नियन्त्रण अधिकारी द्वारा पूर्वानुमानित सभी बचतें संज्ञान में आते ही पूर्ण विवरण तथा कारणों के साथ सचिवालय के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को तुरन्त प्रतिवेदित की जानी चाहिए। प्रस्तर 141 के अनुसार भी समस्त अन्तिम बचतें सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अधिकतम 25 मार्च तक वित्त विभाग को अवश्य समर्पित कर दी जानी चाहिए, जबकि उक्त प्रावधान के विपरीत विभाग ने बचतों (₹ 5.41 करोड़) को, प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्यदिवस (31 मार्च) को समर्पित किया।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि ₹ 5.41 करोड़ में से ₹ 2.56 करोड़ का समर्पण यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, यन्त्र–संयन्त्र इत्यादि मदों में बचतों के कारण हुआ। आगे बताया कि वेतन भत्ता शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 2.85 करोड़ का समर्पण विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती न होने के कारण था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बजट प्राक्कलन स्वीकृत पदों के स्थान पर तैनाती के आधार पर किया जाना अपेक्षित था।

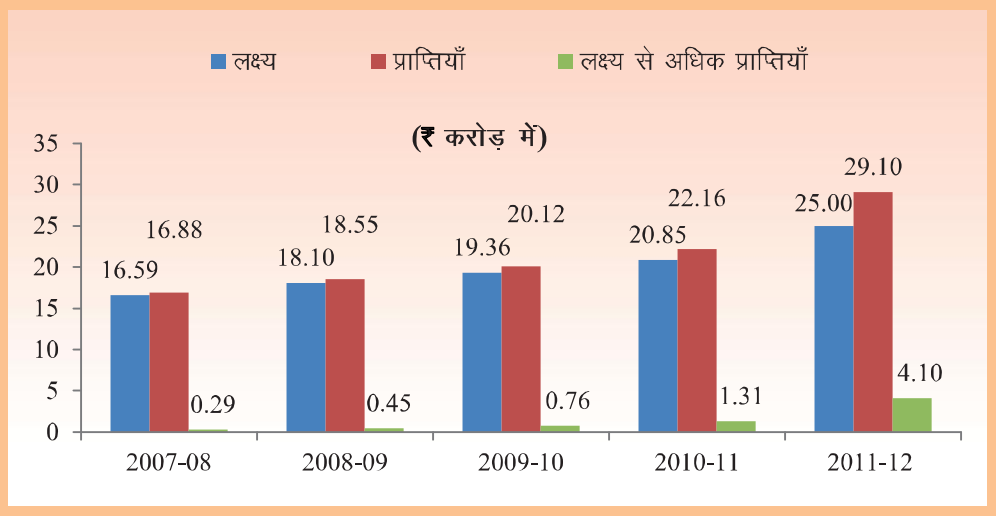
4.6.1.2 करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ

करेत्तर राजस्व के लक्ष्यों का निर्धारण बिना औचित्य के किया गया।

सत्यापन एवं मुद्रांकन, बाट–माप सम्बन्धी उपकरणों के शोधन, शमन प्रभार तथा बाट मापों के निर्माण एवं सुधार हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि से प्राप्त करेत्तर राजस्व प्राप्तियों को यथाशीघ्र कोषागार में जमा कराना अपेक्षित था।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि करेत्तर राजस्व के लक्ष्य का निर्धारण वर्ष में किये जाने वाले सत्यापन एवं मुद्रांकन इत्यादि के ऑकलित संख्या के आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि न तो बाट माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस तैयार किया गया था और न ही बाजार का सर्वेक्षण कराया गया था (जिस पर *प्रस्तर 4.5.1* में टिप्पणी की गयी है)। परिणामतः, 2007–12 की अवधि में लक्ष्य निम्नस्तर पर निर्धारित किया गया था तथा समीक्षा अवधि में लक्ष्य के सापेक्ष इसकी प्राप्ति ₹ 6.91 करोड़ अधिक हो गयी थी। वर्षवार निर्धारित लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष प्राप्ति का विवरण **चार्ट 1** में दिया गया है।

चार्ट 1: करेत्तर राजस्व के लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ



(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा केवल सत्यापन, मुद्रांकन एवं निरीक्षण किये जा रहे थे। शासन ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए राजस्व लक्ष्य निर्धारित न किये जाने का सुझाव दिया था।

4.6.1.3 कोषागार प्राप्ति प्रपत्र 385 का अनुश्रवण न किया जाना

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27 के अनुसार, विभागीय प्राप्तियों के सापेक्ष जमाकर्ताओं को निर्गत, प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिकाओं (प्रपत्र 385) की द्वितीय प्रति कार्यालय प्रमुख के व्यक्तिगत् अभिरक्षा/ताले में रखी जानी थी तथा उनका अभिलेखन तब तक नही किया जाना था जब तक जाँच कर यह सुनिश्चित न कर लिया गया हो कि सभी मदों जिनके लिये रसीद निर्गत की गयी थी, को उचित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत समुचित रूप में ले न लिया गया है। तथापि, वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 की अवधि में प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिकाओं (प्रपत्र 385) की द्वितीय प्रति वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों के पास पड़ी थी जिन्हें सहायक नियन्त्रक, जो कि कार्यालय प्रमुख थे, की व्यक्तिगत्

अभिरक्षा में रखा जाना था। यह भी पाया गया कि वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों को नयी/क्रमागत प्राप्ति पुस्तिकाएँ, बिना प्रयुक्त/द्वितीयक प्राप्ति पुस्तिका वापस लिए ही निर्गत की जा रही थी। इसके साथ ही प्रयुक्त प्राप्ति पुस्तिका के द्वारा संग्रहित प्राप्तियों को आहरण–वितरण अधिकारी की रोकड़ बही में भी अभिलेखित नहीं किया जा रहा था।

उत्तर में शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि नगद रसीदें केन्द्रों पर प्रयुक्त होती हैं अतः उन्हीं के पास रखी जाती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इन्हें उप नियन्त्रकों/सहायक नियन्त्रकों की व्यक्तिगत् अभिरक्षा में रखा जाना अपेक्षित था तथा केन्द्रों पर रोकड़ प्राप्तियों के दुरूपयोग या चोरी की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.6.1.4 रोकड़ बही का अनुचित रख–रखाव

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27–अ के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी शासकीय क्षमता के अधीन सभी प्राप्तियों एवं तदोपरान्त उनके कोषागार अथवा बैंक में प्रेषण के साथ–साथ कोषागार अथवा बैंक से वाउचरों या चेकों द्वारा किए गये आहरणों एवं तदोपरान्त उनके वितरण को विभिन्न स्तम्भों में अभिलेखित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय में प्रपत्र 2 में सामान्य रोकड़ बही रखना चाहिए। उपरोक्त नियम यह भी उपबन्धित करता है कि माह के अन्त में रोकड़ बही में अवशेषों को वास्तविक नगद अवशेषों से सत्यापित करना चाहिए एवं धनराशि रखने हेतु उत्तरदायी कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर द्वारा रोकड़ बही में इसका प्रमाण–पत्र भी अंकित किया जाना चाहिए।

नमूना जाँच किये गये 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच से परिलक्षित हुआ कि प्रयोगकर्ताओं द्वारा सीधे कोषागार में जमा की जा रही धनराशियों का अंकन रोकड़ बही में नही किया जा रहा था, प्रत्येक स्तम्भ के दैनिक अवशेष पर हस्ताक्षर नहीं थे एवं मासिक बन्दी प्रमाण–पत्र भी अभिलेखित नही किये जा रहे थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि केन्द्रों पर रखी जा रही रोकड़ बहियों की प्रविष्टियों को कार्यालय प्रमुख के मुख्य रोकड़ बही में अभिलेखित नही किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने यह बताया (दिसम्बर 2012) कि सभी केन्द्रों को प्रयोगकर्ताओं द्वारा सीधे कोषागार में जमा की जा रही धनराशियों का अंकन उनके रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत कर दिया गया (अगस्त 2012) है। यह भी बताया कि प्राप्तियाँ केन्द्रों पर प्राप्त होती हैं अतः केवल उन्हीं के यहाँ रखी गयी रोकड़ बही में अभिलेखित की जाती हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सम्भागीय प्राप्तियों एवं व्यय को वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–V के नियम 27–अ के अनुसार सम्भाग की रोकड़ बही में अभिलेखित किया जाना चाहिए था।

4.6.1.5 अत्यधिक मात्रा में रोकड़ अवशेष तिजोरी में संचित किया जाना

प्रवर्तन नियम 1990 के नियम 18(3) तथा नियन्त्रक के आदेश (सितम्बर 2008) के अनुसार केन्द्रों द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि को ₹ 2,000 से अधिक की स्थिति में या सप्ताह के अन्त में जो भी पहले हो, कोषागार में जमा कर दिया जाना अपेक्षित था। जाँच में यह पाया गया कि ₹ 2,000 की प्रावधानित सीमा से कहीं अधिक ₹ 1.75 लाख **(परिशिष्ट 4.2)** तक के अवशेष केन्द्रों की तिजोरी में संग्रहित थे। निर्धारित सीमा से अत्यधिक मात्रा में रोकड़ अवशेष तिजोरी में संचित किया जाना दुरूपयोग की खतरे से परिपूर्ण था। पुनःश्च, यह प्रचलित नियमों एवं आदेशों का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया कि नियमों के अनुपालन हेतु निर्देश निर्गत (अप्रैल 2011 एवं अगस्त 2012) कर दिये गये हैं।

4.6.2 प्रवर्तन सेवाएँ

प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 11 (1) के अन्तर्गत नियन्त्रक को बाट या माप के प्रत्येक निर्माता[10], मरम्मतकर्ता[11] एवं विक्रेता[12] को अनुज्ञप्ति निर्गत करने, बाट एवं माप का सत्यापन करने, दोषपूर्ण बाट एवं माप को जब्त करने का प्राधिकार है। नियन्त्रक, अधिनियमों या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अर्थदण्ड लगाने के लिए भी प्राधिकृत है। विभाग के मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयीः

4.6.2.1 अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण न किया जाना

बाट–माप के मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 की धारा 19(1) एवं विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति, जब तक कि वह नियन्त्रक द्वारा निर्गत वैधानिक अनुज्ञप्ति न रखता हो, बाट एवं माप की तैयारी, निर्माण, मरम्मत या विक्रय या प्रदान, मरम्मत या विक्रय हेतु प्रदर्शन या संग्रहण नहीं करेगा। ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति एक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी तथा प्रावधानित शुल्क के भुगतान के पश्चात वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत की जा सकेगी। पुनःश्च, नियम 1990 के नियम 12(5) के अनुसार, अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होने की तिथि के तीन माह की अवधि के अन्दर यदि अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने हेतु यदि नियन्त्रक अनुमति दे देता है तो आवेदक द्वारा अनुसूची VII में उल्लिखित दर के आधे दर पर विलम्ब से नवीनीकरण हेतु अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

नियन्त्रक एवं तीन चयनित सहायक नियन्त्रकों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह परिलक्षित हुआ कि बाट एवं माप के चार निर्माताओं, 417 विक्रेताओं एवं 470 मरम्मतकर्ताओं की अनुज्ञप्तियों की वैधता 2007 से 2011 के मध्य समाप्त हो गयी थी **(परिशिष्ट 4.3)** जबकि न तो अनुज्ञप्तिधारियों ने उनकी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया और न ही विभाग ने उनके अनुज्ञप्ति निरस्त करने हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ की थी। विभाग ने दोषियो के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी जिससे निर्माताओं, विक्रेताओं एवं मरम्मतकर्ताओं द्वारा अवैध अनुज्ञप्तियों के प्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि अनुज्ञप्तिधारियों ने उनकी अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु आवेदन नही किया तथा एक वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात ये निरस्त मान लिए जाते हैं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रवर्तन नियम 2011 की नियम 11(3) की शर्त 1(ई) यह उपबन्धित

[10] एक व्यक्ति जो बाट या माप का निर्माण, एक या अधिक भाग का निर्माण, जोड़ने के लिए उसके अन्य पुर्जे प्राप्त करता हो, दूसरो के द्वारा निर्मित पुर्जों से जोड़ता हो, दूसरो के द्वारा निर्मित या बनाये गये किसी भी पूर्ण बाट या माप पर अपना चिन्ह लगाता या लगवाता हो।

[11] एक व्यक्ति जो बाट या माप की मरम्मत एवं एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो समायोजित, सफाई, चिकना या पेंट करता हो या किसी ऐसे बाट या माप जिसे अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित मानक पर खरा उतरने को सुनिश्चित करने के लिए कोई अन्य सेवा देता हो।

[12] एक व्यक्ति जो रोकड़, स्थगित भुगतान, कमीशन, पारिश्रमिक अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसे बाट या माप के क्रय, विक्रय, आपूर्ति, वितरण सीधे अथवा अन्य प्रकार से करता हो तथा इसमे कमीशन अभिकर्ता, आयातकर्ता, निर्माता जो उनके द्वारा या विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा निर्मित कोई बाट या माप विक्रय, आपूर्ति, वितरण या अन्यथा पहुँचाता हो, भी सम्मिलित हैं।

करती है कि जिसके पक्ष में अनुज्ञप्ति निर्गत की गयी हो, वह व्यक्ति व्यापार के समापन पर और/या अनुज्ञप्ति के निरस्त होने पर अनुज्ञप्ति समर्पित कर देगा।

इस प्रकार, अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त हो जाने के पश्चात भी निर्माताओं, विक्रेताओं एवं मरम्मतकर्ताओं इत्यादि द्वारा अनुज्ञप्तियों के दुरूपयोग की सम्भावना पर ध्यान रखते हुए, विभाग द्वारा निर्गत अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण हेतु एक विश्वसनीय तन्त्र का होना आवश्यक है।

4.6.2.2 बाट एवं माप का वार्षिक सत्यापन

प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 15 (एवं प्रवर्तन नियम 1990 का नियम 15) यह उपबन्धित करता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार मे या संरक्षण के लिए किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है ऐसे बाट या माप को सत्यापन[13]/पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में अथवा ऐसे स्थान मे जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस तिथि या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है। पुनः, प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 16 यह उपबन्धित करता है कि यदि, जाँच एवं सत्यापन के उपरान्त, वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक संतुष्ट होते हैं कि बाट या माप स्थापित मानक के अनुरूप है तो उसे एक 'एक समान' चित्र से मुद्रांकित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 17 इस सेवा के लिए शुल्क भारित करने हेतु भी उपबन्धित करता है। दोषियों को अर्थदण्ड से दण्डित करना था।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर राज्य में आच्छादित उपयोगकर्ताओं एवं वसूल किए गये शुल्क की वर्षवार स्थिति **सारणी 6** में दर्शायी गयी है।

सारणी 6: बाट एवं माप का सत्यापन

विवरण	अवधि				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
सत्यापित उपयोगकर्त्ताओं की संख्या	10,12,482	9,40,919	9,79,131	9,46,709	8,10,366
वसूला गया शुल्क (₹ करोड़ में)	12.86	13.78	15.02	16.79	22.87

(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

विभाग की प्रवर्तन सेवाएँ घट रही थीं।

सारणी के जाँच से वर्ष 2007–08 की तुलना में उपयोगकर्ताओं, जिनका बाट एवं माप सत्यापित किया गया था, की संख्या में कमी की प्रवृत्ति थी जबकि राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

सहायक नियन्त्रकों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि व्यापारिक संस्थाओं के बाट एवं माप के सत्यापन एवं मुद्रांकन के सम्बन्ध में केन्द्र/प्रयोगशाला स्तर पर एक पंजिका के रख–रखाव हेतु नियन्त्रक ने उपबन्धित किया (मार्च 2008) था। नमूना जाँच किये गये 42 केन्द्रों के अभिलेखों की जाँच में परिलक्षित हुआ कि लगभग 1.29 लाख उपयोगकर्ताओं[14] ने अपने बाट एवं माप सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किये थे। निरीक्षकों ने न तो उन उपयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण किया और न ही उन्हें उपकरणों को

[13]पुनः सत्यापन (अ) समस्त बाटों, क्षमता मापकों, लम्बाई मापकों, फीता, तुला एवं काउण्टर यन्त्र के लिए 24 माह, (ब) संग्रहक टंकियों के लिए 60 माह, एवं (स) अ एवं ब में वर्णित के अतिरिक्त टैंक लारी सहित अन्य सभी बाट या मापों के लिए 12 माह की अवधि की समाप्ति पर किया जाना होगा।

[14]जिनके बारे में विभाग को पता था क्योंकि इन उपयोगकर्ताओं ने अतीत में अपने उपकरणों का विभाग द्वारा सत्यापन करा रखा था।

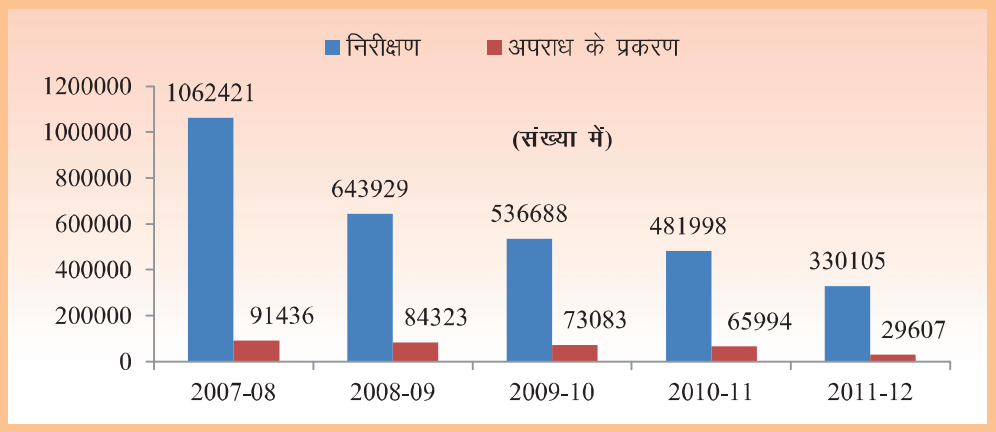
सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। इसकी परिणति ₹ 1.51 करोड़[15] के शुल्क की वसूली न हो पाने के रूप में हुई **(परिशिष्ट 4.4)**। इस प्रकार, अमानक बाट एवं माप के प्रयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विभाग को सत्यापन हेतु त्रुटिविहीन विधि सुनिश्चित करना चाहिये।

इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर 2012) कि पंजिका का रख–रखाव एक आंतरिक व्यवस्था है और किसी नियम/अधिनियम में उपबन्धित नहीं है। यह भी बताया कि विगत वर्षों में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के बाट एवं मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों को निर्देश निर्गत कर दिये गये (अगस्त 2012) हैं।

4.6.2.3 बाट एवं माप का निरीक्षण

प्रवर्तन नियम 2011 का नियम 15(6) यह उपबन्धित करता है कि विधिक माप विज्ञान अधिकारी प्रत्येक परिसर में वहाँ प्रयुक्त बाट एवं माप के निरीक्षण एवं जाँच हेतु जितना अधिक सम्भव हो भ्रमण करेगा। यदि उपयोगकर्ता स्थापित मानक के विरूद्ध बाट एवं माप का उपयोग करते हुये पाया गया तो उन्हे जब्त कर लेना अपेक्षित था तथा उपयोगकर्ता के अपराध को शमन भी करना था। किये गये कुल निरीक्षणों एवं पकड़े गये अपराध के प्रकरणों की वर्षवार स्थिति **चार्ट 2** में दी गयी है।

चार्ट 2: किये गये कुल निरीक्षण



(**स्रोतः** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

उपरोक्त चार्ट से वर्ष 2007–12 की अवधि में निरीक्षण एवं अपराध की पकड़ में कुल संख्या में कमी की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है जबकि निरीक्षण से अपराध के प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष सीमित भिन्नता थी।

शासन ने इसका कारण कर्मचारियों की कमी होना बताया (दिसम्बर 2012)। नियन्त्रक ने वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षणों के गलत प्रतिवेदन के प्रकरणों के पाये जाने को संज्ञान (जुलाई 2007) में लेते हुए बाट एवं माप के विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के मासिक निरीक्षणों हेतु मानक[16] निर्धारित किया (जुलाई 2008)। तथापि **सारणी 7** से

[15] यह मानते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास कम से कम एक–एक 5 किग्रा एवं 2 किग्रा के ₹ 15 प्रति की दर से, एक 1 किग्रा का ₹ 10 की दर से, एक–एक 500 ग्रा, 200 ग्रा, 100 ग्रा एवं 50 ग्रा ₹ 5 प्रति की दर से तथा एक तुला कुल ₹ 60 सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रभार प्रति उपयोगकर्ता।

[16] (i) पेट्रोल पम्प/तेल डिपो/उचित दर की दुकान इत्यादि प्रति निरीक्षक 50/25 थी, (ii) डिब्बाबन्द सामग्री इत्यादि प्रति निरीक्षक 50/25 थीं, (iii) निर्माण सामग्री/धर्मकाँटा इत्यादि प्रति निरीक्षक 50 थे।

यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2011–12 की अवधि में सभी 12 प्रभागों के वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में कमी आयी थी।

सारणी 7: वर्ष 2011–12 की अवधि में किये गये निरीक्षणों में कमी

बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का वर्ग	मानक के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत में)	कमी (प्रतिशत में)
पेट्रोल पम्प/तेल डिपो/उचित दर की दुकान इत्यादि	74,675	42,570 (57)	32,105 (43)
डिब्बा बन्द वस्तुएँ	75,300	61,601 (82)	13,699 (18)
भवन सामग्री/धर्मकाँटा इत्यादि	86,850	43,679 (50)	43,171 (50)

(**स्रोत:** नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

इसके अतिरिक्त, किसी भी नमूना जाँच किये गये केन्द्रों पर निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं पाये गये (अप्रैल से जुलाई 2012)। इस प्रकार, एक तरफ तो वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों में कमी पायी गयी दूसरी तरफ नियन्त्रक द्वारा संज्ञान में लेने तथा निर्देश निर्गत करने के चार वर्ष पश्चात भी निरीक्षणों से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं बनाया गया। विभाग द्वारा निरीक्षण हेतु निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (दिसम्बर 2012)।

इस प्रकार, वर्ष 2007–08 की तुलना में वर्ष 2011–12 में निरीक्षणों की संख्या एवं अपराधों की पकड़ में 69 प्रतिशत एवं 68 प्रतिशत की कमी हुयी थी। साथ ही विभाग द्वारा किये गये निरीक्षणों के समर्थन में अभिलेख बनाने में शिथिलता दर्शाती है कि विभाग की प्रवर्तन सेवाएँ अपर्याप्त थी।

4.6.2.4 न्यायालय प्रकरण

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (मार्च, 2008) के अनुसार बाटों एवं मापों के अनाचार के दोषी उल्लंघनकर्ता को अर्थदण्ड से प्रशमित किया जाना था। उन प्रकरणों में, जहाँ उल्लंघनकर्ता तीन माह के अन्दर प्रतिक्रिया न करे उनके लिए न्यायालय में वाद दायर किया जाना था।

उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2007–12 की अवधि में अनाचार अपराध के 3.44 लाख चिन्हित प्रकरणों में 2.15 लाख उल्लंघनकर्ताओं ने अर्थदण्ड का भुगतान किया जबकि शेष (1.48 लाख) उल्लंघनकर्ताओं के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद दायर किया गया।

न्यायालय में दायर किये गये प्रकरणों एवं न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का वर्षवार विवरण **सारणी 8** में दिया गया है।

सारणी 8: न्यायालय में दायर एवं निर्णीत प्रकरणों की वर्षवार संख्या

वर्ष	दायर प्रकरण	निर्णीत प्रकरण	वर्षान्त शेष प्रकरण
2007-08	39,941	36,582	54,279
2008-09	37,402	33,485	58,196
2009-10	30,452	31,328	57,320
2010-11	23,035	26,560	53,794
2011-12	16,811	20,472	50,133

(स्रोतः नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ)

सारणी से यह विदित है कि विभाग द्वारा पैरवी न करने के कारण न्यायालय में प्रकरण लम्बित थे। शासन के निर्देश (जनवरी 2008) के क्रम में निरीक्षकों/वरिष्ठ निरीक्षकों द्वारा न्यायालय प्रकरण पंजिका के अनियमित रख–रखाव के कारण प्रकरणों के लम्बित रहने की आवर्तता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह विभाग की अप्रभावशाली अनुश्रवण एवं नियन्त्रण की कार्यपद्धति को इंगित करता है। अच्छा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर शासन द्वारा यह बताया गया (दिसम्बर, 2012) कि न्यायालय प्रकरण पंजिका का रख–रखाव किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि न्यायालय प्रकरण पंजिका का रख–रखाव शासन के निर्देश के अनुरूप समुचित प्रारूप में नहीं किया जा रहा था जिससे न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की आवर्तता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

4.6.3 क्षेत्र में संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पायी गयी कमियाँ

संबंधित जिलों के निरीक्षकों के साथ 90 धर्मकॉटों, 90 उचित दर की दुकानों, 90 ज्वेलरी दुकानों एवं 90 सामान्य व्यापारियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) किया गया था। उपरोक्त संस्थाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय निम्नांकित अनियमिततायें प्रकाश में आयीं।

4.6.3.1 प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 23(4) के अनुसार तौल यन्त्र की शुद्धता की सही जांच सुनिश्चित करने हेतु उपयोगिता तौल यन्त्र के स्थान पर यन्त्र की क्षमता के दसांश अथवा एक टन जो भी कम हो के बराबर सत्यापित एवं मुद्रांकित बाट रखेगा और उपभोक्ता तौल यन्त्र की शुद्धता की जाँच कर सकेगा।

तथापि संयुक्त सत्यापन में हमने यह पाया कि इलेक्ट्रानिक तौल यन्त्र रखने वाले 90 में से 29 धर्मकांटों, 56 में से 29 ज्वेलरी दुकानों, पाँच[17] में से दो उचित दर की दुकानों एवं 56 में से 23 सामान्य व्यापारियों के पास कोई जाँच बाट नहीं था।

जाँच बाट के न रखने से नियम की व्यवस्था का उद्देश्य विफल था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 23(4) के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की।

4.6.3.2 प्रवर्तन नियम 2011 के नियम 15(1) के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिये किसी बाट या माप का उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप का सत्यापन/पुनःसत्यापन विधिक माप विज्ञान अधिकारी के

[17] 90 में से 73 उचित दर की दुकानें संयुक्त निरीक्षण के दौरान बन्द पायी गयीं।

कार्यालय में अथवा ऐसे अन्य स्थान में, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत करेगा जिस दिनांक को सत्यापन अपेक्षित है।

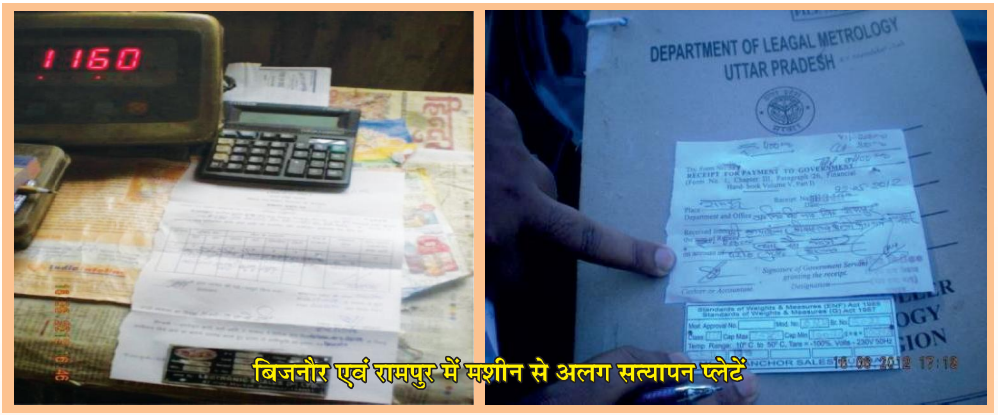
तथापि लेखापरीक्षा द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 90 में से एक धर्मकांटा, 90 में से सात ज्वेलरी की दुकान, 17 में से तीन उचित दर की दुकान एवं 90 में से 13 सामान्य व्यापारियों के बाट एवं माप असत्यापित एवं अमुद्रांकित थे।

प्रयुक्त बाटों एवं मापों के सत्यापन एवं मुद्रांकन न किये जाने से जहां अधिनियम एवं नियमों का उद्देश्य विफल हुआ वहीं विभाग को राजस्व की क्षति भी हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध विभाग द्वारा प्रवर्तन अधिनियम 2009 के प्रस्तर 24 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गयी।

4.6.3.3 सामान्य नियम 1987 के नियम 13 के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची के शीर्षक–ए के प्रस्तर चार के अनुसार सभी तौल यन्त्रों में उत्पादनकर्ता द्वारा मुलायम धातु का एक प्लग या स्टड दिया जायेगा जिसमें सत्यापन अधिकारी की मुहर लग सके। यह प्लग या स्टड के दृश्य हिस्से में दिया जायेगा और इस तरह बनाया जायेगा जिससे मुहर को नुकसान पहुँचाये बिना निकाला न जा सके।

तथापि संयुक्त सत्यापन (जुलाई 2012 से अगस्त 2012) में यह पाया गया कि इलेक्ट्रानिक तौल यन्त्र रखने वाले 13 धर्मकाँटों, 12 ज्वेलरी दुकानों एवं 12 सामान्य व्यापारियों की मशीनों पर सत्यापन प्लेटें जुड़ी नहीं थी जैसा कि निम्न फोटो से परिलक्षित हो रहा है;



बिजनौर एवं रामपुर में मशीन से अलग सत्यापन प्लेटें

इसके परिणामस्वरुप एक मशीन की सत्यापन प्लेट की दूसरी मशीन पर दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा मुरादाबाद में गेहूं क्रय केन्द्र पर एक ऐसा प्रकरण पाया गया जहाँ कि एमटेक मेड मशीन की सत्यापन प्लेट का प्रयोग पेसिफिक मेड मशीन पर किया गया था।

इस प्रकार प्रवर्तन क्रिया–कलाप की प्रभावशीलता से विभाग द्वारा समझौता किया गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर प्रवर्तन अधिनियम, 2009 के प्रस्तर 24 के क्रम में विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही आरम्भ की गयी।

4.6.4 त्रुटि संकेतो के प्रति संवेदनशीलता

प्रवर्तन अधिनियम एवं नियमों को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक था कि प्रदेश, जोन, खण्ड एवं केन्द्र स्तर पर एक ऐसी व्यवस्था हो जो विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले त्रुटि संकेत चिन्हित करे।

लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में आया कि:

- ऐसे प्रयोगकर्ताओं जिन्होंने अपने बाटों एवं मापों को सत्यापन एवं मुद्रांकन के लिए प्रस्तुत नहीं किया, के संज्ञान में होने के उपरान्त भी विभाग ने दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की।

- वरिष्ठ निरीक्षकों/निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के अभिलेखन के अभाव के संज्ञान में होने के उपरान्त भी किसी स्तर पर निरीक्षण पंजिका के रख–रखाव हेतु कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया था जिसके कारण उच्चाधिकारियों को सूचित निरीक्षणों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

- निर्धारित प्रारूप में न्यायालय वाद पंजिका रख–रखाव किये जाने के नियन्त्रक के निर्देश के उपरान्त भी आवश्यक प्रविष्टियों सहित पंजिका नहीं बनायी गयी थी जिससे पुराने प्रकरणों का अनुश्रवण नहीं किया गया था।

- उड़न दस्ते की स्वीकृति के उपरान्त भी उसे क्रियाशील करने हेतु आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती हेतु विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया था जिससे नियमों एवं अधिनियमों के उल्लंघन पर द्वितीय रोकथाम सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इस प्रकार अपनी कार्यविधि में कमी की जानकारी के उपरान्त भी कार्यविधि को कारगर बनाने हेतु विभाग ने कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया और इस प्रकार त्रुटि संकेतों के प्रति असंवेदनशील था।

4.7 निष्कर्ष

विभाग की अनुदेशित प्रवर्तन गतिविधियाँ *तदर्थ* आधार पर की जा रही थी क्योंकि विभाग की गतिविधियों एवं उपयोगकर्ताओं के परिसरों में निरीक्षणों इत्यादि को परिभाषित करने वाली संदर्श योजना एवं वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी थी। विभाग ने बाट एवं माप के उपयोगकर्ताओं का डेटाबेस नहीं बनाया था। मूल कार्यों के कर्मचारियों जो विभाग के प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उत्तरदायी थे, की कमी थी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के बावजूद केन्द्रों/प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण नहीं किया गया था तथा इसके लिए कोई कार्य योजना भी नहीं बनायी गयी थी जिसके कारण सहायता अधिकतर अप्रयुक्त रही। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपर्याप्त थी क्योंकि न तो आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था और न ही अनुश्रवण तन्त्र प्रभावी था। विगत पाँच वर्षों में बाट एवं माप के अनिवार्य सत्यापन के साथ उनके प्रयोगकर्ताओं के परिसर में निरीक्षण में कमी का रुझान था तथा अत्यधिक प्रकरण निर्णय हेतु न्यायालय में लम्बित थे।

4.8 अनुशंसायें

- विभाग को बाट एवं माप के उपयोगकर्ता व्यापारिक संस्थानों का समुचित सर्वेक्षण के आधार पर डेटाबेस बनाना चाहिए जिससे उनके प्रभावी अनुश्रवण हेतु कार्य योजना बनायी एवं प्रवर्तित की जा सके;
- विभाग को केन्द्रों/प्रयोगशालाओं इत्यादि के रूप में सुदृढ़ ढाँचा विकसित करना चाहिए, केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक विकसित करना चाहिए;
- पर्याप्त एवं प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली उपलब्ध होनी चाहिए तथा शासकीय निधि के प्रबन्धन के लिए राजकीय वित्तीय नियमों का पूर्णरुपेण अनुपालन करना चाहिए; एवं
- उपकरणों में लगे मुद्रांकन को फेरबदल से बचाने के लिए एक विश्वसनीय तन्त्र स्थापित होना चाहिए।

(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 15 अप्रैल 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 16 अप्रैल 2013

परिशिष्ट

1.1 वर्ष 2011-12 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की स्थिति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 1.8.1; पृष्ठ 8)

वर्ष	सोशल सेक्टर-II			सोशल सेक्टर -III			सोशल सेक्टर -IV			जनरल सेक्टर		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर		निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	
		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब		भाग–अ	भाग–ब
1999-2000	**0**	0	0	**0**	0	0	**03**	06	17	**0**	0	0
2000-01	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0
2001-02	**0**	0	0	**0**	0	0	**01**	03	04	**0**	0	0
2002-03	**0**	0	0	**0**	0	0	**02**	12	14	**0**	0	0
2003-04	**0**	0	0	**0**	0	0	**02**	07	20	**0**	0	0
2004-05	**0**	0	0	**0**	0	0	**08**	09	28	**0**	0	0
2005-06	**0**	0	0	**0**	0	0	**09**	03	27	**0**	0	0
2006-07	**0**	0	0	**0**	0	0	**05**	06	20	**0**	0	0
2007-08	**173**	197	609	**316**	168	662	**59**	49	222	**143**	220	317
2008-09	**254**	127	845	**433**	213	802	**221**	115	598	**255**	241	601
2009-10	**259**	152	774	**436**	195	814	**366**	173	1,045	**227**	83	938
2010-11	**294**	181	1,066	**410**	283	1,016	**393**	244	1,179	**261**	134	977
2011-12	**242**	162	986	**349**	206	900	**160**	85	547	**108**	75	459
योग	**1,222**	**819**	**4,280**	**1,944**	**1,065**	**4,194**	**1,229**	**712**	**3,721**	**994**	**753**	**3,292**

परिशिष्ट

2.1.1 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के सापेक्ष बकाया विविध अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.7.2; पृष्ठ 16)

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई का नाम	धनराशि	क्रम संख्या	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई का नाम	धनराशि
1	अलीगढ़	11.27	26	रामपुर	14.45
2	बदायूँ-1	11.00	27	एस0आर0 नगर	33.06
3	बागपत	6.20	28	सोनभद्र	10.93
4	बलिया	21.86	29	उन्नाव	12.40
5	बाँदा	7.02	30	बलिया–2	11.78
6	बाराबंकी	9.60	31	बांदा–2	1.90
7	बस्ती	18.92	32	बाराबंकी–2	4.27
8	बुलन्दशहर	10.33	33	बाराबंकी–3	4.91
9	देवरिया	10.78	34	बस्ती–2	6.03
10	एटा–1	8.39	35	बदायूँ–2	5.13
11	इटावा	19.94	36	बदायूँ–3	6.96
12	फर्रुखाबाद	16.44	37	एटा–2	7.00
13	फैजाबाद	13.11	38	इटावा–2	14.89
14	गोण्डा–1	4.53	39	फर्रुखाबाद–2	8.41
15	जौनपुर	11.58	40	गोण्डा–2	9.88
16	कुशीनगर	9.01	41	जौनपुर–2	13.26
17	ललितपुर–1	14.29	42	कुशीनगर–2	3.79
18	मेरठ	18.92	43	कुशीनगर–3	7.04
19	महराजगंज	14.48	44	ललितपुर–2	9.72
20	महोबा–1	5.27	45	मुरादाबाद–2	6.65
21	मथुरा–1	12.94	46	रायबरेली–2	7.75
22	मुरादाबाद	14.73	47	रामपुर–2	13.42
23	मुजफ्फरनगर	21.52	48	सिद्धार्थनगर–2	12.51
24	पीलीभीत–1	2.81	49	सोनभद्र–2	2.72
25	रायबरेली	4.87	50	उन्नाव–2	7.84
योग		**299.81**			**236.70**
₹ 299.81 + ₹ 236.70 = ₹ 536.51 लाख अर्थात ₹ 5.37 करोड़					

(स्रोत: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.2 (अ) परिमण्डलवार असमायोजित विविध प्रकीर्ण अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.8; पृष्ठ 20)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 1997 के पूर्व					
परिमण्डल	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	योग
आगरा	0.07	0.04	0.00	0.00	0.11
अलीगढ़	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08
इलाहाबाद	0.16	0.03	0.00	0.03	0.22
बरेली	0.11	0.02	0.00	0.00	0.13
फैजाबाद	0.24	0.29	0.00	0.12	0.65
गोरखपुर	0.79	0.23	0.00	0.10	1.12
झाँसी	0.11	0.39	0.01	0.09	0.60
कानपुर	0.02	0.06	0.00	0.08	0.16
लखनऊ	0.37	0.19	0.01	0.00	0.57
मेरठ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मुरादाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सहारनुपर	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06
वाराणसी	0.63	0.22	0.02	0.79	1.66
योग	**2.50**	**1.55**	**0.04**	**1.27**	**5.36**

(₹ करोड़ में)

वर्ष 1997 के पश्चात्					
परिमण्डल	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	योग
आगरा	0.01	0.01	0.00	0.02	0.04
अलीगढ़	0.00	0.09	0.01	0.01	0.11
इलाहाबाद	0.20	0.11	0.09	0.00	0.40
बरेली	0.16	0.00	0.00	0.03	0.19
फैजाबाद	0.33	0.54	0.00	0.01	0.88
गोरखपुर	1.71	3.21	0.00	0.00	4.92
झॉसी	0.20	0.63	0.00	0.02	0.85
कानपुर	0.09	0.09	0.00	0.00	0.18
लखनऊ	0.16	0.07	0.00	0.00	0.23
मेरठ	0.02	0.04	0.00	0.00	0.06
मुरादाबाद	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02
सहारनपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाराणसी	0.60	0.29	(-) 0.01	0.00	0.88
योग	**3.48**	**5.10**	**0.09**	**0.09**	**8.76**
1997 के पूर्व	**2.50**	**1.55**	**0.04**	**1.27**	**5.36**
1997 के बाद	**3.48**	**5.10**	**0.09**	**0.09**	**8.76**
योग	**5.98**	**6.65**	**0.13**	**1.36**	**14.12**

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.2 (ब) नमूना-जाँच प्रखण्डों के बकाया विविध प्रकीर्ण अग्रिम

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.8; पृष्ठ 20)

(धनराशि ₹ में)

प्रखण्ड	वर्ष 1997 के पूर्व				वर्ष 1997 के पश्चात				योग
	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	कर्मचारियों के विरुद्ध	फर्म के विरुद्ध	ठेकेदार के विरुद्ध	विभाग के विरुद्ध	
आगरा	3,29,664	2,29,844	0	3,513	1,20,596	5,160	0	1,51,885	8,40,662
अलीगढ़	0	24,818	28,644	0	0	91,700	59,933	11,310	2,16,405
इलाहाबाद	9,46,590	99,775	0	3,26,148	1,64,684	4,30,773	8,42,588	0	28,10,558
आजमगढ़	2,999	2,68,672	0	0	0	2,89,383	0	10,000	5,71,054
देवरिया	3,03,476	1,27,085	45,195	1,95,000	27,524	1,47,069	0	0	8,45,349
इटावा	76,964	2,08,720	0	0	3,51,926	0	0	0	6,37,610
फैजाबाद	16,37,682	4,06,377	0	7,12,331	89,979	2,65,837	0	0	31,12,206
गोण्डा	3,23,185	24,65,969	7,374	1,84,871	30,650	39,91,004	0	0	70,03,053
हरदोई	1,63,213	7,35,332	29,400	37,686	1,47,017	5,02,866	0	0	16,15,514
झाँसी	41,976	5,88,091	82,576	1,60,502	8,11,909	6,21,618	0	6,76,155	29,82,827
ललितपुर	0	3,25,084	0	0	6,54,799	1,28,118	0	0	11,08,001
लखनऊ	55,026	8,50,719	55,519	13,134	5,000	21,773	2,005	0	10,03,176
मैनपुरी	79,427	651	0	0	0	40,630	0	0	1,20,708
मुरादाबाद	0	14,686	0	0	0	21,506	0	0	36,192
सीतापुर	2,04,264	0	48,412	0	5,07,893	38,810	0	0	7,99,379
सोनभद्र	10,93,535	87,000	0	0	18,03,379	0	0	0	29,83,914
योग	**52,58,001**	**64,32,823**	**2,97,120**	**16,33,185**	**47,15,356**	**65,96,247**	**9,04,526**	**8,49,350**	**2,66,86,608**
₹ 1,36,21,129 अर्थात ₹ 1.36 करोड़					**₹ 1,30,65,479 अर्थात ₹ 1.31 करोड़**				

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.3 फार्म-51 के भाग-I एवं भाग-II में अन्तरों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.8.11; पृष्ठ 21)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	भाग–I	भाग–II
1.	आगरा	4,10,254.90	78,87,529.60
2.	अलीगढ़	35,79,251.85	9,85,393.13
3.	इलाहाबाद	4,92,687.39	10,34,394.86
4.	आजमगढ़	0.00	4,47,728.00
5.	बिजनौर	0.00	33,000.00
6.	देवरिया	15,89,176.00	7,73,627.00
7.	इटावा	3,82,137.00	50,51,482.09
8.	फैजाबाद	(-) 1,57,004.70	6,14,957.03
9.	गोण्डा	20,15,974.30	15,20,133.13
10.	हरदोई	12,16,395.00	4,58,407.36
11.	झाँसी	15,86,252.00	40,03,182.00
12.	ललितपुर	(-)42.12	7,50,165.69
13.	लखनऊ	39,26,697.72	76,54,870.79
14.	मैनपुरी	0.00	26,465.00
15.	मुरादाबाद	(-) 3,78,305.79	21,58,750.92
16.	सीतापुर	(-) 22,942.50	2,83,63,337.00
17.	सोनभद्र	0.00	22,83,404.00
	योग	**1,46,40,531.05**	**6,40,46,827.60**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.4 केन्दीय सतर्कता आयोग द्वारा परिचालित माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9; पृष्ठ 22)

कानून अच्छी तरह स्थापित है कि राज्य इसके निगमों, माध्यमों एवं अभिकरणों द्वारा दिये जाने वाले ठेके सार्वजनिक निविदा के नोटिफिकेशन एवं निविदा आमंत्रण के माध्यम से पात्र व्यक्तियों द्वारा निविदायें मंगाकर दिये जाने चाहिये। ये निविदायें पूर्ण प्रचलित एवं प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने चाहिये जिनमें समस्त संबंधित विवरण जैसे दिनांक, नीलामी का स्थान एवं समय, नीलामी का विषय, तकनीकी विशिष्टियॉं, अनुमानित लागत, धरोहर धनराशि इत्यादि हो। सरकारी ठेकों को सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा के माध्यम से देने में सार्वजनिक क्रय में पारदर्शिता, सरकारी क्रय में अधिकतम मितव्ययिता एवं क्षमता बरतने, निविदादाताओं के मध्य स्वस्थ प्रतियोगिता, निविदादाताओं को स्वच्छ एवं बराबरी का व्यवहार संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं, हस्तक्षेप एवं भ्रष्ट आचरण को समाप्त करने को सुनिश्चित करना है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आवश्यक है। हालांकि दुर्लभ और असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए, प्राकृतिक आपदाओं और सरकार द्वारा घोषित आपात स्थिति के दौरान जहॉं केवल एक ही स्रोत से खरीद संभव है, जहाँ माल व सेवाओं के संबंध में आपूर्तिकर्ता एवं ठेकेदार को विशेष अधिकार है एवं उचित विकल्प या स्थानापन्न नहीं है, जहाँ कई तिथियों पर सम्पन्न की गई वहाँ बोलीदाता नहीं थे अथवा बोलियों की पेशकश बहुत कम थी, इत्यादि, यह सामान्य नियम से अन्तर किया जा सकता है और इस तरह के अनुबन्धों को 'निजी वार्ता' के माध्यम से सम्मानित किया जा सकता है'।

(स्रोतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी आदेश**)**

2.1.5 बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्यों का प्रारंभ

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.1; पृष्ठ 23)

प्रखण्ड	अवधि	बिना तकनीकी स्वीकृति के निर्माण कार्यों का प्रारंभ		
		अनुबन्धों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	तकनीकी स्वीकृति के पूर्व अनुबंधों का निष्पादन (दिनों में)
आगरा	2007-12	14	0.74	3 - 724
अलीगढ़	2007-12	28	1.93	1 - 978
इलाहाबाद	2007-12	1	0.02	304
आजमगढ़	2007-12	199	28.02	1 - 292
इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
फैजाबाद	2007-12	3	1.19	24 - 182
गोण्डा	2011-12	3	0.05	3 – 27
हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
ललितपुर	2007-12	1	0.37	3
लखनऊ	2007-12	3	0.12	6 – 19
मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
मुरादाबाद	2007-12	6	0.17	3 – 10
सीतापुर	2007-12	10	0.64	1 – 63
सोनभद्र	2007-12	27	2.97	1 - 167
योग		**295**	**36.22**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.6 तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.2; पृष्ठ 23)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	*तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलम्ब*		
			निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की लागत (₹ करोड़ में)	30 दिन से अधिक दिनों का विलम्ब
1.	आगरा	2007-12	75	11.67	5 - 338
2.	अलीगढ़	2007-12	80	25.02	4 - 1250
3.	आजमगढ़	2007-12	391	54.13	1 - 1832
4.	देवरिया	2007-12	279	18.59	1 - 500
5.	इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
6.	फैजाबाद	2007-12	13	0.55	2 - 164
7.	गोण्डा	2011-12	27	2.05	10 - 359
8.	हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
9.	झाँसी	2007-12	198	13.14	1 - 684
10.	ललितपुर	2007-12	34	3.43	4 - 285
11.	लखनऊ	2007-12	232	38.38	1 - 1110
12.	मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
13.	मुरादाबाद	2007-12	168	11.22	1 - 843
14.	सीतापुर	2007-12	93	11.82	1 – 124
15.	सोनभद्र	2007-12	11	1.15	59 – 468
		योग	**1,601**	**191.15**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.7 अल्पकालिक निविदा के आधार पर कार्य का सौंपा जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.4; पृष्ठ 24)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	अनुबंध की संख्या > अल्पकालिक निविदा के साथ ₹ 2 लाख	अनुबंधों की कुल लागत > अल्पकालिक निविदा के साथ ₹ 2 लाख (₹ करोड़ में)	निविदा आमंत्रण में लिया गया समय (दिवसों में)
1.	आगरा	2007-12	579	125.02	9 - 28
2.	अलीगढ़	2007-12	260	73.04	1 - 28
3.	आजमगढ़	2007-12	783	182.58	10 -- 29
4.	बिजनौर	2007-12	459	191.98	9 - 29
5.	देवरिया	2007-12	525	34.20	12 - 29
6.	इटावा	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
7.	गोण्डा	2011-12	119	9.45	7 - 23
8.	हरदोई	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
9.	झाँसी	2007-12	102	49.66	10 - 29
10.	ललितपुर	2007-12	142	29.74	4 - 28
11.	लखनऊ	2007-12	237	26.27	5 - 29
12.	मैनपुरी	2007-12	आंकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
13.	मुरादाबाद	2007-12	531	132.11	12 - 29
14.	सीतापुर	2007-12	798	159.07	8 - 27
		योग	**4,535**	**1,013.12**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.8 अल्पकालिक निविदा के आधार पर अनुबंधों के गठन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.4; पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त 15 दिन बाद गठित अनुबन्धों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त 15 दिन बाद गठित अनुबन्धों की लागत	वित्तीय बिड खोलने के उपरान्त अनुबन्ध गठन में लिया गया समय
आगरा	321	100.38	32 - 196
अलीगढ़	106	38.15	31 - 174
आजमगढ़	539	142.70	31 - 272
बिजनौर	348	163.67	31 - 245
देवरिया	165	12.26	31 - 436
गोण्डा	40	3.20	37 - 234
झाँसी	51	22.23	32 - 309
ललितपुर	89	18.68	32 - 197
लखनऊ	96	16.75	31 - 331
मुरादाबाद	278	91.10	31 - 572
सीतापुर	668	144.69	31 - 262
योग	**2,701**	**753.81**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.9 (अ) बहुल बिड निरस्त करने के कारण सरकार को हानि

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

क्रम संख्या	सीसी रोड एवं ड्रेन का निर्माण	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	अनुमानित लागत (₹ में)	अनुबंध लागत (₹ में)	अनुबन्धित दर	निविदा दिनांक 28–05–2010 में प्राप्त बिडों की संख्या	निविदा दिनांक 03–04–2010 में न्यूनतम दर का प्रस्ताव	निविदा दिनांक 03–04–2010 में प्राप्त बिडों की संख्या	निविदा दिनांक 03–04–2010 में निर्माण कार्य के लागत की दर का प्रस्ताव (₹ में)
1.	गढ़ी कच्छवाया	39/ईई 03-07-10	30,27,344	30,24,317	विभागीय दर से 0.10% कम	1	15	4	25,73,242.4
2.	गढ़ी खुर्ती भाग–अ	38/ईई 03-07-10	16,07,154	15,91,082	विभागीय दर से 1.00% कम	1	15	5	13,66,080.9
3.	गरही कुर्ती–ब	45/ईई 03-07-10	13,67,339	13,46,829	विभागीय दर से 1.50% कम	1	15	5	11,62,238.15
4.	नगला बिहारी	40/ईई 03-07-10	30,99,898	30,96,798	विभागीय दर से 0.10% कम	1	15	5	26,34,913.3
5.	चन्दौली खुर्द	41/ईई 03-07-10	31,19,793	31,18,233	विभागीय दर से 0.05% कम	1	12	10	27,45,417.84
6.	जरीपुरा अ	44/ईई 03-07-10	18,63,568	18,61,705	विभागीय दर से 0.10% कम	1	13	8	16,21,304.16
7.	जरीपुरा भाग–ब	42/ईई 03-07-10	16,27,984	16,07,634	विभागीय दर से 1.25% कम	1	13	8	14,16,346.08
8.	भूमदिया वाजिदपुर	46/ईई 03-07-10	26,64,598	26,18,791	विभागीय दर से 1.25% कम	1	12.5	5	23,31,523.25
9.	नगला सिंघल	47/ईई 03-07-10	22,10,255	21,66,049	विभागीय दर से 2.00% कम	1	11.27	4	19,61,159.262
10.	कुंजलगरही	48/ईई 03-07-10	25,94,296	25,68,353	विभागीय दर से 1.00% कम	1	17	4	21,53,265.68
11.	नवा नगर	49/ईई 02-07-10	31,37,796	30,98,574	विभागीय दर से 1.25% कम	1	14.5	4	26,82,815.58
12.	नगला उम्मेद	34/ईई 03-07-10	39,44,981	38,85,807	विभागीय दर से 1.50% कम	1	12	3	34,71,583.28
		योग	**3,02,65,006**	**2,99,84,172**					**2,61,19,889.88**
बहुल बिड निरस्त करने के कारण हानि				**(2,99,84,172.00 - 2,61,19,890.00) = ₹ 38.64,282.00**					

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अलीगढ़)

परिशिष्ट

2.1.9 (ब) एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

प्राप्त बहुल बिडों पर अनुबंधों का गठन								
प्रखण्ड	क्रम संख्या	अनुबंध की संख्या	अनुबंध की तिथि	अनुबंध की लागत (₹ में)	विभागीय दर से कम अनुबंध दर (प्रतिशतता)	प्राक्कलित लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने की तिथि
सीतापुर	1	248	16.08.11	93,92,936	2.49	96,32,792.53	2	13.06.11
सीतापुर	2	222	16.08.11	94,52,570	8.89	1,03,74,898.47	2	13.06.11
सीतापुर	3	241	16.08.11	91,71,582	8.99	1,00,77,554.11	2	13.06.11
सीतापुर	4	239	16.08.11	43,27,438	9.99	48,07,730.25	3	13.06.11
सीतापुर	5	280	19.08.11	51,98,730	10.11	57,83,435.31	2	13.06.11
सीतापुर	6	250	16.08.11	53,52,642	11.86	60,72,886.32	2	13.06.11
सीतापुर	7	223	16.08.11	44,09,680	12.00	50,11,000.00	3	13.06.11
सीतापुर	8	282	25.08.11	44,78,967	12.86	51,39,966.72	2	13.06.11
सीतापुर	9	233	16.08.11	45,65,376	13.60	52,84,000.00	2	13.06.11
सीतापुर	10	323	25.08.11	85,58,323	13.87	99,36,518.05	2	13.06.11
सीतापुर	11	324	25.08.11	56,23,540	14.00	65,39,000.00	2	13.06.11
सीतापुर	12	271	19.08.11	40,71,281	14.30	47,50,619.60	2	13.06.11
सीतापुर	13	281	19.08.11	50,65,378	16.90	60,95,521.06	2	13.06.11
सीतापुर	14	234	16.08.11	41,69,001	17.99	50,83,527.62	3	13.06.11
सीतापुर	15	228	16.08.11	64,11,917	21.19	81,35,918.03	2	13.06.11
सीतापुर	16	235	16.08.11	55,05,601	22.80	71,31,607.51	4	13.06.11
सीतापुर	17	283	25.08.11	52,67,468	23.00	68,40,867.53	5	13.06.11
			योग	**10,10,22,430**	औसत दर **13.81**	**11,66,97,843.13**		
प्राप्त एकल बिल पर अनुबंधों का गठन								
प्रखण्ड	क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	अनुबंध तिथि	अनुबंध की लागत (₹ में)	विभागीय दर से कम अनुबंध दर (प्रतिशतता)	प्राक्कलित लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	वित्तीय बिड खोलने की तिथि
सीतापुर	1	230	16.08.11	66,06,236	0.01	66,06,896.69	1	13.06.11
सीतापुर	2	317	25.08.11	50,39,952	0.05	50,42,473.24	1	13.06.11
सीतापुर	3	278	19.08.11	44,25,761	0.06	44,28,418.05	1	13.06.11
सीतापुर	4	237	16.08.11	73,90,592	0.09	73,97,249.52	1	13.06.11
सीतापुर	5	220	16.08.11	44,99,915	0.10	45,04,419.42	1	13.06.11
सीतापुर	6	238	16.08.11	82,04,775	0.10	82,12,987.99	1	13.06.11
सीतापुर	7	246	16.08.11	83,95,268	0.10	84,03,671.67	1	13.06.11
सीतापुर	8	247	16.08.11	45,92,857	0.10	45,97,454.45	1	13.06.11
सीतापुर	9	320	25.08.11	62,75,035	0.10	62,81,316.32	1	13.06.11
सीतापुर	10	322	25.08.11	40,14,545	0.10	40,18,563.56	1	13.06.11
सीतापुर	11	219	16.08.11	81,26,640	0.25	81,47,007.52	1	13.06.11
सीतापुर	12	236	16.08.11	76,48,830	0.25	76,68,000.00	1	13.06.11
सीतापुर	13	243	16.08.11	78,68,639	0.25	78,88,359.90	1	13.06.11
सीतापुर	14	245	16.08.11	75,87,871	0.25	76,06,888.22	1	13.06.11
सीतापुर	15	231	16.08.11	92,38,829	0.67	93,01,146.68	1	13.06.11
सीतापुर	16	224	16.08.11	41,67,425	0.87	42,03,999.80	1	13.06.11
सीतापुर	17	242	16.08.11	42,35,221	1.00	42,78,001.01	1	13.06.11
सीतापुर	18	244	16.08.11	57,06,411	1.00	57,64,051.52	1	13.06.11
			योग	**11,40,24,802**	औसत दर **0.30**	**11,43,50,905.56**		
बहुल एवं एकल बिड दर की प्रतिशतता में अन्तर (13.81 - 0.30)								**13.51%**
एकल बिड पर अनुबंधों के गठन में अधिक लागत = ₹ 11,43,50,906.00 x 13.51 %								**₹ 1,54,48,807.00**

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, सीतापुर)

2.1.9 (स) एकल निविदा के आधार पर अनुबंधों का गठन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.5; पृष्ठ 25)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अनुबंध संख्या	अनुमानित लागत (₹ में)	अनुबंध लागत (₹ में)	प्राप्त बिडों की संख्या	बिड की दर	कम औसत दर
1	इटावा	140/एसई/08-09	1,66,21,711.57	1,64,97,048.73	01	विभागीय दर से 0.75% कम	विभागीय दर से कम औसत दर =0.54%
2	इटावा	75/एसई/08-09	20,75,723.37	20,57,041.86	01	विभागीय दर से 0.90% कम	
3	इटावा	138/एसई/08-09	1,04,83,533.12	1,04,83,533.12	01	विभागीय दर के बराबर	
4	इटावा	74/एसई /08-09	30,82,660.67	30,54,916.72	01	विभागीय दर से 0.90% कम	
5	इटावा	19/एसई/08-09	22,95,243.50	22,78,029.18	01	विभागीय दर से 0.75% कम	
6	इटावा	141/एसई/08-09	1,08,07,595.35	1,07,96,787.75	01	विभागीय दर से 0.10% कम	
7	इटावा	12/एसई/08-09	84,82,813.35	84,75,178.82	01	विभागीय दर से 0.09% कम	
8	इटावा	13/एसई/08-09	90,53,588.64	90,35,481.46	01	विभागीय दर से 0.20% कम	
9	इटावा	82/एसई/08-09	78,48,406.10	78,01,315.66	01	विभागीय दर से 0.60 % कम	
10	इटावा	135/एसई/08-09	1,16,78,014.38	1,16,78,014.38	01	विभागीय दर के बराबर	
11	इटावा	136/एसई/08-09	1,06,33,085.20	1,06,33,085.20	01	विभागीय दर के बराबर	
12	इटावा	84/एसई/08-09	41,99,905.40	41,36,906.82	01	विभागीय दर से 1.5% कम	
13	इटावा	15/एसई/08-09	31,87,845.27	31,49,591.13	01	विभागीय दर से 1.20 % कम	
14	इटावा	18/एसई/08-09	42,93,735.80	42,50,798.44	01	विभागीय दर से 1% कम	
15	इटावा	81/एसई/08-09	36,95,751.76	37,67,273.00	01	विभागीय दर से 0.50% कम	
16	इटावा	14/एसई/08-09	32,63,951.04	32,34,575.48	01	विभागीय दर से 0.90 % कम	
17	इटावा	137/एसई/08-09	1,25,39,837.54	1,25,39,837.54	01	विभागीय दर के बराबर	
18	इटावा	83/एसई/08-09	55,73,141.36	54,89,544.24	01	विभागीय दर से 1.50 % कम	
19	इटावा	70/एसई/08-09	33,46,710.20	33,45,371.52	01	विभागीय दर से 0.04% कम	
20	इटावा	17/एसई/08-09	59,56,986.18	59,48,050.70	01	विभागीय दर से 0.15% कम	
21	इटावा	16/एसई/08-09	58,64,697.00	58,52,967.61	01	विभागीय दर से 0.20% कम	
		योग	**14,49,84,936.80**	**14,45,05,349.36**			
1	इटावा	59/एसई/08-09	57,06,304.44	55,36,827.20	02	विभागीय दर से 2.97% कम	विभागीय दर से कम औसत दर = 6.94%
2	इटावा	73/एसई/08-09	62,90,671.03	61,96,310.96	02	विभागीय दर से 1.50% कम	
3	इटावा	60/एसई/08-09	23,22,497.70	21,13,472.91	03	विभागीय दर से 9% कम	
4	इटावा	62/एसई/08-09	39,76,878.30	34,26,080.66	02	विभागीय दर से 13.85% कम	
5	इटावा	57/एसई/08-09	67,44,390.30	65,94,664.84	03	विभागीय दर से 2.22 % कम	
6	इटावा	58/एसई/08-09	33,38,362.16	32,81,610.00	03	विभागीय दर से 1.70 % कम	
7	इटावा	20/एसई/08-09	70,39,241.50	61,22,732.26	02	विभागीय दर से 13.01% कम	
8	इटावा	63/एसई/08-09	33,32,296.13	29,55,746.67	02	विभागीय दर से 11.30% कम	
		योग	**3,87,50,641.56**	**3,62,27,445.50**			
विभागीय दरों से कम औसत दर 0.54 प्रतिशत पर गठित 21 अनुबंधों की अनुमानित लागत = ₹ 14.50 करोड़							
विभागीय दरों से कम औसत दर 6.94 प्रतिशत पर गठित 21 अनुबंधों की लागत= ₹ 14.50 करोड़–(₹ 14.50 करोड़ X6.94/100) = ₹ 13.49 करोड़							
इसके कारण 21 अनुबंधों की लागत ₹ 0.96 करोड़ (14.45-13.49) अधिक हुई।							

(**स्रोत:** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, इटावा)

परिशिष्ट 2.1.10

वर्ष 2007-12 के दौरान निष्पादित चयनित अनुबंध

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.6; पृष्ठ 25)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	चयनित अनुबंध की संख्या	चयनित अनुबंध की लागत
1.	आगरा	1	1.39
2.	इलाहाबाद	2	0.79
3.	आजमगढ़	87	17.47
4.	बिजनौर	5	0.09
5.	देवरिया	3	0.62
6.	इटावा	32	3.73
7.	फैजाबाद	18	2.26
8.	गोण्डा	12	1.56
9.	हरदोई	34	3.24
10.	ललितपुर	8	1.71
11.	लखनऊ	81	7.91
12.	मैनपुरी	18	4.85
13.	मुरादाबाद	1	0.14
14.	सीतापुर	25	3.76
	कुल योग	**327**	**49.52**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.11 प्रखण्डों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	तकनीकी स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्यों का अनारम्भ		
			अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की लागत (₹ करोड़ में)	तकनीकी स्वीकृति से 60 दिन से अधिक
1	आगरा	2007-12	258	9.02	1 से 700
2	अलीगढ़	2007-12	272	65.63	1 से 1,464
3	इलाहाबाद	2007-12	967	41.82	1 से 862
4	आजमगढ़	2007-12	1,120	89.56	1 से 1,169
5	बिजनौर	2007-12	91	10.16	1 से 830
6	देवरिया	2007-12	520	20.20	1 से 2,701
7	इटावा	2007-12	248	38.39	1 से 785
8	फैजाबाद	2007-12	283	16.17	1 से 498
9	गोण्डा	2011-12	105	8.69	1 से 1,105
10	हरदोई	2007-12	469	33.27	1 से 1,418
11	झाँसी	2007-12	984	25.40	1 से 1,170
12	ललितपुर	2007-12	173	11.85	2 से 625
13	लखनऊ	2007-12	228	30.91	1 से 964
14	मैनपुरी	2007-12	182	25.49	1 से 898
15	मुरादाबाद	2007-12	274	24.90	1 से 666
16	सीतापुर	2007-12	679	109.37	1 से 744
17	सोनभद्र	2007-12	133	22.13	1 से 369
		योग	**6,986**	**582.96**	

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.12 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में निविदा प्रक्रियाँ को पूर्ण करने के लिए समय अनुसूची

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

प्रकिया का विवरण	दिवस	कुल संकलित दिवस
प्रेस नोटिस का विज्ञापन	समय की गिनती प्रारम्भ	07
दस्तावेजों की बिक्री के 15 दिन		
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व प्री–बिड बैठक		
बिड प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से कम से कम 6 दिन पूर्व शोधन/स्पष्टीकरण जारी		
बिड को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं निविदाओं का खुलना (बाहरी लिफाफे एवं तकनीकी बिडों का खुलना)	21	28
तकनीकी बिड का मूल्यांकन और परिणाम की अधिसूचना	10	38
वित्तीय बिड का खुलना	01	39
वित्तीय बिडों का मूल्यांकन एवं अनुमोदन	10	49
अनुमोदन की सूचना	07	56
निष्पादन हेतु सिक्योरिटी डिपाजिट, समझौता एवं कार्यादेश का प्रस्तुतीकरण	15	71
कार्य का आरंभ	15	86

(**स्रोतः** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपरेशन मैनुअल)

2.1.13 कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों में अनुबंधों के निष्पादन में विलम्ब

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.7; पृष्ठ 26)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	पैकेजों की कुल संख्या	पैकेजों की कुल लागत	निविदा प्रकिया में विलम्ब सहित गठित अनुबंधों की संख्या	निविदा प्रकिया में विलम्ब सहित गठित अनुबंधों की लागत	विलम्ब (दिवसों मे)
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, अलीगढ़	25	82.95	16	47.17	4 से 134
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	24	82.03	18	57.34	23 से 167
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-2, इटावा	21	52.83	19	43.48	31 से 88
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	40	114.62	26	109.81	30 से 210
पीआईयू -2 गोण्डा	14	54.23	12	44.49	46 से 165
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, ललितपुर	17	54.55	15	47.54	15 से 413
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, मुरादाबाद	24	77.46	15	37.33	11 से 259
कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई-1, सोनभद्र	24	77.99	18	59.80	26 से 126
योग	**189**	**596.66**	**139**	**446.96**	

(**स्रोतः** कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयॉ)

2.1.14 सिक्योरिटी डिपाजिट का सत्यापन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.8; पृष्ठ 27)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	2007–12 के दौरान अनुबंधों की कुल संख्या	अनुबंधों की संख्या जिनमें सिक्योरिटी का सत्यापन किया गया	सिक्योरिटी डिपाजिट के सत्यापन के साथ अनुबंधों की प्रतिशतता
1.	आगरा	1,221	61	5.00
2.	अलीगढ़	891	48	5.39
3.	इलाहाबाद	1,610	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये	
4.	आजमगढ़	2,215	0	0.00
5.	बिजनौर	623	2	0.32
6.	देवरिया	875	13	1.49
7.	फैजाबाद	1,076	0	0.00
8.	गोण्डा	1,495	10	0.67
9.	हरदोई	1,258	0	0.00
10.	झाँसी	1,270	111	8.74
11.	ललितपुर	312	269	86.22
12.	लखनऊ	662	385	58.16
13.	मैनपुरी	345	33	9.57
14.	मुरादाबाद	950	25	2.63
15.	सीतापुर	1,389	58	4.18
16.	सोनभद्र	796	0	0.00
	योग	**16,988**	**1,015**	

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.15 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में सिक्योरिटी डिपाजिट की कम वसूली

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.9; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	अनुबंध की कुल लागत	ठेकेदार को दी गई कुल धनराशि	कुल धनराशि से परफारमेन्स सिक्योरिटी एवं सिक्योरिटी डिपाजिट (5 *प्रतिशत*) काटी जानी थी	बिल्स से धनराशि (2.5 *प्रतिशत*) काटी गई	कम वसूली
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	15 एसई 01.10.08	6.35	5.73	0.29	0.14	0.15
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	07 एसई 06.06.08	5.46	4.77	0.24	0.12	0.12
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	14 एसई 29.09.08	3.89	3.16	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	14 एसई 24.07.09	3.49	3.29	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	15 एसई 24.07.09	3.46	3.28	0.16	0.08	0.08
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	18 एसई 02.09.09	0.74	0.71	0.04	0.02	0.02
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	16 एसई 24.07.09	5.30	3.51	0.18	0.09	0.09
इटावा कार्यक्रम कियान्वयन इकाई-2	17 एसई 27.07.09	4.02	3.79	0.19	0.09	0.10
		योग	**28.24**	**1.42**	**0.70**	**0.72**

(**स्रोत**: कार्यक्रम कियान्वयन इकाइयाँ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.16 स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट की धारा 4 प्रस्तर 13 के अनुसार बीमा आच्छादन के मानक

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 29)

	मद	बीमा योग्य धनराशि	कटौतियाँ
	निर्माण अवधि के लिए		
अ	निर्माण कार्यों, यंत्रों एवं सामग्रियों को क्षति अथवा हानि	अनुबन्ध मूल्य का 10 प्रतिशत	बीमा के लिए कटौतियाँ भारत के जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के नवीनतम टैरिफ के अनुसार + ए बी सी डी के लिए प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत होगा।
ब	उपकरणों को क्षति अथवा हानि	अनुबन्ध मूल्य का 2.5 प्रतिशत	
स	अनुबंध के सम्बन्ध में सम्पत्ति (निर्माण कार्यों, यंत्र, सामग्रियों एवं उपकरणों को छोड़कर) को क्षति या नुकसान	अनुबन्ध मूल्य का 1 प्रतिशत	
द	व्यक्तिगत चोट अथवा मृत्यु	अनुबन्ध मूल्य रुपये दो करोड़ तकः रुपये दो लाख प्रति दुर्घटना अधिकतम तीन दुर्घटना तक	
		अनुबन्ध मूल्य रुपये दो करोड़ से अधिक के लिए : रुपये दो लाख प्रति दुर्घटना अधिकतम छः दुर्घटना तक	
	डिफेक्ट लाइबिलिटी हेतु		
अ	व्यक्तिगत चोट अथवा मृत्यु	प्रति वर्ष एक दुर्घटना के लिए रुपये दो लाख	बीमा के लिए कटौतियाँ भारत के जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के नवीनतम टैरिफ के अनुसार + प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत होगा।

(**स्रोतः** स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट एवं माडल बिड डाक्यूमेण्ट)

परिशिष्ट

2.1.17 प्रखण्डों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 29)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	अवधि	अनुबन्धों की संख्या	अनुबन्धों की लागत	निर्माण के लिए प्रति वर्ष बीमा की धनराशि एवं अवधि				डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि हेतु बीमा राशि ₹ 2 लाख प्रति अनुबंध प्रति वर्ष	कुल योग
				ए के लिए अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत	बी के लिए अनुबंध के मूल्य का 2.5 प्रतिशत	सी के लिए अनुबंध के मूल्य का एक प्रतिशत	डी के लिए ₹ 6 लाख प्रति अनुबंध		
आगरा	2007-12	436	311.66	31.17	7.79	3.12	26.16	8.72	76.96
अलीगढ़	2007-12	78	65.3	6.53	1.63	0.65	4.68	1.56	15.05
इलाहाबाद	2007-12	125	126.85	12.69	3.17	1.27	7.50	2.50	27.13
आजमगढ़	2007-12	216	91.32	9.13	2.28	0.91	12.96	4.32	29.60
बिजनौर	2007-12	166	138.56	13.86	3.46	1.39	9.96	3.32	31.99
इटावा	2007-12	35	30.8	3.08	0.77	0.31	2.10	0.70	6.96
हरदोई	2007-12	145	75.54	7.55	1.89	0.76	8.70	2.90	21.80
झाँसी	2007-12	46	31.57	3.16	0.79	0.32	2.76	0.92	7.95
ललितपुर	2007-12	31	13.91	1.39	0.35	0.14	1.86	0.62	4.36
लखनऊ	2007-12	47	31.13	3.11	0.78	0.31	2.82	0.94	7.96
मैनपुरी	2007-12	51	27.69	2.77	0.69	0.28	3.06	1.02	7.82
मुरादाबाद	2007-12	108	98.8	9.88	2.47	0.99	6.48	2.16	21.98
सीतापुर	2007-12	194	125.22	12.52	3.13	1.25	11.64	3.88	32.42
सोनभद्र	2007-12	16	10.48	1.05	0.26	0.10	0.96	0.32	2.69
	योग	**1,694**	**1,178.83**	**117.89**	**29.46**	**11.80**	**101.64**	**33.88**	**294.67**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.18 कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों में बीमा मानकों का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.10; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	पैकेज / अनुबन्ध की संख्या	अनुबन्ध की लागत	निर्माण के लिए प्रति वर्ष बीमा की धनराशि एवं अवधि					
			ए के लिए अनुबंध के मूल्य का 10 प्रतिशत	बी के लिए अनुबंध के मूल्य का 2.5 प्रतिशत	सी के लिए अनुबंध के मूल्य का एक प्रतिशत	₹ 2 करोड़ तक ₹ 6 लाख प्रति अनुबन्ध एवं ₹ 2 करोड़ से अधिक ₹ 12 लाख प्रति अनुबंध	डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि हेतु बीमा राशि	योग
अलीगढ़ कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	24	81.56	8.16	2.04	0.82	2.70	0.48	14.20
देवरिया कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	24	79.92	7.99	2.00	0.80	2.76	1.40	14.95
इटावा कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2	21	53.18	5.32	1.33	0.53	1.86	1.46	10.50
फैजाबाद कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	12	32.15	3.22	0.80	0.32	1.32	0.24	5.90
गोण्डा कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–2	14	54.23	5.42	1.36	0.54	1.62	0.76	9.70
ललितपुर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	17	58.10	5.81	1.45	0.58	1.80	0.34	9.98
मुरादाबाद कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	33	103.42	10.34	2.59	1.03	3.36	0.66	17.98
सोनभद्र कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–1	7	26.77	2.68	0.67	0.27	1.08	0.46	5.16
योग	**152**	**489.33**	**48.94**	**12.24**	**4.89**	**16.50**	**5.80**	**88.37**

(**स्रोत**: कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.19 प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.11; पृष्ठ 30)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	अवधि	निर्माण कार्यों में तकनीकी स्वीकृति जो प्रशासनिक अनुमोदन के पूर्व दी गई		
			निर्माण कार्यों की संख्या	निर्माण कार्यों की लागत (₹ करोड़ में)	दिवस पूर्व
1.	अलीगढ़	2007-12	1	0.16	92
2.	इलाहाबाद	2007-12	2	0.04	2 - 342
3.	आजमगढ़	2007-12	3	0.07	7 - 11
4.	इटावा	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
5.	फैजाबाद	2007-12	8	0.31	13 - 242
6.	हरदोई	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
7.	ललितपुर	2007-12	4	4.09	2 - 111
8.	लखनऊ	2007-12	4	4.68	27
9.	मैनपुरी	2007-12	आँकड़ें उपलब्ध नहीं कराये गये		
10.	सोनभद्र	2007-12	2	0.06	10 - 83
		योग	**24**	**9.41**	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.20 अनुबंधों के गठन में अपारदर्शिता के प्रकरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.9.11; पृष्ठ 30)

प्रखण्ड	अनुबंध संख्या / दिनांक	अनुबंध लागत (₹ करोड़ में)	अनियमितताओं की प्रकृति
गोण्डा	104/एसई; 30-06-2010	0.68	हालांकि, ठेकेदार को निष्कासित (फरवरी 2009) कर दिया गया था, 28–04–2010 को निष्कासन समाप्त करके बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। दो ठेकेदारों का एक ही आवासीय पता होते हुए भी बोली प्रक्रियाँ में भाग लिया हालांकि तकनीकी बोलियों की जॉच सूची से ज्ञात हुआ कि दोनों ठेकेदार बोली प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं थे।
हरदोई	212/ईई; 9-12-2010	0. 15	ठेकेदार ने 20–11–2010 को लिखित अनुरोध किया जबकि अधिशासी अभियंता ने 18–11–2010 को प्रकरण की सिफारिश की थी।
हरदोई	262/ईई; 8-03-2011	0. 13	निष्पादन के छः दिनों के पश्चात 14–03–2011 का स्टाम्प पेपर संलग्न था।
हरदोई	137//एसई; 17-10-2008	1.21	ठेकेदार का हैसियत प्रमाण–पत्र 'ए' श्रेणी का नहीं था हालांकि वह 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया था।
हरदोई	128/ईई; 23-02-2010	0.40	ठेकेदार का हैसियत प्रमाण–पत्र 'ए' श्रेणी का नहीं था हालांकि वह 'ए' श्रेणी में पंजीकृत किया गया था।
	योग	2.57	

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.21 अनुमोदित डिजाइन और विशिष्टियों से विचलन के कारण परिहार्य व्यय

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.1 पृष्ठ 31)

प्रखण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	आपत्तिधीन धनराशि (₹ में)	अभ्युक्ति
आगरा	2011-12	पाली किरावली	68,40,471	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
आगरा	2011-12	रामनगर खदौली	50,23,987	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	13,26,917	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	12,64,856	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	1,40,567	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
अलीगढ़	2011-12	भदेसी माफी	67,507	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	9,83,776	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	1,73,579	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	60,717	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
अलीगढ़	2011-12	बहारपुर	66,665	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	7,69,769	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	49,336	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	6,29,510	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2010-11	धुर्रा तोदरपुर	58,359	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	3,17,627	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	20,549	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	3,72,600	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
अलीगढ़	2010-11	नगला मोतीराई	43,208	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
अलीगढ़	2007-08	गंगीरी	2,85,486	मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में आयरन की अधिक मात्रा
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	1,87,551	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	सरायरामदास	1,92,705	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	याराना	2,66,935	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)

इलाहाबाद	2011-12	केहुनीकला	1,81,909	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	90,862	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2011-12	सहजीपुर	23,460	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2008-09	बरौत	2,33,012	नाली के आधार में एल0सी0 से अधिक मोटाई का प्रावधान
इलाहाबाद	2011-12	पगुवार	3,175	आर0सी0सी0 कवर की अधिक मोटाई
इलाहाबाद	2011-12	सहजीपुर	10,141	आर0सी0सी0 कवर की अधिक मोटाई
आजमगढ़	2010-11	बगई मू बनहारा	9,19,463	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
आजमगढ़	2010-11	बगई मू बनहारा	6,85,449	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
आजमगढ़	2011-12	सराय मोहन	32,23,699	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
बिजनौर	2011-12	दरबढ़	4,59,105	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
बिजनौर	2011-12	दरबढ़	20,93,577	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
बिजनौर	2009-10	हसनपुर पालकी	4,08,164	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	71,291	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	चुरिया	60,650	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रायबारी	95,461	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	87,694	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	77,648	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	32,593	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	1,05,420	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	कठघरा	20,121	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	80,847	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	राजपुर	90,241	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	31,768	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	79,153	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	83,987	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	26,483	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	चुरिया	4,281	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रायबारी	5,184	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	5,518	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	3,586	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	4,691	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	4,226	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान

देवरिया	2010-11	कठघरा	4,591	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	5,227	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	राजपुर	11,474	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	3,987	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	16,227	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	28,263	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
देवरिया	2010-11	बलुआ अफगान	2,83,092	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	चुरिया	3,39,278	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रायबारी	3,80,316	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बनकटा अमेठिया	3,99,160	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रामपुर कोठी	2,91,278	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	कोरया कठारिया	1,19,009	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	सिरसिया पवार	3,77,799	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	कठघरा	2,55,442	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बासदेव उर्फ गोबरही	3,12,061	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	राजपुर	3,59,295	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	छपरा दुबौली	99,790	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	रामपुर बुजुर्ग	3,10,760	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
देवरिया	2010-11	बिशुनपुरा	3,61,514	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
इटावा	2008-09	फुफई राजस्व ग्राम कठगनवा	62,306	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	फुफई	1,57,078	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवेदा खुर्द कलॉ राजस्व ग्राम (पश्चिमी)	60,335	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवेदा खुर्द कलॉ राजस्व ग्राम (पूर्वी)	2,73,038	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मेदी दुदही राजस्व ग्राम भिलौना	97,948	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा

इटावा	2008-09	अस्वा मजरा पुरा रीवारी	35,259	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी मजरा रुद्रपुर	2,29,973	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	जमालपुर	10,183	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवादा खुर्द कलॉ भाग–II	1,20,669	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	जैमालपुर मजरा बारीपुरा	37,613	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	अस्वा राजस्व ग्राम अस्वा	12,538	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	नवादा खुर्द कलॉ मजरा नगला मर्दन	32,905	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल मजरा नरायनपुर	1,77,450	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	संतोषपुर	4,380	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	केशवपुर मजरा नगला पीपल	90,502	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	केशोपुर	2,84,043	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सहसो	4,07,559	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी	2,40,188	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	बनामई	70,299	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल	2,89,956	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मोहारी मजरा उसरहार	4,20,425	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	खुदरैल मजरा महराजपुर	35,259	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सिसहट मजरा विलासपुर	24,747	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	सिसहट	64,824	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
इटावा	2008-09	मेदी दुद्धी	6,70,578	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
फैजाबाद	2011-12	भीखनपुर	15,71,306	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	भीखनपुर	1,14,559	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	गोपालपुर	15,05,162	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)

फैजाबाद	2011-12	गोपालपुर	1,07,397	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	नंदौली	10,54,651	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	नंदौली	80,166	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2011-12	बिछियॉ	10,97,251	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2011-12	बिछियॉ	80,384	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	लक्ष्मनपुर ग्रान्ट	6,31,878	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	लक्ष्मनपुर ग्रान्ट	10,088	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	रसूलपुर खुर्द	5,59,282	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	रसूलपुर खुर्द	42,476	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	नरसादा	6,35,673	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	नरसादा	32,286	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2010-11	सरेकटिया	5,83,388	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
फैजाबाद	2010-11	सरेकटिया	95,484	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	बल्लीपुर	84,499	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	नेवाजपुर	39,442	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	रजौरा	23,813	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2009-10	हरदोईया	1,31,690	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
फैजाबाद	2008-09	हरगण्टनगंज	69,11,531	अनुमोदित मानक से विचलन के फलस्वरुप आउट फाल नाली की अधिक लम्बाई
गोण्डा	2008-09	मछली गॉव	1,25,150	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	लावा बीरपुर	3,19,600	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	तेंदुआ मोहिनी	78,750	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मलारी	98,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मनकापुर	2,62,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	जमुनही	1,53,350	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	शीतलगंज	1,77,050	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	गूंगी देई	1,88,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	भगोहर	1,11,200	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा

गोण्डा	2008-09	साहारा	2,88,550	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मरचौर	1,86,750	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	सबरुपुर	1,77,450	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	मसकनवा	1,06,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	भीवपुर	1,08,550	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	बड़गॉव	5,46,150	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	छतरौली	2,94,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चन्दापुर	3,80,250	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	रघुनाथपुर	2,29,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	राजपुर खास	2,60,950	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	लावा टपरा	1,85,250	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चारुहुआ	4,29,900	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	उपरहार	2,62,300	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	रघुनाथपुरवा	58,100	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	बरौली	3,63,400	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	चिवराहा	2,89,300	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	शुकुल पुरवा	76,050	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2008-09	अहिरौली	1,10,626	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
गोण्डा	2010-11	इमलिया मिश्रा	28,794	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	मसऔलिया	40,974	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	बसन्तपुर अट्टा	41,910	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	देहरास	41,925	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	भौरीकला	33,080	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	परसिया गोसाई	33,205	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	फतवा	28,717	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	अरनहवा	30,202	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	बभौपुरवा	33,642	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)

गोण्डा	2010-11	बेली खुर्द	40,352	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	खखरा	39,574	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
गोण्डा	2010-11	लौहटी	22,476	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मरौरा	10,966	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	सुठैना	10,910	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	अलीगढ़	10,720	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	बारीपुर	9,119	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	खेरिया नेवादा	10,440	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	फकीराबाद	10,549	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	अहमदी	10,887	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	हिंगूपुर	11,059	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	सहजना	10,583	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मलहापुर	10,325	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	चन्द्रेसीपुर	10,469	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	गांगुली	10,930	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	बियराइच मऊ	10,074	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मवई मुसलमानन	10,697	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	लालमऊ	10,407	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	मेरहौवा	9,146	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
हरदोई	2010-11	महमूदपुर अल्हौआ	2,33,880	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	वासित नगर	1,60,913	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	फत्तेपुर पथरौली	2,49,499	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	हतौरा	4,73,648	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	बन्धामऊ	1,57,584	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2010-11	बेहता गोकुल	4,80,277	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2009-10	राव बहादुर	1,22,616	अग्राह्य दरों का प्रावधान
हरदोई	2008-09	बन्धामऊ	1,50,548	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2008-09	वासित नगर	1,62,180	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2010-11	महमूदपुर अल्हौआ	18,208	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2010-11	फत्तेपुर पथरौली	46,305	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
हरदोई	2011-12	हतौरा	1,35,802	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	6,35,451	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	4,28,665	उपभोग मानक से विचलन के फलस्वरुप आरसीसी कवर में माइल्ड स्टील की अग्राह्य मात्रा
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	1,28,886	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2008-09	सकरार एवं मजरा बदौआ खिरक भाग–बी	2,92,375	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी कार्य की अधिक मात्रा
झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	1,88,961	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी कार्य की अधिक मात्रा

झाँसी	2008-09	पुंछ भाग–ई	4,96,714	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2010-11	राजपुरा	5,97,201	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
झाँसी	2010-11	बिजौरा	2,64,744	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
झाँसी	2011-12	मदोरी भाग–बी	12,970	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	मदोरी भाग–ए	11,251	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	चकारा	40,934	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	मोतीकटरा	28,670	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	लबहेरा	26,683	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	गढमऊ	25,846	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	हरदुआ	23,732	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	जौरा	31,155	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	कनेचा	13,747	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	गदमऊ का मजरा नई बस्ती	10,228	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	दुरखुरु का मजरा नई बस्ती	19,479	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	नवादा	20,102	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बंगरा बंगरी	29,601	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	जलालपुरा	1,674	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बेन्दा	13,198	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	निपन	26,231	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	बुधवाली	18,240	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	दुरखुरु	14,501	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	नरैच	14,506	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	धुरवई	27,029	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
झाँसी	2011-12	स्यावरी	37,764	अग्राह्य मद का प्रावधान (हैसन क्लाथ)
ललितपुर	2008-09	कदेसर कला	2,66,724	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप नाली में एल0सी0 की अधिक मोटाई
ललितपुर	2011-12	बन्दर गुदा	4,08,739	मानक से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग का अधिक चौड़ीकरण
लखनऊ	2010-11	वीरपुर	5,67,859	अग्राह्य दरों का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	कठवारा कल्हान का खेरा, बीच खेरा, रामगरहा, चननकुण्ड एवं उलरपुर	20,37,747	अग्राह्य दरों का प्रावधान
लखनऊ	2008-09	खरौंहा	4,55,715	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2008-09	जुगौर	4,49,970	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	कठवारा	1,40,769	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2010-11	वीरपुर	16,978	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2011-12	ककराबाद	74,599	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
लखनऊ	2011-12	चटौनी	1,63,630	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान

लखनऊ	2011-12	समेसी	13,431	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2008-09	परोखा–I	13,63,320	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2010-11	विधराई	2,94,630	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2009-10	नगला मान्धाता	4,16,136	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2008-09	नोनेर	4,37,500	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई
मैनपुरी	2008-09	परोखा–I	1,44,025	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2008-09	नोनेर	1,14,777	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	गड़िया कुरावली	22,352	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2009-10	नगला मान्धाता भाग–बी	25,445	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	विधराई I एवं II	46,040	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	नगला मान्धाता	8,580	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2010-11	नगला गढ़ी	16,180	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मैनपुरी	2011-12	देवगंज	37,336	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
मुरादाबाद	2008-09	रुस्तमपुर नियावली	7,33,778	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2010-11	बहजोई देहात	3,62,719	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2010-11	बहजोई देहात	2,12,148	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2011-12	देवीपुरा मुस्तकम	2,36,916	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
मुरादाबाद	2011-12	देवीपुरा मुस्तकम	14,92,230	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सीतापुर	2011-12	भरथर	1,65,867	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सीतापुर	2011-12	भरथर	96,312	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2011-12	भरथर	3,37,573	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सीतापुर	2009-10	रामनगर	33,488	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
सीतापुर	2009-10	रामनगर	92,902	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2009-10	रामनगर	2,35,708	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सीतापुर	2008-09	रेवान	1,26,291	मिट्टी ढुलाई के लिए अग्राह्य मात्रा का प्रावधान
सीतापुर	2008-09	रेवान	42,723	मानक से विचलन के फलस्वरुप अनडूलेशन की अधिक मात्रा
सीतापुर	2008-09	रेवान	2,46,827	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	3,16,853	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप सीसी मार्ग की अतिरिक्त मोटाई

सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	1,25,978	मानक से विचलन के फलस्वरुप सी0सी0 स्लैब में 1:2:4 के स्थान पर 1:1:5:3 का अनुपात
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	2,51,611	माइल्ड स्टील की अतिरिक्त मात्रा के फलस्वरुप आर0सी0सी0 कवर की अतिरिक्त मोटाई
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	2,78,127	माइल्ड स्टील की अतिरिक्त मात्रा के फलस्वरुप आर0सी0सी0 कवर की अतिरिक्त मोटाई
सोनभद्र	2008-09	रामगढ़	3,46,181	अग्राह्य मद का प्रावधान (लीन कंक्रीट में स्टोन बैलास्ट)
सोनभद्र	2009-10	कांच	66,481	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2010-11	इमिलिया	2,21,283	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2010-11	बहेरा डोल	1,00,956	अग्राह्य दरों का प्रावधान
सोनभद्र	2011-12	कछनरवा	55,041	अग्राह्य दरों का प्रावधान
		योग	**7,77,30,241**	

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.22 लिक्विडेटेड डैमेज का नहीं लगाया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.4; पृष्ठ 32)

(₹ करोड़ में)

प्रखण्ड	प्रकरणों की संख्या	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	जीसीसी की धारा 44 के अनुसार लिक्विडेटेड डैमेज	लगाया गया लिक्विडेटेड डैमेज	कम लगाया गया लिक्विडेटेड डैमेज	अभ्युक्ति
अलीगढ़	12	12 से 81	4.12	0.13	3.99	ठेकेदार की बीमारी, श्रम एवं सामग्री की कमी
देवरिया	15	02 से 81	5.01	0.08	4.93	हड़ताल एवं वर्षा
इटावा	07	13 से 75	1.25	0.03	1.22	जल भराव, वर्षा एवं सामग्री की कमी
गोण्डा	04	18 से 45	1.07	0.03	1.04	स्वीकृति में कारण का कोई उल्लेख नहीं
ललितपुर	16	05 से 100	5.47	0.008	5.46	वर्षा तथा जल, श्रम एवं सामग्री की कमी
मुरादाबाद	03	04 से 12	0.67	0.00	0.67	अत्यन्त ठण्डा, फसल, वर्षा एवं बाढ़
योग	**57**	**02 से 100**	**17.59**	**0.28**	**17.31**	

(**स्रोतः** कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.23 हरदोई (2011-12) जनपद में संतृप्त मजरों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.5; पृष्ठ 34)

डा0 अम्बेडकर गॉवों की क्रम संख्या	डा0 अम्बेडकर गॉव का नाम	मजरों की क्रम संख्या	मजरा का नाम	मजरों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	संतृप्तता की स्थिति
1	बेहता गोकुल	1	बेहता गोकुल	1,408	संतृप्त
	बेहता गोकुल	2	कटौना खेड़ा	1,909	संतृप्त
	बेहता गोकुल	3	यासीनपुर	575	असंतृप्त
2	मूसीपुर	4	ककरौआ	753	संतृप्त
	मूसीपुर	5	तौकरपुर	212	संतृप्त
	मूसीपुर	6	मूसीपुर	186	संतृप्त
3	फूल बेहता	7	फूल बेहता	739	संतृप्त
	फूल बेहता	8	समसापुर	378	संतृप्त
4	तोलवा अटडानपुर	9	अटडानपुर	867	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	10	जियाहा	614	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	11	तौलवा	372	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	12	भामा पुरवा	372	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	13	मंझोला	310	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	14	गहरी खदरी	302	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	15	राम नगरिया	250	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	16	खण्डेहरन पुरवा	212	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	17	पहाड़पुर	195	संतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	18	पडरिया	178	असंतृप्त
	तोलवा अटडानपुर	19	अम्बरपुरवा	136	संतृप्त
5	मवईया	20	मवईया	854	संतृप्त
	मवईया	21	कनौरा	415	संतृप्त
	मवईया	22	रसूलपुर	321	संतृप्त
	मवईया	23	ककराला	244	असंतृप्त
	मवईया	24	बंदवा	143	असंतृप्त
	मवईया	25	झपका	121	असंतृप्त
	मवईया	26	मैकपुरवा	78	संतृप्त
	मवईया	27	इकधारा	35	असंतृप्त
6	तन्दौर खेड़ा	28	तन्दौर खेड़ा	1,203	संतृप्त
	तन्दौर खेड़ा	29	कपूरापुर	197	संतृप्त
7	सन्धीनावा	30	सन्धीनावा	760	संतृप्त
	सन्धीनावा	31	फतियापुर	264	संतृप्त
	सन्धीनावा	32	कोट	133	असंतृप्त
	सन्धीनावा	33	चाचारैहा	105	संतृप्त
	सन्धीनावा	34	राम नगरिया	67	संतृप्त
	सन्धीनावा	35	ककरैहा	66	संतृप्त
8	भगौचा	36	भगौचा	623	संतृप्त
	भगौचा	37	रामसिंह पुरवा	410	संतृप्त

	भगौचा	38	करौंदी	141	असंतृप्त
	भगौचा	39	रुदापुरवा	12	संतृप्त
9	दूल्हापुर	40	दूल्हापुर	1,144	संतृप्त
10	कायमपुर	41	कायमपुर	952	संतृप्त
11	सहुतेरा	42	सैदनाखेड़ा	1,558	संतृप्त
	सहुतेरा	43	मधिया	732	संतृप्त
	सहुतेरा	44	सहुतेरा	549	संतृप्त
	सहुतेरा	45	भिखारी पुरवा	244	असंतृप्त
	सहुतेरा	46	लाला पुरवा	183	संतृप्त
	सहुतेरा	47	भैसाना पुरवा	122	असंतृप्त
	सहुतेरा	48	तकिया	111	असंतृप्त
	सहुतेरा	49	पण्डरिया	110	असंतृप्त
12	मैओने	50	मैओने	764	असंतृप्त
	मैओने	51	सन्तरहा	375	संतृप्त
	मैओने	52	धनिकापुर	302	संतृप्त
	मैओने	53	बण्टानिया	268	संतृप्त
	मैओने	54	खरपुरवा	201	संतृप्त
	मैओने	55	निबहरा	201	असंतृप्त
	मैओने	56	रामधन पुरवा	168	संतृप्त
	मैओने	57	इच्छानापुर	134	असंतृप्त
	मैओने	58	खंजनपुरवा	0	संतृप्त
13	ओदरा पचालय	59	जब्बा पुरवा	448	संतृप्त
	ओदरा पचालय	60	ओदरा	336	संतृप्त
	ओदरा पचालय	61	छेत्तापुरवा	293	असंतृप्त
	ओदरा पचालय	62	पचालय	224	संतृप्त
	ओदरा पचालय	63	चमरताला	224	संतृप्त
	ओदरा पचालय	64	कंधईपुरवा	199	संतृप्त
	ओदरा पचालय	65	सुब्बापुरवा	145	असंतृप्त
14	तुरतीपुर	66	तुरतीपुर	820	संतृप्त
	तुरतीपुर	67	पट्टा पुरवा	364	संतृप्त
	तुरतीपुर	68	भकुराई	363	संतृप्त
	तुरतीपुर	69	रेन्दापुरवा	121	संतृप्त
15	सर्रा	70	सर्रा	695	संतृप्त
	सर्रा	71	गोबरहाना	294	संतृप्त
	सर्रा	72	भिख्खापुरवा	213	असंतृप्त
	सर्रा	73	सूखापुरवा	180	असंतृप्त
	सर्रा	74	मदिहा	179	संतृप्त
16	बौसारा	75	बीरहीमपुर	676	संतृप्त
	बौसारा	76	बौसारा	541	असंतृप्त
	बौसारा	77	चोलापुरवा	160	संतृप्त
	बौसारा	78	कोदेर	136	संतृप्त
17	दाती सलकूपुर	79	झपलपुरवा	655	संतृप्त

	दाती सलकूपुर	80	लौघिया	198	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	81	जेरुवा अंदावा	178	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	82	जासा पुरवा	145	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	83	ऊचीं दहती	14	संतृप्त
	दाती सलकूपुर	84	हरपुरवा	12	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	85	नीची दहती	10	असंतृप्त
	दाती सलकूपुर	86	परसादी पुरवा	0	असंतृप्त
18	दलेलपुर	87	दलेलपुर	590	संतृप्त
	दलेलपुर	88	गंगा पुरवा	448	संतृप्त
	दलेलपुर	89	यमुना पुरवा	384	संतृप्त
19	पेंग	90	देहपुरवा	381	संतृप्त
	पेंग	91	पेंग	364	असंतृप्त
	पेंग	92	चांदपुरवा	152	संतृप्त
	पेंग	93	नकटीपुरवा	152	संतृप्त
	पेंग	94	घुरायपुरवा	127	संतृप्त
	पेंग	95	तिलियपुरवा	114	असंतृप्त
	पेंग	96	गन्धन पुरवा	76	संतृप्त
20	अदंगापुर	97	गोसावा	644	संतृप्त
	अदंगापुर	98	नरेशपुरवा	192	असंतृप्त
	अदंगापुर	99	तिलकपुरवा	171	संतृप्त
	अदंगापुर	100	ठाकुरी पुरवा	128	असंतृप्त
	अदंगापुर	101	सिरदारपुरवा	128	संतृप्त
	अदंगापुर	102	भौराजपुर	102	संतृप्त
	अदंगापुर	103	अदंगापुर	32	संतृप्त
21	हन्डाहा	104	हन्डाहा	718	संतृप्त
	हन्डाहा	105	मधईआ	381	असंतृप्त
	हन्डाहा	106	दिघिया	191	असंतृप्त
22	घोसर	107	घोसर	444	संतृप्त
	घोसर	108	बरगदिया	204	संतृप्त
23	बदौआ	109	बदौआ	540	संतृप्त
	बदौआ	110	खुद्दी	325	असंतृप्त
	बदौआ	111	चंदन खेड़ा	207	संतृप्त
24	मेहुना महेशपुर	112	मेहुना महेशपुर	626	संतृप्त
	मेहुना महेशपुर	113	भुजावा	250	संतृप्त
	मेहुना महेशपुर	114	पंडितपुरवा	125	असंतृप्त
25	उगपुर	115	उगपुर	1,000	संतृप्त
	उगपुर	116	ढकिया	546	संतृप्त
	उगपुर	117	महमादपुर खुर्द	237	संतृप्त
	उगपुर	118	महमादपुर कला	156	संतृप्त
	उगपुर	119	गोसावा	156	असंतृप्त
	उगपुर	120	डेरियाखेड़ा	145	संतृप्त
	उगपुर	121	जगतपुरवा	145	संतृप्त
	उगपुर	122	बैरागीखेड़ा	130	संतृप्त

26	अंटसंट	123	अंटसंट	873	संतृप्त
	अंटसंट	124	अंटा	478	असंतृप्त
	अंटसंट	125	घरखारी	380	संतृप्त
	अंटसंट	126	साता	297	असंतृप्त
	अंटसंट	127	कोडारी	140	असंतृप्त
	अंटसंट	128	लखनपुरवा	93	असंतृप्त
27	मुठिया	129	मुठिया	697	संतृप्त
	मुठिया	130	अटावा	540	असंतृप्त
	मुठिया	131	गेरई	335	संतृप्त
	मुठिया	132	रामपुर	260	संतृप्त
	मुठिया	133	हरीपुर	200	संतृप्त
28	रायपुर	134	गुजारेहटा	687	संतृप्त
	रायपुर	135	रायपुर	497	असंतृप्त
	रायपुर	136	लोधगढ़ी	282	संतृप्त
	रायपुर	137	पहाला	180	संतृप्त
29	नेवादालोचन	138	नेवादालोचन	595	संतृप्त
	नेवादालोचन	139	चरौली	511	संतृप्त
	नेवादालोचन	140	जकावा	283	संतृप्त
	नेवादालोचन	141	निरंजनपुरवा	195	असंतृप्त
30	कोरोनकला	142	कोरोनकला	575	संतृप्त
	कोरोनकला	143	खेरवा	526	संतृप्त
	कोरोनकला	144	कोरोनखुर्द	295	संतृप्त
	कोरोनकला	145	भलवरखेड़ा	249	संतृप्त
31	पनयोरा बलिया	146	ईला पुरवा	298	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	147	अंता पुरवा	175	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	148	बरगदियापुर	172	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	149	पनयोरा बलिया	153	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	150	मन्नापुरवा	140	संतृप्त
	पनयोरा बलिया	151	नौसहारा	74	संतृप्त
32	चन्देली	152	चन्देली	504	संतृप्त
	चन्देली	153	नेवादालोचन	451	असंतृप्त
	चन्देली	154	दहेलिया	356	संतृप्त
	चन्देली	155	चकाधकिया	348	संतृप्त
	चन्देली	156	दिघिया	290	संतृप्त
	चन्देली	157	ढोकिया	52	असंतृप्त
33	कुंवरपुर बघेला	158	मदारीपुरवा	352	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	159	कुंवरपुर बघेला	296	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	160	रिधियापुरवा	201	संतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	161	गुरथनिया	153	असंतृप्त
	कुंवरपुर बघेला	162	लोधियापुर	68	असंतृप्त
34	जरौना	163	जरौना	575	संतृप्त
	जरौना	164	जटपुरा	415	संतृप्त

35	थोखाला	165	थोखाला	458	संतृप्त
	थोखाला	166	भोलापुरवा	392	संतृप्त
	थोखाला	167	भेलखेडा	336	असंतृप्त
	थोखाला	168	देवीपुरवा	335	असंतृप्त
	थोखाला	169	पाठकपुरवा	224	संतृप्त
	थोखाला	170	मिहीपुरवा	224	असंतृप्त
	थोखाला	171	चम्पतपुरवा	224	असंतृप्त
	थोखाला	172	अमराव	112	असंतृप्त
36	लिलवल	173	लिलवल	665	संतृप्त
	लिलवल	174	बरगदिया	547	असंतृप्त
	लिलवल	175	सिहारु	239	संतृप्त
	लिलवल	176	सहूलिया	239	संतृप्त
	लिलवल	177	नेकलालपुरवा	122	संतृप्त
	लिलवल	178	मंगलीपुरवा	52	असंतृप्त
	लिलवल	179	दल्लापुरवा	48	संतृप्त
37	नन्हे	180	नन्हे	454	संतृप्त
	नन्हे	181	चकपुरवा	370	संतृप्त
	नन्हे	182	लोखरियापुर	247	संतृप्त
	नन्हे	183	कोडरीपुरा	185	असंतृप्त
	नन्हे	184	पहल	185	संतृप्त
	नन्हे	185	भुजवा	125	संतृप्त
	नन्हे	186	भरतपुरवा	96	संतृप्त
38	भराव	187	भराव	1,232	संतृप्त
	भराव	188	मझंरी	112	असंतृप्त
	भराव	189	मरसा	0	संतृप्त
39	सगरापुर	190	लोकईपुरवा	380	संतृप्त
	सगरापुर	191	सगरापुर	324	संतृप्त
	सगरापुर	192	भुलभुला	252	संतृप्त
	सगरापुर	193	मिहीपुरवा	189	संतृप्त
	सगरापुर	194	दरिआनपुरवा	126	संतृप्त
	सगरापुर	195	रतनपुरवा	65	संतृप्त
40	कक्कूमऊ	196	कक्कूमऊ	625	संतृप्त
	कक्कूमऊ	197	शिवलालपुरवा	254	संतृप्त
	कक्कूमऊ	198	गुलाबपुरवा	254	असंतृप्त
	कक्कूमऊ	199	भोगीपुरवा	130	संतृप्त
41	आदमपुर	200	आदमपुर	583	संतृप्त
	आदमपुर	201	मानपुरगौरा	406	असंतृप्त
	आदमपुर	202	भटेला	75	असंतृप्त
	आदमपुर	203	चोबियानपुरवा	16	संतृप्त
	आदमपुर	204	जोशियानपुरवा	0	संतृप्त
42	गुलारीहा	205	मंझरी	452	संतृप्त
	गुलारीहा	206	गुलारीहा	384	असंतृप्त
	गुलारीहा	207	गुलारीहाना	227	संतृप्त

43	भदयाल	208	भदयाल	569	संतृप्त
	भदयाल	209	जन्सारी	520	संतृप्त
	भदयाल	210	बन्दहा	506	असंतृप्त
	भदयाल	211	जगनई	390	संतृप्त
	भदयाल	212	खजुहान	253	असंतृप्त
	भदयाल	213	पुष्पतली पश्चिमी	253	संतृप्त
	भदयाल	214	गरकहा	221	संतृप्त
	भदयाल	215	पुष्पतली पूर्वी	190	असंतृप्त
	भदयाल	216	रुसी	152	असंतृप्त
	भदयाल	217	करवंतली	130	असंतृप्त
	भदयाल	218	इकधारा	127	असंतृप्त
	भदयाल	219	मोतीपुरवा	127	असंतृप्त
	भदयाल	220	चिन्तापुरवा	104	असंतृप्त
	भदयाल	221	खुद्दीपुरवा	101	असंतृप्त
	भदयाल	222	हरिजन कालोनी	101	असंतृप्त
	भदयाल	223	खदरी	101	असंतृप्त
	भदयाल	224	गोबरहा	0	असंतृप्त
	भदयाल	225	महराजापुरवा	0	असंतृप्त
44	परसई	226	महमूदपुर	380	संतृप्त
	परसई	227	सदवापुर	365	असंतृप्त
	परसई	228	उदरानपुर	290	संतृप्त
	परसई	229	रामपुर I	250	संतृप्त
	परसई	230	रामपुर II	192	संतृप्त
	परसई	231	बरियानपुर	140	संतृप्त
	परसई	232	केशनपुरवा	140	संतृप्त
	परसई	233	समुदा	120	संतृप्त
	परसई	234	बिछिनियाँ	90	संतृप्त
	परसई	235	परसई	68	संतृप्त
	परसई	236	सकरीपुर	20	असंतृप्त
	परसई	237	जलालपुर	15	असंतृप्त
	परसई	238	चौधरा	0	असंतृप्त
	परसई	239	रामबलीपुरवा	0	असंतृप्त
45	सेधा	240	नेउदा	284	संतृप्त
	सेधा	241	मरघटिया	256	संतृप्त
	सेधा	242	रामापुर	256	संतृप्त
	सेधा	243	सेधा	245	असंतृप्त
	सेधा	244	फुलहैया	45	असंतृप्त
	सेधा	245	वीरपुर	0	असंतृप्त
46	सरायनायक	246	सरायनायक	595	संतृप्त
	सरायनायक	247	रसूलापुर	436	संतृप्त
47	शुक्लापुर भगत	248	शुक्लापुर भगत	543	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	249	करौंधिआई	450	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	250	सियरहाना	367	असंतृप्त

	शुक्लापुर भगत	251	शिवनीपुरवा	325	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	252	मुडेला	320	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	253	इंदापुरवा	290	संतृप्त
	शुक्लापुर भगत	254	हरिहरपुर	285	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	255	कौदियापुर	252	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	256	हुमायूपुर	242	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	257	हरिचन्दापुर	170	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	258	चम्पापुरवा	125	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	259	अटिया बाजार	89	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	260	बारीपुरवा	85	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	261	कच्छीयानपुरवा	18	असंतृप्त
	शुक्लापुर भगत	262	दानेपुरवा	10	असंतृप्त
48	परचल रसूलपुर	263	ससेडा	722	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	264	पबियानी	570	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	265	परचल	546	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	266	झाण्डीपुरवा	280	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	267	रसूलपुर	221	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	268	हुलासपुरवा	182	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	269	दुधैला	156	संतृप्त
	परचल रसूलपुर	270	मैलापुरवा	78	असंतृप्त
	परचल रसूलपुर	271	जैलालपुरवा	0	असंतृप्त
49	नूरपुर हथौरा	272	हथौरा	1263	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	273	अशरफ नगर	446	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	274	भिखारीपुर	322	असंतृप्त
	नूरपुर हथौरा	275	मौसमपुर	268	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	276	नूरपुर	164	संतृप्त
	नूरपुर हथौरा	277	मधैइया	96	असंतृप्त
	नूरपुर हथौरा	278	अंतवा	28	असंतृप्त
50	गुजरई	279	ऊची मगरौली	724	संतृप्त
	गुजरई	280	गुजरई	355	संतृप्त
	गुजरई	281	नीची मगरौली	260	असंतृप्त
	गुजरई	282	बंथारिया	128	संतृप्त
	गुजरई	283	ननहूपुरवा	102	असंतृप्त
51	गदेउरा	284	गिरिजीखेडा	498	संतृप्त
	गदेउरा	285	पाठकपुरवा	434	संतृप्त
	गदेउरा	286	पापरपुरवा	335	असंतृप्त
	गदेउरा	287	धनेउरा	322	संतृप्त
	गदेउरा	288	बरबतपुर	310	असंतृप्त
	गदेउरा	289	मदहिआ	310	संतृप्त
	गदेउरा	290	चवनखेडा	248	असंतृप्त
	गदेउरा	291	गदेउरा	186	संतृप्त
	गदेउरा	292	माधवपुर	0	संतृप्त

52	फरीदपुर	293	तरवा	708	संतृप्त
	फरीदपुर	294	रजगई	515	संतृप्त
	फरीदपुर	295	मोहकमपुरवा	438	संतृप्त
	फरीदपुर	296	खद्दीपुर	399	संतृप्त
	फरीदपुर	297	इलियासपुर	292	असंतृप्त
	फरीदपुर	298	फरीदपुर	176	असंतृप्त
	फरीदपुर	299	भटपुरवा	78	असंतृप्त
	फरीदपुर	300	पीपोनी	0	संतृप्त
53	मदारा	301	टिकरा	500	संतृप्त
	मदारा	302	बंशी	500	संतृप्त
	मदारा	303	मदारा	291	असंतृप्त
	मदारा	304	बेल्हा	260	संतृप्त
	मदारा	305	मंगलीपुरवा	235	संतृप्त
	मदारा	306	हिम्मापुरवा	200	असंतृप्त
	मदारा	307	डिज्जापुरवा	120	संतृप्त
	मदारा	308	बुढिया	0	संतृप्त
	मदारा	309	भटपुरवा	0	असंतृप्त
54	पारसपुर	310	महोनीपुर	395	संतृप्त
	पारसपुर	311	पारसपुर	303	असंतृप्त
	पारसपुर	312	ब्रह्मनानपुरवा	303	संतृप्त
	पारसपुर	313	हरसिंगपुर	250	संतृप्त
	पारसपुर	314	नेवालपुरवा	199	असंतृप्त
	पारसपुर	315	रामपुरवा	199	असंतृप्त
	पारसपुर	316	मन्नापुरवा	140	संतृप्त
	पारसपुर	317	शीतलपुरवा	100	असंतृप्त
	पारसपुर	318	लोचनपुरवा	0	असंतृप्त
55	बेहतामुर्तजाबख्श	319	तिलकपुरवा	620	संतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	320	उमरपुर	558	संतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	321	दौलतपुरवा	396	असंतृप्त
	बेहतामुर्तजाबख्श	322	बेहतामुर्तजाबख्श	231	संतृप्त
56	पालपुर बैरागीखेड़ा	323	पालपुर	405	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	324	बैरागीखेड़ा	373	असंतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	325	डिफवा	365	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	326	अटारादून	325	असंतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	327	नटपुरवा	215	संतृप्त
	पालपुर बैरागीखेड़ा	328	भानपुर	0	संतृप्त
57	इकधारा	329	इकधारा	638	संतृप्त
	इकधारा	330	कंठीपुरवा	380	संतृप्त
	इकधारा	331	वैशपुरवा	191	संतृप्त
	इकधारा	332	मनझईया	129	संतृप्त
58	संदाना	333	संदाना	934	संतृप्त
	संदाना	334	बुधारिया	345	असंतृप्त

59	कटका	335	कुण्डनी	670	संतृप्त
	कटका	336	गुलहरिय	267	संतृप्त
	कटका	337	जैसिंहपुर	199	असंतृप्त
	कटका	338	सतनपुरवा	67	संतृप्त
	कटका	339	कटका	23	संतृप्त
60	थोकमाधो	340	थोकमाधो	242	संतृप्त
	थोकमाधो	341	पेहनपुरवा	166	असंतृप्त
	थोकमाधो	342	मधिया	144	असंतृप्त
	थोकमाधो	343	गनेशपुरवा	144	असंतृप्त
	थोकमाधो	344	भोगईपुरवा	139	संतृप्त
	थोकमाधो	345	इमलीपुरवा	133	असंतृप्त
	थोकमाधो	346	डीह	91	संतृप्त
	थोकमाधो	347	पीपरी	85	संतृप्त
	थोकमाधो	348	नेवादा	0	संतृप्त
61	अथौआ	349	परनुआ	633	संतृप्त
	अथौआ	350	अथौआ	186	असंतृप्त
	अथौआ	351	रजैपुरवा	132	असंतृप्त
	अथौआ	352	कोठलीपुरवा	106	असंतृप्त
62	साहुलपुर	353	कन्हईपुरवा	371	संतृप्त
	साहुलपुर	354	अंतवा	247	संतृप्त
	साहुलपुर	355	साहुलपुर	216	असंतृप्त
	साहुलपुर	356	बुधवा	123	संतृप्त
63	अटरा	357	अटरा	698	संतृप्त
	अटरा	358	रामनगर	230	असंतृप्त
64	अहिरी	359	गुलरीपुरवा	293	संतृप्त
	अहिरी	360	पहाड़पुर	257	संतृप्त
	अहिरी	361	तेजपुरवा	255	संतृप्त
	अहिरी	362	चोरडी	255	संतृप्त
	अहिरी	363	अहिरी	248	असंतृप्त
	अहिरी	364	चनोखर	200	संतृप्त
	अहिरी	365	धरमपुर	133	असंतृप्त
	अहिरी	366	तुभका	133	असंतृप्त
65	लोनहारा	367	लोनहारा	1,440	संतृप्त
	लोनहारा	368	पकरियाउसर	660	संतृप्त
	लोनहारा	369	दुगनई	520	असंतृप्त
	लोनहारा	370	कोडरी	510	असंतृप्त
	लोनहारा	371	धौतेरा	480	असंतृप्त
	लोनहारा	372	नेरा	430	असंतृप्त
	लोनहारा	373	कण्ठा	423	असंतृप्त
	लोनहारा	374	पुरा	342	असंतृप्त
	लोनहारा	375	तुतीयारी	288	असंतृप्त
	लोनहारा	376	हरदेवखेड़ा	235	असंतृप्त
	लोनहारा	377	मल्हपुर	202	असंतृप्त

	लोनहारा	378	सुजानापुर	138	असंतृप्त
	लोनहारा	379	गगरा	135	असंतृप्त
66	महरी	380	महरी	1,199	संतृप्त
	महरी	381	सेमराकला	567	असंतृप्त
	महरी	382	सेमराखुर्द	466	असंतृप्त
	महरी	383	अंटा	385	संतृप्त
	महरी	384	महमूदपुर	375	संतृप्त
	महरी	385	विवयापुर	345	असंतृप्त
	महरी	386	मदिया	320	असंतृप्त
	महरी	387	भूद मदिया	0	असंतृप्त
67	कलौली	388	कलौली	1,835	संतृप्त
	कलौली	389	हरचन्दापुर	521	असंतृप्त
	कलौली	390	बबुरहा	327	संतृप्त
	कलौली	391	मदिया	240	असंतृप्त
	कलौली	392	भलईखेड़ा	146	संतृप्त
	कलौली	393	धगटपुरवा	96	असंतृप्त
68	बरवा सरसण्ड	394	सरसण्ड	610	असंतृप्त
	बरवा सरसण्ड	395	बरवा	442	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	396	सुक्खीखेड़ा	236	असंतृप्त
	बरवा सरसण्ड	397	गनेशपुरवा	223	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	398	शिवपुरी	195	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	399	रुदनखेड़ा	170	संतृप्त
	बरवा सरसण्ड	400	मदिया	0	असंतृप्त
69	गज्जो	401	गज्जो	986	संतृप्त
	गज्जो	402	गोठवा	690	संतृप्त
	गज्जो	403	दर्शनखेड़ा	445	संतृप्त
	गज्जो	404	शंकरखेड़ा	310	असंतृप्त
	गज्जो	405	फत्तेपुर	242	असंतृप्त
	गज्जो	406	बहदिन	149	असंतृप्त
	गज्जो	407	महिपालखेड़ा	138	असंतृप्त
	गज्जो	408	झरिआई	92	असंतृप्त
	गज्जो	409	नरपतिखेड़ा	48	असंतृप्त
	गज्जो	410	पंजाबीखेड़ा	0	असंतृप्त
70	टिकारी	411	टिकारी	1,266	संतृप्त
	टिकारी	412	टुसौरा	727	संतृप्त
	टिकारी	413	प्रतापपुर	345	असंतृप्त
	टिकारी	414	सहोरा	338	संतृप्त
	टिकारी	415	अरसेनी	329	असंतृप्त
	टिकारी	416	अंटा	323	असंतृप्त
	टिकारी	417	शिवपुरी	282	असंतृप्त
	टिकारी	418	भीरी	252	असंतृप्त
	टिकारी	419	पल्लेपार	140	असंतृप्त
	टिकारी	420	भूटैया	0	असंतृप्त

71	टिकारी	421	दिवियापुर	0	असंतृप्त
	टिकारी	422	पंजाबीखेड़ा	0	असंतृप्त
	कमलपुर	423	गदी	687	संतृप्त
	कमलपुर	424	कमलपुर	462	संतृप्त
	कमलपुर	425	शमसेर नगर	448	संतृप्त
72	गौरी फर्रुखुउद्दीन	426	गौरी फर्रुखुउद्दीन	358	संतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	427	बरुआहार	506	संतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	428	बगलापुरवा	108	असंतृप्त
	गौरी फर्रुखुउद्दीन	429	लक्ष्मणखेड़ा	16	संतृप्त
73	बेहसार	430	बेहसार	1,672	संतृप्त
	बेहसार	431	सफियापुर	380	संतृप्त
	बेहसार	432	सिरदार नगर	210	असंतृप्त
	बेहसार	433	परिहरनखेड़ा	210	असंतृप्त
	बेहसार	434	गंगूखेड़ा	149	असंतृप्त
	बेहसार	435	गोविन्दखेड़ा	142	असंतृप्त
74	भटौली	436	भटौली	740	संतृप्त
	भटौली	437	गर्राहर	346	संतृप्त
	भटौली	438	दिवियानखेड़ा	327	असंतृप्त
	भटौली	439	कंजीखेड़ा	325	असंतृप्त
	भटौली	440	रानीखेड़ा	120	संतृप्त
	भटौली	441	चत्तकखेड़ा	117	संतृप्त
	भटौली	442	भिथारा	95	असंतृप्त
	भटौली	443	छोटईखेड़ा	62	असंतृप्त
75	बेहन्दरकला	444	बेहन्दरकला	703	संतृप्त
	बेहन्दरकला	445	गुलारीखेड़ा	561	संतृप्त
	बेहन्दरकला	446	पडरी	281	संतृप्त
	बेहन्दरकला	447	वजीराबाद	270	संतृप्त
	बेहन्दरकला	448	गंज	50	संतृप्त
76	समोधा	449	समोधा	954	संतृप्त
	समोधा	450	सैदपुर	427	असंतृप्त
	समोधा	451	तिहराहार	260	संतृप्त
	समोधा	452	हरिदासपुर	177	संतृप्त
77	पिलखनी	453	पिलखनी	336	संतृप्त
	पिलखनी	454	लकईचनखेड़ा	392	संतृप्त
	पिलखनी	455	गोविन्दखेड़ा	305	असंतृप्त
	पिलखनी	456	नंदाखेड़ा	293	असंतृप्त
	पिलखनी	457	पल्लेपार	151	संतृप्त
	पिलखनी	458	टंडाहार	112	असंतृप्त
	पिलखनी	459	पंचमखेड़ा	30	असंतृप्त
78	खरिका	460	खरिका	496	संतृप्त
	खरिका	461	जरीयारी	409	संतृप्त
	खरिका	462	रसूलपुर	285	संतृप्त
	खरिका	463	नवियापुर	170	असंतृप्त

79	खरिका	464	अटैया	123	असंतृप्त
	खरिका	465	झालाहार	110	असंतृप्त
	खरिका	466	चमरहिया	100	असंतृप्त
	उसरहा	467	उसरहा	574	संतृप्त
	उसरहा	468	झब्बूखेड़ा	496	संतृप्त
	उसरहा	469	डम्मरखेड़ा	264	संतृप्त
80	खेरवा	470	खेरवा	764	संतृप्त
	खेरवा	471	बबुरावल	305	संतृप्त
	खेरवा	472	रंगियाखेड़ा	0	संतृप्त
81	अटुका	473	अटुका	975	संतृप्त
82	अटिया	474	गरी	405	संतृप्त
	अटिया	475	अटिया	364	संतृप्त
	अटिया	476	ककरहिया	201	असंतृप्त
83	रसूलपुर	477	रसूलपुर	581	संतृप्त
	रसूलपुर	478	कल्लूखेड़ा	209	संतृप्त
	रसूलपुर	479	गोविन्दपुर	207	असंतृप्त
	रसूलपुर	480	रामपुर	191	असंतृप्त
	रसूलपुर	481	बड़कुल	185	संतृप्त
84	जमसारा	482	जमसारा	671	संतृप्त
	जमसारा	483	भोलाखेड़ा	480	संतृप्त
	जमसारा	484	कुटी	164	असंतृप्त
85	बरिया	485	बरिया	310	संतृप्त
	बरिया	486	गंगाखेड़ा	272	संतृप्त
	बरिया	487	कन्हईखेड़ा	248	संतृप्त
	बरिया	488	हंसखेड़ा	132	संतृप्त
	बरिया	489	रामपुर	0	संतृप्त

नोटः संतृप्त धन की उपलब्धता के अधीन।

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, हरदोई)

परिशिष्ट

2.1.24 कार्यों की सूची जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों का पालन नहीं किया गया था

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.6; पृष्ठ 35)

प्रखण्ड	वर्ष	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	कुल कंक्रीट कार्य निष्पादित (घनमीटर में)	मानक सात दिन	मानक 28 दिन	सात दिनों की मजदूरी हेतु कुल लिये गये क्यूब सैम्पल	28 दिनों की मजदूरी हेतु कुल लिये गये क्यूब सैम्पल	कमी सात दिन	कमी 28 दिन
आगरा	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा नगला शिशांक में सीसी कार्य	10/ईई दिनांक 03.11.2009	399	12	12	2	2	10	10
आजमगढ़	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम कादीपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	25/ईई दिनांक 11.11.2009	295.17	9	9	2	2	7	7
आजमगढ़	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम गंगापुर महराजगंज में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	47/ईई दिनांक 19.08.2010	201.07	6	6	2	2	4	4
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम रुस्तमपुर में सीसी	82/एसई दिनांक 18.11.2008	100.953	3	3	0	9	3	शून्य
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम दरियापुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	97/एसई/08-09 दिनांक 21.11.2008	303.62	9	9	0	4	9	5
बिजनौर	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम हरिकट–वीरचन्द में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	90/एसई/ 08-09 दिनांक 19.11.2008	291.6	9	9	0	0	9	9
बिजनौर	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम नेकपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	101/ईई/09-10 दिनांक 26.12.2009	106	3	3	0	0	3	3
बिजनौर	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम गिरधाता सहनपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	42/ईई/10-11 दिनांक 18.06.2010	397.82	12	12	0	0	12	12
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम कृष्णानगर में सीसी रोड	03/ईई दिनांक 22.06.2011	291.49	9	9	3	6	6	3
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम इब्राहिम बवन में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	71/एसई दिनांक 25.06.2011	693.66	21	21	0	9	21	12
बिजनौर	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम आबिदपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	20/एसई दिनांक 24.06.2011	699.87	21	21	3	6	18	15
इटावा	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम बानरपुर (संशोधित) में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	33/एसई दिनांक 15.09.2008	306.2	9	9	0	0	9	9
इटावा	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सहसो (संशोधित) में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	135/एसई दिनांक 08.11.2008	991.62	30	30	0	0	30	30
इटावा	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम कोठीपुर (संशोधित) में सीसी रोड	08/एसई दिनांक 24.05.2010	597.63	18	18	0	0	18	18

फैजाबाद	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा धर्मदासपुर के राजस्व ग्राम धर्मदासपुर में सीसी कार्य	72 दिनांक 17.10.2008	90.77	3	3	1	0	2	3
फैजाबाद	2008-09	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा चौधरी खास में सीसी एवं केसी ड्रेन	68/एसई दिनांक 15.10.2008	395.18	12	12	1	0	11	12
फैजाबाद	2009-10	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा भिखारीपुर में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	69 दिनांक 09.11.2009	309.27	9	9	1	2	8	7
फैजाबाद	2011-12	डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा नन्दौली में सीसी एवं केसी ड्रेन	13/एसई दिनांक 05.07.2011	398.5	12	12	1	2	11	10
ललितपुर	2010-11	भरतपुरा में सीसी कार्य	92/ईई दिनांक 27.02.2011	193.78	6	6	3	3	3	3
ललितपुर	2010-11	महौली में सीसी कार्य	38/ईई दिनांक 31.05.2010	398.17	12	12	3	3	9	9
मैनपुरी	2008-09	पहाड़पुर भाग–2 में सीसी कार्य	145 दिनांक 04.11.2008	700.61	21	21	0	1	21	20
मैनपुरी	2009-10	अर्जुनपुर में सीसी कार्य	40 दिनांक 16.11.2009	208.53	6	6	0	1	6	5
मैनपुरी	2011-12	सहादतपुर में सीसी कार्य	13 दिनांक 23.06.2011	407.64	12	12	0	2	12	10
गोण्डा	2009-10	डा0 अम्बेडकर गॉव नगरा परतीलाल गोण्डा सीसी रोड	52/ईई/आरईएस/ 2009-10 दिनांक 23.11.2009	191.845	6	6	2	4	4	2
गोण्डा	2009-10	भराव में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	69/ईई/आरईएस /2009-10 दिनांक 01.12.2009	196.84	6	6	1	2	5	4
गोण्डा	2009-10	डा0 अम्बेडकर गॉव अदबदवा में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	28/ईई/आरईएस /2009-10 दिनांक 11.11.2009	208.125	6	6	1	2	5	4
गोण्डा	2011-12	मजरा प्रधान डीह में सीसी/केसी ड्रेन	124/ईई/आरईएस /2011-12 दिनांक 10.08.2011	107.30	3	3	1	2	2	1
सीतापुर	2008-09	नेवादा में सीसी कार्य	152 दिनांक 20.10.2008	198.48	6	6	0	2	6	4
सीतापुर	2009-10	ग्राम सरसई में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	103 दिनांक 16.11.2009	405.54	12	12	0	4	12	8
सीतापुर	2010-11	डा0 अम्बेडकर ग्राम भानपुर में सीसी कार्य	137 दिनांक 22.07.2010	306.70	9	9	0	3	9	6
सीतापुर	2011-12	ग्राम गौवा पुरवा में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन	18 दिनांक 07.07.2011	91.23	3	3	0	1	3	2

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.25 अनुमोदित ड्राईंग एवं डिजाइन से विचलन

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.10.8; पृष्ठ 38)

प्रखण्ड	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या / दिनांक	आपत्तिधीन धनराशि (₹ में)	कुल व्यय (₹ में)	अभ्युक्ति
इटावा	ग्राम फुफई राजस्व गाँव कठगनवा	73/एसई/08-09 31.10.2008	31,64,595.00	60,67,702.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम एवं राजस्व गॉव फुफई	59/एसई /08-09 31.10.08	17,96,662.00	49,41,735.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (पष्चिमी)	16/एसई /08-09 15.09.08	28,13,159.00	57,85,566.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (पूर्वी)	17/एसई /08-09 15.09.08	30,38,434.00	58,96,246.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मेदी दुद्धी राजस्व गॉव भिलौना	70/एसई /08-09 31.10.08	14,72,362.00	37,93,162.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा अस्वा मजरा पुरा रीवारी	83/एसई /08-09 03.11.08	30,14,513.00	52,28,880.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मोहारी मजरा रुद्रपुर	57/एसई /08-09 31.10.08	21,88,180.00	64,31,083.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा रामपुरा राजस्व गॉव रामपुरा	137/एसई /08-09 08.11.08	52,84,229.00	1,10,40,311.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव जैमालपुर	14/एसई /08-09 15.09.08	19,69,465.00	39,61,801.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सहसो राजस्व गॉव मितहाटी	81/एसई /08-09 03.11.08	16,45,207.00	37,48,644.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ राजस्व गॉव नवादा खुर्द कलॉ (भाग-II)	18/एसई /08-09 15.09.08	24,58,809.00	42,10,190.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा जैमालपुर मजरा बारीपुरा	15/एसई /08-09 15.09.08	10,74,370.00	33,29,339.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा अस्वा राजस्व गॉव अस्वा	84/एसई /08-09 03.11.08	23,15,061.00	41,36,907.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइकान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना

इटावा	ग्राम सभा संतोषपुर राजस्व गॉव उनावा	63/एसई/08-09 31.10.08	14,88,823.00	29,38,200.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा नवादा खुर्द कलॉ मजरा नगला मर्दन	19/एसई /08-09 15.09.08	9,54,939.00	21,44,725.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा कुदरैल मजरा नरायनपुरा	20/एसई /08-09 15.09.08	19,66,764.00	50,77,499.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव संतोषपुर	58/एसई /08-09 31.10.08	13,72,191.00	32,81,610.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा केशवपुर मजरा नगला पीपल	62/एसई /08-09 31.10.08	9,48,442.00	34,26,081.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव केशोपुर	136/एसई /08-09 08.11.08	24,90,660.00	1,06,33,085.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव सहसो	135/एसई /08-09 08.11.08	42,50,926.00	1,21,52,147.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव मोहारी	82/एसई /08-09 03.11.08	27,60,946.00	74,99,190.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव बनामई	13/एसई /08-09 15.09.08	36,95,136.00	90,44,083.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव कुदरैल	12/एसई /08-09 15.09.08	37,20,300.00	76,79,242.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मोहारी एवं राजस्व गॉव उसराहर	141/एसई /08-09 08.11.08	30,18,114.00	1,07,95,297.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा कुदरैल एवं राजस्व गॉव महराजपुर	60/एसई /08-09 31.10.08	10,55,380.00	21,98,968.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सिसहट एवं मजरा विलासपुर	74/एसई /08-09 31.10.08	8,59,515.00	15,00,600.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा एवं राजस्व गॉव सिसहट	138/एसई /08-09 08.11.08	47,90,126.00	98,70,295.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा सिसहट एवं राजस्व गॉव पिपरण्डी	75/एसई /08-09 31.10.08	11,41,588.00	20,32,764.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
इटावा	ग्राम सभा मेधी दुद्धी	140/एसई /08-09 08.11.08	41,06,802.00	1,64,40,585.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना

मैनपुरी	पहाड़पुर भाग I	145/एसई /08-09 04.11.08	26,61,902.00	59,84,177.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	धूमसपुर	152/एसई /08-09 04.11.08	9,69,424.00	18,06,876.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	पहाड़पुर भाग II	146/एसई /08-09 04.11.08	22,37,808.00	49,56,017.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	बरनहल	164/एसई /08-09 04.11.08	35,82,007.00	80,44,879.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	नगला देवी	177/एसई /08-09 04.11.08	13,52,339.00	28,31,920.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	नगला बेटा	25/एसई /08-09 14.11.08	20,22,993.00	42,70,860.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
मैनपुरी	गिरधरपुर	153/एसई /08-09 04.11.08	8,00,081.00	16,39,230.00	डिजाइन से विचलन के फलस्वरुप 125 माइक्रान पॉलीथीन शीट का न बिछाया जाना
		योग	**8,44,82,252.00**	**20,48,17,896.00**	

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट 2.1.26

31 मार्च 2012 को राजकीय कर्मचारियों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.1; पृष्ठ 39)

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी (-)/ आधिक्य (+)	कमी (-)/आधिक्य (+) प्रतिशत में
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	-	(-)1	(-)100
2	प्रशासनिक अधिकारी	6	4	(-)2	(-)33
3	कार्यालय अधीक्षक	11	8	(-)3	(-)27
4	लेखाकार	4	4	शून्य	शून्य
5	सहायक लेखाकार	2	2	शून्य	शून्य
6	वैयक्तिक सहायक (स्टेनो)	86	57	(-)29	(-)34
7	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड पे 2800)	93	45	(-)48	(-)52
8	वरिष्ठ सहायक (ग्रेड पे 2400)	412	370	(-)42	(-)10
9	कनिष्ठ सहायक	468	608	(+)140	(+)30
10	चालक	239	214	(-)25	(-)10
11	क्लीनर	73	72	(-)1	(-)1
12	ग्रुप–डी	732	702	(-)30	(-)4

(**स्रोत**: निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.27 वर्ष 2007-12 के दौरान अपूर्ण निर्माण कार्य

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.1; पृष्ठ 39)

कार्य का प्रकार	वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में अपूर्ण निर्माण कार्य	वर्ष के दौरान सौंपे गये निर्माण कार्यों की संख्या	लक्ष्य (निर्माण कार्यों की संख्या)	उपलब्धि (निर्माण कार्यों की संख्या)	कमी (प्रतिशतता)
भवन	2007-08	1,016	1,157	2,173	1,336	837 (39)
	2008-09	837	1,139	1,976	1,151	825 (42)
	2009-10	817	668	1,485	825	660 (44)
	2010-11	660	1,225	1,885	1,169	716 (38)
	2011-12	716	2,017	2,733	1,367	1,366 (50)
मार्ग / पुलिया	2007-08	1,906	6,551	8,457	5,303	3,154 (37)
	2008-09	3,154	3,523	6,677	5,340	1,337 (20)
	2009-10	1,338	2,232	3,570	2,797	773 (22)
	2010-11	773	5,892	6,665	5,519	1,146 (17)
	2011-12	830	6,337	7,167	5,285	1,882 (26)

(**स्रोत:** निदेशालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.28 स्थानान्तरण नीति का पालन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.3; पृष्ठ 41)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	31 मार्च 2012 को तैनात अवर अभियंताओं की संख्या	10 से 15 वर्षों से प्रखण्डों में तैनात अवर अभियंताओं की संख्या	15 वर्षों से अधिक प्रखण्डों में तैनात अवर अभियंताओं की संख्या
1.	आगरा	25	03	शून्य
2.	अलीगढ़	22	04	शून्य
3.	इलाहाबाद	45	06	10
4.	आजमगढ़	45	06	11
5.	बिजनौर	33	09	02
6.	देवरिया	19	09	01
7.	इटावा	18	06	01
8.	फैजाबाद	26	08	07
9.	गोण्डा	28	05	06
10.	हरदोई	49	13	02
11.	झाँसी	15	05	शून्य
12.	ललितपुर	19	06	शून्य
13.	लखनऊ	33	07	02
14.	मैनपुरी	16	02	01
15.	मुरादाबाद	28	04	02
16.	सीतापुर	64	15	05
17.	सोनभद्र	45	06	04
	योग	**530**	**114**	**54**

(**स्रोत**: प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.29 वर्ष 2007 से कर्मचारियों के कार्यों का नहीं बदला जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.11.3; पृष्ठ 41)

क्रम संख्या	प्रखण्ड	कर्मचारी का नाम एवं पद	पद का नाम
1	आगरा	श्री ए0के0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री अजमेर सिंह, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री एस0पी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री बृज नाथ शर्मा, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्रीमती मन्जू रानी पाल, कनिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री कलुआ राम, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री हबीब मोहम्मद, कनिष्ठ सहायक	उप–खण्ड लिपिक
		श्री दिवाकर मिश्रा, कनिष्ठ सहायक	पीएसी
2.	इटावा	श्री अजमेा सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री गजराज सिंह, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान–प्रथम
		श्री गुलाब सिंह यादव, वरिष्ठ सहायक	न्यायालय प्रकरण
		श्री सुबोध कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री कमल प्रकाश, कनिष्ठ सहायक	मासिक लेखा, स्टाक टी एण्ड पी
3.	गोण्डा	श्री जी0पी0 श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री संतोष कुमार आर्या, वरिष्ठ सहायक	एग्रीमेन्ट एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री रमेश कुमार यादव, कनिष्ठ सहायक	प्रगति विवरण, अन्तर विवरण एवं प्री–आडिट कार्य
		श्री गिरधारी लाल, वरिष्ठ सहायक	स्टेनो कार्य, उप–खण्ड कार्य एवं अग्रिमें
		श्री एम0पी0 सिंह, वरिष्ठ सहायक	रोकड़िया एवं उप–खण्ड कार्य
		श्री विशाला सिंह, कनिष्ठ सहायक	न्यायालय प्रकरण, वर्क रजिस्टर एवं प्री–आडिट कार्य
4.	झाँसी	श्री के0एल0 मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री महेश नरायन पस्तोर, वरिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री बाबू लाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान सहायक
		श्री पूरन सिंह, वरिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री इसरार अहमद, कनिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री सृष्टिराज गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री अरविन्द कुमार पुरोहित,कनिष्ठ सहायक	आडिट लिपिक
		श्री गोपाल दास गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री राम रतन, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री प्रेम कुमार, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
		श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ सहायक	कैम्प सहायक
5.	लखनऊ	श्रीमती पार्वती, कनिष्ठ सहायक	ग्रुप डी कर्मचारियों का अधिष्ठान
		श्रीमती बीना राय, कनिष्ठ सहायक	बजट कार्य
6.	मैनपुरी	श्री अशफाक अली, स्टेनो	स्टेनो सीट

		श्री राजीव कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	मुख्य सहायक (अतिरिक्त)
		श्री रतन लाल, वरिष्ठ सहायक	पीएसी
		श्री रोकश चन्द्र जौहरी, वरिष्ठ सहायक	अधिष्ठान अनुभाग (द्वितीय)
		श्री बलराम सिंह, कनिष्ठ सहायक	पीएसी
		श्री अरविन्द कुमार, कनिष्ठ सहायक	रोकड़िया
		श्री अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैचर
		श्री फौरन सिंह, वरिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री दर्शन सिंह, वरिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री अकबर सिंह, कनिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	एसडीसी
		श्री नरेश चन्द्र, उर्दू अनुवादक	एसडीसी
7.	सीतापुर	श्री संतोष कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक	आयकर, बिक्री–कर, विविध अग्रिम, स्टोर, टी एण्ड पी, अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर एवं बिक्री–कर प्रमाण–पत्र
8.	सोनभद्र	श्री मेवा लाल विश्वकर्मा, वरिष्ठ सहायक	उप–खण्ड, अग्रिमें एवं आडिट रिपोर्ट
		श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	आरटीआई
		श्री जमील अख्तर, कनिष्ठ सहायक	अधिष्ठान I,II,III एवं IV, आडिट, एसडीसी
		श्री शैलेन्द्र कुमार, कनिष्ठ सहायक	डिस्पैच, आडिट लिपिक

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.30 (अ) अभिलेखों का रख-रखाव न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 44)

प्रखण्ड	लेखाओं / रजिस्टरों का रख–रखाव नहीं करना	परिकल्पिक उद्देश्य एवं नियंत्रण	अभिलेखों के रख–रखाव की स्थिति	वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी पर परिणामी प्रभाव
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	ठेकेदार का खाता (फार्म 43)	भुगतानों, अग्रिम भुगतान, प्रत्येक ठेकेदारों के अवरुद्ध धनराशि की निगरानी करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	ठेकेदारवार भुगतान, अग्रिम भुगतान, अवरुद्ध प्रतिभूति आदि के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	निर्माण कार्य सार (फार्म 34)	एक विशेष कार्य से संबंधित नकद के समस्त लेनदेनों, स्टाक अथवा अन्य प्रभारों की निगरानी करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	कार्यवार कार्य विवरण, ठेकेदारों को अग्रिमों एवं उनसे वसूली के विवरण उपलब्ध नहीं थे।
समस्त नमूना जाँच प्रखण्डों	निर्माण कार्य रजिस्टर (फार्म 40)	प्रत्येक कार्य के मासिक एवं क्रमिक व्यय की निगरानी अलग से करना।	रख–रखाव नहीं किया गया था।	अनुमानित लागत के सापेक्ष कार्यवार व्यय विवरण उपलब्ध नहीं थे।

(स्रोतः प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**)**

परिशिष्ट

2.1.30 (ब) अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 44)

प्रखण्ड	नियंत्रण अभिलेख	उद्देश्य	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	प्रभाव
1–देवरिया	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के कालम रजिस्टर में नहीं बनाये गये थे। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण के कालम नहीं बनाये गये थे। • वित्तीय वर्ष के अंत में समापन प्रमाण–पत्र का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क का कालम नहीं बनाया गया था। • अधिशासी अभियंता को संबंधित विवरण की प्रविष्टियों के पश्चात् बाण्ड रजिस्टर के प्रत्येक कम पर हस्ताक्षर करना चाहिए।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
2–इटावा	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • वर्ष के अंत में समापन प्रमाण–पत्र का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
3–गोण्डा	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क को नहीं दिखाया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
4–झाँसी	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत का उल्लेख रजिस्टर में नहीं किया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क को नहीं दिखाया गया था। • उप खण्डों में पृथक बाण्ड रजिस्टरों का रख–रखाव किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
	तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	तकनीकी स्वीकृति की निगरानी करना	• वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान दो तकनीकी स्वीकृति रजिस्टरों का रख–रखाव किया गया था जिसके कारण तकनीकी स्वीकृति के लिए डुप्लीकेट संख्या एक ही वर्ष में जारी किये गये थे।	तकनीकी स्वीकृति में कपट
5–लखनऊ	बाण्ड रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।

	तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर	तकनीकी स्वीकृति की निगरानी करना	• तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर का समापन वर्ष 2008–09 के अंत में नहीं किया गया था। • वर्ष 2009–10 में कार्य के लिए दिया गया तकनीकी स्वीकृति वर्ष 2008–09 के तकनीकी स्वीकृति रजिस्टर में दर्ज किया गया था।	तकनीकी स्वीकृति जारी करने में तिथियों को पीछे हटाने की संभावना
6–मैनपुरी	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के उल्लेख का कालम नहीं बनाया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति की धनराशि उल्लेख नहीं किया गया था। • ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए स्टाम्प शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।
7–सोनभद्र	अनुबंध रजिस्टर	समय एवं कार्य के लागत में वृद्धि की निगरानी करना	• अनुमानित लागत के उल्लेख का कालम नहीं बनाया गया था। • वाउचर संख्या और तिथि जैसे कार्य को अंतिम रुप देने के विवरण नहीं दर्शाये गये थे। • ठेकेदारों द्वारा जमा किए गए स्टाम्प शुल्क का उल्लेख नहीं किया गया था।	सामान्यतः बाण्डवार व्यय, समापन अनुसूची एवं सिक्योरिटी डिपाजिट उपलब्ध नहीं थे।

(**स्रोतः** प्रखण्ड, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.31 अधिशासी अभियंता द्वारा क्रास मापांकन न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

क्रम संख्या	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	भुगतान पश्चात क्रास मापी का उत्तरदायित्व एवं भुगतान पूर्व 5 प्रतिशत मापों का न जाँचा जाना	
			अधिशासी अभियंता का नाम	तैनाती की अवधि
1.	प्रखण्ड, आगरा	410 एल,411 एल,407 एल 387 एल,347 एल ,401 एल, 430 एल ,354 एल, 435 एल, 374 एल,391 एल,405 एल, 340 एल,375 एल,366 एल, 361 एल,390 एल,397 एल, 400 एल,365 एल	श्री रुपेश कुमार वर्मा	04/07 से 01/09
			श्री महेश्वर सिंह	01/09 से 03/12
2.	प्रखण्ड, अलीगढ़	353एल,450 एल,474 एल, 462 एल,444 एल,356 एल, 468 एल,460 एल,466 एल, 471 एल,464 एल,417 एल, 430 एल,481 एल,366 एल, 369 एल,478 एल,487 एल, 373 एल,379 एल	श्री ए0आर0 खान	06/06 से 07/07
			श्री आर0ए0 सिद्दीकी	07/07 से 06/08
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	06/08 से 12/08
			श्री पी0के0 श्रीवास्तव	12/08 से 05/11
			श्री आर0के0 वर्मा	05/11 से 03/12
3.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	112 एल,129एल,142 एल,100 एल, 98 एल,127 एल,122 एल ,99 एल,73 एल,74 एल,75 एल,118 एल -भाग-II,76 एल,96 एल,110 एल,118 एल,138 एल, 124 एल,117 एल,121 एल	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	01.04.07 से 7/10
			श्री एन0एन0 गिरि	8/10 से 02.01.11
			श्री ए0आर0 खान	02.01.11 से 31.03.12
4.	प्रखण्ड, आजमगढ़	606 एल,630 एल, 598 एल, 448 एल,608 एल,509 एल, 432 एल,613 एल,666 एल, 434 एल,622 एल,350 एल, 395 एल,401 एल,523 एल, 429 एल,539 एल,531 एल, 629 एल,520 एल	श्री अर्जुन दास	1.04.07 से 4.07.07
			श्री सीता राम कपड़ी	7.04.07 से 22.09.07
			श्री वी0के0 सिंह	22.09.09 से 18.11.11
			श्री वी0एन0 सिंह	30.05.11 से 31.03.12
5.	प्रखण्ड, बिजनौर	286 एल,285 एल,325 एल, 380 एल,299 एल,371 एल, 394 एल,398 एल,390 एल, 370 एल,399 एल,369 एल, 346 एल,295 एल,296 एल, 381 एल,322 एल,331 एल, 307 एल,330 एल	श्री जवाहर सिंह	01.04.07 से 08.07.08
			श्री पी0के0 गुप्ता	09.07.08 से 12.09.08
			श्री सी0पी0 शर्मा	13.09.08 से 31.10.08
			श्री बिजेन्द्र कुमार	01.10.08 से 27.05.11
			श्री राजेन्द्र सिंह	28.05.11 से 31.03.12
6.	प्रखण्ड, देवरिया	789 एल,797 एल,779 एल,798 एल, 811 एल,694 एल,787 एल,775 एल, 809 एल, 815 एल, 799 एल, 756 एल, 769 एल,818 एल,801	श्री एस0पी0 राम	01.04.07 से 03.07.07
			श्री आर0पी0 सिंह	03.07.07 से 21.08.07
			श्री एस0पी0 राम	22.08.07 से 04.07.08
			श्री खालिद बेग	05.07.08 से 05,12.08

		एल,794 एल, 795 एल,808 एल,810 एल,764 एल	श्री जय चन्द्र सिंह	06.12.08 से 15.12.08
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	16.12.08 से 30.12.08
			श्री जय चन्द्र सिंह	31.12.08 से 04.02.09
			श्री के0ए0 सिद्दीकी	05.02.09 से 18.04.09
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	18.04.09 से 31.03.12
7.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, देवरिया	133 एल,103 एल,101 एल,112 एल,113 एल,142 एल,108 एल,76 एल,151 एल,152 एल,120 एल,92 एल, 96 एल,119 एल,102 एल,157 एल,32 एल,68 एल,100 एल,95 एल	श्री एस0पी0 राम	04/07 से 12/07
			श्री राजेन्द्र प्रसाद	01/08 से 26.08.11
			श्री एम0एम0 श्रीवास्तव	27.08.11 से 31.03.12
8.	प्रखण्ड, इटावा	608 एल,615 एल,617 एल,609 एल,588 एल,488 एल,477 एल,492 एल,583 एल,482 एल,491 एल,614 एल,606 एल,541 एल,532 एल,531 एल,607 एल ,616 एल,597 एल,596 एल	श्री भैय्या लाल	01.04.07 से 27.07.07
			श्री एम0एम0 हुसैन	27.07.07 से 24.12.07
			श्री एच0एच0 खान	24.12.07 से 20.08.09
			श्री के0एन0 बेग	10.09.09 से 16.12.09
			श्री आनन्द रजा	17.12.09 से 31.03.12
9.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–II, इटावा	138 एल,117 एल,97 एल,116 एल,108 एल,133 एल,122 एल,05 एल,77 एल,115 एल,125 एल,126 एल,113 एल,40 एल ,01 एल,08 एल, 07 एल,06 एल,05 एल,119 एल	श्री बाबू लाल रावत	01.04.07 से 06.07.08
			श्री विपिन सिंह गौड़	06.07.08 से 02.02.09
			श्री महेश्वर सिंह	03.02.09 से 04.04.09
			श्री धीरेन्द्र सहाय	04.04.09 से 10.02.10
			श्री एम0एम0 गुप्ता	10.02.10 से 29.05.10
			श्री आनन्द रजा	29.05.10 से 31.03.12
10.	प्रखण्ड, फैजाबाद	669 एल, 586 एल, 637 एल, 636 एल,662 एल,609 एल,661 एल, 542 एल, 575 एल, 491 एल, 498 एल,563 एल,535 एल, 605 एल,504 एल, 546 एल, 541 एल, 608 एल,606 एल,653 एल	श्री जे0एन0 तिवारी	04/07 से 01/09
			श्री जे0पी0 वर्मा	01/09 से 05/11
			श्री एस0एन0 पाण्डेय	05/11 से 03/12
11.	प्रखण्ड, गोण्डा	799 एल,768 एल,820 एल,769 एल, 775 एल,731 एल,725 एल,801 एल,806 एल ,883 एल,723 एल,765 एल, 851 एल,852,714 एल,781 एल,752 एल,896 एल,856 एल,867 एल	श्री मन्जूर अहमद 18.05.10 से 31.03.12	
12.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	60 एल, 58 एल, 54 एल, 53 एल, 51 एल, 50 एल, 49 एल, 48 एल, 47 एल ,46 एल,43एल,42 एल,	श्री एस0एन0 पाण्डेय	01.04.07 से 25.07.07
			श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	25.07.07 से 05.09.07
			श्री राम प्रसाद राम	05.09.07 से 16.06.11
			श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	16.06.11 से 31.01.12
			श्री मन्जूर अहमद	31.01.12 से 31.03.12

13.	प्रखण्ड, हरदोई	859 एल,857 एल,858 एल,855 एल,1142 एल,1148 एल,1143 एल,1110 एल,1115 एल,997 एल,996 एल,962 एल,943 एल,914 एल,1077 एल ,1094 एल,1052 एल, 966 एल,1123 एल,913 एल	श्री महेश्वर सिंह	01.04.07 से 05.07.07
			श्री आनन्द रजा	05.07.07 से 17.09.09
			श्री बृजेश दूबे	17.09.09 से 14.07.10
			श्री सैयद मो0 हुमायू जाह	14.07.10 से 31.03.12
14.	प्रखण्ड, झाँसी	795 एल,793 एल,848 एल,796 एल,753 एल,685 एल,659 एल,777 एल,723 एल,771 एल,782 एल,780 एल,821 एल,700 एल ,752 एल,703 एल,726 एल,758 एल,696 एल,690 एल	श्री एस0के0 यादव	01.04.07 से 27.07.07
			श्री पी0के0 गुप्ता	27.07.07 से 27.06.08
			श्री शिव लाल	27.06.08 से 31.03.12
15.	प्रखण्ड, ललितपुर	294 एल,271 एल,287 एल,282 एल,280 एल,251 एल,244 एल,292 एल,285 एल,289 एल,262 एल,273 एल,266 एल,291 एल,290 एल,277 एल,264 एल,268 एल,267 एल,243 एल	श्री आर0के0 वर्मा	04/07 से 07/07
			श्री बलराम केसरी	08/07 से 03/12
16.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	35 एल,52 एल,29 एल,37 एल, 32 एल,30 एल,53 एल,34 एल, 27 एल,18 एल,22 एल,43 एल, 05 एल,39 एल,40 एल,08 एल, 33 एल,36 एल,16 एल,38 एल	सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।	01.04.07 से 31.05.11
			श्री बलराम केसरी	01.06.11 से 31.03.12
17.	प्रखण्ड, लखनऊ	561 एल,562 एल,576 एल,584 एल,597 एल,619 एल,602 एल,601 एल,594 एल,528 एल,476 एल,596 एल,595 एल,564 एल,566 एल,614 एल,613 एल,615 एल, 542 एल, 538 एल	श्री के0एल0 ग्यानचन्दानी	01.04.07 से 31.07.07
			श्री जे0पी0 वर्मा	31.07.07 से 23.04.08
			श्री बबन तिवारी	23.04.08 से 30.11.09
			श्री राम चन्द्र	30.11.09 से 04.12.09
			श्री जुबेर आलम	04.12.09 से 13.05.11
			श्री आदित्य प्रकाश	13.05.11 से 31.03.12
			श्री अशोक कुमार (अतिरिक्त)	04.06.11 से 31.03.12
18.	प्रखण्ड, मैनपुरी	285 एल,284 एल,283 एल,257 एल,300 एल,252 एल,253 एल,276 एल,246 एल,275 एल,278 एल,299 एल,255 एल,254 एल,301 एल,261 एल,266 एल,249 एल,302 एल	श्री रुपेश कुमार वर्मा 01.06.10 से 31.03.12	
19.	प्रखण्ड, मुरादाबाद	787 एल,757 एल,674 एल,671 एल,530 एल,553 एल,429 एल,629 एल,630 एल,729 एल,555 एल,762 एल,801 एल,659 एल,733 एल,527 एल,526 एल,747 एल,655 एल,683 एल	श्री बी0के0 गुप्ता	0104.07 से 02.07.07
			श्री बिजेन्द्र कुमार	03.07.07 से 27.06.08
			श्री लाल मोहम्मद	28.06.08 से 17.09.08
			श्री लाल मोहम्मद	17.09.08 से 27.05.11
			श्री अनिल कुमार शर्मा	28.05.11 से 31.03.12

20.	कार्यक्रम कियान्वयन इकाई–I, मुरादाबाद़	163 एल,164 एल,140 एल,141 एल,142 एल,133 एल,143 एल,144 एल,115 एल,127 एल,175 एल,124 एल,96 एल,82 एल,79 एल,111 एल, 95 एल,108 एल,86 एल,126 एल	श्री लाल मोहम्मद	01.04.07 से 04.12.08
			श्री लाल मोहम्मद	5.12.08 से 20.05.11
			श्री लाल मोहम्मद	21.05.11 से 27.05.11
			श्री अनिल कुमार शर्मा	28.05.11 से 31.03.12
21.	प्रखण्ड, सीतापुर	908 एल, 1006 एल,1152 एल, 1153 एल, 1005 एल,821 एल,877 एल,672 एल,1087 एल,930 एल,1146 एल,1102 एल,1086 एल, 1083 एल,1112 एल,900 एल,850 एल, 880 एल,1078 एल,959 एल	श्री जुबेर आलम	30.06.07 से 20.1.09
			श्री आर0एस0 रावत	2.12.09 से 3.06.11
			श्री वाई0एन0 सिंह	4.06.11 से 31.03.12
22.	प्रखण्ड, सोनभद्र	504 एल,483 एल,415 एल,497 एल,499 एल,264 एल,299 एल,344 एल,437 एल,490 एल	श्री श्याम नरायन पाण्डेय	01.04.07 से 22.06.08
			श्री सुरेश चन्द्र	23.06.08 से 10.06.08
			श्री हरेन्द्र सिंह	11.07.08 से 27.07.08
			श्री मुकुन्द कुमार श्रीवास्तव	29.07.08 से 11.08.11
			श्री सुरेश चन्द्र	12.08.11 से 10.09.11
			श्री राशि मनि मिश्रा	11.09.11 से 31.03.12

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम कियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.32 अवर अभियंताओं द्वारा माप पुस्तिकाओं में दिनांक सहित हस्ताक्षर न किया जाना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

क्रम संख्या	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	अवर अभियंता का नाम
1.	प्रखण्ड, आगरा	354 एल, 374 एल, 340 एल, 375 एल	श्री अनूप कुमार गुप्ता
		366 एल	श्री संतोष कुमार
		361 एल	श्री राम राज कठारिया
		365 एल	श्री बी0एन0 सिंह
		390 एल	श्री राम राज कठारिया
2.	प्रखण्ड, अलीगढ़	353 एल, 450 एल,462 एल, 444 एल	श्री कपिल कुमार बंसल
		460 एल	श्री सुबोध शर्मा
		417 एल, 430 एल	मो0 आलम फरसौली
		478 एल	श्री विनय कुमार
		373 एल, 379 एल	श्री सैयद इजहारुदीन शाह
3.	प्रखण्ड, आजमगढ़	606 एल	श्री आर0डी0 द्विवेदी
		630 एल	श्री आर0के0 यादव
		448 एल	श्री सुबोध चन्द सिंह
		432 एल	श्री अजीत कुमार
		613 एल, 666 एल	श्री चन्द्र बोस
		350 एल	श्री जय राम सिंह
		523 एल	श्री सदानंद श्रीवास्तव
		598 एल	श्री अमरीश चन्द सिंह
		531 एल	श्री बेलाल मोहम्मद सिद्दीकी
		401 एल	श्री जय राम सिंह
		629 एल	श्री राजेन्द्र दीक्षित
		520 एल	श्री कमलेश कुमार
4.	प्रखण्ड, बिजनौर	380 एल, 299 एल	श्री कासिम अली
		370 एल, 369 एल	श्री अनिल कुमार
		295 एल, 296 एल	शाहिद हसन
		330 एल,331 एल	श्री राम पाल सिंह
		322 एल	श्री डी0एस0 यादव
5.	प्रखण्ड, देवरिया	797 एल, 798 एल	श्री फकरे आलम
		694 एल,787 एल, 775 एल, 809 एल	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
		769 एल	श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता
		799 एल	श्री जमाल अहमद
		818 एल, 801 एल, 795 एल	श्री शकील अहमद
		810 एल	श्री बी0पी0 वर्मा
6.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	101 एल ,133 एल	श्री एस0पी0 शाही
		151 एल, 152 एल	श्री ए0के0 चौरसिया
		142 एल	श्री ए0के0 सिंह
		96 एल, 120 एल, 102 एल,119 एल	श्री बी0के0 सिंह
		100 एल	श्री युगल किशोर प्रसाद

7.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	43 एल	श्री घनश्याम गुप्ता
8.	प्रखण्ड, ललितपुर	271 एल, 287 एल	श्री आनन्द पाज
		285 एल	श्री डी0आर0 सिंह
		289 एल	श्री वी0पी0 पचौरी
		262 एल, 273 एल	श्री अजय कुमार तरसौलिया
		277 एल, 268 एल	श्री दिनेश कुमार
9.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	22 एल, 43 एल,40 एल	श्री ए0के0 तरसौलिया
		36 एल	श्री हिमकांत एस श्रीवास्तव
10.	प्रखण्ड, लखनऊ	564 एल, 566 एल	श्री कृष्ण कुमार
		614 एल	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव
		615 एल	श्री ए0के0 चरौसिया
		542 एल	श्री ए0के0 चरौसिया
11.	प्रखण्ड, मैनपुरी	252 एल, 253 एल, 276 एल	विद्या भूषण दूबे
		246 एल	श्री दया नंद दूबे
		275 एल	श्री राजेश कुमार निगम
		261 एल	श्री तेज राम गंगवार
		278 एल	श्री राजेश कुमार निगम
12.	प्रखण्ड, मुरादाबाद	553 एल, 671 एल	नसिरुउद्दीन
		555 एल, 762 एल	श्री तौफीक अहमद
		729 एल	श्री एस0एल0 सोनकर
		527 एल	श्री बी0एस0 सैनी
		429 एल	श्री एस0एल0 सोनकर
		655 एल	श्री जुबैद खान
		683 एल	श्री एस0ए0 गुलरेज जाफरी
13.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, मुरादाबाद	163 एल, 164 एल, 140 एल, 141 एल	श्री राम जतन प्रसाद
		142 एल, 144 एल	श्री वी0के0 सैनी
		95 एल, 108 एल, 86 एल	श्री अब्दुल सत्तार
14.	प्रखण्ड, सोनभद्र	483 एल	श्री लाल बहादुर
		415 एल	श्री बृजेश कुमार
		497 एल	श्री राम सनेही
		499 एल	श्री अनिल कुमार
		264 एल, 299 एल, 344 एल, 437 एल	श्री आशा राम पाण्डेय
15.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, सोनभद्र	8 एल	श्री आर0पी0 वर्मा
		55 एल	श्री वी0एन0 सिंह

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.1.33 बिना आवश्यकता के माप पुस्तिकाओं को जारी करना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.12.3; पृष्ठ 45)

प्रखण्ड/कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	माप पुस्तिका संख्या	अवर अभियंता का नाम सर्व श्री	माप पुस्तिकाओं को जारी करने की तिथि	प्रथम मापांकन की तिथि	प्रथम मापांकन
आगरा	354 एल	श्री अनूप कुमार गुप्ता	21-09-2007	21-09-2008	12 माह
	430 एल	–तदैव–	22-01-2011	20-02-2012	
अलीगढ़	373 एल	सैयद इजहारुउद्दीन शाह	16-10-2008	09-07-2010	21 माह
	379 एल	–तदैव–	16-10-2008	08-07-2010	
बिजनौर	322 एल	श्री डी0एस0 यादव	29-09-2009	20-08-2011	24 माह
देवरिया	815 एल	श्री जमाल अहमद	05-03-2010	07-05-2012	26 माह
फैजाबाद	586 एल	श्री राकेश यादव	23-10-2008	20-12-2009	14 माह
झाँसी	723एल	श्री जय कुमार सिंह	27-11-2008	08-10-2009	12 माह
	726 एल	श्री के0के0 दूबे	27-11-2008	18-12-2009	
	795 एल	श्री सलिल कुमार साम्या	24-05-2010	10-07-2011	
ललितपुर	244 एल	श्री शिशु पाल सिंह	22-10-2008	18-10-2009	12 माह
मुरादाबाद	747 एल	श्री वी0डी0 गंगवार	20-11-2009	10-02-2010	3 माह
	787 एल	श्री नसिरुउदीन	28-11-2010	15-05-2011	6 माह
मुरादाबाद, कार्यक्रम कयान्वयन इकाई–I	124 एल	श्री अखिलेश कुमार	18-05-2008	29-12-2008	7 माह
सीतापुर	1005 एल	श्री सुन्दर लाल वर्मा	05-09-2010	24-03-2012	18 माह
	1006 एल	–तदैव–	05-09-2010	24-03-2012	18 माह

(स्रोतः प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

परिशिष्ट

2.1.34 2007–12 के दौरान अधीक्षण अभियंताओं/मुख्य अभियंताओं द्वारा किए गए निरीक्षण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.1.13.2; पृष्ठ 47)

क्रम संख्या	मुख्य अभियंता (पूर्वी), लखनऊ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या				अधीक्षण अभियंता, लखनऊ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या दिनों में	प्रखण्डों द्वारा प्रेषित अनुपालन	प्रखण्ड / कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या दिनों में	प्रखण्डों द्वारा प्रेषित अनुपालन
1.	प्रखण्ड, लखनऊ	2007-08	--	--	प्रखण्ड, लखनऊ	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	2
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
2.	प्रखण्ड, सीतापुर	2007-08	--	--	प्रखण्ड, सीतापुर	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	1	--
		2009-10	--	--		2009-10	3	--
		2010-11	2	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	1	1
3.	प्रखण्ड, हरदोई	2007-08	--	--	प्रखण्ड, हरदोई	2007-08	1	1
		2008-09	--	--		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	--
		2010-11	--	--		2010-11	1	--
		2011-12	--	--		2011-12	1	--
					अधीक्षण अभियंता, फैजाबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
4.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	2007-08	1	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, गोण्डा	2007-08	3	--
		2008-09	--	--		2008-09	6	--
		2009-10	1	--		2009-10	11	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	1
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
5.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	2007-08	2	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, फैजाबाद	2007-08	13	--
		2008-09	---	---		2008-09	8	---
		2009-10	2	--		2009-10	16	--
		2010-11	1	--		2010-11	5	--
		2011-12	1	--		2011-12	12	--
					अधीक्षण अभियंता, गोरखपुर द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
6.	प्रखण्ड, आजमगढ़	2007-08	--	--	प्रखण्ड, आजमगढ़	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	2	2
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	2	2
		2011-12	--	--		2011-12	3	3
7.	प्रखण्ड, देवरिया	2007-08	--	--	प्रखण्ड, देवरिया	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	--	--

		2010-11	1	1		2010-11	1	1
		2011-12	--	--		2011-12	1	1
8.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, देवरिया	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2009-10	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2009-10	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2010-11	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2010-11	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
मुख्य अभियंता (पश्चिमी) द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या					**अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या**			
9.	प्रखण्ड, इटावा	2007-08	--	--	प्रखण्ड, इटावा	2007-08	1	--
		2008-09	--	--		2008-09	2	1
		2009-10	1	1		2009-10	4	2
		2010-11	1	1		2010-11	2	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
10.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, इटावा	2007-08	--	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, इटावा	2007-08	7	4
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	1	1		2009-10	--	--
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
					अधीक्षण अभियंता, आगरा द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
11.	प्रखण्ड, आगरा	2007-08	--	--	प्रखण्ड, आगरा	2007-08	--	--
		2008-09	1	1		2008-09	1	1
		2009-10	--	--		2009-10	2	2
		2010-11	1	1		2010-11	15	15
		2011-12	--	--		2011-12	7	7
12.	प्रखण्ड, मैनपुरी	2007-08	--	--	प्रखण्ड, मैनपुरी	2007-08	1	--
		2008-09	--	--		2008-09	4	2
		2009-10	--	--		2009-10	3	3
		2010-11	--	--		2010-11	3	3
		2011-12	--	--		2011-12	10	10
					अधीक्षण अभियंता, झाँसी द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
13.	प्रखण्ड, झाँसी	2007-08	--	--	प्रखण्ड, झाँसी	2007-08	--	--
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	--	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
14.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, ललितपुर	2007-08	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–II, ललितपुर	2007-08	4	1
		2008-09	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2008-09	1	-
		2009-10	2	-		2009-10	3	-
		2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		2010-11	5	-

			कराये गये	कराये गये				
		2011-12	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये		2011-12	-	-
					अधीक्षण अभियंता, मुरादाबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
15.	प्रखण्ड, बिजनौर	2007-08	--	--	प्रखण्ड, बिजनौर	2007-08	1	1
		2008-09	--	--		2008-09	--	--
		2009-10	--	--		2009-10	1	1
		2010-11	--	--		2010-11	2	2
		2011-12	--	--		2011-12	7	7
					अधीक्षण अभियंता, मेरठ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या			
16.	प्रखण्ड, अलीगढ़	2007-08	--	--	प्रखण्ड, अलीगढ़	2007-08	2	--
		2008-09	1	--		2008-09	--	--
		2009-10	1	--		2009-10	3	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	3	--
17.	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	2007-08	--	--	कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई–I, अलीगढ़	2007-08	6	--
		2008-09	--	--		2008-09	3	--
		2009-10	1	--		2009-10	--	--
		2010-11	--	--		2010-11	3	--
		2011-12	--	--		2011-12	--	--
		योग	**21**	**06**			**214**	**80**

(**स्रोतः** प्रखण्ड एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग)

2.2.1 योजनावार लाभार्थियों के पात्रता एवं देय अनुदान की राशि

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.3.1; पृष्ठ 50)

क्रम संख्या	योजना का नाम	वर्ष जिसमें योजना प्रारम्भ हुई	प्रदान की जाने वाली पाईप की निर्धारित लम्बाई	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप पर देय अनुदान
कृषि विभाग				
1	वर्षा जल संचयन	2007-08	100 मीटर	अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमान्त[1] एवं लघु कृषक[2] को शत–प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15,000 तक
2	कुशल जल प्रबन्धन	2007-08	₹ 16,042 के मूल्य का पाईप या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो	
3	आईसोपॉम	2004-05	₹15,000 मूल्य या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो	
4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन[3]	2007-08	800 मीटर	₹15,000 या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो दोनों में कम हो
लघु सिंचाई विभाग				
5	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180 मीटर	अनुसूचित जाति/जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषक को शत–प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 75 प्रतिशत
6	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना[4]	2007-08	30 से 90 मीटर (सतही बोरिंग)	₹ 6,200 का मूल्य या पाईप की कुल कीमत का 50 प्रतिशत, जो दोनों में कम हो
			132 मीटर पाईप (गहरी बोरिंग)	₹ 10,000 या पाईप की कीमत का 50 प्रतिशत, जो कम हो

(**स्रोतः** सूचना कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

[1] एक हेक्टेयर से कम जोत का धारक।
[2] एक से दो हेक्टेयर के मध्य जोत का धारक।
[3] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप घटक 2010–11 में सम्मिलित।
[4] हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप घटक 2011–12 में सम्मिलित।

परिशिष्ट

2.2.2 अनुदानित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्ति में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2010–12 की अवधि में व्ययाधिक्य का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.4; पृष्ठ 51)

वर्ष	कृषि विभाग द्वारा आपूर्तित हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की मात्रा (लाख मीटर)	औसत दर जिसमें कृषि विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति की गयी (₹ प्रति मीटर)	औसत दर जिसमें लघु सिंचाई विभाग द्वारा हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप क्रय की गयी (₹ प्रति मीटर)	अधिक दर (कॉलम 3–4) (₹ प्रति मीटर)	कृषि विभाग द्वारा किया गया व्ययाधिक्य (₹ करोड़ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2010-11	10.25	139.57	125.76	13.81	1.41
2011-12	4.10	144.47	113.54	30.93	1.26
				योग	**2.67**

(**स्रोत**: सूचना कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदत्त)

2.2.3 चयन समिति की बैठक का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.1; पृष्ठ 54)

जनपद	योजना का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित	निर्धारित तिथि	आयोजित
झाँसी	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	7.2.2008 से 24.3.2008	25.11.2008	12.2.2009 से 3.3.2009	10.10.2009	13.1.2010 से 25.3.2010	5.12.2010	31.3.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि नहीं बताया गया था	बैठक आयोजित नहीं
	आइसोपाम										
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
जालौन स्थित उरई	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	16.1.2009 से 8.2.2009	10.10.2009	26.10.2009 से 5.3.2010	5.12.2010	बैठक आयोजित नहीं	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	बैठक आयोजित नहीं
	आइसोपाम				सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		सूचना उपलब्ध नही कराई गयी		
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
हमीरपुर	वर्षा जल संचयन	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	29.12.2008 से 18.2.2009	10.10.2009	31.8.2009 से 10.12.2009	5.12.2010	21.2.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	29.6.2011 से 1.10.2011
	आइसोपाम				18.11.2008 से 13.2.2009		2.12.2009		7.3.2011		
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी							21.2.2011		
रायबरेली	आइसोपाम	25.12.2007	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	25.11.2008	सूचना उपलब्ध नही कराई गयी	10.10.2009	31.12.2008	5.12.2010	10.4.2011	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	बैठक आयोजित नहीं
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नहीं थी									
बस्ती	आइसोपाम	25.12.2007	---	25.11.2008	27.2.2009	10.10.2009	22.2.2010 से 10.3.2010	5.12.2010	24.12.2010	दर अनुबन्ध निर्देशों में तिथि उल्लिखित नहीं थी	26.3.2012
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप योजना संचालित नही थी									

(**स्रोतः** सूचना कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.4 नमूना-जाँच हेतु चयनित जनपदों में हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की प्राप्ति एवं वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.2; पृष्ठ 56)

(पाईप मीटर में एवं फिटिंग्स संख्या में)

चयनित जनपद	प्राप्ति		वितरित		अवितरित		लागत (रू लाख में)	
	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स	पाईप	फिटिंग्स
हमीरपुर	6,63,852	110	6,49,332	शून्य	14,520	110	18.37	00.13
बस्ती	82,248	1,666	55,770	1,583	26,478	83	0.98	00.83
रायबरेली	1,49,040	1,080	1,49,040	1,080	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जालौन	6,92,970	3,658	6,73,200	3,378	19,770	280	24.94	03.11
झाँसी	6,42,522	3,660	6,38,460	शून्य	4,062	3,660	4.98	35.13
इलाहाबाद	92,340	575	12,804	97	79,536	478	104.59	06.77
योग	**23,22,972**	**10,749**	**21,78,606**	**6,138**	**1,44,366**	**4,611**	**153.86**	**45.97**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.5 आवश्यकता से अधिक हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

क्रम संख्या	लाभार्थी का नाम एवं पता	ग्राम व तहसील	कुल जोत (हेक्टेयर में)	हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप आपूर्ति की आवश्यकता (मीटर में)	लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप की आपूर्तित मात्रा (मीटर में)	अधिक आपूर्तित मात्रा (6–5) (मीटर में)	लागत (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
झाँसी							
1.	लखन लाल पुत्र छिनू उर्फ बेनी राम	वृसिंहपुर , टहरौली	0.418	7.52	180	172.48	0.22
2.	बृज मोहन पुत्र काशीराम	पुलिया, मोठ	0.223	4.01	180	175.99	0.22
3.	कालका प्रसाद पुत्र छाकी लाल	बुधाई, मऊरानीपुर	0.405	7.29	180	172.71	0.22
4.	राजाराम पुत्र लक्ष्मी नरायन	गढवा, मऊरानीपुर	0.552	9.94	180	170.06	0.21
5.	माधो सिंह पुत्र तुलसी राम	खिल्ली, मोठ	3.116	56.09	180	123.91	0.16
6.	सत्य प्रकाश पुत्र शंकर लाल	गढवा, मऊरानीपुर	1.534	27.61	180	152.39	0.19
7.	विनीत कुमार पुत्र सूरज सिंह	गढवा, मऊरानीपुर	0.987	17.77	180	162.23	0.20
8.	राधा चरण पुत्र रामसई	लथेसरा, टहरौली	0.653	11.75	180	168.25	0.21
9.	चिरंजी लाल पुत्र सुल्ली	पंछी,गरौठा	0.648	11.66	180	168.34	0.21
10.	हितेन्द्र कुमार पुत्र जानकी	गढवा, मऊरानीपुर	0.401	7.22	180	172.78	0.22
11.	हनुमत लाल पुत्र धनी राम	गुढा, मऊरानीपुर	0.494	8.89	180	171.11	0.21
12.	रवीन्द्र कुमार पुत्र जानकी प्रसाद	गढवा, मऊरानीपुर	0.401	7.22	180	172.78	0.22
13.	धनाराम पुत्र शंकर लाल	मैगाव, टहरौली	2.345	42.21	180	137.79	0.17
14.	हरीपत सिंह पुत्र काली चरन	गोरा, गरौठा	0.240	4.32	180	175.68	0.22
15.	अमर सिंह पुत्र कालीचरण	गोरा, गरौठा	2.130	38.34	180	141.66	0.18
16.	हरि प्रकाश पुत्र लक्ष्मी चन्द्र	मैगाव, टहरौली	4.382	78.88	180	101.12	0.13
हमीरपुर							
17.	बाबूराम पुत्र पंच	ऐझी,मौदहा	2.889	52	180	128	0.16
18.	मुलायम सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह	बजेहटा, मौदहा	2.428	43.70	180	136.30	0.17
19.	गया प्रसाद पुत्र रघुवीर	कमोखर, मौदहा	1.952	35.14	180	144.86	0.18
20.	सुबराती पुत्र नियामत	चिल्ली, मौदहा	1.080	19.44	180	160.56	0.20
21.	बाबूराम पुत्र पंच	धामूपुर, मौदहा	0.748	13.46	180	166.54	0.21

22.	पवन कुमार पुत्र राम किशोर	लोदीपुर, मौदहा	0.857	15.43	180	164.57	0.21
23.	राम खिलावन पुत्र राम आधार	बिगहना, मौदहा	0.528	9.50	180	170.50	0.21
24.	भगवानदीन पुत्र केदार	पढ़ोरी, मौदहा	5.419	97.54	180	82.46	0.10
25.	बंश गोपाल पुत्र बाल कृष्ण	गोहान्ड, सरीला	1.919	34.54	180	145.46	0.18
26.	राम आधार पुत्र प्रभु	अले गौरा, मौदहा	1.377	24.79	180	155.21	0.19
जालौन स्थित उरई							
27	रघुवंशी पुत्र छिग्गू	शिवानी बुर्जुग, नदीगॉव	0.685	12.33	180	167.67	0.21
28	अनन्त राम पुत्र बलराम	रामपुर बनेटा, कोंच	1.719	30.94	180	149.06	0.19
29	सोबरन सिंह पुत्र परमानन्द सिंह	चमरसेना, कोंच	0.978	17.60	180	162.40	0.20
30.	सुखबासी पुत्र ब्रिज लाल	पचीपुरा खुर्द, नदीगाँव	1.527	27.49	180	152.51	0.19
31.	राम लखन पुत्र दीन दयाल	अण्डा, कोंच	3.427	61.69	180	118.31	0.15
32.	प्रभु दयाल पुत्र ग्यासी	मूरत सौजना, कोंच	0.880	15.84	180	164.16	0.21
33.	अनिल कुमार पुत्र भगवान दास	अण्डा, कोंच	0.710	12.78	180	167.22	0.21
34.	जुगल किशोर पुत्र श्याम लाल	पिण्डवी, कोंच	2.558	46.04	180	133.96	0.17
35.	तुलसी राम पुत्र मातादीन	अण्डा, कोंच	7.374	132.73	180	47.27	0.06
36.	महेन्द्र सिंह पुत्र राम शंकर	पिरगुआ बुजुर्ग, कोंच	3.832	68.98	180	111.02	0.14
37.	गिरीजा देवी पत्नी सुल्तान सिंह	सतोह, कोंच	1.634	29.41	180	150.59	0.19
38.	कन्हैया लाल पुत्र मंगल	सतोह, कोंच	5.157	92.83	180	87.17	0.11
39.	लखन लाल पुत्र बाबू लाल	दिरावटी, कोंच	6.232	112.18	180	67.82	0.08
40.	जगत नरायन पुत्र ओच्छे लाल	पचोखरा, रामपुरा	1.178	21.20	180	158.80	0.20
41.	धान सिंह पुत्र हर लाल	बिरसोई, कोंच	0.584	10.51	180	169.49	0.21
42.	तुला राम पुत्र गोकुल	दिरावटी, कोंच	2.309	41.56	180	138.44	0.17
43.	नाथ पुत्र बाल किशुन	अमीटा, कोंच	2.602	46.84	180	133.16	0.17
44.	मथुरा प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल	महतबाई, नदीगॉव	1.154	20.77	180	159.23	0.20
45.	जगदीश पुत्र दुर्गा प्रसाद	भदबी, कोंच	7.337	132.07	180	47.93	0.06
46.	मनोज कुमार पुत्र राजाराम	अण्डा, कोंच	4.529	81.52	180	98.48	0.12

47.	देवेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु नरायन	दिरावटी, कोंच	1.380	24.84	180	155.16	0.19
48.	ब्रिज मोहन पुत्र रघुवीर प्रसाद	अण्डा, कोंच	5.658	101.84	180	78.16	0.10
49.	अरविन्द पुत्र रक्शी	गुरावती लौना,कोंच	1.790	32.22	180	147.78	0.19
50.	राम कृष्ण पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	1.163	20.93	180	159.07	0.20
51.	देना राम पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	0.670	12.06	180	167.94	0.21
52.	चन्द्र प्रकाश पुत्र रतन सिंह	भदेवरा,कोंच	1.196	21.53	180	158.47	0.20
53.	हर्ष कुमार पुत्र लाला राम	दोहन, कोंच	o.651	11.72	180	168.28	0.21
54	हरि मोहन पुत्र मुन्नी लाल	दोहन, कोंच	1.133	20.39	180	159.61	0.20
55.	श्रीराम पुत्र राम सहाय	पंछीपुर, कोंच	0.989	17.80	180	162.20	0.20
56.	कृष्ण कुमार पुत्र सुन्दर लाल	कुठौद खुर्द, जालौन	1.615	29.07	180	150.93	0.19
57.	ललित कुमार पुत्र राम सनेही	तपर सहाय, जालौन	0.732	13.18	180	166.82	0.21
58.	बिद्या राम पुत्र घरीटे	कुँवनपुर, जालौन	0.356	6.41	180	173.59	0.22
59.	मूल चन्द्र पुत्र श्याम लाल	खैरा, जालौन	0.632	11.38	180	168.62	0.21
60.	चन्द्र भान पुत्र विजेन्द्र	सिमकीराजा,जालौन	0.668	12.02	180	167.98	0.21
61.	विश्वनाथ पुत्र रमेश देव	सहात, जालौन	0.972	17.50	180	162.50	0.20
62.	प्रीतम सिंह पुत्र गया सिंह	जगनेवा, जालौन	0.625	11.25	180	168.75	0.21
63.	चन्द्रशेखर पुत्र देवीदीन	सिमकीराजा,जालौन	0.767	13.81	180	166.19	0.21
64.	राम अवतार सिंह पुत्र बाबू सिंह	सिंघपुरा, जालौन	0.792	14.26	180	165.74	0.21
65.	राम नरायन पुत्र मंगली	भदेवार, कोंच	2.914	52.45	180	127.55	0.16
66.	राम कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	भदेवार, कोंच	0.466	8.39	180	171.61	0.21
67.	मोहन लाल पुत्र छोटे लाल	हरदोई राजा, जालौन	1.900	34.20	180	145.80	0.18
68.	राकेश पुत्र प्रताप	खर्राजालौन	1.189	21.40	180	158.60	0.20
69.	सुमेर पुत्र बल्देव	ओरेखी, जालौन	4.003	72.05	180	107.95	0.14
70.	श्याम सुन्दर पुत्र गजराज	पयान, जालौन	1.120	20.16	180	159.84	0.20
71.	मूल्लू पुत्र राजाराम	भिटारा, जालौन	7.187	129.37	180	50.63	0.06
72.	राजपाल सिंह पुत्र मुन्ना लाल	सिंघपुरा ,जालौन	0.391	7.04	180	172.96	0.22
			योग	**2,438.84**	**12,960**	**10,521.16**	**13.17**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

परिशिष्ट

2.2.6 मध्यम गहरी बोरिंग नलकूपों के लाभार्थियों को हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

क्रम संख्या	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	वर्ष जिसमें मध्यम गहरी बोरिंग कार्य सम्पादित की गयी	वर्ष जिसमें हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप वितरित की गयी
जनपद–हमीरपुर						
1	शब्बीर अहमद	जहूर अहमद	मौदहा	मौदहा	2009-10	2010-11
2	राम प्रकाश	रामेश्वर	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
3	रामेश्वर	अच्छे लाल	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
4	बाबू राम	रामेश्वर	छिमौली	मौदहा	2009-10	2010-11
5	भगवानदीन	केदार	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
6	मनीराम	बिन्दावन	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
7	अच्छे लाल	सूरजबली	पढोरी	मौदहा	2009-10	2010-11
8	श्याम सिंह	सुखनन्दन सिंह	परछछा	मौदहा	2009-10	2010-11
9	विचित्र कुमार	हरि प्रसाद	परेहटा	मौदहा	2009-10	2010-11
10	बाल गोविन्द	छिद्दू	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
11	शिव नाथ	भौनियॉ	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
12	काली चरन	हीरा लाल	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
13	गुलाब	अब्दुल	रौहारी	मौदहा	2009-10	2010-11
14	अफसाना बानों	शकील अहमद	रागौल	मौदहा	2009-10	2011-12
15	हिदायतुद्दीन	रसूल बक्स	रागौल	मौदहा	2009-10	2010-11
16	बाबू	कामता प्रसाद	सडा	मौदहा	2009-10	2010-11
17	सुशील बाबू	गजोधर	उपरी	मौदहा	2009-10	2010-11
18	अनन्त राम	राजाराम	अरतरा	मौदहा	2009-10	2010-11
जनपद–जालौन स्थित उरई						
19	शिव राम	कुन्दन लाल	पचीपुरी	कोंच	2010-11	2010-11
20	विनोद कुमार	बाबू लाल	बरौदा खुर्द	कोंच	2011-12	2010-11
21	दिनेश कुमार	रामेश्वर दयाल	अण्डा	कोंच	2008-09	2010-11
22	शिवराज सिंह	राम नरायन	दिरावटी	कोंच	2010-11	2010-11
23	राम लखन	दीन दयाल	अण्डा	कोंच	2011-12	2010-11
24	किशुन पाल	पुनु	अतराखुर्द	महेवा	2011-12	2010-11
25	ख्याली राम	भद्दी	कुसुमिलिया	डकोर	2008-09	2010-11
26	तिलक सिंह	चेत राम	डगवा कला	डकोर	2010-11	2010-11
27	खेमचन्द	दया राम	ऐन्धा	डकोर	2011-12	2010-11
28	अशोक सिंह	राजा सिंह	शेखपुर	जालौन	2011-12	2010-11
29	कृष्णानन्द	राम दास	धनतौली	जालौन	2011-12	2010-11
30	सन्तोष कुमार	जगन्नाथ	धनतौली	जालौन	2008-09	2010-11
31	रामकेश	प्रभु दयाल	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
32	मेवा लाल	लालाराम	उमरी	नदीगांव	2011-12	2010-11
33	सत्यवती	श्याम सुन्दर	महतवानी	नदीगांव	2011-12	2010-11
34	तुलसी राम	धान सिंह	जुगराजपुर	नदीगांव	2008-09	2010-11
35	सुशील कुमार	गजराज सिंह	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
36	श्रीमती कुसुमा	लक्ष्मी नरायन	भेड़	नदीगांव	2009-10	2010-11
37	सन्तोष कुमार	दया राम	रामपुर सनेटा	कोंच	2011-12	2010-11
38	प्रवीन कुमार	प्रेम किशोर	चन्दानी	कोंच	2011-12	2010-11

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

2.2.7 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	ग्राम	पाईप का वितरण				अधिक वितरण	
			प्रथम बार		द्वितीय बार		मात्रा (मीटर में)	धनराशि (₹ में)
			वर्ष	मात्रा (मीटर में)	वर्ष	मात्रा (मीटर में)		
जनपद–झाँसी								
1	फूसु पुत्र कामता	ग्राम–जरयाई, विकास खण्ड–चिरगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
2	अमर सिंह पुत्र कालीचरन	ग्राम–गोरा विकास खण्ड–,बमौरा	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
						योग	**360**	**45180**
जनपद–जालौन स्थित उरई								
3	कोडरे पुत्र दीनदयाल	ग्राम–महतवानी, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
4	हरदयाल पुत्र किशुन लाल	ग्राम– भेड, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
5	दुर्गा प्रसाद पुत्र चतुर्भुज	ग्राम–भेड़, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
6	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी रामशंकर	महतवानी, नदीगॉव	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
						योग	**720**	**90360**
जनपद–हमीरपुर								
7	बंश गोपाल पुत्र बाल कृष्ण	ग्राम– गोहाण्ड, विकास खण्ड–गोहाण्ड	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
8	बरदानी पुत्र गिरधारी	ग्राम–बिदोखर,मेदानी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
9	शिव दास पुत्र मतैया	गॉव–पचखुरा बुर्जर्ग, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
10	प्रदीप पुत्र लल्लू	ग्राम–पचखुरा बुजर्ग, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
11	श्रीराम पुत्र कट्टा	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
12	राम भगत पुत्र विशाल	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
13	राम नाथ पुत्र पतरिया	ग्राम–मंगरौल, विकास खण्ड–सरीला	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
14	चुनुबाद पुत्र रामरतन	ग्राम–कुण्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
15	जगमोहन पुत्र हरि प्रसाद	ग्राम–सिमनौरी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2010-11	180	180	22590
16	जगदीश पुत्र राम पाल	ग्राम–धरमपुर, विकास खण्ड–सुमेरपुर	2010-11	180	2011-12	180	180	23670
						योग	**1,800**	**2,32,380**
						कुल योग	**2,880**	**3,67,920**

(**स्रोतः** सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्डों द्वारा प्रदत्त)

2.2.8 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

कृषि विभाग के अन्तर्गत

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	पता	पाईप का वितरण						अधिक वितरण	
			प्रथम बार			द्वितीय बार				
			वर्ष	योजना का नाम	मात्रा (संख्या में)	वर्ष	योजना का नाम	मात्रा (संख्या में)	मात्रा (संख्या में)	धनराशि (₹ में)
जनपद–बस्ती										
1	अयोध्या पुत्र परमेश्वर	ग्राम–महरीपु, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185
2	बाबूराम चौधरी पुत्र जानकी	ग्राम–दयालपुर, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	7	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
3	बदलू पुत्र रामलौट	ग्राम–एकडगवा, विकास खण्ड–दुबौलिया	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
4	बहादुर पुत्र बैजनाथ	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
5	बहराइच पुत्र झिनकान	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
6	बखेडू पुत्र कल्पू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
7	बाल किशुन पुत्र दुर्गा प्रसाद	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
8	बलिकरन पुत्र शिव नन्दन	ग्राम–बलुवा विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
9	भगवन्त पुत्र सीताराम	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
10	बिन्दाराम पुत्र शिवमूरत	ग्राम–केवटकी, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
11	धर्मराज पुत्र भागीरथी	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
12	दुर्बलराम पुत्र झिन्नू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
13	द्वारिका पुत्र रामबली	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
14	गंगासागर पुत्र मुनरू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
15	गोमती पुत्र रामकुमार	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
16	हामिद अहमद पुत्र मो0नईम	ग्राम–बेलवा डान्डी, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	आईसोपॉम	35	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,381
17	हरी राम पुत्र महावीर	ग्राम–सड़वलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185

18	कालिका पुत्र शिवनन्दन	ग्राम–रखिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
19	कौशल किशोर पुत्र शेर बहादुर	ग्राम–दिघा, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2008-09	आईसोपॉम	35	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	35	35	27,563
20	कृष्णदेव पुत्र अयोध्या	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
21	कृष्ण प्रसाद पुत्र हरिराज	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	13,920
22	लाल प्रसाद पुत्र झकरी	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
23	लक्ष्मी प्रसाद पुत्र बोधई	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
24	महेश पुत्र राज कुमार	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
25	मिठाई लाल पुत्र मंगरू	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
26	मोहन लाल पुत्र तुलसी	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
27	मुनेशर पुत्र शिवराज	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
28	ओम प्रकाश पुत्र सुरेन्द्र सिंह	ग्राम–छबीला, विकास खण्ड–बहादुरपुर	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
29	पंचू राम पुत्र नेपाल	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
30	पारस नाथ पुत्र राम पियारे	ग्राम–सड़वलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
31	पतई पुत्र दुबर	ग्राम–बलुवा, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
32	पियारे पुत्र बदरी	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2010-11 2009-10	आईसोपॉम आईसोपॉम	33 40	73	65,985
33	प्रमोद कुमार पुत्र राम बहादुर	ग्राम–दुधौरा, विकास खण्ड–विक्रमजोत	2008-09	आईसोपॉम	35	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
34	राज बहादुर पुत्र भोला	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
35	राम अभिलाष पुत्र डेलई	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
36	राम अवध पुत्र गौकरण	ग्राम–कोतवालपुर, विकास खण्ड–विक्रमजोत	2008-09	आईसोपॉम	35	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
37	रामबरन पुत्र सुभाऊ	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
38	राम चन्द्र पुत्र पल्टू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2010-11 2009-10	आईसोपॉम आईसोपॉम	33 40	73	65,985
39	राम चन्द्र पुत्र भगौता	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185

40	राम दास पुत्र लाल चन्द्र	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
41	राम जवाहिर पुत्र जयराम	ग्राम–केवटली विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	आईसोपॉम	40	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	18	15,660
42	राम केवल पुत्र रतन	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
43	राम किशोर पुत्र सुखई	ग्राम–रखिया विकास ख्ण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
44	राम किशुन पुत्र लालता	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
45	राम लाल पुत्र लाल चन्द्र	ग्राम–बलुआ, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
46	राम लाल पुत्र रजई	ग्राम–निपनियॉ, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
47	राम लौट पुत्र रामदेव	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
48	राम नरायन पुत्र रामानन्द	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
49	राम प्रकाश पुत्र राजपत	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
50	राम प्रसाद पुत्र मनोहर	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
51	राम समुझ पुत्र रामराज	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	14,790
52	राम सुमेर पुत्र महावीर	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	13,920
53	रामतौल पुत्र धिराउ	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
54	राम विलास पुत्र जयराम	ग्राम–केवटली, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
55	राम विलास पुत्र मूरत राम	ग्राम–सण्डवलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	18	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
56	रंगी लाल पुत्र पोलई	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
57	रवीन्द्र पुत्र हृदय राम	ग्राम–सण्डवलिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
58	सन्त राम पुत्र गजाधर	ग्राम–रखिया, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
59	सन्त राम पुत्र बरहू	ग्राम–जोगीपुर, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2011-12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	35	35	27,562
60	सतेन्द्र पुत्र रघुपति	ग्राम–नरखोरिया, विकास खण्ड–रामनगर	2009-10	आईसोपॉम	40	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185

61	शिव पूजन पुत्र राममणि	ग्राम–केशवपुर, विकास खण्ड–हरैया	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	17	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
62	श्रीराम पुत्र भरोसे	ग्राम–डिडौहा, विकास खण्ड–बस्ती सदर	2009-10	आईसोपॉम	40	2011-12	आईसोपॉम	33	33	31,185
63	सीताराम पुत्र रामलाल	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
64	सुग्रीव पुत्र दयाराम	ग्राम–केवटकी, विकास खण्ड–कप्तानगंज	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
65	सुखराम पुत्र संग्राम	ग्राम–सिकटा, विकास खण्ड–गौर	2009-10	आईसोपॉम	40	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	16	16	13,920
66	सुरेश पुत्र सुभाऊ	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	42	2010-11	आईसोपॉम	33	33	31,185
67	वंशराज पुत्र बरखू	ग्राम–बहेरिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	48	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
68	विष्णुदत्त पुत्र भागीरथी	ग्राम–हरदिया, विकास खण्ड–सल्टौआ	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	8	2009-10	आईसोपॉम	40	40	34,800
								योग	2402	21,51,421
जनपद–रायबरेली										
69	श्रीपाल पुत्र सुन्दर	ग्राम–आलमपुर, विकास खण्ड–लालगंज	2007-08	आईसोपॉम	35	2010-11	राष्ट्रीय खाद्यसुरक्षा मिशन	30	30	25,200
70	मनोज कुमार पुत्र राम चन्द्र	ग्राम–गोविन्दपुर, विकास खण्ड–लालगंज	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
71	रामदेव पुत्र महादेव	ग्राम–झकरासी, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	34	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	30	30	28,350
72	राजेश कुमार पुत्र श्रीराम	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	17	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
73	वीरेन्द्र बहादुर पुत्र रामकिशुन	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	17	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
74	शिव राम यादव पुत्र बलदेव प्रसाद	ग्राम–रघुनाथपुर भैरोपुर कटैली, विकास खण्ड–राही	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	34	2008-09	कुशल जल प्रबन्धन	15	15	12,600
								योग	135	1,19,700
जनपद–झाँसी										
75	कल्याण सिंह पुत्र श्याम लाल	ग्राम–राजापुर, विकास खण्ड–बबीना	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2010-11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	33	33	31,185
76	श्याम प्रकाश पुत्र प्यारे लाल पाठक	ग्राम–हासपुरा, विकास खण्ड–बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2008-09	वर्षा जल संचयन	50	50	42,000
77	प्रताप सिंह पुत्र तेज सिंह	ग्राम–घुराट, विकास खण्ड– बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	26	26	17,160
78	दसई पुत्र भगन्तु	ग्राम–किशनी बुजुर्ग, विकास खण्ड–बंगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	43	43	39,093
79	हरकुँवर पत्नी राजेन्द्र सिंह	ग्राम–किशनी खुर्द, विकास खण्ड–बगरा	2007-08	वर्षा जल संचयन	26	2009-10	वर्षा जल संचयन	43	43	39,093
								योग	205	1,68,531

जनपद–इलाहाबाद										
80	बरसाती पुत्र किशुन	ग्राम–उमान, विकास खण्ड–माण्डा	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	40	40	24,800
81	छोटे पुत्र बॉके	ग्राम–हरदवा (हरदौन), विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	60	60	29,400
82	धर्मराज पुत्र गंगादीन	ग्राम–बेलहा बॉध, विकास खण्ड–फूलपुर	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	35	35	29,400
83	गिरधारी पुत्र साधु	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	60	60	29,400
84	कमला देवी पत्नी राधेश्याम	ग्राम–बसेनपुर, विकास खण्ड–उरवा	2007-08	आईसोपॉम	35	2008-09	आईसोपॉम	35	35	29,400
85	केशव प्रसाद पुत्र उमाशंकर	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	30	30	14,700
86	खरभर पुत्र भूषण	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2008-09	आईसोपॉम	40	40	24,800
87	मुन्नी लाल पुत्र राधे उर्फ राघो	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	30	30	19,800
88	विद्याकान्त पुत्र राधे उर्फ राघो	ग्राम–हरदौन, विकास खण्ड–कोरॉव	2007-08	कुशल जल प्रबन्धन	36	2009-10	कुशल जल प्रबन्धन	23	23	15,180
								योग	**353**	**2,16,880**
								कुल योग	**3095**	**26,56,532**

(**स्रोतः** सूचना के चयनित उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त)

2.2.9 हाई डेन्सिटी पालीएथिलिन पाईप के दोहरे वितरण का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 2.2.6.3; पृष्ठ 58)

कृषि एवं लघु सिंचाई विभाग के मध्य

क्रम संख्या	लाभार्थी का विवरण	ग्राम	पाईप का वितरण						अधिक वितरण	
			प्रथम बार			द्वितीय बार				
			योजना का नाम	वर्ष	मात्रा (मीटर में)	योजना का नाम	वर्ष	मात्रा (मीटर में)	मात्रा (मीटर में)	धनराशि (₹ में)
जनपद–हमीरपुर										
1	मुलायम सिंह पुत्र शिवदयाल सिंह	ग्राम–बजहेटा, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
2	सुबराती पुत्र नयामत	ग्राम– चिल्ली, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
3	रामअधार पुत्र प्रभु	ग्राम– गौरा, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
4	गया प्रसाद पुत्र रघुवीर	ग्राम– कैमोखर, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
5	पवन कुमार पुत्र राम किशोर	ग्राम– लोधीपुर, विकास खण्ड–मुस्करा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
6	जयराम पुत्र शिवनन्दन	ग्राम– परेहटा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
7	मीडिया देवी उर्फ धन्नू देवी पत्नी बलवान सिंह	ग्राम– सौकहा/ सिमनौरी, विकास खण्ड–सुमेरपुर	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
8	सिया राम पुत्र बुधवा	ग्राम– कुम्हउपुर, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
9	राम कुमार पुत्र देवकी नन्दन	ग्राम–मवैया, विकास खण्ड–मौदहा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	210	180	22,590
10	हजारा बेगम पत्नी अब्दुल शकुर	ग्राम–पढोरी, विकास खण्ड–मौदहा	वर्षा जल संचयन	2010-11	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
11	महादेव पुत्र मिश्री लाल	ग्राम– बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
12	जय पाल सिंह पुत्र शिवरतन	ग्राम– बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590

13	तुला राम पुत्र मन्नू	ग्राम–अरतरा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
14	रमेश कुमार पुत्र सुख लाल	ग्राम–अछरेला, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
15	पंकज कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम–अरतरा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
16	मातादीन पुत्र शिव लाल	ग्राम–पिपरौधा, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
17	रणधीर पुत्र गुलजारी	ग्राम–बछरौली, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
18	गंगा प्रसाद पुत्र देवीदयाल	ग्राम–शंकरपुर, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2011-12	180	180	23,670
19	अजीत कुमार पुत्र बुद्धी लाल	ग्राम–जमरेही (भौली),विकास खण्ड–कुरारा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
20	गिरीश पुत्र भगवती	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड– कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
21	राजीव लोचन पुत्र भगवती	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
22	दशरथ पुत्र मइयादीन	ग्राम– पतरा, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
23	देवी प्रसाद पुत्र राम गोपाल	ग्राम–हरौलीपुर, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2009-10	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
24	मुन्नी देवी पत्नी राम नरेश सिंह	ग्राम–कुन्डौरा, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
25	आशीष कुमार सिंह पुत्र सूरज सिंह	ग्राम–कलौलीतार, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
26	सुखराम सिंह पुत्र पूरन सिंह	ग्राम–बडगॉव, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
27	विजय बहादुर साहू पुत्र शिव नरायन	ग्राम–बडगॉव, विकास खण्ड–सुमेरपुर	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
28	अमित कुमार पुत्र राजाराम	ग्राम– सरसई, विकास खण्ड–कुरारा	वर्षा जल संचयन	2010-11	276	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
29	रामकरन पुत्र गजोधर	ग्राम– तिन्दुही, विकास खण्ड–मौदहा	आईसोपॉम	2008-09	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22,590
								योग	5220	6,58,350

जनपद–झाँसी											
30	घनाराम पुत्र शंकर दयाल	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590	
31	हरि प्रकाश पुत्र लक्ष्मी चन्द	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590	
32	पूर्ण देवी पत्नी घनश्याम	ग्राम– भगवन्तपुरा, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590	
33	रमेश पुत्र गनेश चन्द्र	ग्राम– मैगाव, विकास खण्ड– गुरसराय	वर्षा जल संचयन	2007-08	156	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590	
34	विनीत सिंहपुत्र सूरज सिंह	ग्राम– गढवा, विकास खण्ड– मऊरानीपुर	आईसोपॉम	2009-10	210	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	2010-11	180	180	22590	
									योग	**900**	**112950**
									कुल योग		**771300**

(**स्रोतः** सूचना उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड द्वारा प्रदत्त)

सारांश

परिशिष्ट संख्या	कुल दोहरा चयन	अधिक वितरित पाईप की लागत (धनराशि ₹ में)
परिशिष्ट–2.2.7	16	3,67,920
परिशिष्ट–2.2.8	88	26,56,532
परिशिष्ट–2.2.9	34	7,71,300
योग	**138**	**37,95,752** **अर्थात ₹ 37.96 लाख**

परिशिष्ट

3.1 लायी गयी मिट्टी के सम्बन्ध में अनुबन्ध-वार निष्पादित मात्रा का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.5; पृष्ठ 69)

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अनुबन्ध संख्या	निष्पादित मात्रा (घमी)
1	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	13 / एसई / 2007–08	1,89,098.26
2	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	23 / एसई / 2007–08	78,334.30
3	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	32 / एसई / 2007–08	5,83,570.92
4	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	33 / एसई / 2007–08	3,09,548.57
5	शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर	35 / एसई / 2007–08	71,316.99
6	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	18 / एसई / 2007–08	5,601.38
7	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	22 / एसई / 2007–08	48,368.04
8	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	26 / एसई / 2007–08	32,285.76
9	शारदा सहायक खण्ड–41, रायबरेली	34 / एसई / 2007–08	45,672.20
10	सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर	07 / एसई / 2007–08	3,68,100.00
		योग	**17,31,896.42**

रायल्टी का विवरण: 17,31,896.42 (घमी) x ₹ 6.00= ₹ 1,03,91,379.00 अर्थात् ₹ 1.04 करोड़

3.2 ट्रक, कार एवं मोटरसाइकिलों का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.6; पृष्ठ 70)

वाउचर संख्या	दिनांक	मस्टर रोल पर उल्लिखित पंजीकरण संख्या	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा सूचित वाहनों का प्रकार	भुगतान की राशि (₹)
73	31.03.2011	यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	10,240
		यूपी-64-बी-9372	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-बी-0050	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-ई-9314	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-63-एम-0239	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-63-एफ-1054	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-64-7103	मोटरसाइकिल	8,400
			योग	**72,400**
71	31.03.2011	यूपी-64डी-1273	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64बी-6677	मोटरसाइकिल	30,240
			योग	**60,480**
70	31.03.2011	यूपी-64-2876	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64-0090	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64ए-4899	ट्रक	33,600
		यूपी-64-2065	ट्रक	33,600
		यूपी-64बी-4899	ट्रक	33,600
		यूपी-63 ई-0006	कार	33,600
		यूपी-64-के-6248	मोटरसाइकिल	40,320
			योग	**2,41,920**
69	31.03.2011	यूपी-64 डी-1273	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-63 ई-0006	कार	16,800
		यूपी-64-2876	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**50,400**
68	31.03.2011	यूपी-64एम-0587	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	5,040
			योग	**10,080**
67	31.03.2011	यूपी-63-9273	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-64 के-3811	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**75,600**
49	30.03.2011	यूपी-64सी-8826	मोटरसाइकिल	33,600
		यूपी-64ए-5811	बस	33,600
		यूपी-63जी-8783	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	33,600
		यूपी-64 ई-5437	मोटरसाइकिल	33,600
			योग	**1,34,400**
34	30.03.2011	यूपी–64-6389	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-9372	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-0050	मोटरसाइकिल	52,080

		यूपी–64 ई-9314	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 सी-9513	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 बी-7710	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64ए-8080	जीप	52,080
		यूपी–64-9886	मोटरसाइकिल	52,080
		यूपी–64 ई-0919	मोटरसाइकिल	39,680
		यूपी–64एच-3472	ट्रक	52,080
		यूपी–64एम-0489	मोटरसाइकिल	52,080
			योग	**5,60,480**
45	30.03.2011	यूपी-64 बी-0275	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-64-7103	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-64 डी-0073	मोटरसाइकिल	5,040
		यूपी-64-5571	मोटरसाइकिल	6,720
		यूपी-63एम-0239	मोटरसाइकिल	11,760
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	12,800
		यूपी-64 बी-9372	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-0050	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-9314	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**1,11,920**
76	31.03.2011	यूपी-63एम-0239	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64 बी-9894	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	30,240
		यूपी-64ए-7888	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**1,15,920**
82	31.03.2011	यूपी-64 के-3811	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-64एम-6078	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-6689	मोटरसाइकिल	25,200
			योग	**75,600**
84	31.03.2011	यूपी-63एम-1239	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63एफ-1054	मोटरसाइकिल	25,200
		यूपी-63जे-9082	आटोरिक्शा	25,200
		यूपी-64ए-7888	मोटरसाइकिल	48,720
		यूपी-64 बी-2035	जीप	48,720
		यू0पी0-64ए-9351	जीप	45,360
		यूपी-64 बी-5630	मोटरसाइकिल	36,960
		यूपी-64 डी-0073	मोटरसाइकिल	36,960
			योग	**2,92,320**
83	31.03.2011	यूपी-64ए-1921	ट्रक	15,120
		यूपी-64 बी-9801	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 जी-2142	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	15,120
		यूपी-64 बी-9372	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 सी-9513	मोटरसाइकिल	15,120

		यूपी-64-6389	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 ई-2955	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 सी-9127	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64ए-8832	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64-9886	मोटरसाइकिल	11,520
		यूपी-64-8080	जीप	15,120
		यूपी-64-5821	मोटरसाइकिल	15,120
		यूपी-64 ई-0919	मोटरसाइकिल	13440
		यूपी-64ए-5817	मोटरसाइकिल	13,440
		यूपी-64 सी-6228	कार	11,760
		यूपी-64 सी-3860	मोटरसाइकिल	11,520
			योग	**2,31,600**
58	30.03.2011	यूपी-64 सी-8826	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-5811	बस	16,800
		यूपी-64 जी-8783	अनिर्गत पंजीकृत संख्या	16,800
		यूपी-64 ई-5437	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-3964	जीप	16,800
		यूपी-64 डी-8079	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-5912	ट्रक	16,800
		यूपी-64 ई-0923	ट्रक	16,800
		यूपी-64-8665	ट्रक	16,800
		यूपी-64एफ-8754	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8127	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8820	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-4426	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8713	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8612	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64एफ-5457	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 के-6753	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-2913	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64एफ-8822	कार	16,800
		यूपी-64 बी-8359	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64ए-2322	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-8287	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 ई-3731	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 बी-8256	मोटरसाइकिल	16,800
		यूपी-64 सी-8628	कार	16,800
		यूपी-64एफ-5287	मोटरसाइकिल	16,800
			योग	**4,36,800**
			कुल योग	**23,43,920**

3.3 टिपर के उपयोग का दर विश्लेषण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.12; पृष्ठ 78)

(अ) ग्रेनुलर सब बेस हेतु	
(1) खण्ड द्वारा प्राविधानित दर	
टिपर 10 टन = 450 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 3.35	₹ 46,732.50
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	4,673.25
योग	**51,405.75**
आधार वर्ष 2001-02 पर 29 प्रतिशत की वृद्धि	14,907.67
योग	**66,313.42**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	6,631.34
योग	**72,944.76**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =450 टन)	₹ 324.20
(2) डाटा बुक तथा परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
टिपर 10 टन = 450 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 1.74	24,273.00
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	2,427.30
योग	**26,700.30**
आधार वर्ष 2001-02 पर 35 प्रतिशत की वृद्धि	9,345.11
योग	**36,045.41**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	3,604.54
योग	**39,649.95**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =450 टन)	**₹ 176.22**
दरों में अन्तर प्रति घनमीटर (324.20 - 176.22)	**₹ 147.98**
सम्पादित मात्रा (घनमीटर)	48,492.384
अतिरिक्त व्यय ग्रेनुलर सब बेस कार्य	₹ 71,75,902.98
(B) वेट मिक्स मैकाडम हेतु	
(1) खण्ड द्वारा प्राविधानित दर	
टिपर 10 टन = 495 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹ 3.35	51,405.75
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	5,140.58
योग	**56,546.33**
आधार वर्ष 2001-02 पर 29 प्रतिशत की वृद्धि	16,398.44
योग	**72,944.77**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	7,294.48
योग	**80,239.25**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =495 टन)	**₹ 356.62**
(2) डाटा बुक तथा परिपत्र के अनुसार अनुमन्य दर	
टिपर 10 टन = 495 टन x 31किमी x **टिपर की दर** ₹1.74	₹ 26,700.30
लोडिंग एवं अनलोडिंग हेतु ढुलाई लागत का 10 प्रतिशत	2,670.03
योग	**29,370.33**

आधार वर्ष 2001-02 पर 35 प्रतिशत की वृद्धि	10,279.62
योग	**39,649.95**
ठेकेदार का लाभ 10 प्रतिशत	3,964.50
योग	**43,614.45**
दर प्रति घनमीटर (योग को 225 से भाग देने पर यथा 225 घनमीटर =495 टन)	**₹ 193.84**
दरों में अन्तर प्रति घनमीटर (356.62 - 193.84)	**₹ 162.78**
सम्पादित मात्रा (घनमीटर)	**₹ 25,749.415**
अतिरिक्त व्यय वेट मिक्स मैकाडम कार्य (25749.415 x 162.78)	**₹ 4,19,1489.77**
कुल अतिरिक्त व्यय (7175902.98 + 4191489.77)	**₹ 1,13,67,392.75**
बाण्ड से कम (0.25 प्रतिशत की दर से)	**₹ 28,418.48**
शुद्ध अतिरिक्त व्यय	**₹ 1,13,38,974.27**
अर्थात	**₹ 1.13 करोड़**

3.4 सर्विस लेन के निर्माण के लिए क्रस्ट डिजाइन का विवरण

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.13; पृष्ठ 79)

क्रस्ट डिजाइन	इण्डियन रोड कांग्रेस–37–2001 के दिशा–निर्देश तथा कन्सलटेन्ट फर्म की संस्तुतियों के अनुसार	आगणन के अनुसार
ग्रेन्यूलर सब बेस	165 एमएम	165 एमएम
ग्रेन्यूलर बेस	225 एमएम	225 एमएम
बाइन्डर कोर्स	–	50 एमएम बिटुमिनस मैकेडम
वीयरिंग कोर्स	20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट	25 एमएम सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट

59वें चालू देयक के अनुसार अतिरिक्त परिहार्य व्यय का विवरण

1. बिटुमिनस मैकेडम 50 एमएम पर व्यय

12,101.50 घनमीटर (14,013.75 घनमीटर – 1,912.25 घनमीटर) X ₹ 5,437.50 प्रति घनमीटर= ₹ 6,58,01,906.25 + ₹ 98,70,285.94 (15 प्रतिशत अधिक) = ₹ 7,56,72,192.19

2. सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट 25 एमएम पर व्यय

6,050.75 घनमीटर (7,006.88 घनमीटर – 956.13 घनमीटर) X ₹ 6,483.90 प्रति घनमीटर = ₹ 3,92,32,457.93+ ₹ 58,84,868.69 (15 प्रतिशत अधिक) = ₹ 4,51,17,326.62

बिटुमिनस मैकेडम और सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट पर कुल व्यय = ₹ 12,07,89,518.81

3- 20 एमएम प्रीमिक्स कार्पेट पर व्यय

2,42,030.00 वर्गमीटर (2,80,275.00 वर्गमीटर -38,245.00 वर्गमीटर) X ₹ 160 प्रति वर्गमीटर = ₹ 3,87,24,800.00 + ₹ 58,08,720.00 (15 प्रतिशत अधिक)

प्रीमिक्स कार्पेट पर कुल व्यय= ₹ 4,45,33,520.00

परिहार्य व्यय=₹ 12,07,89,518.81 (बिटुमिनस मैकेडम)– ₹ 4,45,33,520.00 (प्रीमिक्स कार्पेट) = ₹ 7,62,55,998.81 अर्थात् = ₹ 7.63 करोड

3.5 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर के सर्विस लेन की मात्रा का विवरण (बिटुमिनस मैकेडम, सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट और प्रीमिक्स कार्पेट)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 3.1.13; पृष्ठ 79)

बिटुमिनस मैकेडम में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	गहराई (मीटर)	संख्या	मात्रा (घनमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	0.05	2	409.750
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	0.05	1	52.500
		2.250-2.750	500	5.5	0.05	2	275.00
		2.750-3.000	250	7.0	0.05	1	87.500
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	0.05	2	525.00
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	0.05	2	175.00
		7.250-7.700	450	5.5	0.05	2	247.500
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.500-14.703)	14.500-14.700	200	7	0.05	2	140.00
		14.700-14.703	03	0	0.05	2	0.00

कुल मात्रा (बिटुमिनस मैकेडम) **1912.25** घनमीटर

सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	गहराई (मीटर)	संख्या	मात्रा (घनमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	0.025	2	204.88
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	0.025	1	26.2500
		2.250-2.750	500	5.5	0.025	2	137.500
		2.750-3.000	250	7.0	0.025	1	43.750
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	0.025	2	262.500
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	0.025	2	87.500
		7.250-7.700	450	5.5	0.025	2	123.750
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.500-14.703)	14.500-14.700	200	7	0.025	2	70.00
		14.700-14.703	03	0	0.025	2	0.00

कुल मात्रा (सेमी डेन्स बिटुमिनस कान्क्रीट) **956.13** घनमीटर

प्रीमिक्स कार्पेट में प्रयोग की गयी मात्रा

क्रम संख्या	रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाई ओवर का विवरण	चैनेज	लम्बाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	परत की संख्या	संख्या	मात्रा (वर्गमीटर)
1	फ्लाई ओवर (चैनेज 0.675-1.420)	0.675-1.420	745	5.5	1	2	8195.00
2	रेलवे ओवर ब्रिज (चैनेज 2.100-3.000)	2.100-2.250	150	7.0	1	1	1050.00
		2.250-2.750	500	5.5	1	2	5500.00
		2.750-3.000	250	7.0	1	1	1750.00
3	फ्लाई ओवर (चैनेज 6.000-6.750)	6.000-6.750	750	7.0	1	2	10500.00
4	फ्लाई ओवर (चैनेज 7.000-7.700)	7.000-7.250	250	7.0	1	2	3500.00
		7.250-7.700	450	5.5	1	2	4950.00
5	ब्रिज (घेलाघाट) (चैनेज 14.50014.703)	14.500-14.700	200	7	1	2	2,800.00
		14.700-14.703	03	0	1	2	0.00

कुल मात्रा (प्रीमिक्स कार्पेट) **3,8,245.00** वर्गमीटर

परिशिष्ट

4.1 सहायक नियंत्रक/केन्द्रों पर अधीनस्थ कर्मचारियों के स्वीकृत पदों एवं उपलब्ध पदों की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.5.2.1; पृष्ठ 107)

क्रम संख्या	आहरण वितरण अधिकारी / केन्द्र का नाम	स्वीकृत पद	जून 2012 तक पदों की स्थिति	अधिक	कमी
सहायक नियंत्रक, लखनऊ		6	13	7	
1.	हरदोई केन्द्र	4	2		2
2.	लखीमपुर केन्द्र	4	3		1
3.	मोहम्मदी केन्द्र	4	2		2
4.	पलिया केन्द्र	4	2		2
5.	आलमबाग केन्द्र	4	7	3	
6.	महानगर केन्द्र	4	6	2	
7.	मलीहाबाद केन्द्र	3	4	1	
8.	मोहनलालगंज केन्द्र	5	4		1
9.	रायबरेली केन्द्र	4	5	1	
10.	उन्नाव केन्द्र	5	8	3	
योग		**47**	**56**	**17**	**8**
सहायक नियंत्रक, मुरादाबाद		**9**	**5**		4
11.	बिजनौर केन्द्र	4	3		1
12.	चांदपुर केन्द्र	4	2		2
13.	धामपुर केन्द्र	4	3		1
14.	नगीना केन्द्र	4	2		2
15.	नजीबाबाद केन्द्र	4	3		1
16.	चन्दौसी केन्द्र	4	2		2
17.	संम्भल केन्द्र	4	2		2
18.	अमरोहा केन्द्र	4	2		2
19.	गजरौला केन्द्र	4	2		2
20.	मुरादाबाद केन्द्र	5	4		1
21.	बिलासपुर केन्द्र	3	1		2
योग		**53**	**31**		**22**
सहायक नियत्रक, वाराणसी		11	11		
22.	मुगलसराय केन्द्र	5	4		1
23.	गाजीपुर केन्द्र	4	5	1	
24.	जमानिया केन्द्र	4	2		2
25.	चुनार केन्द्र	4	5	1	
26.	मिर्जापुर केन्द्र	4	5	1	
27.	भदोही केन्द्र	4	5	1	
28.	दुद्धी केन्द्र	4	2		2
29.	चौकाघाट केन्द्र	6	5		1
30.	लहुरावीर केन्द्र	6	7	1	
योग		**52**	**51**	**5**	**6**
कुल योग		**152**	**138**	**22**	**36**

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

परिशिष्ट

4.2 केन्द्रों की तिजोरी मे रखे गये अधिकतम अवशेष की स्थिति

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.1.5; पृष्ठ 115)

क्रम संख्या	सहायक नियंत्रक का नाम	केन्द्र का नाम	तिजोरी मे रखा गया अधिकतम अवशेष (करोड़ ₹ मे)									
			2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
			माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष	माह	अवशेष
1	लखनऊ	हरदोई	03/08	304752	08/08	68,631	10/09	73,643	02/11	70,879	10/11	9,410
2		संडीला	12/07	28627	06/08	21,593	01/10	21,622	05/10	38,616	11/11	26,933
3		लखीमपुर	11/07	37553	09/08	87,790	07/09	38,640	04/10	40,166	04/11	51,483
4		मोहम्मदी	07/07	51675	12/08	34,548	12/09	53,447	12/10	15,263	12/11	46,660
5		पलिया	10/07	14200	09/08	8,770	12/09	24,898	04/10	34,921	01/12	18,738
6		आलमबाग	10/07	43021	11/08	63,963	07/09	46,205	10/10	63,283	06/11	62,434
7		चौक	06/07	69892	09/08	76,542	06/09	64,301	07/10	57,655	09/11	57,389
8		लखनऊ	08/07	35604	02/09	40,577	11/09	82,329	11/10	84,137	02/12	32,663
9		महानगर	12/07	51177	09/08	55,571	09/09	51,339	09/10	46,771	12/11	72,287
10		मलीहाबाद	09/07	42313	07/08	17,471	06/09	8,358	11/10	19,738	06/11	16,381
11		मोहनलाल गंज	10/07	6252	11/08	8,102	08/09	9,401	06/10	13,162	01/12	9,680
12		रायबरेली	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	09/09	28,622	09/10	65,479	08/11	31,736
13		बिसवां	12/07	40739	12/08	41,488	12/09	36,598	06/10	26,981	09/11	41,800
14		सीतापुर	04/07	26072	05/08	34,431	04/09	33,382	09/10	55,358	02/12	69,086
15		पूर्वा	03/08	19308	05/08	12,067	11/09	14,527	05/10	16,779	03/12	12,775
16		उन्नाव	11/07	9121	02/09	15,746	07/09	10,128	09/10	14,744	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
17	मुरादाबाद	बिजनौर	09/07	18525	10/08	64,339	02/10	13,533	12/10	38,084	10/11	13,350
18		चांदपुर	08/07	88995	10/08	47,626	12/09	100,030	11/10	69,893	06/11	77,000
19		धामपुर	10/07	69628	06/08	94,364	09/09	24,603	10/10	33,872	06/11	34,755
20		नगीना	10/07	20379	09/08	15,188	02/10	27,577	10/10	16,801	09/11	16,672
21		नजीबाबाद	12/07	41134	09/08	31,070	12/09	46,951	01/11	44,165	10/11	50,497
22		चन्दौसी	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
23		सम्भल	02/08	32956	12/08	20,990	11/09	37,881	11/10	30,357	08/11	42,675
24		अमरोहा	12/07	36386	05/08	27,109	09/09	28,983	12/10	35,982	11/11	60,745
25		गजरौला	10/07	21000	06/08	15,879	05/09	40,114	06/10	105,971	10/11	34,500
26		मुरादाबाद	06/07	71748	09/08	119,679	07/09	59,729	10/10	86,474	11/11	115,040
27		बिलासपुर	12/07	32331	09/08	16,161	05/09	12,750	09/10	17,661	10/11	19,481
28		रामपुर	07/07	54997	12/08	26,429	04/09	40,987	12/10	46,558	09/11	56,033
29	वाराणसी	मुगलसराय	09/07	65122	07/08	71,984	04/09	73,399	01/11	174,514	09/11	91,090
30		गाजीपुर	01/08	18749	09/08	20,970	01/10	26,032	01/11	39,705	08/11	31,290
31		जमनियां	01/08	22230	01/09	30,882	01/10	14,858	10/10	33,344	10/11	27,280
32		यूसुफपुर	12/07	7723	09/08	9,886	01/10	11,419	02/11	21,050	08/11	43,722
33		जौनपुर	09/07	43481	09/08	25,785	05/09	34,756	02/11	39,548	01/12	114,484
34		मछलीशहर	12/07	11824	09/08	19,943	06/09	19,075	05/10	13,860	12/11	16,653
35		शाहगंज	01/08	9992	07/08	14,014	01/10	13,033	01/11	26,681	06/11	22,991
36		चुनार	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
37		मिर्जापुर	02/08	37352	08/08	63,855	02/10	91,505	02/11	99,805	02/12	126,655
38		भदोही	02/08	19196	09/08	11,084	01/08	19,486	02/11	31,464	08/11	8,248
39		दूद्धी	04/07	18867	02/09	39,274	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये	10/10	17,002	उपलब्ध नहीं कराये गये	उपलब्ध नहीं कराये गये
40		राबर्टसगंज	09/07	6252	08/08	2,897	12/09	3,300	06/10	16,944	09/11	21,500
41		चौकाघाट	01/08	40577	08/08	23,306	01/10	54,517	01/11	66,681	12/11	82,983
42		लहुरावीर	07/07	37682	09/08	55,483	10/09	47,817	11/10	72,871	02/12	45,389

(स्रोत: नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों के केन्द्र)

4.3 निर्गत एवं नवीनीकृत लाइसेंसों की स्थिति (विनिर्माता, विक्रेता एवं मरम्मतकर्ता)

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.2.1; पृष्ठ 116)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ मे लाइसेंसों की स्थिति			वर्ष मे नवीनीकृत किये गये लाइसेंसों की संख्या			वर्ष मे निर्गत किये गये लाईसेसों की संख्या			वर्ष मे निरस्त किये गये लाईसेसों की संख्या			वर्ष मे नवीनीकृत न कराये गये लाईसेसों की संख्या		
	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर	म	ड	आर
सहायक नियंत्रक, लखनऊ															
2007	0	132	95	0	127	85	0	7	7	0	0	0	0	5	10
2008	3	212	151	3	201	137	1	9	9	0	0	0	0	11	14
2009	4	221	160	4	200	135	0	18	6	0	0	0	0	21	25
2010	4	239	166	4	212	143	0	9	8	0	0	0	0	27	23
2011	4	248	174	4	215	153	0	6	3	0	0	0	0	33	21
2012	4	229	157	4	198	134	0	4	4	0	0	0	0	31	23
						योग	**1**	**53**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128**	**116**
सहायक नियंत्रक, मुरादाबाद															
2007	3	150	119	2	126	95	0	10	0	0	2	3	1	22	21
2008	3	158	116	2	129	89	0	7	6	1	1	0	0	28	27
2009	2	164	122	2	129	93	3	6	4	0	0	0	0	35	29
2010	5	170	126	5	129	96	2	4	7	0	0	2	0	41	28
2011	7	174	131	7	127	97	1	9	8	0	1	1	0	46	33
2012	8	182	138	5	135	104	0	3	1	0	0	0	3	47	34
						योग	**6**	**39**	**26**	**1**	**4**	**6**	**4**	**219**	**172**
सहायक नियंत्रक, वाराणसी															
2007	0	42	85	0	38	69	0	3	9	0	0	0	0	4	16
2008	0	65	117	0	60	90	0	2	13	0	0	0	0	5	27
2009	0	85	142	0	77	114	0	1	3	0	0	0	0	8	28
2010	0	86	145	0	70	113	0	2	8	0	0	0	0	16	32
2011	0	88	153	0	69	108	0	5	12	0	0	0	0	19	45
2012	0	79	139	0	61	105	0	1	3	0	0	0	0	18	34
						योग	**0**	**14**	**48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**182**

म: विनिर्माता, ड: विक्रेता एवं आर: मरम्मतकर्ता

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

4.4 बाटों एवं मापों के सत्यापन न किये जाने के कारण शुल्क की प्राप्ति न होना

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या: 4.6.2.2; पृष्ठ 118)

वर्ष	उपयोगकर्ताओं की संख्या	उपयोगकर्ताओं की संख्या जिन्होने अपने बाटों एवं मापों का सत्यापन/मुद्रांकन कराया	उपयोगकर्ताओं की संख्या जिन्होने अपने बाटों एवं मापों का सत्यापन/मुद्रांकन नही कराया	राजस्व की हानि (₹ मे)
लखनऊ				
2008-09	13,468	12,168	1,300	78,000
2009-10	41,362	32,817	8,545	5,12,700
2010-11	63,390	44,858	18,532	11,11,920
2011-12	75,104	38,036	37068	22,24,080
मुरादाबाद				
2008-09	13,079	12,879	200	12,000
2009-10	47,036	33,305	13,731	8,23,860
2010-11	55,555	34,320	21,235	12,74,100
2011-12	46,478	22,356	24,122	14,47,320
वाराणसी				
2009-10	1,28,986	1,06,624	22,362	13,41,720
2010-11	1,42,230	1,04,483	37,747	22,64,820
2011-12	1,51,972	84,559	67,413	40,44,780[1]
		योग	**1,28,603**	**1,51,35,300**

(**स्रोत:** नमूना जाँच के सहायक नियंत्रकों)

[1]यह मानते हुए कि प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास कम से कम एक–एक 5 किग्रा एवं 2 किग्रा के ₹ 15 प्रति की दर से, एक 1 किग्रा का ₹ 10 की दर से, एक–एक 500 ग्रा, 200 ग्रा, 100 ग्रा एवं 50 ग्रा ₹ 5 प्रति की दर से तथा एक तुला कुल ₹ 60 सत्यापन एवं मुद्रांकन प्रभार प्रति उपयोगकर्ता।